खण्ड-378, अंक-9
गुरूवार, 27 भाद्रपद, शक संवत् 1908
(18 सितम्बर, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, द्वितीय सत्र 1986)

खण्ड 378 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क—ख
प्रश्नोत्तर	1—83
निर्वाचन क्षेत्र लखना, इटावा में औद्योगिक केन्द्र की स्थापना की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	83
मेसर्स इण्डिया लेदर इण्डस्ट्रीज, बाराबंकी में मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	84
वाराणसी शहर में प्रमुख सड़कों के धंसने से असुरक्षा की भावना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	84
आजमगढ़, थाना मधुबन में श्री बलिराम चौहान की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
सदर बाजार, फिरोजाबाद में बिजली के तार से श्री शहजाद की मृत्यु होने के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	85
टाउन एरिया लालगंज, जिला रायबरेली में फायर ब्रिगेड प्रोजेक्ट की स्थापना के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	86
जनपद बांदा में फर्जी मुठभेड़ दिखाकर निर्दोष लोगों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	86
दूषित जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
विधान सभा सचिवालय, कर्मचारी के साथ पुलिस (सुल्तानपुर) द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
प्रदेश में कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, सिंचाई विभाग तथा सहकारिता विभाग में समन्वय न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	87
राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों का विनियमितीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	88
उत्तर प्रदेश पुलिस एवं पी0 ए0 सी0 कर्मियों में असंतोष होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	88
इलाहाबाद नगर में सीवर मेन होल की दुर्दशा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद उन्नाव में फैक्ट्रियों के दूषित जल का कुप्रभाव होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना ..	89
हसनपुर, मुरादाबाद में चिकित्सालय भवन के निर्माण में विलम्ब होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना ..	89
नरैनी, बांदा में प्रस्तावित रसिन बांध का कार्य अपूर्ण होने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	90
तहसील फरेन्दा, गोरखपुर में बाढ़ से तबाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	90
विकास खण्ड बिछिया, उन्नाव में निर्माण कार्यों में बर्ती गयी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	90
जनपद देवरिया में छोटी गंडक नदी में बाढ़ के कारण तहसील हाटा व सलेमपुर निवासियों के समक्ष संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	91
बस्ती जिले के उत्तरांचल में पशुओं की भयंकर बीमारी फैल जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना ..	91
बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की शिकायत होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	92
मुरादाबाद में काशीपुर-रामनगर रोड पर चलने वाली प्राइवेट बसों के कर्मचारियों का जनता के प्रति दुर्व्यवहार तथा माननीय विधायकों को असुविधा होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
आगरा मण्डल में नहरी राजबाहा व माइनरों के अवैध कटान होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	93
देवरिया जनपद में पडरौना व सेवरही में पिपराघाट तटबन्ध की दुर्दशा होने के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	93
उत्तरकाशी एवं टेहरी क्षेत्र के कुछ निवासियों को अनुसूचित जनजाति घोषित न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद बांदा निवासी श्री हीरा लाल पाण्डेय को बहराइच से रिवाल्वर का लाइसेन्स दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना	94
हलीम मुस्लिम महाविद्यालय, कानपुर के बन्द होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अतर्गत सूचना	95
आर0 टी0 ओ0, गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्यों तथा आवंटन की शिकायत होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अतर्गत सूचना	95

विषय	पृष्ठ-संख्या
सरधना नगर, जनपद मेरठ में बिजली की अनियमित आपूर्ति से निवासियों को कठिनाई होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
राष्ट्रीय बालिका विद्यालय बाबूगंज, लखनऊ के अंतर्गत तारावती सेठ मान्टेसरी स्कूल में व्याप्त अनियमितता के प्रति पुलिस की निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	96
उत्तर प्रदेश सचिवालय में तैनात स्थानापन्न अवर वर्ग सहायकों की लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली अहंकारी परीक्षा के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
तहसील किरावली, आगरा के अनेक ग्रामों में जल प्रदूषण से भयंकर बीमारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	97
वाराणसी स्थित सिंधियाघाट सिद्ध हनुमान मन्दिर पर अनधिकृत कब्जे के प्रयास के विरोध में जनमानस में क्षोभ एवं असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	97—104
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	104—107
उत्तर प्रदेश, उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1986 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	107
उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1986 विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	108
उत्तर प्रदेश विनियोग (1986-87 का अनुपूरक) विधेयक, 1986 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	108
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1986 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	108
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	108
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	109
उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1986 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	109
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	109
प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा	110—159

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा बिजली की दरों में की गयी वृद्धि से बिजली उपभोक्ताओं में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में चर्चा	160—174
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (स्वीकृत)	174
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	175
नत्थियां	

संसद भवन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 18-9-1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज़ हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर हुसैन बाबर, श्री	फैजाबाद
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती
अरबिन्द तिवारी, श्री	जालौन
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई
कमाल अहमद रिजवी, श्री	खीरी
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया
चमन लाल चमन, श्री	सहारनपुर
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
पद्मा सेठ, श्रीमती	सीतापुर
प्रेमीला बद्धवार, मेहरा, श्रीमती	बदायूं
बलजीत सिंह, श्री	मथुरा
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
रजनी कान्त दत्त, डा0	वाराणसी
राम प्रकाश सिंह सेंगर, श्री	जालौन
रीना कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली

विधान सभा उत्तर प्रदेश

संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सीता राम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली

श्री अरुण कुमार सिंह, श्री सिब्ते रजी, कु0 सरस्वती अम्माल ।

विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, दिनांक 18 सितम्बर, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में प्राथमिक सहकारी समितियों तथा उच्च समितियों के चुनाव कराये जाने की योजना

**1—श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री सरदार सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक सहकारी समितियों तथा उच्च समितियों के चुनाव दिसम्बर, 1986 के पूर्व कराये जाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो चुनाव न कराये जाने के कारण क्या है ?

सहकारिता मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह)—

जी हां ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न है कि क्या प्रदेश में प्राथमिक सहकारी समितियों तथा उच्च समितियों के चुनाव दिसम्बर, 86 के पूर्व कराये जाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह योजना क्या है, उसका प्रारूप क्या है और चुनाव निश्चित रूप से कब तक करा देने का कार्यक्रम है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, इस संबंध में पहली सितम्बर को श्री हृदय नारायण दीक्षित जी ने प्रश्न किया था । उस समय इस पर माननीय सहकारिता मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर दिया था कि 25 अक्टूबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू करा दी जायेगी और शासन की भी यही मंशा है ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, जो लोग सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और जो लोग पहले पैसा जमा कर चुके हैं तो क्या माननीय मंत्री जी उस पैसे को इस बार के चुनाव में समायोजित करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो समायोजन की बात कही है, उस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, पहले भी माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह लाया जा चुका है कि कई लोगों के नाम पर फर्जी और बेनामी ऋण दर्ज हैं और जिनका निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है । क्या माननीय मंत्री जी चुनावों के पूर्व उन शिकायतों का निस्तारण करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य जानते भी हैं कि पिछली बार भी वसूली के कारण ही चुनाव स्थगित करने पड़े।। जब वसूली पूरी हो जायेगी, तभी चुनाव करा दिये जायेंगे ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रशासक इन समितियों में नियुक्त हैं और जिनके बारे में सत्ता पक्ष की तरफ से भी यह राय है कि वह प्रशासक असामाजिक तत्व थे ।

चुनाव की निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए क्या उन प्रशासकों को तत्काल हटा कर इन समितियों का चुनाव नई प्रक्रिया से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह—

30 दिसम्बर तक इनका कार्यकाल है । यदि इनके खिलाफ कोई आरोप है या डिफाल्टर है तो निश्चित हटा दिया जायेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मंत्री जी को जानकारी होगी कि ब्लाकों और न्याय पंचायतों के पुनर्गठन के बाद समितियों के सीमाचित्र में भी परिवर्तन हुआ है लेकिन उसको अभी अमली रूप नहीं दिया गया है । क्या माननीया मंत्री जी आश्वस्त करेंगे कि चुनाव के पहले ब्लाकों के और न्याय पंचायतों के परिसीमन के अनुसार सहकारी समितियों का भी परिसीमन हो जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र सिंह—

जब चुनाव होगा तो उससे पहले निश्चित रूप से जो परिसीमन की कार्यवाही है, पूरी कर ली जायेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मंत्री जी एक मुद्दे पर कतराते रहे हैं और वह मुद्दा यह है कि जो दो-दो, तीन-तीन बार चुनाव स्थगित कराये गये, उसमें उम्मीदवारों ने जमानतों की धनराशि जमा की । एक बार माननीय मंत्री जी ने उस जमानत की धनराशि के बारे में इस सदन को बताया था कि कुछ पैसा खर्च हो गया स्टेशनरी में और चुनाव की कार्यवाही में, शेष पैसा वापस लेने के लिए सदस्य अधिकृत है । दुबारा बताया गया कि पैसा वापस नहीं मिलेगा । आप भी जानते हैं कि जब नामीनेशन हो जाते हैं तभी चुनाव की कोई भी प्रक्रिया शुरू होती है । शासन ने जो तीन-तीन बार चुनाव स्थगित कराये हैं नामिनेशन के तुरन्त बाद स्थगित करा दिया, चुनाव की कार्यवाही शुरू ही नहीं हो पायी . . .

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कर लें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि आखिर वह जमानतों की धनराशि के बारे में उनकी निश्चित व्यवस्था क्या है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह—

माननीय सदस्य को पहले ही बताया कि 25 अक्तूबर से चुनाव की प्रक्रिया चालू कर दी जायेगी । जिन्होंने पहले नामिनेशन भरा था, उनके संबंध में, जो भी विधिक प्रक्रिया है, पूरी कर ली जायेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आप संरक्षण दें । मैंने स्पष्ट जवाब चाहा है कि जो धनराशि, जमानत के रूप में, जो चुनाव स्थगित कराये गये हैं, उसमें जमा करायी गयी थी, उस संबंध में निश्चित व्यवस्था क्या है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह—

माननीय सदस्य जानते हैं कि उन्होंने जो सवाल किया है कि जो धनराशि पहले चुनाव के समय जमा की थी, तो उन्होंने स्वयं कहा है कि कुछ स्टेशनरी में और कुछ दूसरी चीजों में खर्चा हो गया । मैं बताना चाहता हूं कि जो धनराशि की बात है, उसे देख लिया जायेगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

बड़े खेद की बात है कि आज सहकारिता का प्रश्न है, लेकिन माननीय सहकारिता मंत्री अपने मुख्यमंत्री बनने

के चक्कर में दिल्ली में हैं । क्या मा0 मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कुछ एसे भी जनपद हैं जहां प्रबन्ध मण्डल के चुनाव प्रतिनिधि के माध्यम से हाईकोर्ट के द्वारा निर्धारित कर दिये गये हैं, जब नये चुनाव करायेंगे तो क्या उस चुनाव को स्थगित करके फिर से नये चुनाव करायेंगे ? हमारे जिले में हाई-कोर्ट ने निर्देश दे दिये कि पुराने प्रतिनिधियों के आधार पर ही 28 तारीख तक चुनाव करा लीजिये और 23 तारीख तक सूचित कर दीजिए । 28 को चुनाव है, ब्लाक का, ब्लाक का कोई प्रतिनिधि नहीं है, 15-15 और 10-10 प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव होना है । हाईकोर्ट को अगर 23 से पहले **सरकार लिख देती है** तो हाई-कोर्ट अपने आर्डर को विदड्रा कर लेगा और इन्हीं के साथ उनका भी चुनाव हो जायेगा । **क्या जनहित में** सरकार हाईकोर्ट को सूचित करेंगी कि चुनाव स्थगित कर दीजिए ?

श्री सुरेन्द्र सिंह—

25 अक्तूबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब 25 अक्तूबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी तो जिन न्याय पंचायतों में सोसाइटी नहीं हैं तो क्या उनका परसीमन करके साधन सहकारी समिति गठित करेंगे ? जैसे हमारे यहां रामनगर ब्लाक में कोई सोसाइटी नहीं है तो एसी जगहों के लिए आप कोई आदेश देंगे और एसी न्याय पचायतों के परिसीमन की घोषणा करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह—

अगर किसी क्षेत्र विशेष के बारे में माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो उसके बारे में विचार कर लिया जायेगा ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

सरकार हर इलेक्शन कराने से कतरा रही है । चुनाव कराने के लिए बार-बार आश्वासन देने के बावजूद उसे पोस्टपोन किया गया, तो इसकी क्या वजह थी ? क्या आप दिसम्बर के पहले चुनाव कराने के लिए कोई तारीख मुकर्रर करेंगे मंत्री जी और जो आप इलेक्शन कराने के लिए तारीख मुकर्रर करेंगे क्या उस पर अमल-दरामद भी किया जायेगा ?

(श्री अध्यक्ष ने उत्तर देने के लिए माननीय मंत्री जी को नहीं पुकारा ।)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब तो दिलवा दें ?

श्री अध्यक्ष—

इस पर बहुत सवाल हो गये हैं ।

जनपद वाराणसी में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में राजकीय समारोह आयोजन में अतिविशिष्ट अतिथियों का सम्मान न किया जाना

*2—श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि 14 जून, 1986 को जनपद वाराणसी में प्रधानमंत्री भारत सरकार की उपस्थिति में जो राजकीय समारोह आयोजित किया गया था उसमें राज्य सरकार द्वारा निर्देशित प्रोटोकाल के अनुसार मंच पर उपस्थित अति विशिष्ट अतिथियों को सम्मान नहीं दिया गया था जिसके संबंध में मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नकर्ता के दिनांक 18 जून, 86 एवं 10 अगस्त, 86 के पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि प्रधान मंत्री ने इस पर कोई क्षोभ व्यक्त किया था जिसके

कारण जिले के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया ? यदि हां, तो क्या इससे स्थानीय अधिकारियों में असंतोष उत्पन्न हो गया है ?

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)—

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मेरा एक निवेदन है मान्यवर कि जो हमारा सवाल है उसका सही-सही जवाब दिलवाइये । हम पूरब का सवाल करें तो उत्तर भी पूरब के बारे में ही आये पश्चिम के बारे में नहीं । मेरा माननीय गृह मंत्री से सवाल है कि 14 जून को बनारस में जब प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी वहां गये थे तो क्या मंच पर श्री राज्यपाल, मुख्यमंत्री मौजूद थे और क्या माननीय केन्द्रीय मंत्री मौजूद थे । इन सारे के सारे मंत्रियों की और राज्यपाल की उपेक्षा करके जबकि संविधान में इनके प्रोटोकाल की स्पष्ट व्यवस्था दी हुई है कि राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रोटोकाल मिलना चाहिए किसी राजकीय समारोह में तो वहां उस दिन मंच पर इन सबको पीछे बैठा कर एक विदेशी नागरिक को जो कि इटली की रहने वाली हैं श्रीमती सोनिया गांधी, प्रोटोकाल की उपेक्षा करके उनको आगे बैठाया गया ? क्या प्रोटोकाल भंग करने के सम्बन्ध में कोई जी0 ओ0 जारी किया गया था ? राज्यपाल की उपेक्षा करके सोनिया गांधी को आगे बैठाने की क्या जरूरत थी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

श्रीमती सोनिया गांधी प्रधान मंत्री जी की पत्नी हैं और अब भारतीय नागरिक हैं इसलिए आगे या पीछे बैठाने का प्रश्न नहीं उठता है । मंच पर मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री और उनकी पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी विराजमान थे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश से सवाल कर रहा हूं कि प्रदेश में प्रजातंत्र है तो इस प्रजातंत्र में जनता का राज्य चलेगा या चपरासी का ? क्या प्रोटोकाल में राज्यपाल और प्रधानमंत्री के अतिरिक्त क्या प्रधानमंत्री की पत्नी के लिए स्थान है ? क्या प्रोटोकाल में बताया गया है कि राज्यपाल की उपेक्षा करके, प्रोटोकाल के नियमों को भंग करके सोनिया गांधी को आगे स्थान दिये जाने का प्राविधान है ? क्या इसीलिए कि वह प्रधानमंत्री की पत्नी हैं ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

माननीय सदस्य को महिलाओं का ध्यान रखना चाहिए ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रोटोकाल में स्पष्ट दिया हुआ है कि प्रदेश में अगर कोई राजकीय समारोह होगा तो उस समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल करेंगे, अगर हां, तो बनारस में जो समारोह हुआ तो उसकी अध्यक्षता राज्यपाल जी ने की, अगर नहीं की तो क्यों नहीं की ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के सम्बन्ध में वहां से जो निर्देश आये

है, उनके अनुसार हमारा काम सुरक्षा व्यवस्था था और जो निर्देश आये थे उनका अक्षरश: पालन किया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा सवाल बहुत ही साफ है, माननीय गृह मंत्री जी ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री की पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी भारत की नागरिक हो गयी हैं, यह बात मैंने मान ली, लेकिन मान्यवर एक प्रोटोकाल बना हुआ है कि कौन कहां पर और किस क्रम में बैठेगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रोटोकाल के नियमों में क्या संशोधन कर दिया गया है जो कि प्रधानमंत्री की पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी उस स्थान पर बैठीं, अगर संशोधन नहीं किया गया है तो श्रीमती सोनिया गांधी को वह स्थान क्यों दिया गया ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, यह केवल शिष्टाचार की बात है, जब कोई विदेशी आता है, तो उसकी पत्नी को उसके साथ बैठने का स्थान दिया जाता है, उनकी पत्नियों को उनके साथ बैठाया जाता है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रोटोकाल और शिष्टाचार में क्या अन्तर है ? जो नियम हैं, उनके अनुसार क्या प्रधानमंत्री की पत्नी को नम्बर दो पर बैठने का प्राविधान किया गया है ? यदि नहीं किया गया है, तो उनको क्यों बैठाया गया ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, इसमें तो अंग्रेजी और हिन्दी का फर्क है—प्रोटोकाल और शिष्टाचार ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरा प्रश्न बिलकुल साफ है । जो प्रोटोकाल दिया हुआ है, उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि किस क्रम से कौन बैठेगा, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 14 जून को जो समारोह बनारस में हुआ, क्या उसकी अध्यक्षता राज्यपाल महोदय ने की या नहीं ? जो नियम है, उसके अनुसार राज्य में जो भी समारोह होगा उसकी अध्यक्षता राज्यपाल करेंगे, अगर नहीं की तो इसका क्या कारण है और प्रधानमंत्री की पत्नी को बैठने का कौन सा स्थान है, यह बताने का कष्ट करें ?] जनतंत्र में कानूनों का राज्य चलेगा,] [XXX] ।

मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर यह सरकार प्रोटोकाल और उसके नियमों की रक्षा नहीं कर सकती तो कोई समाज नहीं चल सकता . . .

श्री अध्यक्ष—

आप अपना प्रश्न कर लीजिये ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं प्रश्न ही कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो शासनादेश जारी किये हैं या वारेन्ट आफ प्रिसीडेन्स जारी किये हैं उसमें राज्य के अन्दर जो राजकीय समारोह होंगे और उसमें राज्यपाल उपस्थित होंगे तो क्या वे उस समारोह की अध्यक्षता करेंगे या नहीं ? यदि करेंगे, तो बनारस में उनके द्वारा अध्यक्षता न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन किया कि प्रदेश सरकार प्रधान

नोट—[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मंत्री और राष्ट्रपति के कार्यक्रम के संबंध में अपना कोई नियम नहीं बनाती । उनके संबंध में वहां से निर्देश आते हैं जिनका अक्षरश: पालन करते हैं । माननीय सदस्य को जो आशंका है कि राज्यपाल कहां बैठे । तो उन्होंने स्वयं शिष्टाचार के नाते उनकी पत्नी को बिठाल दिया होगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैंने पूछा था कि जो शासनादेश है और वारेन्ट आफ प्रिसीडेन्स है, उसके मुताबिक क्या राज्य के अंदर किसी राजकीय समारोह में यदि राज्यपाल उपस्थित होंगे तो क्या वे उसकी अध्यक्षता करेंगे ? यदि इस तरह का वारेन्ट आफ प्रिसीडेन्स है तो वहां पर उनके द्वारा अध्यक्षता न करने का क्या कारण है ? मान्यवर, मेरे इस सवाल का जवाब दिलवा दीजिए ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, सम्भवत: सम्मानित सदस्य को कुछ भ्रम है । यह राजकीय समारोह नहीं था, केन्द्र सरकार का कार्यक्रम था जिसके निर्देशन पर यह समारोह किया गया था ।

[नत्थी (ख), प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने पर]

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, यह हल्का फुल्का सवाल नहीं है । यह लोकतंत्र चलाने का सवाल है । यह एक गम्भीर मामला है और जनतंत्र की सुरक्षा का सवाल है । यह सवाल इसलिए पैदा हो गया कि जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित कमला पति त्रिपाठी और गवर्नर बैठे हों वहां प्रधानमंत्री की विदेशी औरत आगे बैठी हो, इसको बर्दाश्त कर लिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल, अगर जैसा कि मंत्री जी ने कहा गवर्नर स्वयं शिष्टाचार से उनको बिठाल दें, तो आपको क्या आपत्ति होगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, आपत्ति है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

यहां पर [XX] की बात नहीं है ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

अभी कुछ मंत्रियों को बुरा लगा . . .
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल कर लें ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

एक व्यवस्था का सवाल है . . . . (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

आज जनतंत्र को बचाने की बात है । अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि हमें क्या आपत्ति है । हमें एतराज है । इसलिए एतराज है कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं । हमारी जिम्मेदारी है कि जनतंत्र की रक्षा हो । वह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां पर कमला पति त्रिपाठी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और गवर्नर बैठे हों वहां पर प्रधान मंत्री की महिला और सिर्फ इसलिए कि वह प्रधान मंत्री की महिला हैं, कैसे बैठ सकती हैं . . (व्यवधान)।

नोट:—[XX] यह अंश श्री अध्यक्ष आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, औरत और पत्नी में फर्क है ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कर लीजिए ।

श्री मूलायम सिंह यादव—

अगर आपको प्रधानमंत्री की औरत और महिला में कोई संशोधन करना है तो आप संशोधन कर लीजिए और कार्यवाही में आपको कोई एतराज हो मेरे यह कहने पर तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा । लेकिन यहां पर जो माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि ऊपर से निर्देश आये थे तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऊपर से जो निर्देश आये थे उसमें उनका स्थान कहां निश्चित किया गया था ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल, माननीय मंत्री जी ने एक बात कह दी ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

नहीं मान्यवर, यह नहीं होगा, हम जानना चाहते हैं कि वह निर्देश क्या है ? माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि जो प्रधान मंत्री के निर्देश आये थे उसके मुताबिक हमने काम किया । तो वह निर्देश क्या है और उन्होंने अपनी पत्नी को बैठाने का स्थान कहां दिया है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, बार-बार इस बात का भ्रम संभवतः हो रहा है, मैंने कहा कि प्रधान मंत्री सचिवालय से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय के विजिट के सम्बन्ध में कुछ निर्देश आते हैं । तो उनके मुताबिक सारा कार्यक्रम हुआ है, उनका यहां जिक्र करना या उनकी चर्चा करना या उनको बताना वह सब आवश्यक नहीं है । (व्यवधान) ।

(नत्थी ख प्रश्न संख्या 1 पुकारने पर) (कई माननीय सदस्य खड़े होकर बोलने लगे और राजस्व राज्य मंत्री द्वारा उत्तर पढ़ने पर) (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, यह नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा (व्यवधान) ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

ऐसे नहीं चलेगा, परिवार वाद नहीं चलेगा, राजतंत्र नहीं चलेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, पहले सदन व्यवस्थित तो हो जाय । इसमें सवाल कैसे किये जा सकते हैं । मान्यवर, मैं खड़ा भी नहीं हुआ और माननीय मंत्री जी सवाल का जवाब पढ़ कर सुनाने लग गये ।

श्री अध्यक्ष—

आपका नाम पुकारा गया और उन्होंने खड़े होकर उत्तर दिया । आपका काम है उत्तर सुनना । अगर आपको प्रश्न नहीं पूछना है तो मैं आगे चलता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर मैं खड़ा भी नहीं हुआ (व्यवधान) ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, हमारी परवाह न करके, जबरदस्ती खड़ा करायेंगे तो यह नहीं चलेगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल, जब आप ही किसी को कुर्सी दे दें, वह तो शिष्टाचार की बात है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

नहीं ऐसा नहीं है । इसकी जांच कराई जाय । ऐसा नहीं हुआ है (व्यवधान) क्या आपकी कुर्सी पर हम बैठ सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेवा विरोधी दल, आप तो नियमों के माहिर हैं, किसी और नियम के अंतर्गत लीजिये । यह तो प्रश्नों का समय है ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मैं ज्ञाता नहीं हूं, आप सिखायेंगे तो जरूर सीखूंगा । परम्परा ऐसी रही है, जब मैं खड़ा हो गया था तो एक मौका आप और दे सकते थे ।

श्री अध्यक्ष—

आपको काफी समय दिया है और मौका प्रश्न करने का दिया है ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप और दिला दें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न कर लें ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मैंने इतना पूछा था, पहले श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, कुंवर रेवती रमण सिंह और श्री शतरुद्र प्रकाश ने भी पूछा था, तो गृह मंत्री ने यह कहा कि जो प्रधान मंत्री के सचिवालय से या प्रधानमंत्री के जो निर्देश आये हैं उनका अनुपालन हमने किया है, तो सीधा प्रश्न है कि प्रधान मंत्री के सचिवालय या प्रधान मंत्री के निर्देश क्या हैं और अपनी पत्नी का स्थान कहां सुरक्षित कराया है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, प्रधानमंत्री के सचिवालय से जो निर्देश आते हैं वह ब्लू बुक के अंतर्गत आते हैं और वह गोपनीय दस्तावेज है, यहां उसका उल्लेख नहीं हो सकता है ।

दूसरी बात है सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में तो जो वहां से निर्देश आये हैं उत्तर प्रदेश शासन ने उनका अक्षरश: पालन किया और उसमें इस प्रकार का कोई निर्देश नहीं था कि जब प्रधान मंत्री का शैडो पीछे खड़ा हो तो उसके संबंध में कुछ लिखकर नहीं आता, वह सामान्य प्रक्रिया है और सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत वह सारी कार्यवाही हुई है ।

तारांकित प्रश्न

[बृहस्पतिवार दिनांक 18 सितम्बर, 1986 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में होम्योपैथिक छात्रों को कम इन्टर्नीशप भत्ता देने का औचित्य

*1—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि केन्द्र सरकार आयुर्वेदिक छात्रों को इन्टर्नीशप भत्ता रु0 500 तथा नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, दिल्ली के छात्रों को रु0 550 इन्टर्नीशप भत्ता देती है तथा राज्य सरकार आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक छात्रों को क्रमश: रु0 400 तथा रु0 310 इन्टर्नीशप भत्ता देती है ? यदि हां तो प्रदेश में आयुर्वेदिक छात्रों से कम इन्टर्नीशप भत्ता देने का क्या औचित्य है ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

जी हां, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, दिल्ली के छात्रों को

रु0 550 इन्टर्नीशिप भत्ता केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत है । राज्य सरकार द्वारा होम्योपैथिक डिग्री कोर्स के छात्रों के लिए अनिवार्य इन्टर्नीशिप हेतु रु0 300 प्रतिमास भत्ता स्वीकृत है । रु0 310 नहीं । दिनांक 1-4-86 से होम्योपैथिक इण्टरनीज को रु0 400 दिये जाने की घोषणा की जा चुकी है । आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से भिन्न है अतः इन दोनों चिकित्सा पद्धतियों की भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए औचित्यानुसार ही इन्टर्नीशिप भत्ते में भी अन्तर रखा गया है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने चिकित्सा पद्धतियां अलग होने को आधार बनाकर इन्टर्नीशिप के भत्ते में फर्क कर दिया जबकि केन्द्र सरकार ने दो पद्धतियां मानते हुए समान भत्ते और इन्टर्नीशिप देती है । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि होम्योपैथिक इन्टर्नीज के लिये जो परीक्षायें होती हैं, सी0 पी0 एम0 टी0 के माध्यम से आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक छात्र परीक्षा देते हैं, दोनो का कोर्स साढ़े 5 साल का है, दोनों के विषय बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में इन्टर्नीशिप भत्ते में फर्क करने का क्या औचित्य है ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, सदस्य द्वारा पूछा जाना कि क्या औचित्य है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से ही जानना चाहता हूं कि छात्र द्वारा पहली वरीयता में एलोपैथिक, दूसरी में आयुर्वेदिक और तीसरी वरीयता में होम्योपैथिक को चूज करने का क्या औचित्य है ?

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, शासन तो स्वयं प्रश्न करके पूछना चाहते हैं ।

क्या मंत्री जी बतायेंगे, उन्हें जानकारी है, कि केन्द्र सरकार ने आयुर्वेदिक इन्टर्नीज को और होम्योपैथिक इन्टर्नीज को समान इन्टर्नीशिप भत्ता देने की व्यवस्था किया है । यदि हां, तो ऐसी स्थिति में उसी नीति को अलग हटाकर प्रदेश सरकार द्वारा अन्तर रखने का क्या औचित्य है ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, प्रदेश में पहले भी होम्योपैथी और आयुर्वेदिक के इन्टर्नी को इन्टर्नीशिप भत्ता देने में अन्तर था— पहले वह 400 रु0 था, अब वह 400 रुपये के स्थान पर पिछले बजट सत्र में स्वास्थ्य मंत्री जी की घोषणा अनुसार 500 रुपया कर दिया गया है और इसी प्रकार उन्होंने होम्योपैथी के लिए 300 के स्थान पर 400 रुपया देने की घोषणा की थी । तद्नुसार शासनादेश जारी करने की प्रक्रिया तेजी पर है । यह पहले से बना हुआ है और प्रदेश में होम्योपैथी और आयुर्वेदिक के इन्टर्नीशिप में पहले से अन्तर है । अब मात्र यहां पर शासनादेश जारी होने का है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मंत्री जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया । केन्द्र सरकार की नजर में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियां समान हैं, इसीलिए समान सुविधाओं की व्यवस्था है और समान इन्टर्नीशिप भत्ते देने का प्राविधान किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार किस चश्मे से देखती है जो दोनों पद्धतियों में फर्क करते हुए इटर्नीशिप भत्ते को अलग-अलग रखा है ? इसके लिए उनके पास क्या आधार है ?

श्री गौरी शंकर—

उत्तर प्रदेश सरकार अपने सीमित संसाधनों और वरीयता पर दृष्टि रखती

है, और यह भी माननीय सदस्य के संज्ञान में होगा कि होम्योपैथी एजूकेशन का प्रान्तीयकरण 1981 में प्रारम्भ हुआ है आयुर्वेदिक एजूकेशन का प्रान्तीयकरण 74 से लेकर 82 तक हुआ है। ऐसी स्थिति मे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के वरीयता क्रम में, इन्टर्न-शिप में जो धनराशि दी जाती है, उसमें अन्तर किया गया है और वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसमें वृद्धि करने का फैसला लिया गया है।

श्री राम आसरे वर्मा—

वित्तीय संसाधनों को देखते हुए यह फर्क किया गया है, तो क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर आयुर्वेदिक छात्रों की तरह होम्योपैथिक छात्रों को भी इन्टर्नशिप देने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

अभी पहले तो पूर्व घोषणा पर ही शासनादेश जारी होने को है। यह तो जब हो जाएगा, उसके बाद ही यह बात होगी और इस समय भविष्य के लिए कोई प्रश्न करना औचित्यपूर्ण नहीं है।

ब्लाक मैदयां, लम्भुआ, चांदा के लघु सीमान्त कृषकों को छूट की खाद वितरण में अनियमितता

*2—शिव नारायण मिश्र—

(अनुपस्थित)

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र चांदा-सुल्तानपुर में ब्लाक भैदयां, लम्भुआ, चांदा के लघु सीमान्त कृषकों को जो छूट की खाद वितरण के लिए माह फरवरी, 1986 में आयी थी उसको अधिकारियों ने मिलकर बेंच दिया ? यदि हां, उसकी कोई सी0 आई0 डी0 जांच की गई तथा जांच रिपोर्ट क्या है ?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

जी नहीं।

परन्तु कुछ अनियमितता अवश्य प्रकाश में आई है।

पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि) लखनऊ तथा स्थानीय पुलिस सुल्तानपुर द्वारा मामले में विवेचना की जा रही है।

*3—श्री सरदार सिंह—

[दि0 4-9-86 को अता0 प्र0 स0 92 द्वारा उत्तरित]

के0 जी0 मेडिकल कालेज के माइक्रो-बाइलोजी विभाग में एक्सपर्ट युक्त चयन कमेटी का गठन

*4—श्री शारदा प्रताप—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के0 जी0 मेडिकल कालेज में पैथोलाजी विभाग को दो विभागों (पैथालोजी तथा माइक्रोबाइलोजी) में विभक्त किया गया है और इस विभाग के कर्मचारियों के चयन के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें माइक्रो-बाइलोजी का कोई भी एक्सपर्ट नहीं है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त विभाग के लिए एक ऐसी कमेटी गठित करेंगे जिसमें माइक्रोबाइलोजी के एक्सपर्ट सम्मिलित हों और आपन कम्पटीशन द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर—

ऐसे विभाजन अथवा कमेटी गठित किये जाने के संबंध में शासन द्वारा आदेश जारी नही किये गये है।

मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया की संस्तुतियों के अनुसार प्रत्येक मेडिकल कालेज में अनुस्नातक छात्रों के शिक्षण के लिए माइक्रोबाइलोजी विभाग पृथक

रूप से स्थापित होना आवश्यक है । अतः के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में भी पैथालोजी विभाग से माइक्रोबाइलोजी विभाग को पृथक रूप से स्थापित किये जाने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के स्टेट्यूट्स में आवश्यक परिवर्तन करने की कार्यवाही की जा रही है अभी विधिक रूप से विभाग अलग नहीं हुआ है । इन विभागों के चयन के लिए शासन द्वारा कोई समिति गठित नहीं की गई है ।

श्री शारदा प्रताप —

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह एक्सेप्ट किया है कि माइक्रोबाइलोजी विभाग को अलग विभाग बनाने की कार्यवाही चल रही है, तो जब अभी कार्यवाही चल रही है उसमें कार्यरत डा0 बाजपेई ने अपने को प्रोफेसर तथा हैड आफ दि डिपार्टमेन्ट आफ माइक्रोबाइलोजी लिखना कैसे शुरू कर दिया है ? डा0 बाजपेई किसमें विशेषज्ञ हैं और उन्हें माइक्रोबाइलोजी में विभागाध्यक्ष बनाने का आधार क्या है ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, माइक्रोबायलोजी दो सब्जेक्टस को डील करती है । एक बैक्टीरिया और दूसरा वायरस । ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य को शंका नहीं करनी चाहिये और शासन ने सिद्धान्ततः यह सहमति व्यक्त की है कि माइक्रोबायलोजी डिपार्टमेन्ट को अलग करना है । इसके लिये स्टेट्यूट में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रगति पर है । उसके अनुरूप प्रशासनिक आधार पर इसको अलग करने की कार्यवाही की जायगी ।

प्रदेश में रक्त क्रय करने वाली निजी संस्थाओं को दिये जाने वाले लाइसेंसों हेतु आवश्यक पात्रताएं

*5—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में व्यवसायिक रक्त विक्रेताओं से रक्त क्रय करने की निजी संस्थाओं को किन किन न्यूनतम आधारों पर लाइसेंस दिया जाता है ? क्या इसमें रक्त विक्रेता की रक्त लेने से पूर्व पूरी शारीरिक व रक्त की सम्पूर्ण जांच कराने का प्राविधान है ? यदि हां, तो लखनऊ मे किन किन रक्त क्रेताओं के पास उपयुक्त लाइसेन्स उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर—

प्रदेश में ब्लड बैंक चलाने के लिये विभिन्न संस्थाओं जिनमें निजी संस्थायें भी सम्मिलित हैं, को ड्रग्स एक्ट की नियम 78 के शिड्यूल "एफ" के पार्ट XII बी में वर्णित आवश्यक टैक्निकल स्टाफ, उपयुक्त भवन, रक्त एकत्र करने तथा रक्त परीक्षण संबंधी सुविधाओं एवं न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर लाइसेन्स प्रदान किया जाता है ।

प्रत्येक रक्त विक्रेता से रक्त लेने के पूर्व उसका शीरीरिक परीक्षण एवं रक्त की जांच की जानी नियमान्तर्गत आवश्यक है ।

लखनऊ में निम्नलिखित ब्लड बैंक्स को लाइसेन्स स्वीकृत है :—

1—मार्डन पैथालोजी एण्ड ब्लड बैंक, चौक, लखनऊ ।

2—चरक पैथालोजी एण्ड ब्लड बैंक, चौक, लखनऊ ।

3—नेशनल पैथालोजी एण्ड ब्लड बैंक, जगत नारायण रोड, लखनऊ ।

4—लखन पैथालोजी एण्ड ब्लड बैंक, गुरुद्वारा रोड, लखनऊ ।

5—लखनऊ पैथालोजी एण्ड ब्लड बैंक, आलमबाग, लखनऊ ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर में स्पष्ट किया है कि जितने

ब्लड बैंक हैं और जिनको लाइसेन्स दिया जाता है उनके लिये जो डोनर्स हैं, रक्तदाता है उनकी शारीरिक जांच एवं रक्त की जांच करना आवश्यक है। जिन ब्लड बैंकों का उल्लेख किया गया है उनमें जो आधुनिक बीमारियां हैं जैसे मंत्री जी को ज्ञान होगा कि आजकल एक नयी बीमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफीशियेन्सी सिन्डोम जिसको एड्स भी कहते हैं, ऐसी आधुनिक बीमारियों के परीक्षण की व्यवस्था ब्लड बैंकों में है कि नहीं। ब्लड बैंक ऐसी बीमारियों का परीक्षण करने में सक्षम हैं कि नहीं। अगर नहीं सक्षम हैं तो इसकी रोकथाम के लिये क्या उपाय सुझायेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया ड्रग्स एक्ट के नियम 78 के शिड्यूल ''एफ'' के पार्ट 12-बी में जो उल्लेख किया गया है उसके अनुरूप लाइसेन्स प्राप्त करने वाले ब्लड बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वह रक्त लेने से पूर्व उसका परीक्षण कर लें। जिन पांचों ब्लड बैंकों का उल्लेख किया गया है यह विधिवत् चल रहे हैं और जितने परीक्षण होने चाहिये ब्लड लेने से पूर्व वह कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकृष्ट किया अगर कोई ऐसी सूचना अन्यथा आपके समक्ष आयी हो तो उसको दिखवा लेंगे लेकिन अभी तक ऐसी बात नहीं है कि परीक्षण में किसी तरह का व्यवधान पड़ा हो।

श्री गोपाल दास यादव—

माननीय मंत्री जी ने बहुत हास्यास्पद जवाब दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जितने सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक चल रहे हैं क्या उनके पास लाइसेन्स हैं ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, प्रश्न लखनऊ के बारे में किया गया है। इन पांचों के संबंध में मैंने निवेदन किया कि उनके पास लाइसेन्स हैं। इसके लिये प्रश्न करना हो तो अलग से कर लें।

श्री गोपाल दास यादव—

लखनऊ में जो मेडिकल कालेज हैं और अन्य जो सरकारी अस्पताल है जहां ब्लड लिया जाता है क्या उनके पास लाइसेन्स है ?

श्री गौरी शंकर—

सरकारी अस्पताल में जो व्यवस्था है, वह सरकारी है ही।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी मात्र फारमैलिटीज अदा कर रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में। उनको जानकारी नहीं है, जो लिखकर दे दिया गया है उसके आगे नहीं बोल पायेंगे। यह एक महत्वपूर्ण मसला है। चाहे सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो लाइसेन्स लेना नितान्त आवश्यक है।

तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सरकारी अस्पतालों में जो फर्जी ब्लड बैंक चल रहे हैं, वहां उनके लिए लाइसेन्स हैं या नहीं ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, शासन की ओर से जो प्रबन्ध हो रहा है, उसमें तो आबियस है कि उसमें तो लाइसेन्स है ही।

श्री मित्रसेन—

मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो व्यवसायिक रक्तदाता हैं, उनके बारे में क्या हमारी सरकार को यह जानकारी है कि व्यवसायिक रक्तदाताओं को बिचौलिये लोग भारी पैमाने पर शोषण करते हैं, उसके लिए सरकार के पास कौन सा उपाय है, ताकि रक्तदाताओं को सही दाम मिले,

इसकी रोक-थाम के लिए माननीय मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, शासन के संज्ञान में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है । यदि माननीय सदस्य कोई ऐसा उदाहरण दे देंगे, तो कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो ब्लड बैंक के लाइसेन्स धारक हैं शासन के द्वारा या अधिनियम के अधीन जो उनसे अपेक्षा की जाती है, वह अपेक्षा वे पूरी कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच-पड़ताल की कोई व्यवस्था है ? यदि व्यवस्था है, तो जिन संस्थाओं का आपने नाम लिया है, पिछले एक वर्ष में कहां की जांच की गयी और उस जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ? यदि जांच नहीं की गयी, तो क्या उनको इस प्रकार से गलत काम करने का मौका दिया जा रहा है ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, उनके लाइसेन्स के रिन्यूवल के प्रोसेस हैं . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने यह नहीं पूछा । मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश के करोड़ों नागरिकों का सवाल है । क्या नियमों में कोई ऐसी व्यवस्था है कि लाइसेन्स धारकों की चेकिंग की जाती है ? यदि हां, तो पिछले एक वर्ष में कितने निरीक्षण किये गये और उन निरीक्षणों में क्या तथ्य प्रकाश में आये ? यदि नहीं निरीक्षण किये गये, तो यह समझ लिया जाय कि सरकार की ओर से उनको गलत काम करने के लिए मौका दे दिया गया है ।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, ये लाइसेन्स प्राप्त हैं और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे नियमों के अन्तर्गत काम करेंगे और शासन की ओर से उनकी जांच की जाती है । मान्यवर, माननीय सदस्य ने पिछले एक वर्ष मे की गयी जांच के बारे में पूछा, तो मान्यवर, इसका उत्तर देने के लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जिन ब्लड बैंक लाइसेन्सधारकों का नाम बताया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनको कितने समय के लिए लाइसेन्स दिया गया है ? (2) जैसा आपने उल्लेख किया कि जिन शर्तों की उनसे अपेक्षा की जाती है, वे उन शर्तों को पूरा करते हैं । इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं जैसा कि अभी माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने पूछा कि उनको चेक करने की शासन द्वारा क्या कोई व्यवस्था है । माननीय मंत्री जी बता दें । मान्यवर, यह ब्लड बैंक बहुत महत्वपूर्ण होता है, अगर उनके चैकिंग की व्यवस्था शासन द्वारा नहीं है, तो यह समझ लिया जाय कि शासन उनको गलत काम करने का मौका दे रहा है । मान्यवर, उनकी चेकिंग की कोई प्रक्रिया आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि समय-समय पर उनका निरीक्षण किया जा सके । (3) मान्यवर, जो ब्लड बैंक के लाइसेन्स-धारक हैं, और वे शासन की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनके लाइसेन्स रद्द करने की पावर आपके पास होनी चाहिये । इनको जो लाइसेन्स दिये जाते हैं, उनकी अवधि कितने समय की होती है । मान्यवर, जैसा मैंने एक बीमारी का उल्लेख किया, इन बीमारियों में जो आधुनिक बीमारियां हैं, उनके संबंध में और जो बिचौलिये

की बात एक माननीय सदस्य ने कही, उनके बारे मे परीक्षण किये बिना जो उनका ब्लड ले लिया जाता है, इन सब चीजों को रोकने के लिए क्या आप कोई कारगर उपाय बतायेंगे अथवा नहीं ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, इसमें ऐसा किया गया है कि जिस समय वह लाइसेन्स प्राप्त करना चाहते है उस समय परीक्षण कर लिया जाता है उसके बाद नवीनीकरण का भी प्राविधान है, उस समय भी यदि सब चीजों से संतुष्ट होते है तभी रिन्यूवल होता है, अन्यथा नहीं । अगर उस समय कोई चीज सामने आती है, तो शासन को अधिकार है कि उसके लाइसेन्स को निरस्त कर दे ।

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ब्लड बैंक की कुछ ऐसी संस्थायें है जिन्होंने 12 महीनों से न्यूनतम आधार पर अपने प्रार्थना-पत्र दे दिए है, उनको न तो लाइसेन्स स्वीकृत किये गये है और न ही 12 महीनों से कोई उत्तर ही दिया गया है कि क्या-क्या कमियां है, तो माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिनके प्रार्थना-पत्र आये है उनको उत्तर क्यों नहीं दिये गए ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, मैं इनके प्रश्न को दृष्टि में रखते हुए यह कहना चाहूंगा कि इसमें विभाग को निर्देशित कर दिया गया है । रिन्यूवल के लिए जिन लोगों ने पैसा जमा कर दिया है इसमें जो आदेश जारी करने चाहिए थे वह नहीं किए गये, इसके लिए विभाग को कड़े निर्देश दिये गये है कि इसको शीघ्र जारी करें ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो ब्लड दिया जाता है उसमें क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि आज के युग की जो सबसे भयंकर बीमारी एड्स है, यह खून से फैलती है, तो खून देने वाला जो व्यक्ति है उसके खून में वह कीटाणु नहीं है, क्या इसके परीक्षण की कोई व्यवस्था की गई है ? ताकि यह बीमारी निरीह लोगों को न हो पाए, जो ब्लड बैंक से खून लेते है ।

श्री गौरी शंकर—

माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है वह सही है । इस भयंकर बीमारी की वजह से खासतौर से यह निश्चित किया गया है कि जो विदेशी लोग खून देने आते है, ज्यादातर उन्हीं लोगों को यह बीमारी होती है, उनके खून का परीक्षण किया जाए ऐसे आदेश दिए जा रहे है ।

(शोर)

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, क्या स्वास्थ्य मंत्री जी को जानकारी है कि आजादी के पहले जो एक बोतल खून की कीमत फिक्स की गई थी, वही आज भी है, जो कीमत प्रोफेशनल डोनर्स को पहले मिलती थी वही आज भी मिलती है, तो क्या माननीय मंत्री जी उसकी कीमत को बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, माननीय सदस्य की चिन्ता स्वाभाविक है, जो संदर्भ उपलब्ध कराया गया है, उसको देखते हुए यथानुसार सीमित संसाधनों को देखते हुए, जब विचार की प्रक्रिया चालू होगी तो इसको ध्यान में रखा जाएगा ।

मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, पीलीभीत के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*6—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पीलीभीत के सम्बन्ध में मिली शिकायतों की जांच स्वास्थ्य निदेशक कार्यालय लखनऊ के संयुक्त निदेशक डा0 आर0 एस0 सिंह द्वारा 7/8-5-84 को पीलीभीत जाकर की गयी थी ? यदि हां, तो उन्होंने जो अनियमिततायें पकड़ी है उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री गौरी शंकर—

जांचा दिनांक 7, 8 तथा 9 मई, 1984 को डा0 आर0 एस0 सिंह, परामर्शदाता (चिकित्सा उपचार) स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा की गयी थी । पाई गई अनियमितताओं के आधार पर चिकित्सा विभाग के एक अधिकारी को कड़ी चेतावनी दी गई । मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है । अभी उनकी ग्रेच्युटी एवं पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है । सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंधित अवर अभियंता के विरुद्ध भी अनियमितता पाई गई और जांच में इनके विरुद्ध कार्यवाही करने की संस्तुति की गई थी । सार्वजनिक निर्माण विभाग से इनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीलीभीत के विरुद्ध की गयी शिकायतों की जांच स्वीकार करते हुए पायी गयी अनियमितताओं की बात कही है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कौन-कौन सी अनियमितताएं सिद्ध पायी गयी और किस अधिकारी को क्या कड़ी चेतावनी दी गयी ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, यूं तो शिकायतकर्ता की शिकायतों का सिलसिला बड़ा लम्बा है, बड़ी लम्बी लिस्ट है, करीब 18 बिन्दुओं पर इन्होंने शिकायत की है और उससे तो मान्यवर, आप भी सहमत होंगे कि इसमें समय लगेगा, लेकिन मुख्य बातें जिनमें अनियमितता बतायी गयी और जांच कराने के बाद जो जांच आख्या प्राप्त हुई है, वह आरोप है—पहला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीलीभीत ने ए0 एन0 एम0 की ट्रेनिंग के वास्ते भर्ती में प्रति छात्र एक हजार रुपया लिया । दूसरा ए0 एन0 एम0 (बी0 एच0 डब्लू0) पास लड़कियों की पोस्टिंग में प्रति लड़की एक हजार की धनराशि वसूल की । तीसरा सी0 एच0 वी0 जन स्वास्थ्य रक्षक की भर्ती में प्रति व्यक्ति 800 रु0 लिये गये । मान्यवर, जांच के आधार पर जो कार्यवाही की गयी उसका उल्लेख कर दिया गया है । मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीलीभीत की पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान रोक दिया गया है तथा डा0 जी0 के0 टंडन, तत्कालीन अधीक्षक जिला चिकित्सालय, पीलीभीत को कड़ी चेतावनी दे दी गयी है । जूनियर इंजीनियर के खिलाफ कार्यवाही करने की भी बात थी चूंकि वह जूनियर इंजीनियर पी0 डब्लू0 डी0 का था और डेपूटेशन पर आया हुआ था उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी, उसकी सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो पढ़ा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ मई, 1984 में जांच हुई है और केवल चेतावनी दे दी गयी है और यहां उल्लेख किया गया है कि ग्रेच्युटी और पेंशन का भुगतान रोक दिया गया है तो मान्यवर, यह लगता है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी का रिटायरमेन्ट हो गया है या होने वाला है । मान्यवर, यहां पर जो स्वास्थ्य निदेशक

है उत्तर प्रदेश के, चाहे वह माघ मेला का फण्ड हो चाहे कुम्भ मेला का फण्ड हो बिना कमीशन लिये वह कुछ करते ही नहीं । जो जांच यहां पर की गयी है यहां पर उससे यह स्पष्ट हो गया है कि वह संरक्षण दे रहे हैं इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस मुख्य चिकित्साधिकारी के खिलाफ क्या माननीय सदस्यों से जांच कराने की कपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, माननीय सदस्य तो पारंगत हैं, मैं तो अभी भी पढ़ रहा हूं हमें जिज्ञासा है और पढ़ता रहूंगा । इसलिए मान्यवर, पढ़ने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए । मान्यवर, जब तक कोई उचित शिकायत न हो किसी भी अधिकारी की सदाशयता पर शंका करने का औचित्य नहीं बनता है जो भी शिकायत की गयी है उसकी शिकायत पर जांच कराते रहे हैं और कराते रहेंगे । मान्यवर, माननीय सदस्य के प्रश्न के सन्दर्भ में मैंने निवेदन किया है कि जो दोषी पाये गये, जिनके विरुद्ध दोष सिद्ध हुआ उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गयी है उसमें किसी को बचाने की नीयत न है और न होगी ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अनियमितताओं के सम्बन्ध में बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध घूस लेने का आरोप सिद्ध पाया गया तो क्या माननीय मंत्री जी घूस लेने के आरोप का मुकदमा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ दर्ज करायेंगे और उस पर भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि जिन-जिन बिन्दुओं पर ये दोषी पाये गये है उसमें ग्रेच्युटी और पेंशन रोके दी गयी है जहां तक एफ0 आई0 आर0 की बात है इसकी सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है उसकी सूचना प्राप्त कर ली जायेगी ।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, मैंने कहा था जो आपने उत्तर पढ़ा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी का रिटायरमेन्ट कब है, क्या रिटायरमेन्ट के पहले कार्यवाही कर पायेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि उत्तर से स्पष्ट है कि उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी गई है । इसका मतलब है कि वे रिटायर होने वाले हैं या हो गये हों ।

जनपद बांदा के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के कम्पाउण्डरों की सेवा समाप्ति का औचित्य

*7—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में कार्यरत नौ कम्पाउण्डरों की सेवा समाप्ति 31 जुलाई, 85 को करके पुनः 1 अगस्त, 85 को नियुक्ति करके पुनः सेवा समाप्त करने का क्या औचित्य है तथा किन नियमों के तहत ऐसा किया गया ?

श्री गौरी शंकर—

जी हां । 9 नहीं केवल 7 होम्योपैथिक कम्पाउन्डरों की सेवा समाप्ति के आदेश दिये गये थे व पुनः उनको 1 अगस्त, 1985 से सेवा में ले लिया गया ।

संगत नियमों के अनुरूप न होने एवं तदर्थ होने के कारण सेवायें समाप्त कर दी गई ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, अभी मन्त्री जी ने स्वीकार किया कि जो नियुक्तियां हुईं 7 कम्पाउन्डरों की, उन्हें 31 जुलाई को हटा दिया गया और 1 अगस्त, 85 को फिर रखा गया और पुनः हटा दिया गया । इसमें क्या दोषी अधिकारी को, जिन्होंने बार-बार नियुक्ति करने और हटाने का कार्य किया उन्हें दण्ड दिया गया ? क्या इसमें कम्पाउन्डर भी दोषी थे ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, इसमें नियुक्ति तदर्थ की गई थी और दूसरे चूंकि वह टेम्परेरी थे इसलिए उनको हटाने के बाद पुनः ले लिया गया लेकिन बाद में वहां के सेवायोजन अधिकारी ने लिखा कि यह नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत नहीं की गई है और उनकी आपत्ति पर इनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि पहले उनकी नियुक्ति की गई फिर हटा दिया गया और दुबारा फिर नियुक्ति की गई । लेकिन नियुक्ति नियम के संगत न होने के कारण उनको फिर हटा दिया गया तो किस अधिकारी ने नियमों के प्रतिकूल यह आचरण किया और जिस अधिकारी ने यह आदेश दिया उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए मानवीय दृष्टि से उनकी नियुक्ति पुनः कर दी गई लेकिन जब आपत्ति की गई तो फिर उनकी सेवायें समाप्त कर दी गईं ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, सवाल साफ है कि दो बार नियुक्ति हुई और दो बार हटाया गया और माननीय मन्त्री जी ने यह भी कहा कि नियमों के विरुद्ध नियुक्ति होने के कारण उनको हटाया गया तो जिस अधिकारी ने नियमों के विरुद्ध कार्य किया उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, यह एक्ट 31, 1959 की धारा 4(1) के अनुसार अधिसूचना स्थानीय सेवायोजन कार्यालय में 15 दिन पूर्व आना अनिवार्य है और चूंकि नियम का पालन नहीं हो पाया और सेवायोजन अधिकारी ने लिखा कि नियमों के अंतर्गत इनकी नियुक्ति नहीं की गई है इस लिए उनकी सेवायें समाप्त कर देनी चाहिये । इसलिये अपरिहार्य परिस्थिति में उनकी सेवाओं को समाप्त करना पड़ा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

इनकी नियुक्ति किस अधिकारी के आदेश से हुई थी और इनकी सेवायें किस अधिकारी के आदेश से समाप्त की गई ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, एक वर्ष के कार्यकाल के उपरान्त 31-7-85 को तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा, डा0 माथुर के द्वारा यह सेवायें समाप्त की गईं और 1-8-85 को उन्होंने ही इस आशय के आदेश दिये कि जब तक नियमित नियुक्ति द्वारा कम्पाउन्डर उपलब्ध न हो जायं तब तक यह कार्य करते रहें, लेकिन बीच में नियमों के आधार पर आपत्ति की गई तो अपरिहार्य हो गया उनकी सेवायें समाप्त करना ।

कानपुर की बीमार कपड़ा मिलों का अधिग्रहण

*8—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (अनुपस्थित)—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर की कौन-कौन सी कपड़ा मिलें बीमार घोषित हुई है ? क्या बीमार मिलों को अधिगृहीत करने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

केन्द्रीय सरकार द्वारा कानपुर की निम्न 5 कपड़ा मिलें बीमार घोषित की गई है :—

(1) न्यू विक्टोरिया मिल, कानपुर ।

(2) म्योर मिल, कानपुर ।

(3) अथर्टन मिल, कानपुर ।

(4) लक्ष्मी रतन काटन मिल, कानपुर ।

(5) स्वदेशी काटन मिल कं0 लि0, कानपुर ।

मेसर्स न्यू विक्टोरिया मिल, कानपुर एवं म्योर मिल, कानपुर का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1974 में तथा अथर्टन मिल, कानपुर एवं लक्ष्मी रतन काटन मिल, कानपुर का अधिग्रहण 1976 में किया गया था ।

स्वदेशी काटन मिल कं0 लि0, कानपुर का हस्तानान्तरण नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लि0, उ0 प्र0 कानपुर को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 1-4-85 से कर दिया गया है ।

अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले सामानों के निर्माण हेतु उद्योग की स्थापना

*9—श्री विष्णु देव—

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली सुई-बैन्डेज-ग्लब्स (रबड़ का दस्ताना) मास्क (आपरेशन के समय काम आने वाली कपड़े की पट्टी) सुई (इन्जेक्शन) आपरेशन थियेटर का स्लीपर ग्लूकोज या खून चढ़ाने का उपकरण, आदि का कोई कारखाना उत्तर प्रदेश में नहीं है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त सामानों के तैयार करने का उद्योग पूर्वी उत्तर प्रदेश में खोलने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अंसारी)—

सरकारी अस्पतालों में प्रयोग होने वाली सुई, ब्लेड्ज, ग्लब्ज (रबड़ का दस्ताना) आपरेशन थियेटर का स्लीपर, ग्लूकोज या खून चढ़ाने का उपकरण बनाने के कारखाने प्रदेश में पहले से ही स्थापित है ।

उपरोक्त सामानों के उत्पादन की कोई इकाई सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव फिलहाल शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री विष्णु देव—

मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं कि सरकारी अस्पतालों में प्रयोग होने वाली सुई, बैन्डेज, ग्लाब, आपरेशन के समय काम आने वाली कपड़े की पट्टी, आपरेशन थियेटर का स्लीपर, ग्लूकोज या खून चढ़ाने का उपकरण आदि के कारखाने उत्तर प्रदेश में है, यदि है तो कहां-कहां है ? दूसरा इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि इन सामानों की नितान्त कमी है और जो सामान सप्लाई होता है घटिया किस्म का होता है, इसलिये मंत्री जी कोई कारखाना सरकारी क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री निसार अहमद अंसारी—

प्रदेश में इस समय अस्पतालों में जो मुख्तलिफ सामान सप्लाई होते हैं उनके 56 कारखाने चल रहे हैं। उसकी सूची मेरे पास है, माननीय सदस्य चाहे तो मैं अध्यक्ष महोदय आपके पास भेज दूं, वह देख सकते हैं। जहां तक सरकारी क्षेत्र में लगाने का प्रश्न है यह लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योग हैं और सरकार की मंशा है कि जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, वह निजी क्षेत्र में लगें। सरकार हर प्रकार की सहायता दे रही है और सरकार की मंशा है कि छोटे उद्योग प्रदेश में बढ़े।

श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि पूरे प्रदेश की कुल जनसंख्या का 1 करोड़ 60 लाख आबादी आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया में निवास करती है। इस एक करोड़ साठ लाख की आबादी पर कोई कारखाना है, यदि है, तो बता दें, कहां है ?

श्री निसार अहमद अंसारी—

मान्यवर, गाजीपुर में 2, वाराणसी में 2, रायबरेली में 2, इलाहाबाद में 2, गोरखपुर में एक कारखाना है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिन जिलों के बारे में आपने पूछा है वहां से एक भी उद्यमी कारखाना लगाने के लिये नहीं आया। मेरा अनुरोध है कि आप लोगों को ले आयें एक नहीं बीसों की तादाद में लगायें, उनको सारी सहूलियत सरकार देगी।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

माननीय हरीश जी ने 4 जिलों के बारे में पूंछा, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़। मंत्री जी ने बताया कि गोरखपुर में एक कारखाना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन जिलों में सरकारी अस्पतालों में सप्लाई किये जाने वाले सामानों का अभाव है, देवरिया के कसिया अस्पताल में एक सिरिंज है ?

अभी मैं वहां पर गया था तो डाक्टरों ने इसकी कमी को बताया, तो क्या इस अभाव को ध्यान में रखते हुए मान्यवर, इन चार जिलों में से किसी भी जिले में सरकारी माध्यम से कोई उद्योग स्थापित करने का निर्णय सरकार लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री निसार अहमद अंसारी—

मान्यवर, मैंने पहले ही अर्ज किया कि लघु उद्योग के क्षेत्र में ये कारखाने आते हैं। सरकार की मंशा है कि लघु उद्योग के क्षेत्र में निजी इन्टरप्रिन्योर्स आएं। छोटे-छोटे उद्योग में सरकार अपने को इन्वाल्व न करे क्योंकि भारी उद्योग में सरकार जा रही है, यह सरकार की मंशा है। मैं वादा करता हूं कि आप 20–25–50 जितने भी इन्टरप्रिन्योर्स हों, दीजिये, लगवा दिये जाएंगे। मैं दावत देता हूं।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, ये किस चीज की दावत दे रहे हैं ?

(इस समय 12 बजकर 12 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये)

डाक्टर दिनेश जौहरी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या काशीपुर में डिस्पोजिबिल सिरिंज और निडिल्स बनाने के कारखाने की स्वीकृति सरकार ने दी है ?

श्री निसार अहमद अंसारी—

मान्यवर, इसमें तो सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो यह कहा कि निजी इन्टरप्रिन्योर्स आएंगे तो उनको प्रोत्साहन देंगे, आप इस बात को जानते होंगे कि जो पहले से उन्नत जिले हैं, वहां तो निजी इन्टरप्रिन्योर्स जाएंगे ही, लेकिन जिन जिलों का नाम अभी माननीय सदस्यों ने लिया, या उत्तर प्रदेश के ऐसे जो जिले हैं, जहां अधिक पिछड़ापन होने के कारण निजी इण्टरप्रिन्योर्स जाने के लिये प्रोत्साहित नहीं होते, क्या वहां सरकार अपनी ओर से कारखाने लगाएगी, या वहां पर निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिये कोई विशेष सुविधाएं देने की घोषणा करने की कृपा करेगी ?

श्री निसार अहमद अंसारी—

मान्यवर, जिन जिलों में अभी तक कारखाने नहीं हैं और वहां पर माननीय सदस्य चाहते हैं कि कारखाने लगें, तो वहां पर निजी इन्टरप्रिन्योर्स को कारखाना लगाने के लिये सरकार की ओर से हर किस्म की सहूलियत और हर किस्म का प्रोत्साहन मिलेगा । उसमें प्रोत्साहन के लिये सब्सिडी दी जाती है, या जैनरेटर वगैरह खरीदने के लिये पैसा दिया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो ये सुविधाएं बता रहे हैं, ये सुविधाएं तो सभी जिलों के लिये हैं । मैंने तो पूछा है कि इन पिछड़े जिलों के लिये कुछ विशेष सुविधाएं देंगे ? इन पिछड़े जिलों की ओर निजी इन्टरप्रिन्योर्स को आकर्षित करने के लिये इन जिलों में अन्य जिलों से अतिरिक्त कुछ विशेष सुविधाएं देंगे ?

श्री निसार अहमद अंसारी—

मान्यवर, यदि ऐसे जिलों में ये कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं, सरकार की ओर से दी जाएंगी । इसमें सन्देह नहीं है ।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, प्रश्न यह है कि अस्पतालों में जो दस्ताने, निडिल्स और अन्य उपयोगी वस्तुएं हैं, जो हजारों की संख्या में रोज इस्तेमाल होती हैं, इन पूर्वी जिलों में उनके लिये कोई कारखाना नहीं है । ग्लूकोज भी केवल आई0 डी0 पी0 एल0 ही बनाता है । तो क्या इन जिलों के अस्पतालों में इन सामानों को उपलब्ध कराने के लिये सरकारी कारखाना स्थापित करने की कृपा करेंगे ?

श्री निसार अहमद अंसारी—

मान्यवर, सरकार छोटे उद्योग लगाने में रुचि नहीं रखती है । इसमें सरकार की मंशा है कि निजी क्षेत्र के लोग आगे आएं । जहां-जहां ऐसे कारखानों की आवश्यकता है, वहां निजी उद्यमी कारखाना लगाना चाहेंगे तो उन्हें कारखाने लगाने में सरकार की ओर से पूरी सहूलियत दी जायगी ।

श्री अचल सिंह—

मान्यवर, कारखाने लग रहे हैं वहां पर भी कर्मचारियों को नियमित वेतन नहीं मिल रहा है । फतेहपुर के अलीपुर ग्राम में जो सूती कताई मिल लगी हुई है, वहां स्टाइपेन्ड करके मजदूरों को 5 रु0 डेलीवेजेज पर लगा रहे हैं । क्या माननीय मंत्री जी इसकी जानकारी करने का कष्ट करेंगे ?

श्री निसार अहमद अंसारी—

मान्यवर, यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है । इसकी सूचना इस समय उपलब्ध भी नहीं है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, बड़े उद्योग सरकारी क्षेत्र में लग रहे हैं । छोटे उद्योगों में रुचि न रखने का क्या कारण है ?

श्री निसार अहमद अंसारी—

मान्यवर, छोटे उद्योग निजी क्षेत्र में इसलिए दिये गये ताकि शिक्षित बेरोजगार नवयुवक उधर डाइवर्ट हो सकें जो नौकरियों की तरफ तेजी से भाग रहे हैं । अब हरेक को नौकरी देना सम्भव नहीं है, उनके डाइवर्जन के लिये सरकार ने तय किया है कि वे सब भी स्माल इन्डस्ट्री की तरफ आयें । मान्यवर, इससे दोहरा फायदा होगा एक तो वह खुद रोजगार पायेंगे दूसरे ऐसी कैपिसिटी में आ जायेंगे कि बाकी और लोगों को भी रोजगार दे सकेंगे । इसलिए इसे इस योजना में रखा गया है ।

*10—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित]

जिला उद्योग केन्द्रों पर नियुक्त मैनेजर ग्राम उद्योग के वेतनमान में वृद्धि किये जाने की कथित घोषणा

*11—श्री राम सरन—

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि श्री एस0 ए0 टी0 रिजवी, सचिव, उद्योग ने दिनांक 1 जुलाई, 85 को नई बिल्डिंग सचिवालय के तिलक हाल में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री एन0 डी0 तिवारी तथा तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री जी0 एन0 दीक्षित के समक्ष जिला उद्योग केन्द्रों पर नियुक्त मैनेजर, ग्राम उद्योग का वेतनमान 850 रु0 से 1720 रु0 कर दिये जाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या मैनेजर ग्राम उद्योग को घोषित वेतनमान मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री निसार अहमद अंसारी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि कार्यक्रमों पर एस0 आर0 सेन कमेटी की संस्तुतियां

*12—श्री मैनेजर सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी क्षेत्र के मुख्य मंत्रियों, कृषि मंत्रियों के पटना सम्मेलन में 8 जनवरी, 1986 को केन्द्रीय कृषि मंत्री माननीय बूटा सिंह ने उत्तर प्रदेश आदि अन्य पूर्वी प्रदेशों के कृषि कार्यक्रम पर असन्तोष व्यक्त किया था और एस0 आर0 सेन कमेटी की सिफारिश के अनुसार कार्यक्रम बनाने का निर्देश दिया था ? यदि हां, तो सेन कमेटी की मुख्य संस्तुतियां क्या हैं और उसे किस प्रकार उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित करने का कार्यक्रम है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

8 जनवरी, 1986 को पूर्वी क्षेत्र के मुख्य मंत्रियों के पटना में हुये सम्मेलन में तत्कालीन केन्द्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री बूटा सिंह जी ने अपने भाषण में केन्द्रीय कृषि मंत्रालय का असंतोष व्यक्त किया था कि पूर्वी भारत के बहुत से राज्यों ने केन्द्र पोषित योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठाया और मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया कि कृषि के आय-व्ययक में केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के लिये समतुल्य (मैचिंग) धनराशि की व्यवस्था करें । उन्होंने केन्द्र तथा राज्य सरकारों से सेन कमेटी की संस्तुतियों को ध्यान में रखकर अपने कार्यक्रमों का पुनरावलोकन करने का भी अनुरोध किया ।

सेन कमेटी की मुख्य संस्तुतियां निम्नवत् हैं :—

1—कृषि के विकास को तीव्र गति देने हेतु अधिक पूंजी निवेश का विनियोग ।

2—सिंचाई साधनों का विकास जल निकास हेतु योजना, कृषि निवेशों की आपूर्ति तथा विपणन की व्यवस्था इत्यादि ।

3—ग्रामीण उद्योगों का अधिकाधिक विकास ।

4—जलवायु के अनुकूल फसल प्रणाली का विकास जो वर्षा के आंकड़ों पर आधारित हो करके किया जाय ।

5—फसल प्रणाली में विचलन लाना और अधिक मूल्य वाली फसलों को बोने हेतु प्रोत्साहित करने के उपाय सुझाकर कृषकों को प्रोत्साहित करना ।

6—जन-जाति क्षेत्र में कृषि की आर्थिक नीति को सुदृढ़ करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान लेना ।

7—कृषकों को सुलभ सहकारी ऋण उपलब्ध कराने हेतु सहकारी संस्थाओं को नया मोड़ देना ।

सेन कमेटी की संस्तुतियां बहुत विस्तृत हैं जिसमें कृषि सहित सिंचाई ग्राम्य विकास नगर विकास, (जल निगम) क्षेत्रीय विकास, ऊर्जा, सहकारिता, सार्वजनिक निर्माण, परिवहन राजस्व आदि अनेक विभागों द्वारा बहुत से सेक्टरों में कार्यवाही अपेक्षित है और बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है जिसे राज्य सरकार के संसाधनों से पूरा किया जाना सम्भव नहीं है । इस प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी ने पटना में ही उक्त स्थिति स्पष्ट कर दी थी और भारत सरकार से न्यूनतम 4500 करोड़ रुपये की मांग की थी । इसकी एक विज्ञप्ति भी पटना में ही जारी की गयी थी । फिर भी इन सभी विभागों को यह ज्ञात करने के लिये लिखा गया है कि उनके द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है अथवा नहीं ।

उत्तर प्रदेश द्वारा सेन कमेटी की प्रस्तावित संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार से वित्तीय सहायता मिलने के उपरान्त ही उपरोक्त कार्यक्रमों का कार्यान्वयन पूर्वी क्षेत्र के कृषि विकास हेतु किया जायगा ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि केन्द्रीय मंत्री श्री बूटा सिंह जी ने भी भारत के बहुत से पूर्वी राज्यों में चलाये जा रहे कृषि कार्यक्रमों पर असन्तोष व्यक्त किया, उ0 प्र0 के कृषि कार्यक्रमों की प्रगति पर भी असन्तोष व्यक्त किया । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो केन्द्र पोषित योजनायें हैं उनको ठीक से लागू करने के लिए सरकार ने क्या नीति अपनायी है, यह स्पष्ट करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, पूर्वी उ0 प्र0 में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनायें लागू की गयी हैं जैसे धान की सघन खेती । हमने 24 जिलों के 102 ब्लाकों में धान की सघन खेती का कार्यक्रम चलाया है । जैसा कि माननीय सदस्य अवगत हैं इसके बहुत अच्छे नतीजे प्रकाश में आये हैं । जो वहां बैठक हुई थी पटना में, हमारे

मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इसके लिए हमें 45 सौ करोड़ रुपए की आवश्यकता केन्द्र से है । पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई योजनायें लागू की हैं । उन योजनाओं में से कई जगह जल समेट का कार्यक्रम भी है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 डिवीजन हैं फैजाबाद, बनारस, गोरखपुर और इलाहाबाद जनपद । माननीय श्री मैनेजर सिंह जी ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम ठीक तरह से लागू नहीं किये जा रहे हैं, इस पर श्री बूटा सिंह जी ने असन्तोष व्यक्त किया है । मान्यवर, ऐसा नहीं है । उन्होंने तो उत्तर प्रदेश की सराहना की है । उन्होंने कहा कि कुछ पूर्वी प्रदेशों में कार्यक्रम ठीक तरह से लागू नहीं किये जा रहे हैं । हम तो पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकसित करना चाहते हैं ।

उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम के मुख्यालय का लखनऊ में स्थानान्तरण

*13—श्री धनराज यादव—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम के मुख्यालय को पन्तनगर (नैनीताल) से लखनऊ करने के लिए शासन ने चार वर्ष पहले निर्णय लिया था जिसके अनुपालन न होने से प्रदेश के किसानों को निगम की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो उपरोक्त निगम का मुख्यालय लखनऊ में कब तक स्थापित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद अलीगढ़ के कृषि रक्षा अनुभाग में कीटनाशक रसायन के प्रयोग की तिथि समाप्त हो जाने से जमा रसायन

*14—श्री किशन लाल दिलेर—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के कृषि रक्षा अनुभाग में कीटनाशक रसायन, जिसके प्रयोग की तिथि समाप्त हो चुकी थी वह अभी रसायन भण्डार में कितनी और जमा है और तिथि समाप्त रसायन किसानों को कितना बेचा गया है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

कीटनाशक रसायन जिसके प्रयोग की तिथि समाप्त हो चुकी है निम्नलिखित निम्न मात्रा में भण्डार में जमा है :—

915.800 लीटर तैलीय रसायन, 231.120 कि0 ग्रा0 घुलनशील चूर्ण तथा 490.100 कि0 ग्रा0 चूर्ण ।

ऐसा कोई रसायन कृषकों को नहीं बेचा गया है जिसके अंतिम प्रयोग की तिथि समाप्त हो गयी है ।

*15—श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद बरेली में पांच सौ बिस्तरों वाले आधुनिकतम अस्पताल का निर्माण

*16—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन मण्डलों में मेडिकल कालेज नहीं है, वहां पांच सौ बिस्तरों के आधुनिकतम अस्पताल खोलने की उन्होंने कोई घोषणा की है ? यदि हां, तो इस घोषणा के अनुसार बरेली में उक्त अस्पताल के लिये अभी तक भूमि अधिग्रहण न करने एवं निर्माण प्रारम्भ न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी इस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए नये अस्पताल के निर्माण के

नोट —तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

लिये तुरन्त आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी) — जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण बरेली में प्रश्नगत अस्पताल हेतु भूमि अधिग्रहण तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ करना सम्भव नहीं हो सका । संसाधनों की उपलब्धता पर ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

आगरा मेडिकल कालेज के सीनियर ब्वाइज तथा मेडिकल स्टूडेन्ट हास्टलों की सफाई तथा रख रखाव

*17—डाक्टर वंगाली सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में है कि आगरा मेडिकल कालेज के सीनियर ब्वाइज तथा मेडिकल स्टूडेण्ट हास्टलों की सफाई तथा रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मेडिकल कालेज आगरा में सीनियर ब्वायज हास्टलों में मेडिकल स्टूडेण्ट्स हास्टलों में सफाई तथा रख रखाव की व्यवस्था है । अतः शेष प्रश्न नहीं उठते ।

राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों एवं मेडिकल कालेजों में यू0जी0सी0 सेवा नियम तथा वेतनमान लागू करना

*18—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों एवं मेडिकल कालेजों में अभी तक यू0 जी0 सी0 सेवा नियम तथा वेतनमान क्यों नहीं लागू किये गये हैं जबकि उच्च शिक्षा (इंजीनियरिंग डिग्री कालेज व यूनिवर्सिटी) में लगभग सभी जगहों पर यू0 जी0 सी0 वेतनमान तथा सेवा नियम लागू किये जा चुके हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों के शैक्षिक पदों व अन्य पदों के वेतनमान वेतन आयोग की संस्तुति पर शासन के निर्णयानुसार लागू किये गये हैं । आयोग के समक्ष शिक्षकों को यू0 जी0 सी0 के वेतनमान लागू करने की मांग भी आयी थी, किन्तु उनके द्वारा उसकी संस्तुति नहीं की गयी । शिक्षकों पर उस आधार पर अन्य सेवा नियम लागू करने का भी प्रश्न नहीं उठता ।

प्रा0 स्वा0 केन्द्र, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर में रिक्त स्थानों पर चिकित्सकों की नियुक्ति

*19—श्री अफजाल अंसारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र मुहम्मदाबाद (गाजीपुर) के चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण वर्ष 1985 में जनपद से बाहर आजमगढ़ के लिए होने पर उक्त पद अब तक रिक्त क्यों पड़ा हुआ है ? उक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर डाक्टर की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी तथा गाजीपुर में पुरुष तथा महिला चिकित्सकों के रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति की जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुहम्मदाबाद (गाजीपुर) के चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण होने पर दिनांक 3-10-85 से उक्त पद पर चिकित्सक की तैनाती की जा चुकी है । गाजीपुर जनपद में पुरुष एवं महिला चिकित्सा अधिकारियों के शेष रिक्त पदों के भरने हेतु लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा । महिला चिकित्साधिकारियों की कमी

को पूरा करने के लिये अंशकालिक महिला चिकित्साधिकारी, तैनात करने के आदेश पहले से हैं ।

*20—श्री अशोक बाजपेयी—

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

लखीमपुर जिला सी0 एम0 ओ0 के कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी के वेतन का भुगतान किये जाने के आदेश

1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या चिकित्सा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्प्रति लखीमपुर जिला सी0 एम0 ओ0 कार्यालय में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी (श्री अलोपी प्रसाद वर्मा) को अगस्त, 85 से अब तक वेतन न देने का क्या कारण है ? वेतन कब तक दे दिया जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्री अलोपी प्रसाद वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी, लखीमपुर खीरी ने माह अगस्त, 1985 में जनपद रामपुर स्थानान्तरित हो जाने के कारण उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका दायर कर दी थी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12-8-1985 में श्री वर्मा को अपना प्रत्यावेदन शासन के विचारार्थ प्रस्तुत करने तथा शासन को उनके प्रत्यावेदन पर अंतिम निर्णय लेने तक अन्यत्र स्थानान्तरित न करने के आदेश पारित किये थे । अनेकों अनुस्मारकों के उपरान्त श्री वर्मा ने अपना प्रत्यावेदन निदेशक को दिनांक 16-9-1985 को प्रस्तुत किया था । निदेशक के माध्यम से प्राप्त प्रत्यावेदन को शासन ने विचारोपरान्त दिनांक 6-5-1986 को निरस्त करते हुए श्री वर्मा को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के आदेश जारी कर दिये थे । श्री वर्मा के प्रत्यावेदन पर अंतिम निर्णय न हो सकने के कारण उनके वेतन का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो सका । श्री वर्मा के समस्त बकाया वेतन का भुगतान किये जाने के आदेश निदेशक को शासन द्वारा दिनांक 2-6-1986 को दे दिये गये हैं ।

लखनऊ मण्डल की मण्डी समितियों में कार्यरत तदर्थ दैनिक वेतन एवं वर्कचार्ज कर्मचारियों का नियमितीकरण

2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्भागीय उप निदेशक (प्रशासन) लखनऊ मण्डल, लखनऊ ने अपने पत्रांक दिनांक 31-1-86 द्वारा सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति माहौली सीतापुर से मण्डी समितियों में कार्यरत तदर्थ दैनिक वेतन एवं वर्कचार्ज कर्मचारियों के नियमितीकरण के बारे में वांछित सूचना मांगी थी ? यदि हां, तो सूचना सम्भागीय निदेशक को कब मिली तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां । यह सूचना मंडी समिति माहौली से दिनांक 21-5-86 को प्राप्त हुई । सम्पूर्ण मण्डल की मण्डी समितियों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन करके विनियमितीकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पद पर महिला व पहाड़ी अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र

3—श्री धनराज यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि फरवरी 1985 में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पद हेतु हुए विज्ञापन के पश्चात् महिला व पहाड़ी होम्योपैथिक डिग्री/डिप्लोमा धारकों के कुल कितने आवेदन-पत्र निदेशालय को प्राप्त हुए हैं ? क्या

यह सही है कि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के विपरीत अधिकांश महिला व पहाड़ी आवेदक अनियमित ढंग से चयनित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या शासन उक्त गैर कानूनी व अनियमित चयन को रद्द करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

फरवरी, 1985 में प्रकाशित विज्ञापन के सन्दर्भ में निर्धारित अन्तिम तिथि तक महिला व पहाड़ी होम्यो-पैथिक डिग्री/डिप्लोमा धारकों के क्रम कुल 145 व 28 आवेदन-पत्र निदेशालय में प्राप्त हुए हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला चिकित्सालय, गोरखपुर में अविवाहित नवयुवक की नसबन्दी

4—श्री धनराज यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 20-12-85 को जिला चिकित्सालय, गोरखपुर में बस्ती जिले के उस्का राजा के निवासी 18 वर्षीय अविवाहित नवयुवक श्यामसुन्दर सिंह की नसबन्दी कर दी गयी ? यदि हां, तो नसबन्दी करने वाले डाक्टर एवं धोखा देकर नसबन्दी कराने वाले व्यक्ति (प्रेरक) के विरुद्ध कोई कार्यवाही होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि 18 वर्षीय अविवाहित नव जवान श्याम सुन्दर की कटी नस जोड़ने की समुचित कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मामले की जांच कराई जा रही है ।

उप मुख्य चिकित्साधिकारी, खलीलाबाद बस्ती के विरुद्ध स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कथित प्रस्ताव

5—श्री धनराज यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप मुख्य चिकित्साधिकारी, खलीलाबाद बस्ती (डा0 बी0 आर0 आर्या) के विरुद्ध बस्ती जनपद के स्वास्थ्य कर्मियों ने इस आशय का प्रस्ताव पारित किया है कि डा0 बी0 आर0 आर्या 31 अक्तूबर, 1985 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने तथा शपथ ग्रहण करने अपने कार्यालय नहीं आये ? यदि हां, तो उक्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

डा0बी0आर0 आर्या के विपरीत बस्ती जनपद के स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पारित उपरोक्त आशय के किसी प्रस्ताव की जानकारी शासन को नहीं है । डा0 बी0 आर0 आर्या ने 31 अक्टूबर, 1985 को अपने कार्यालय में राष्ट्रीय एकता समारोह में भाग लिया तथा शपथ भी ग्रहण की । डा0 आर्या के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश में सब्सीडियरी हेल्थ सेंटरों की स्थापना व कम्युनिटी हेल्थ आफिसरों की नियुक्ति

6—श्री धनराज यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सब्सीडियरी हेल्थ सेन्टर खुलने हेतु शासनादेश सं0 3303/पांच-7-184-81, दिनांक 28 जून, 82 के अन्तर्गत कितने सेन्टर अब तक खुल जाने चाहिये थे और उनमें कितने कम्युनिटी हेल्थ आफिसरों की नियुक्ति की गयी ? यदि नहीं , तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

उल्लिखित शासनादेश दिनांक 28 जून, 1982 के अन्तर्गत 81 सब्सीडियरी हेल्थ सेन्टर स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया था । ये सेन्टर स्थापित किये जा चुके हैं । इन सेन्टरों पर सृजित किये गये कम्युनिटी

हेल्थ आफिसर के पदों को स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित पर्यवेक्षण श्रेणी के विभिन्न संवर्गों से भरने हेतु निर्णय लिया गया था परन्तु पदों को कतिपय कारणों के फलस्वरूप नहीं भरा जा सका। पदों के भरने की कार्यवाही की जा रही है।

अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण, आगरा मण्डल के कार्यालय के मुख्य लिपिक पर आरोप व उनका स्थानान्तरण

7—श्री किशन लाल दिलेर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मण्डल के अपर निदेशक डा0 यू0 पी0 सिंह ने क्षेत्रीय कुष्ठ अधिकारी के वरिष्ठ लिपिक श्री आर0 सी0 सिंह को अपने कार्यालय में मुख्य लिपिक का चार्ज दे रखा है? क्या यह सही है कि श्री आर0 सी0 सिंह से सीनियर कर्मचारी उनके कार्यालयों में कार्यरत हैं तथा श्री सिंह के विरुद्ध काफी गम्भीर शिकायतों की जांच लम्बित है? उन जांचों में जो तथ्य सामने आये वह क्या है तथा इसके बावजूद भी श्री सिंह 16 वर्षों से आगरा में कार्यरत हैं? ऐसा है तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण, आगरा मण्डल के कार्यालय के मुख्य लिपिक का स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप श्री आर0 सी0 सिंह, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय कुष्ठ अधिकारी को कार्य देखने के लिये भी आदेश दिये गये थे क्योंकि आदेश के समय श्री आर0 सी0 सिंह वरिष्ठतम लिपिक थे। श्री सिंह के विरुद्ध उत्तर प्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण संघ शाखा जनपद आगरा के अध्यक्ष द्वारा मांग की गयी थी कि श्री सिंह को उनके पद (खाद्य) से हटा दिया जाय। अतः इनको इस सीट से हटा दिया गया। इनके विरुद्ध अन्य कोई आरोप अथवा शिकायत नहीं है। श्री सिंह आगरा जनपद में दिनांक 1-4-69 से कार्यरत थे। इनको महानिदेशक के आदेश दिनांक 17 जुलाई, 1986 द्वारा जनपद आगरा से जनपद बस्ती को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सोनवानी, बलिया के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा कापर टी हेतु आवंटित राशि का दुरुपयोग व कर्मचारी को समय पर पेंशन न दिया जाना

8—श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि डा0 विजय प्रसाद प्रभारी चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनवानी जनपद बलिया ने कापर टी हेतु आवंटित रु0 3800 को दिये गये मद में खर्च न कर निजी मद में खर्च किया है एवं ए0 एन0 एम0 शैलाश जिन्हें मार्च, 1985 में ही पेंशन पर जाना था उन्हें अक्टूबर, 1985 में पेंशन दिया है जो निश्चित रूप से आर्थिक अपराध है? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं।

ए0 एन0 एम0 शैलाश को मार्च में सेवानिवृत होना था लेकिन इन्हें अक्टूबर में सेवानिवृत किया गया।

दोषी अधिकारी के विपरीत नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम सभा फूलपुर, सुल्तानपुर के कतिपय व्यक्तियों में छूट की खाद का गलत वितरण

9—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिले के विकास खण्ड कूरं-भार, ग्राम सभा फूलपुर के सर्वश्री शिव चरन सुत सोमन, राम निहाल सुत दातादीन, जगन्नाथ सुत राम दुलार, ठाकुरदीन मौर्य, राम खेलावन एवं राम मिलन आदि प्रत्येक वर्ष 1986 के जनवरी फरवरी मास में छूट की खाद कितनी-कितनी बोरी दी गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

प्रश्नगत व्यक्तियों को वर्ष 1986 के जनवरी-फरवरी मास में कोई भी छूट की खाद वितरित नहीं की गई ।

छटनीशुदा सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों की पुनर्नियुक्तियां

10—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के वर्ष 1975 के छटनी शुदा सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों की कुल संख्या कितनी है और अब तक कितने लोगों को कृषि विभाग के कृषि सेवा वर्ग-3 के पदों पर नियुक्त किया जा चुका है ? क्या उनकी नियुक्ति के लिए कोई वरिष्ठता सूची बनी है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री शिव बालक पासी)—

कृषि विभाग के नहीं अपितु सिंचाई विभाग के वर्ष 1975 के 1250 छटनी शुदा सहायक कृषि प्रसार निरीक्षक थे जिसमें से अब तक कुल 452 कृषि स्नातकों की नियुक्ति की जा चुकी है । इनकी वरिष्ठता सूची भी सिंचाई विभाग से प्राप्त सूची के अनुसार बनाई गई है जिसका आधार योगदान की तिथि है ।

बांसी, जिला बस्ती में कागज कारखाने की मांग

11—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के उत्तरांचल में धान का पुआल और गन्ने की खेइया की बहुलता को देखते हुए बांसी, जिला बस्ती में कागज का कारखाना लगाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस योजना का स्वरूप क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

12—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

[2सरे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बांसी, जिला बस्ती में अस्पताल खोलने की योजना

13—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिला अन्तर्गत बांसी में सौ शैयाओं का अस्पताल खोलने की कोई योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

स्व0 राजेन्द्र प्रसाद सिन्हा, लैब टैक्नीशियन, जौनपुर के पुत्र को सेवा में लेने संबंधी प्रार्थना-पत्र

14—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव

पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद सिन्हा, जो कि जौनपुर जनपद में लैब टेक्नीशियन (स्वास्थ्य विभाग) के पद पर कार्यरत थे तथा सन् 1973 में एक दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हुए थे को सेवा में लेने संबंधी प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 9-3-86 एवं अनुस्मारक दिनांक 21-3-86 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां, प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-3-86 शासन को प्राप्त हुआ था परन्तु अनुस्मारक दिनांक 21-3-86 प्राप्त नहीं हुआ। उक्त पत्र को महानिदेशक, स्वास्थ्य को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों को सेवा में लिये जाने संबंधी नियुक्ति अनुभाग-4 का दिनांक 7-10-74 का शासनादेश दिनांक 21-12-73 से प्रभावी था जब कि स्व0 श्री राजेन्द्र प्रसाद सिन्हा को मृत्यु 20-11-73 को हुई थी। अतएव उनके आश्रित श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव को राजकीय सेवा में लिए जाने का लाभ नहीं मिल सका।

प्रदेश में कैंसर रोग की रोकथाम के उपाय

15—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कैंसर रोगियों की दिन पर दिन बढ़ती जा रही संख्या को देखते हुए कैंसर की रोकथाम एवं इसके प्रारम्भिक स्तर पर ही निदान हेतु कोई कदम उठायेंगे ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

कैंसर रोग की रोकथाम एवं प्रारम्भिक स्तर पर निदान हेतु शासन द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं। वर्ष 1984 में इलाहाबाद, मेरठ और गोरखपुर के मेडिकल कालेजों में अर्ली कैंसर डिटेक्शन यूनिट की स्थापना की गई है। के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में स्त्रियों के स्तन कैंसर निदान हेतु मेमोग्राफी की सुविधा है तथा उक्त कालेज हेतु कोबाल्ट थ्रैपी की नई मशीन खरीदी जा रही है। साथ ही कानपुर स्थित कैंसर संस्थान में कैंसर रोगियों का उपचार किया जाता है। अन्य मेडिकल कालेजों में कैंसर के प्रारम्भिक निदान एवं उपचार की भी सुविधा उपलब्ध है।

बरेली एवं अन्य मण्डलों में कैंसर निदान केन्द्रों की स्थापना

16—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या मंत्री जी बरेली एवं अन्य मंडलों के केन्द्रों पर जहां मेडिकल कालेज नहीं है वहां कैंसर निदान केन्द्र स्थापित करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर बरेली एवं अन्य स्थानों पर कैंसर निदान केन्द्र स्थापित करना सम्भव हो सकेगा।

सैक्स परीक्षण एवं गर्भपात को रोकने हेतु उठाये गये कदम

17—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में गर्भस्थ शिशु के सैक्स परीक्षण (एमीनो सेक्टेसिस) का कार्य प्राइवेट क्लीनिक्स में बहुत जोरों पर चल रहा है एवं परीक्षण के उपरान्त जिन महिलाओं के गर्भ में लड़की शिशु का पता लगता है उनका बड़ी संख्या में गर्भपात कराया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसे सैक्स परीक्षण एवं गर्भपात को रोकने के लिये मंत्री जी कोई कड़े कदम उठायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

पूर्ण सतर्कता बरतने के लिये यदि कोई जानकारी मिलती है तो उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये जा चुके हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में ग्वाइटर रोग का प्रकोप व रोकथाम

18—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में गला बढ़ने की बीमारी बहुत बढ़ रही है ? यदि हां, तो वह जिले कौन-कौन से हैं ? इस बीमारी के निदान व रोकथाम के लिए क्या स्वास्थ्य विभाग ने कोई कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रदेश के निम्नलिखित बीस जिलों में ग्वाइटर का प्रकोप है :—

1—देहरादून, 2—बिजनौर, 3—अल्मोड़ा, 4—पिथौरागढ़, 5—चमोली, 6—गढ़वाल, 7—टेहरी, 8—उत्तरकाशी, 9—नैनीताल, 10—पीलीभीत, 11—रामपुर, 12—बहराइच, 13—खीरी, 14—गोण्डा, 15—देवरिया, 16—बरेली, 17—शाहजहांपुर, 18—गोरखपुर, 19—बस्ती, 20—बदायूं ।

तीन जिलों में स्थानीय रूप से बीमारी होने की सूचना प्राप्त हुई है, जो निम्नवत् है :—

1—मिर्जापुर, 2—गाजियाबाद, 3—मेरठ ।

राष्ट्रीय ग्वाइटर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत साधारण नमक की बिक्री पर रोक लगाकर आयोडीनयुक्त नमक युक्त जनपदों में उपलब्ध कराया जा रहा है जो घेंघा रोग की बीमारी को रोकने एवं उपचार हेतु मान्यता प्राप्त साधन है । नये जिलों में सर्वेक्षण उपरान्त यदि आवश्यक हुआ तो इन क्षेत्रों में भी साधारण नमक की बिक्री बन्द कर दी जायेगी और आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध कराया जायेगा ।

सहायक जन विश्लेषक पद हेतु निर्धारित अर्हतायें

19—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के 1ले गुरू के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 29 के उत्तर के संबंध में क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या अब तक जो लोग स्वा0 अप0 नि0 नि0 के नियम 6 की पूर्ण योग्यता नहीं रखते थे उनकी भी सहायक जन विश्लेषक के पद पर कभी नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो अब नियम 6 में वर्णित योग्यता को आवश्यक क्यों नहीं समझा गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली के नियम 6 में जन विश्लेषक की अर्हतायें निर्धारित की गई हैं न कि सहायक जन विश्लेषक की । सहायक जन विश्लेषक के पद पर उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है जो इस पद हेतु निर्धारित अर्हता रखते हैं ।

20—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वा0 अ0 नि0 नि0 की 6 की योग्यता न रखने वाले की जन विश्लेषक पद पर नियुक्ति की जाती है ? यदि नहीं, तो उसके तुरन्त नीचे के पद पर योग्यता को आवश्यक क्यों नहीं समझा गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं । यह आवश्यक नहीं है कि जो अर्हता किसी उच्चतर पद के लिये निर्धारित हो वह उससे ठीक नीचे के पद के लिए भी निर्धारित की जाय । अर्हता पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों को देखते हुए निर्धारित की जाती है ।

जन विश्लेषक, सहायक जन विश्लेषक व जन विश्लेषक प्रयोगशाला के राजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु नियमावली

21—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या जन विश्लेषक सहायक जन विश्लेषक एवं जन विश्लेषक प्रयोगशाला के राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए कोई नियमावली है ? यदि नहीं, तो किन नियमों के अन्तर्गत यह नियुक्ति की जाती है ? क्या उन नियमों की एक प्रति प्रदान करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं । प्रश्नगत पदों पर नियुक्तियां समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत निर्धारित नीति के अनुसार की जाती है ।

जन विश्लेषक पद हेतु योग्यता का निर्धारण

22—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जन विश्लेषक पद की योग्यता किस स्रोत से निर्धारित होती है ? यदि वह मात्र पी0 एफ0 ए0 रूल्स 1955 ही है तो उस नियम के पालन करने में ढिलाई क्यों बरती जा रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जन विश्लेषक पद हेतु योग्यता पी0 एफ0 ए0 रूल्स 1955 व समय-समय पर उसमें हुए संशोधनों के आधार पर निर्धारित की जाती है । इसके पालन में कोई ढिलाई नहीं बरती जाती है ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव आई0 एफ0 डब्ल्यू0 (फाइलेरिया) की सेवा समाप्ति

23—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी उन्नाव ने आदेश दिनांक 1-11-85 द्वारा श्री रामेश्वर दयाल की तदर्थ नियुक्ति चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी आने तक (आई0 एफ0 डब्लू0) फाइलेरिया के पद पर की थी और जिसे दिनांक 27-1-86 को समाप्त कर दिया गया ? क्या सेवा मुक्त कर्मचारी को शासन की नीति के अनुरूप एक माह का अग्रिम वेतन दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव की नियुक्ति जिला चयन समिति से चयनित कर्मचारी के उपलब्ध होने तक के लिए आई0 एफ0 डब्लू0 (फाइलेरिया) के पद पर अस्थाई एवं तदर्थ आधार पर की गयी थी । चयनित कर्मचारी के आ जाने पर श्री यादव को सेवा मुक्त कर दिया गया । अतः एक माह के अग्रिम वेतन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश के बुनकरों को ऋण की सुविधा व सूत की खरीदारी की कीमत में वृद्धि

24—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश में बुनकरों को जनता क्लाथ की तैयारी करने के लिए ब्याज पर ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था है ? क्या हैण्डलूम कारपोरेशन और यू0 पी0 कारपोरेशन के जरिये जो सूत फराहम किया जाता है उसका दाम बाजार भाव से अधिक होता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार सूत के मूल्यों में वृद्धि के साथ ही साथ खरीदारी की

कीमत में वृद्धि उसी अनुपात में करती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

हथकरघा निगम द्वारा फराहम किये गये सूत का दाम बाजार भाव से किसी-किसी काउण्ट का कभी अधिक हो जाता है, परन्तु सामान्यतः सूत का भाव बाज़ार भाव के अनुरूप ही रखा जाता है ।

सूत के मूल्यों में उतार-चढ़ाव का प्रभाव बाजार भाव में तुरन्त आ जाता है, किन्तु निगम द्वारा दरों में परिवर्तन करने में कुछ समय लग जाता है । बाजार में सूत सभी प्राईवेट/सरकारी/सहकारी कताई मिलों का उपलब्ध होता है जबकि हथकरघा निगम द्वारा केवल सरकारी एवं सहकारी कताई मिलों का ही सूत उपलब्ध करवाया जाता है । इस कारण भी मूल्य में भिन्नता आ जाती है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गाजीपुर के प्रा0 स्वा0 केन्द्र मुहम्मदाबाद के मेन्टीनेन्स

25—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद गाजीपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुहम्मदाबाद में सन् (1984-85 व 1985-86) मेन्टीनेन्स के मद में कुल कितना धन व्यय किया गया तथा उक्त केन्द्र से कितने रुपये की दवायें उक्त अवधि में वितरित की गयी ? क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त केन्द्र पर कितने बेड उपलब्ध हैं ? तथा उक्त केन्द्र के रूम में लगे पंखे, पानी के नल, बिजली की वायरिंग इत्यादि दुरुस्त हालत में है ? यदि नहीं, तो उक्त के लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

उल्लिखित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में वर्ष 1984-85 व 1985-86 में मेन्टेनेन्स के मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी ।

उक्त अवधि में क्रमशः रु0 1,21466·70 तथा रु0 1,10,546·96 की दवायें मरीजों में वितरित की गयी । इस केन्द्र में 8 शैय्या है । वार्ड के रूप में पंखे तथा रोशनी की व्यवस्था है । जल आपूर्ति की भी व्यवस्था है । बिजली की पुरानी वायरिंग के कारण कभी-कभी खराबी आ जाती है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में खराबियों को कन्टनजेन्सी की मद से ठीक कराने के आदेश मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से दे दिये गये हैं ।

उ0 प्र0 राज्य हथकरघा निगम में कर्मचारियों की नियुक्ति में बुनकरों को प्राथमिकता

26—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ0 प्र0 में हैण्डलूम कारपोरेशन के कर्मचारियों में बुनकरों की संख्या कितनी और कितना प्रतिशत है ? क्या 1972 'राम सहाय' कमीशन ने अपनी सिफारिश में इस बात को शामिल किया था कि हैंडलूम और उससे संबंधित विभागों में बुनकरों को नौकरी देने में प्राथमिकता दी जाय ? क्या सरकार ने उक्त सिफारिश को लागू किया ? यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार अपना क्या विचार रखती है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उ0 प्र0 राज्य हथकरघा निगम में कार्यरत कर्मचारियों में बुनकर समुदाय के कर्मचारियों की संख्या-81 है जो कुल कर्मचारियों की संख्या का 7 प्रतिशत है ।

जी हां ।

जी हां । हथकरघा निगम द्वारा बुनकर समुदाय के अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार नौकरी में प्राथमिकता दी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

गाजीपुर जनपद में राज्य सरकार के स्वास्थ्य केन्द्र व उनमें दवाइयों का वितरण

27—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर जनपद में राज्य सरकार के कुल कितने स्वास्थ्य केन्द्र तथा चिकित्सालय हैं ? वर्ष 1984-85 व सन् 1985-86 में जनपद में कुल कितने मूल्य की दवाइयां वितरित करने हेतु भेजी गयी तथा किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने-कितने मूल्य की दवाइयां वितरित की गयी हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

गाजीपुर जनपद में स्वास्थ्य केन्द्रों तथा चिकित्सालयों की कुल संख्या 64 है । प्रश्न में उल्लिखित वित्तीय वर्षों में क्रमशः रु0 16,56,564.21 तथा रु0 17,23,370.90 की दवायें वितरण हेतु भेजी गयी थी । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उक्त अवधि में वितरित की गयी दवाओं के मूल्य का विवरण संलग्न †सूची में अंकित है ।

गोड़डर, जनपद गाजीपुर में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सकों की नियुक्ति व दवाईयों का वितरण

28—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र गोंड़डर (गाजीपूर) में 40 बेड का एक चिकित्सालय बना है ? क्या उक्त केन्द्र पर चिकित्सा सुविधा प्रारम्भ कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब से ? वहां चिकित्सक तथा स्टाफ अलग-अलग कितने हैं ? चिकित्सकों की नियुक्ति कब की गयी तथा उक्त स्वास्थ्य केन्द्र से कैलेण्डर वर्ष 1985 में कितने रुपये की दवाइयां मरीजों में वितरित की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

गोंड़वर, जन्पद गाजीपुर में 30 बेड का एक उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं । वर्तमान में उक्त केन्द्र पर एक अधीक्षक, एक चिकित्साधिकारी तृतीय, एक फार्मेसिस्ट, एक प्रयोगशाला प्राविधिक तथा दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं । अधीक्षक की नियुक्ति 15-10-1985 को तथा चिकित्सा अधिकारी तृतीय की नियुक्ति दिनांक 14-2-1986 को की गई थी । कलेन्डर वर्ष 1985 में मरीजों को उक्त केन्द्र से रु0 31,926.23 की दवाइयां वितरित की गयीं ।

जनपद गाजीपुर की मण्डी समिति यूसुफपुर के कर्मचारियों व रिक्त पदों की संख्या

29—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की मंडी समिति यूसुफपुर किस श्रेणी की मंडी है और इसके अधीनस्थ कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? उक्त मंडी की आय के अनुसार कितने कर्मचारियों के पद रिक्त हैं ? क्या उक्त मंडी के चार कर्मचारियों को सेवा मुक्त किये जाने का आदेश डाइरेक्टर महोदय द्वारा दिया गया ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मण्डी समिति यूसुफपुर "ख" श्रेणी की मंडी है जिसके अधीनस्थ कुल 13 कर्मचारी कार्यरत हैं ।

†(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 177 पर) ।

कोई नहीं ।

जी नहीं ।

जनपद ललितपुर में नरेन्द्रा एक्सप्लोसिव की स्थापना तथा वृहत उद्योग की स्थापना पर विचार

30—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या उद्योग मंत्री जी को जानकारी है कि बुन्देलखण्ड के सबसे अधिक पिछड़े जनपद ललितपुर में एकमात्र नरेन्द्रा एक्सप्लोसिल्स की स्थापना लगभग 10 वर्ष पूर्व की गयी थी जिसमें आज तक उत्पादन विषयक कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ? क्या इस ललितपुर जनपद को इस दृष्टि से उद्योग शून्य श्रेणी जनपद माना जायेगा ? क्या शासन अन्य किसी वृहत उद्योग की स्थापना पर विचार कर रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पिछड़े जनपद ललितपुर में नरेन्द्रा एक्सप्लोसिव लगभग 10 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था किन्तु अभी तक उत्पादन कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

इसी आधार पर जनपद को उद्योग शून्य श्रेणी में नहीं माना जायगा । शून्य उद्योग अथवा पिछड़े जिले की घोषणा भारत सरकार द्वारा की जाती है ।

जनपद में किसी वृहत उद्योग की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । यद्यपि उद्योग स्थापित करने हेतु इच्छुक उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाता है ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्ग के स्पेशल ग्रेड के पदों में आरक्षण

31—श्री तेज बहादुर गंगवार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्ग के स्पेशल ग्रेड में कुल आरक्षित पदों की संख्या क्या है और उनके विरुद्ध कुल कितने अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति के अधिकारी कार्यरत हैं और इस श्रेणी के लिए कितने पद अभी भी रिक्त हैं ? क्या यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन पदों के विरुद्ध सामान्य अधिकारियों की कितनी भर्ती की गयी है और क्या इन रिक्त पदों को शासनादेश के अनुसार प्रत्येक वर्ष कैरीफारवर्ड किया जाता रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वर्तमान में पी0 एम0 एच0 एस0 स्पेशल ग्रेड (पुरुष) संवर्ग में, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कुल आरक्षित पदों की संख्या (क्रमशः 26+2) 28 है । इनके विरुद्ध अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के (क्रमशः 9+1) 10 अधिकारी कार्यरत हैं । अनुसूचित जाति के 17 व जनजाति के अधिकारियों का एक पद अभी भी अवशेष है । इन पदों को कैरीफारवर्ड किया गया है । लेकिन दैनिक कार्य निष्पादन हेतु व काम चलाऊ व्यवस्था के अधीन इन पदों पर सामान्य वर्ग के अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति की गयी है ।

32—श्री तेज बहादुर गंगवार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत अगस्त, 1985 में पी0 एम0 एस0 सम्वर्ग के सीनियर ग्रेड से स्पेशल ग्रेड में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आठ डाक्टरों की प्रोन्नति की गयी थी किन्तु कुछ डाक्टर जो अगस्त 1985 में ही प्रोन्नति के लिए पात्रता क्षेत्र में आते थे, उनकी प्रोन्नति वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो सकी थी ? क्या ऐसे डाक्टरों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है ?

अगर हां, तो यह प्रोन्नतियां कब तक हो जायेंगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

पी0 एम0 एच0 एस0 सम्वर्ग में, अगस्त, 1985 में अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पदों के विरुद्ध, आठ अनुसूचित जाति के अधिकारियों को प्रोन्नति स्पेशल ग्रेड में की गयी थी । एक अधिकारी को सभी वर्षों की गोपनीय प्रविष्टियां उपलब्ध न होने के कारण उसकी प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जा सका ।

पात्रता क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों को प्रोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति द्वारा यथासमय विचार किया जायेगा ।

गोरखपुर के धानी विकास खण्ड में शिक्षित बेरोजगार योजना में अभ्यर्थियों का चयन

33—श्री हर्षवर्धन—

क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के धानी विकास खण्ड में वर्ष 85-86 के दौरान शिक्षित बेरोजगार योजना में कुल कितने व्यक्तियों का चयन हुआ तथा इनमें से कितने वास्तव में योजना से लाभान्वित हुए ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद गोरखपुर के धानी विकास खंड में वर्ष 1985-86 के दौरान शिक्षित बेरोजगार योजना में कुल 23 अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र चयनोपरान्त बैंक को ऋण स्वीकृत/वितरण हेतु प्रेषित किये गये जिनमें से दो व्यक्तियों को भारतीय स्टेट बैंक आफ इण्डिया, धानी, शाखा द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया । इन दोनों व्यक्तियों में से किसी को भी संबंधित बैंक ने ऋण वितरित नहीं किया है ।

जनपद ललितपुर में आकस्मिक चिकित्सा अधिकारियों व उपचारिकाओं हेतु आवासीय सुविधा

34—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ललितपुर जनपद के आकस्मिक चिकित्सा अधिकारियों के रहने के लिए नियत स्थान पर भवन निर्माण की कोई योजना शासन को है ? क्या जनपद में फिजीशियन जेल मेडिकल आफिसर, लेप्रोसी मेडिकल आफीसर की नियुक्तियां नहीं हुई हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त नियुक्तियां शासन द्वारा कराई जायेंगी ? क्या उपचारिकाओं के आवास के लिए आवास गृह उक्त जनपद में है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उपचारिकाओं के रहने हेतु आवास कब तक बनाये जायेंगे ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां, ललितपुर जनपद में फिजीशियन, जेल मेडिकल आफिसर, लैप्रोसी मेडिकल आफीसर का कोई पद स्वीकृत नहीं है । अतः नियुक्तियां कराने का प्रश्न नहीं उठता । उपचारिकाओं के लिये आवासीय सुविधा वर्तमान में विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं है । नव-निर्मित चिकित्सालय जो निर्माणाधीन है उसमें उपचारिकाओं के आवास का प्राविधान रखा गया है ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, ललितपुर द्वारा दिये गये स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र

35—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में कार्यरत मुख्य चिकित्सा अधिकारी ललितपुर ने अपने कार्यकाल में कितने स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी किये हैं और स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले को प्रमाण-पत्र के एवज में दी गयी रकम की सरकारी रसीद दी

गयी है ? यदि रसीद दी गयी है तो कितने लोगों को दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वर्तमान समय में कार्यरत मुख्य चिकित्साधिकारी ललितपुर ने अपने कार्यकाल में कुल 37 स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी किये हैं । इनमें से 26 स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्तकर्ताओं से फीस ली गयी और उन्हें इनकी रसीद दी गयी । 11 स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र निःशुल्क जारी किये गये ।

ललितपुर जनपद के राजकीय कृषि एवं पशुधन फार्म सैदपुर की भूमि का उपयोग

36—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के राजकीय कृषि एवं पशुधन फार्म सैदपुर (महरौनी) को खेतों के स्थान पर गौशाला में परिणित कर दिया गया है तथा इसी फार्म में भेड़ बकरी फार्म भी खोला जा रहा है ? क्या मन्त्री जी को यह जानकारी है कि ललितपुर जनपद के सैदपुर फार्म की भूमि सर्वाधिक उपजाऊ है फिर भी इस योजना को क्यों लागू किया जा रहा है ? क्या कृषि विभाग द्वारा इस फार्म की सैकड़ों एकड़ भूमि जो कृषि योग्य है को कृषि योग्य बनाने हेतु अन्य अलाभकारी खरपतवार को समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

इस प्रक्षेत्र पर स्थापना के समय से ही गाय भैंसे पाली जा रही है और वर्ष 60-61 से भेंड़े भी पाली जा रही हैं जिनमें से उन्नतिशील गाय सांड़, भैंसा सांड़ तथा भेड़े पशु पालको को प्रजनन हेतु वितरण किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त पौष्टिक चारा पशुओं के लिये उगाया जाता है और उन्नतशील बीज लाभार्थियों के देने के लिये पैदा किया जाता है । इस प्रक्षेत्र की भूमि ऊंची नीची तथा मृदा मार एवं कावर प्रकार की है तथा सामान्य स्तर से कम उपजाऊ है एवं सिंचाई सुविधाओं की नितान्त कमी है । यह प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत है तथा इसमें पशुओं के रखने के साथ उन्नतशील चारा बीज उत्पादन करने की प्रस्तावना है जिससे अलाभकारी खरपतवार स्वयं नष्ट हो जाने की सम्भावना है ।

नसबन्दी उपलब्धियों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर का स्थान

37—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर वर्ष 82-83, 83-84 तथा 84-85 में नसबन्दी उपलब्धियों में जनपद में सर्वश्रेष्ठ रहा तथा उसे पुरस्कार और शील्ड भी प्रदान की गयी ? यदि हां, तो वहां के कर्मचारियों का इस वर्ष लम्बे समय का वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वर्ष 82-83, 83-84 एवं 84-85 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहपुर जनपद में सर्वश्रेष्ठ नहीं रहा है । वर्ष 1983-84 में यह केन्द्र द्वितीय स्थान पर रहा लेकिन नसबन्दी की सर्वाधिक संख्या होने के कारण जिलाधिकारी बाराबंकी ने विशेष पुरस्कार शील्ड के रूप में प्रदान किया था । इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में वर्ष 1982-83, 83-84 तथा 84-85 में किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं रोका गया था ।

जनपद बाराबंकी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहपुर से सम्बद्ध ए0 एन0 एम0 तथा बी0 एच0 डब्लू0 कर्मचारियों को परिवार नियोजन का लक्ष्य पूरा न करने के कारण प्रतिकूल प्रविष्टियां

38—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

विधान सभा के सत्र 86 के प्रथम गुरुवार के लिए निर्धारित ता0 प्र0 सं0 11 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि क्या शासनादेश संख्या 6552/16-11-84 दिनांक 27 अक्तूबर, 84 के क्रियान्वयन को सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को वायरलेस दिनांक 9-12-84 द्वारा सूचना देकर अगले आदेशों तक के लिए रोक दिया था ? यदि हां, तो क्या उसके बाद कोई अन्य शासनादेश जारी किया गया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

इसके बाद सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा मंडलीय संयुक्त निदेशकों को रेडियोग्राम दिनांक 3-1-1986 द्वारा शासनादेश संख्या 6552/16-11-84, दिनांक 27 अक्टूबर, 1984 के अनुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये गये थे ।

प्रा0 स्वा0 केन्द्र जाता बरौली, बाराबंकी की ए0 एन0 एम0 श्रीमती सुशीला श्रीवास्तवा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

39—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में विकास खण्ड बंकी के मातृ एवं शिशु कल्याण उप-केन्द्र बनवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाता बरौली की ए0 एन0 एम0 श्रीमती सुशीला श्रीवास्तवा के विरुद्ध ग्राम प्रधान व अन्य लोगों का शिकायती-पत्र दिनांक 13 फरवरी, 1986 सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

शिकायत की प्रतिलिपि संलग्न है ।

शिकायतों की जांच डा0 श्रीमती दमयन्ती त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक, मातृ शिशु कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनांक 18-8-86 को की गई । उनके द्वारा यह संस्तुति की गई कि श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव का स्थानान्तरण अन्य जनपद में कर दिया जाय । तद्नुसार श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव का स्थानान्तरण जनपद सीतापुर में रिक्त स्थान पर निदेशालय के आदेश दिनांक 26-8-1986 के द्वारा कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त मुख्य चिकित्साधिकारी बाराबंकी/सीतापुर को यह निर्देश दे दिये गये हैं कि आगामी ए0 एन0 एम0 प्रशिक्षण सत्र में नियमानुसार प्रशिक्षण हेतु श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव को भेजा जाय ।

40—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उप कृषि निदेशक, वाराणसी मंडल के कार्यालय में कर्मचारियों का समायोजन

41—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप निदेशक कृषि मंडल वाराणसी

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 178 पर।)

के कार्यकाल में कुछ योजनाओं के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप किस नियम से चतुर्थ श्रेणी एवं लिपिक वर्ग के वरिष्ठ कर्मचारी को अन्यत्र समायोजित किया गया और कनिष्ठ को कार्यालय में रखा गया ? क्या नियम विपरीत कार्य करने वाले अधिकारी को दंडित किया जायेगा ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री शिव बालक पासी)—

उप कृषि निदेशक, वाराणसी मंडल के कार्यालय में कतिपय योजनाओं की समाप्ति के फलस्वरूप फालतू हुए तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में ज्येष्ठ को मंडलीय कार्यालय में तथा कनिष्ठ कर्मचारियों को जिला कार्यालयों में समायोजित कर दिया गया है तथा प्रश्नगत मामले में किसी अधिकारी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

42—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

श्री ईश्वरचन्द्र अग्रवाल, अतिरिक्त कृषि निदेशक की सेवानिवृत्ति

43—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि ईश्वर चन्द्र अग्रवाल, अतिरिक्त कृषि निदेशक, दिनांक 31-5-86 को सेवा-निवृत्त हो रहे हैं ? यदि हां, तो उन्हें शासन द्वारा तथा निर्धारित नियमों के विरुद्ध उनके पूर्व पद से अतिरिक्त कृषि निदेशक (धान योजना) के पद पर नियुक्त क्यों किया गया है जबकि वे आगामी धान उत्पादन ऋतु में रिटायरमेन्ट के कारण मार्ग दर्शन उक्त योजना को नहीं दे सकेंगे ? क्या उन्हें राजकीय सेवा में अभिवृद्धि दी जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

श्री ईश्वर चन्द्र अग्रवाल, दिनांक 31-7-86 को सेवानिवृत्त हो गये हैं ।

श्री ईश्वर चन्द्र अग्रवाल जब निदेशक (जल प्रबन्ध), भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, रहमान खेड़ा (लखनऊ) के पद पर कार्यरत थे तब वह अपने पद के साथ-साथ परियोजना निदेशक-कम-अपर कृषि निदेशक, चावल उत्पादन योजना के नव सृजित पद का कार्य भी देख रहे थे । वह एग्रोनोमी योग्यता के भी अधिकारी हैं । इसलिये श्री ईश्वर चन्द्र अग्रवाल को परियोजना निदेशक-कम-अपर कृषि निदेशक चावल उत्पादन योजना के पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया गया था । श्री अग्रवाल की सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद ही एक अन्य अधिकारी की तैनाती उक्त पद पर कर दी गयी है ।

राजकीय सेवा अभिवृद्धि दिये जाने का अब प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य निरीक्षकों पर नसबन्दी के लक्ष्य का निर्धारण

44—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य निरीक्षक संवर्ग पर भी नसबन्दी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो यह किस शासनादेश के अन्तर्गत किया गया है ? क्या स्वास्थ्य मंत्री जी उक्त शासनादेश को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षकों को प्रदेश में वर्ष 1981 से चल रही बहुधन्धी स्वास्थ्य

कार्यकर्ता योजना में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद पर समायोजित किया गया है ।

शासनादेश सं0 3537/16-11-85-6 (27)/85, दिनांक 5-7-85 के द्वारा पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के लिए 2 नसबन्दी प्रतिमाह का लक्ष्य रखा गया है । उक्त शासनादेश की प्रतिलिपि संलग्न है ।

45—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद कानपुर के ग्राम प्रतापपुर उदेत के कथित अविवाहित हरिजन की नसबन्दी

46—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर, ग्राम प्रतापपुर उदेत, पो0 शिवली के एक 40 वर्षीय अविवाहित हरिजन श्री हरीलाल की नसबन्दी हल्का लेखपाल ने कुछ समय पूर्व करा दी है ? इस सम्बन्ध में श्री बलराम दुबे मंत्री जिला कौंसिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कानपुर देहात का मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात को एक पत्र दिनांक 27-1-86 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस मामले की जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो तथ्य क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद कानपुर देहात, ग्राम प्रतापपर उदेत, पो0 शिवली के निवासी 40 वर्षीय श्री हरीलाल का नसबन्दी आपरेशन, हल्का लेखपाल के अभिप्रेरण में दिनांक 7-12-85 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मैथा में किया गया था ।

इस मामले की मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की गई । जांच में पाया गया कि श्री हरीलाल की पत्नी राधा, पहले अन्य की व्याहता थी लेकिन वह अब विगत 22 वर्षों से श्री हरीलाल के साथ पत्नी के रूप में रह रही है और उनकी हरीलाल से तीन संताने हैं ।

47—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

[दिनांक 8-9-86 को अता0प्र0 सं0 192 द्वारा उत्तरित]

48—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह---

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय मलिया बुजुर्ग, खीरी की चिकित्साधिकारी, डा0 कु0 गीता शुक्ला की नियुक्ति

49—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद खीरी में डा0 कुमारी गीता शुक्ला की प्रथम नियुक्ति राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय मलिया बुजुर्ग में की गयी थी परन्तु निदेशक, होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश ने उक्त चिकित्साधिकारी को दिनांक 3-1-86 को जिला चिकित्सालय में अटैच कर दिया है ? क्या यह अटैचमेन्ट का आदेश शासनादेश संख्या 8762/5-7-382-85, दिनांक 15-10-85 के प्रतिकूल है ? यदि हां, तो ऐसा आदेश क्यों किया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां । दिनांक 28-7-1986 से डा0 कुमारी गीता शुक्ला राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय जिला अस्पताल, शाहजहांपुर में कार्यरत है ।

इस शासनादेश में विशेष परिस्थितियों में निदेशकों को द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों के अटैचमेन्ट स्वीकृत करने के अधिकार कार्य के हित में इस प्रतिबंध के साथ दिये गये हैं कि वे

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या 179 पर ।)

ग्रामीण सेवा पूर्ण करने के लिए स्थानान्तरित न किये गये हों ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री महेन्द्रनाथ राय, जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर के टी0 ए0 बिलों में अनियमितताएं

50—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर महेन्द्र नाथ राय सन् 76 में जब पीलीभीत में थे इन्होंने फर्जी टी0 ए0 बिल बनाकर हजारों रुपयों का घपला कर लिया था और गबन भी किया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इसकी जांच तत्कालीन डी0 ए0 श्री एच0 पी0 सिंह ने किया था और अपने आदेश में लिख दिया था कि महेन्द्र नाथ राय को कभी भी जिला कृषि अधिकारी का पद न दिया जाय ? यदि हां, तो इन्हें गाजीपुर का जिला कृषि अधिकारी बनाये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और इन्हें तत्काल उस पद से हटायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

श्री महेन्द्र नाथ राय जब वर्ष 76 में जिला कृषि अधिकारी, पीलीभीत के पद पर कार्यरत थे, के कार्यकाल के सम्प्रेक्षण में इनके टी0 ए0 बिलों के सम्बन्ध में आपत्तियां की गई हैं किन्तु हजारों का घपला और गबन का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया । श्री एच0 पी0 सिंह, तत्कालीन कृषि निदेशक ने कोई जांच नहीं की थी और श्री महेन्द्र नाथ राय को जिला कृषि अधिकारी का पद न दिये जाने का कोई आदेश नहीं दिया था । टी0 ए0 बिलों में आपत्तियां, जिनका उल्लेख विभागीय सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन में हैं, की परिपालन आख्या एवं संस्तुति उप कृषि निदेशक, बरेली से अपेक्षित है । गाजीपुर के जिला कृषि अधिकारी के पद पर तैनाती में त्रुटि नहीं थी । जांच का कोई प्रश्न नहीं उठता है । श्री राय वर्तमान में गाजीपुर से स्थानान्तरित हो चुके हैं ।

गाजीपुर के जिला कृषि अधिकारी श्री महेन्द्र नाथ राय पर भ्रष्टाचार के आरोप तथा टी0 ए0 बिलों के सम्बन्ध में उठायी गयी आपत्ति

51—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर के जिला कृषि अधिकारी महेन्द्र नाथ राय 80-81 व 81-82 में मन्डी सचिव, कानपुर में थे ? क्या यह सही है कि मन्डी समिति के भ्रष्टाचार सम्बन्धी कार्यों में दोषी पाये गये थे और तत्कालीन निदेशक, मन्डी परिषद्, उ0 प्र0 ने इनकी चरित्र पंजिका में सत्यनिष्ठा संदिग्ध लिख दिया है और धन के आहरण एवं वितरण का अधिकार न दिये जाने को भी लिखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि ऐसे व्यक्ति को जिसकी सत्यनिष्ठा न प्रमाणित हो, उक्त अधिकारी को ऊंचे पदों पर एवं आहरण और वितरण का अधिकार दिया गया है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

श्री महेन्द्र नाथ राय, दिनांक 20-7-81 से 27-7-82 तक मण्डी सचिव, कानपुर के पद पर तैनात थे ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

52—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर, महेन्द्र नाथ राय के जुलाई, 83 से दिसम्बर, 83 तक के टी0 ए0

बिल व माइलेज में तालमेल नहीं है जिस पर आडिट गोष्ठी में आपत्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

श्री राय के गाजीपुर कार्यकाल 1-7-83 से 30-6-84 के सम्प्रेक्षण में इनके टी0 ए0 बिलों के सम्बन्ध में आपत्ति उठायी गयी थी जिसकी जांच की जा रही है ।

गाजीपुर के ज़िला कृषि अधिकारी द्वारा गेहूं की नीलामी में अनियमितताएं

53—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर ने 29-10-84 को बड़ाबान कृषि फार्म पर 3 लाख रु0 का गेहूं उप निदेशक कृषि, वाराणसी के प्रतिनिधि की गैर मौजूदगी में 4 व्यक्तियों को दे दिया ? क्या यह सही है कि 13-10-84 को उप निदेशक के प्रतिनिधि के सामने 120 रु0 क्विंटल की बोली लगी थी और 29-10-84 को इन्होंने 106 रु0 पर दे दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर ने दिनांक 29-10-84 को बड़ाबाग कृषि फार्म पर रुपया 1,81,320.38 मूल्य का गेहूं उप निदेशक, वाराणसी के प्रतिनिधि के गैर मौजूदगी में तीन व्यक्तियों को नीलाम किया ।

जी नहीं ।

दिनांक 29-10-84 को जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर द्वारा रुपया 101 से लेकर रुपया 108 प्रति कुन्तल की दर से नीलामी की गई ।

जांच कराई जा रही है ।

54—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त] ।

जनपद हरदोई के कृषि विभाग में बीज भण्डार प्रभारी पद पर अनियमित नियुक्ति

55—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3-8-79 से 13-8-83 तक की अवधि में लखनऊ मण्डल के हरदोई जनपद में कौन-कौन से ऐसे कर्मचारी कृषि विभाग में बीज भण्डार प्रभारी के पद पर तैनात किये गये हैं जिनके लिये सीड स्टोर चार्ज का चार्ज देना मना था किन्तु चार्ज पाने के बाद उन्होंने सरकारी धन का गबन पुनः कर लिया ? दोषी अधिकारी कौन है और उसके विरुद्ध शासन को हुई इस क्षति के प्रति क्या निलम्बित करके अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

दिनांक 3-8-79 से 13-8-83 तक की अवधि में निम्नलिखित ऐसे कर्मचारियों को लखनऊ मण्डल के हरदोई जनपद में तैनात किया गया, जिनके लिये सीड स्टोर का चार्ज देना मना था :—

(1) श्री रमेश चन्द्र सेंगर ।

(2) श्री सफीक अहमद ।

(3) श्री नत्थी सिंह ।

उक्त अनियमितता के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का मामला विचाराधीन है ।

कृषि निदेशालय द्वारा प्रक्षेत्र अधीक्षक पद पर विवादास्पद कर्मचारियों की नियुक्ति

56—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेशों के विपरीत जुलाई, 1985 में कृषि निदेशालय द्वारा प्रक्षेत्र अधीक्षक की नियुक्तियां करते समय उन कर्मचारियों को भी अधीक्षक के रूप में तैनाती हेतु आदेशित किया गया जिन्होंने या तो पूर्व में प्रक्षेत्रों पर हानियां पहुंचाई थीं या उनके विरुद्ध सरकारी बकाये व अन्य मामले चल रहे थे या उनकी चरित्र पंजिका में विपरीत प्रविष्टियां अंकित थीं ? यदि हां, तो क्या ऐसे कर्मचारियों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत की जायेगी और गलत आदेश जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री परशुराम सिंह, कृषि इन्सपेक्टर का स्थानान्तरण एवं उन पर गबन का आरोप

57—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री परशुराम सिंह, कृषि इन्सपेक्टर को सीतापुर जिले से किन आरोपों के कारण उप कृषि निदेशक, लखनऊ मंडल ने वर्ष 1983 में स्थानान्तरित किया था और बिना उचित माध्यम की संस्तुति प्राप्त किये ही कृषि निदेशालय से उनकी नियुक्ति सीधे बाराबंकी जनपद में उनकी इच्छानुसार की गयी ? क्या यह सही है कि श्री सिंह को फार्म से जब उप कृषि निदेशक, लखनऊ ने स्थानान्तरित किया जो कृषि निदेशालय से बिना उनकी रिपोर्ट प्राप्त किये ही इस स्थानान्तरण आदेश को सितम्बर 83 में निरस्त कर दिया ? क्या कृषि मंत्री, श्री परशुराम को बाराबंकी में सौंपे गये कार्यों तथा उनके द्वारा वहां उपस्थित रहकर किये जा रहे कार्यों की सूची एवं श्री सिंह के विरुद्ध लाखों रुपये गबन सम्बन्धी सभी प्रकार के आरोपों की सूची सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री शिव बालक पासी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कृषि रक्षा इकाई, आजमगढ़ में फसल सुरक्षा की दवाओं में घपला

58—श्री दीप नारायण—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता द्वारा कृषि रक्षा इकाई में नगर जनपद आजमगढ़ पर फसल सुरक्षा हेतु दी गई दवाओं के घपले का प्रार्थना-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि जनपद आजमगढ़ के कृषि रक्षा इकाई के उच्च अधिकारियों की साजिश से यह घपला नगर में किया गया था ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

मामले की जांच विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि) पुलिस सेल को सौंप दी गयी है ।

राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा को आकस्मिक सेवा न घोषित किया जाना

59—श्री मैनेजर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा आकस्मिक सेवा

(इमरजेंसी सर्विस) में आती है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं । ऐसा घोषित करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

चमोली जनपद में कृषि कामदार एवं अमीन, श्री अजीम बख्श की पुनर्नियुक्ति न किये जाने का औचित्य, विभागीय जांच

60—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अजीम बख्श अल्पसंख्यक वर्ग के भू0 पू0 कृषि कामदार/अमीन के पुनर्नियुक्ति सम्बन्धी मामले में जिला कृषि अधिकारी, चमोली ने अपने पत्र संख्या 422/स्थापना/3/82-83, दिनांक 14 जून, 1983 द्वारा उप निदेशक को आश्वासन दिया था कि पद रिक्त होने पर श्री अजीम बक्श को पुनः नियुक्त कर लिया जायेगा तथा इसी क्रम में जिला कृषि अधिकारी, चमोली ने अवकाश कालीन रिक्ति की अवधि में श्री बख्श को 10 जनवरी, 83 से 18 फरवरी, 83 तक कृषि कामदार पद पर तैनात भी किया था ? यदि हां, तो वर्तमान समय में गढ़वाल मंडल में हुई तमाम रिक्त पदों के विरुद्ध की गयी नियुक्तियों में श्री बख्श को नियुक्त न किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री शिव बालक पासी—

जी हां ।

श्री अजीम बख्श भू0 पू0 कृषि कामदार/अमीन के पुनर्नियुक्ति सम्बन्धी मामले में जिला कृषि अधिकारी, चमोली ने अपने पत्र संख्या 422/स्थापना/3/82-83 दिनांक 14 जून, 1982 द्वारा उप कृषि निदेशक को इस आशय की सूचना दी थी कि पद रिक्त होने पर श्री अजीम बख्श को पुनः नियुक्त कर लिया जाय । तद्नुसार जिला कृषि अधिकारी, चमोली द्वारा श्री कुन्दन लाल कामदार की अवकाश रिक्ति में 10-1-83 से 18-2-83 तक के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी । अवकाश अवधि की समाप्ति पर उनकी सेवायें समाप्त हो गयीं । श्री अजीम बख्श को 13-2-70 से 21-2-83 तक की अवधि में कामदार अमीन तथा हलवाहा के अस्थायी पदों पर कई बार नियुक्त किया गया परन्तु उनकी कार्य अवधि में उनके विरुद्ध आदेशों के उल्लंघन, अनुशासनहीनता, शासकीय धन का व्यवहरण आदि की शिकायतें पाये जाने के कारण कई बार सेवायें समाप्त की गई तथा इसी कारण उनको शासकीय सेवा में बनाये रखना औचित्य पूर्ण नहीं पाया गया ।

61—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि चमोली जनपद में कृषि कामदार एवं अमीन पद पर 1970 से 1976 तक कार्यरत श्री अजीम बख्श की सेवायें बिना किसी कारण बताये समाप्त कर दी गयी है तथा क्या इसी सन्दर्भ में कृषि निदेशक ने अपने पत्र संख्या 1900/ए-चार-53, दिनांक 13 मई, 80 द्वारा उप निदेशक, गढ़वाल मंडल के श्री अजीम बख्श के मामले में जांच कर सूचना देने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो सन्दर्भित मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री शिव बालक पासी—

जी हां ।

जी हां ।

श्री अजीम बख्श के मामले में विभागीय अन्तिम जांच पूर्ण हो गई है । जांच के निष्कर्षों के अनुसार श्री

अजीम बख्श के प्रत्यावेदन में उल्लिखित तथ्य आधारहीन एवं असत्य पाये गये हैं ।

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में छात्रों के प्रवेश सम्बन्धी शिकायती-पत्र तथा कार्यवाहक कुलपति, डा0 कीर्ति सिंह के विरुद्ध आरोपों की जांच

62—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में छात्रों के प्रवेश सम्बन्धी शिकायती-पत्र दिनांक 6-8-85 के क्रम में संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, लखनऊ को प्राप्त सन्दर्भित अर्ध शासकीय पत्र सं0 129-बी/12-8-85, दिनांक 8-8-85 की किन-किन बिन्दुओं पर जांच करायी गयी है तथा अब तक की जांच आख्या क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद में अनुसूचित जाति के छात्रों के प्रवेश में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी । जांच के पश्चात् यह पाया गया कि अनुसूचित जाति के छात्रों का प्रवेश हेतु चयन, नियमानुसार, आरक्षण के प्रतिशत, वरीयता क्रम तथा विषय को ध्यान में रखते हुए किया गया । अनसूचित जाति के उन सभी छात्रों ने जिनका चयन, प्रवेश हेतु किया गया था, अपना रजिस्ट्रेशन चालू वर्ष में करजा लिया है तथा उनकी पढ़ाई सचारु रूप से चल रही है । इस सम्बन्ध में की गई शिकायत निराधार है ।

63—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कार्यवाहक कुलपति, डा0 कीर्ति सिंह के विरुद्ध गंभीर आरोपों विषयक शिकायती-पत्र दिनांक 28 जून, 1984 के क्रम में सचिव, मुख्य मंत्री के पत्र संख्या एम-2-19-43/फै0—सी0 एम0-2-85, दिनांक 2 जुलाई, 1985 के किन-किन बिन्दुओं पर जांच करायी गयी तथा अब तक की जांच आख्या क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

शिकायती-पत्र में दिये गये सभी बिन्दुओं पर जांच कराई गयी तथा शिकायतें सही नहीं पाई गईं ।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में नियुक्तियों हेतु गठित चयन समिति में अनुसूचित जाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व

64—श्री मित्रसेन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 में प्रदेश के मेडिकल कालेजों में शासनादेश के अनुसार गठित नियुक्तियों के संबंध में चयन समिति ने अनुसूचित जाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है तथा क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के पात्र अभ्यर्थियों के होते हुए आरक्षित कोटे को पूरा नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

एतद्विषयक शासनादेश में व्यवस्था है कि चयन समिति में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि के रखने का यथासम्भव प्रयास किया जाय । शैक्षणिक पदों पर तदर्थ नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में अनुसूचित जाति के उपयुक्त एवं अपेक्षतायें पूर्ण करने वाले अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण विवशता हो जाती है । अनसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को राजकीय मेडिकल कालेजों में हुई रिक्तियों में नियमा-

नुसार आरक्षण का लाभ देना होता है । जहां उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं होते वहां ऐसे पदों को रिक्तियों को सामान्य अभ्यर्थियों से भरना पड़ता है ताकि कालेजों का कार्य सुचारू रूप से चल सके । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

प्रसार निदेशक, कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद की यात्राओं व भत्तों का विवरण तथा भुगतान

65—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रसार निदेशक कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद ने मार्च, 1985 से मार्च, 1986 तक कितनी यात्राएं कहां-कहां किस-किस सवारी से की है और कुल कितने रुपये यात्रा तथा आवासी भत्ता भुगतान किया गया ? पूरे वर्ष भर में कितनी धनराशि आवागमन तथा यात्रा भत्ता डीजल, पेट्रोल तथा आवासीय व्यवस्था में व्यय की गयी ? उन्होंने कितने दिन परिसर विश्वविद्यालय, कुमारगंज में काम किया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

प्रसार निदेशक, कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद ने मार्च, 1986 तक दिल्ली, बम्बई, कानूर एवं फैजाबाद, वाराणसी तथा गोरखपुर मण्डल के 15 जिलों की कुल 94 यात्राएं की । उक्त यात्राओं में से दिल्ली, बम्बई एवं कानूर की रेल व वायुयान द्वारा तथा शेष अन्य यात्राएं विश्वविद्यालय के वाहन से की गयी । इस प्रकार की गयी यात्राओं पर कुल रुपये 14,340·43 पैसे का भुगतान किया गया । आवासीय भत्ता का कोई भुगतान नहीं किया गया ।

डीजल, पेट्रोल पर कुल 15,800 रुपये का व्यय अनुमानित है ।

उन्होंने पूरे वर्ष में 94 यात्राओं में से 59 दिन रात्रि विश्राम किया तथा शेष 306 दिन विश्वविद्यालय परिसर में रहकर काम किया ।

व्यावसायिक ब्लड डोनर्स का बिचौलियों द्वारा शोषण

66—श्री मित्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि रक्तदान के नाम पर व्यावसायिक ब्लड डोनर्स का बिचौलियों द्वारा सरकारी अस्पतालों की लापरवाही से शोषण किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार इसके रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है ? क्या यह भी सत्य है कि राजधानी लखनऊ में इस प्रकार के व्यवसाय करने वालों का कोई मामला प्रकाश में आया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

67—श्री मित्रसेन—

[स्वायत्त शासित संस्था से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

कृषि एवं प्रो0 विश्वविद्यालय के टीचिंग/रिसर्च/एक्सटेंशन पदों की चयन समिति में विभागाध्यक्ष की अनिवार्यता

68—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि कृषि एवं प्रो0 विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम 1958 चैप्टर 13 में इस बात का प्राविधान है कि अध्यापक के टीचिंग/रिसर्च/इक्सटेंशन के समस्त पद जिनका वेतन रु0 1250 से ऊपर है, की चयन समिति में विभागाध्यक्ष का, एक सदस्य के रूप में होना अनिवार्य है ? क्या कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के वरिष्ठ विभागाध्यक्ष प्रो0 ए0 एस0 वार्सी ने इस विषय में कोई आवेदन-पत्र कुलाधिपति एवं प्रबन्धक समिति के सदस्यों को दिया था ? उस

पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

आवेदन-पत्र में दर्शाये गये तथ्य बल-हीन पाये गये । अतः उसे निरस्त कर दिया गया ।

प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में नये सृजित पदों पर शासन की स्वीकृति व नियुक्तियां

69—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0 3216/12-8-84-400 (42)/77 दिनांक 18 अगस्त, 1984 में इस बात का उल्लेख था कि प्रदेश के तीनों कृषि विद्यालयों में जो भी नये पद सृजित किये जायं उन पर शासन की स्वीकृति प्राप्त किया जाय ? उक्त तिथि के बाद नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रो0 विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कितने पद सृजित किये गये, उनमें से कितने पर नियुक्तियां की गयी और कितने रिक्त हैं ? क्या इन पर शासन की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

उक्त तिथि के बाद नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में 115 नये पदों का सृजन हुआ, 18 पदों पर नियुक्तियां की गयी तथा 97 पद रिक्त हैं ।

उक्त पदों के सृजन के बारे में शासन की पूर्व अनुमति नहीं प्राप्त की गयी । अब विश्वविद्यालय ने शासन के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजा है ।

राजकीय बीज सम्वर्धन प्रक्षेत्र, बड़ाबाग, जनपद गाजीपुर में हुई हानि की जांच

70—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1974-75 में राजकीय बीज संवर्धन प्रक्षेत्र बड़ाबाग जनपद गाजीपुर पर जो हानि हुई थी उसकी 1979-80 के लगभग जांच कराने पर तत्कालीन अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी श्री राम यज्ञ शुक्ला को उत्तरदायी ठहराया गया था ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

यश पेपरमिल, दर्शन नगर, फैजाबाद द्वारा जल प्रदूषण

71—श्री मित्रसेन—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 1ले गुरु के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 83 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दर्शन नगर जनपद फैजाबाद स्थित यश पेपर मिल के प्रदूषित जल निकासी की क्या व्यवस्था है ? क्या वह जल कई गांवों से होकर जाता है जिसके पीने से जानवर तथा आदमियों के स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो प्रदूषण की रोकथाम हेतु यथोचित कौन-कौन से निर्देश कब और किसको दिये गये हैं ? उसके परिपालन में प्रदूषण से जनजीवन तथा ग्रामीण लोगों एवं पशुओं की रक्षा हेतु कौन सी कार्यवाही सुनिश्चित की गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

दर्शन नगर जनपद फैजाबाद स्थित यश पेपर मिल का प्रदूषित जल वर्तमान में

उद्योग के परिसर के समीप बहने वाले नाले में निस्तारित किया जाता है जो अन्ततः घाघरा (सरयू) नदी में मिलता है । जल नाले द्वारा कई गांवों से होकर बहता है ।

जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण बोर्ड द्वारा यश पेपर मिल को जल प्रदूषण की उचित व्यवस्था के लिए निर्देश दिये गये है । इन निर्देशों के अनुपालन में यश पेपर मिल द्वारा प्राइमरी ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगा लिया गया है तथा सेकेन्ड्री ट्रीटमेन्ट के लिए कार्य प्रगति पर है जिसके दिसम्बर, 1986 तक पूर्ण हो जाने की आशा है । उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रथम, फैजाबाद ने प्रदूषित जल का नमूना प्राइमरी ट्रीटमेन्ट देने के बाद लिया और जांच हेतु राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ को भेजा था, जांचोपरान्त उसमें कोई भी विषाक्त पदार्थ नहीं पाये गये ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैजाबाद तथा आई0 एच0 ओ0, कानपुर ने मौके का मुआयना किया और गांववासियों से पूछताछ की । ग्रामवासियों ने प्रदूषित जल से किसी बीमारी के होने की शिकायत नहीं की । इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुरा बाजार तथा पशुधन अधिकारी, फैजाबाद से भी उस जल से आदमियों तथा जानवरों में किसी बीमारी होने की सूचना नहीं मिली है ।

हाथरस, जनपद अलीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र की भूमि की बिक्री

72—डाक्टर बंगाली सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के हाथरस नगर में जो औद्योगिक क्षेत्र है, इस जमीन पर उद्योग न लगाकर उद्योगपति भारी मुनाफे में जमीन बेंच रहे हैं ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद अलीगढ़ के हाथरस नगर में कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, केवल एक औद्योगिक आस्थान है जिसमें लीज पर भूखण्ड आवंटित किये गये है । किसी भी भूखण्ड का विक्रय किसी उद्योगपति द्वारा नहीं किया गया है ।

श्री राम नारायण सिंह, उप निदेशक (कृषि रक्षा) लखनऊ के निलम्बन की मांग

73—श्री मूलचन्द—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि श्री राम नारायण सिंह, उप निदेशक (कृषि रक्षा) लखनऊ को टी0 एण्ड बी0 योजना के सृजन के बाद उक्त पद से क्यों नहीं हटाया गया है जबकि यह पद ही समाप्त हो गया है और कृषि निदेशक ने फरवरी, 1986 में इन्हें हटाने की स्पष्ट संस्तुति की थी ? श्री सिंह वाराणसी में तैनात रहते हुए जब अगस्त 1981 में सरकारी जीप सहित वन विभाग द्वारा गिरफ्तार व दण्डित हुए थे उन्हें अभी तक निलम्बित न किये जाने के क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

टी0 एण्ड बी0 योजना के अन्तर्गत विषयवस्तु विशेषज्ञ का एक पद इस अभ्युक्ति के साथ सृजित किया गया था कि उप कृषि निदेशक, कृषि रक्षा का मुख्यालय पर उपलब्ध पद आस्थगित रखा जायेगा । यह सृजित पद अभी तक भरा नहीं गया है । इसी बीच कथित आस्थगित पद को पुनर्जीवित करके पूर्ववत् बने रहने की स्वीकृति प्रदान की गयी है । अतः प्रश्नगत पद के धारक श्री राम नारायण सिंह को हटाने का प्रश्न नहीं उठता । फरवरी, 1986 में कृषि निदेशक ने इन्हें हटाने की कोई संस्तुति नहीं की थी । श्री सिंह अगस्त 1981 में वन विभाग द्वारा गिरफ्तार

नहीं किये गये थे, अतः उन्हें निलंबित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरिशंकर क्षेत्र परिचालक के वेतन का भुगतान

74—श्री अवनीश कुमार सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 1124/11 (9)-1531/79, दिनांक 4-7-80 के द्वारा श्री हरिशंकर क्षेत्र परिचालक की सेवा समाप्ति के आदेश जिसे कि कृषि रक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर ने जारी किया था निरस्त कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो श्री हरिशंकर को मार्च 1971 से अब तक का वेतन किस आधार पर नहीं दिया गया है ?

श्री शिव बालक पासी—

जी हां ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के अन्तर्गत सचिव, सुपरवाइजर व अमीन पदों हेतु साक्षात्कार

75—श्री हरिशंकर तिवारी—

क्या कृषि मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि गत 28-8-84 को दैनिक जागरण में प्रकाशित राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के विज्ञापन के अन्तर्गत सचिव श्रेणी 1 तथा 4 व सुपरवाइजर तथा अमीन आदि पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षाओं के परिणाम दिनांक 7/8 अगस्त, 1985 को घोषित हो जाने के बाद भी साक्षात्कार की तिथियां अभी तक घोषित नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सचिव श्रेणी-1 के अतिरिक्त सभी पदों हेतु साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है । सचिव श्रेणी-1 का साक्षात्कार भी शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जायेगा ।

सिंचाई विभाग के छटनी शुदा सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों को कृषि विभाग में समायोजन किये जाने की मांग

76—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के प्रथम गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्न-कर्ता द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0 10 के उत्तर के संबंध में क्या कृषि मंत्री कृपया बताएंगे कि जिन शेष कर्मचारियों को उनके अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त नियुक्ति करना बताया गया है उनमें से कितनों का परीक्षण करके अब तक नियुक्ति की जा चुकी है ?

श्री शिव बालक पासी—

कुल 452 कृषि स्नातकों की नियुक्ति के बाद अभी तक उक्त शेष सिंचाई विभाग के छटनी शुदा कर्मचारियों में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकी है क्योंकि कृषि विभाग में कतिपय योजनाओं की समाप्ति के फलस्वरूप हुये फालतू कर्मचारियों को समायोजित किया गया है और वर्तमान में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3 में पद रिक्त नहीं है । भविष्य में रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर सिंचाई विभाग के उक्त छटनी शुदा कर्मचारियों का समायोजन किया जायेगा ।

77—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[दिनांक 8-9-86 को अता0 प्र0 सं0 193 द्वारा उत्तरित]

ज्येष्ठ मलेरिया निरीक्षक एवं मलेरिया निरीक्षक के उत्तरदायित्व, वेतनमान में असमानता, सर्वेलेन्स निरीक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर मलेरिया निरीक्षक के पद पर स्थानान्तरण

78-80—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि ज्येष्ठ मलेरिया निरीक्षक

एवं मलेरिया निरीक्षक के उत्तरदायित्व समान हैं ? यदि हां, तो उनके वेतन-मान में असमानता क्यों जब कि वेतन आयोग 1979 ने दोनों पदों के लिये समान वेतनमान की संस्तुति की है ?

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि पत्रांक/माल/ए/78×11424, दिनांक लखनऊ जून 15, 1978 के क्रम में कुछ सर्वेलेन्स निरीक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर उसी वेतन क्रम में मलेरिया निरीक्षक के पद पर कार्य करने हेतु स्थानान्तरित किया था ? यदि हां, तो वरिष्ठ होते हुए भी उन्हें अभी तक स्थायी क्यों नहीं किया गया है जब कि उनसे कनिष्ठ सर्वेलेन्स निरीक्षकों (मलेरिया) को स्थायी करके उन्हें उच्च वेतनमान भी दिया गया है ?

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जो ज्येष्ठ सर्वेलेन्स निरीक्षकों से 1978 में मलेरिया निरीक्षक पदों में स्थानान्तरित किये गये हैं उन्हें उच्च वेतनमान समयबद्ध वेतनमान एवं प्रोन्नति वेतन एवं पदोन्नति क्यों नहीं किया गया जबकि इन निरीक्षकों को बहुउद्देशीय स्वास्थ्य योजना में भी दीक्षित किया गया है, ऐसा क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

81—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[दिनांक 8-9-86 को अता0 प्र0 सं0 194 द्वारा उत्तरित]

जी0 बी0 पन्त विश्वविद्यालय, पन्तनगर के कृषि फार्म में घाटे की जांच

82—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जी0 बी0 पन्त वि0 वि0, पन्तनगर, नैनीताल के कृषि फार्म से लाभ प्रतिवर्ष कम होता जा रहा है एवं गत वर्ष लाखों का घाटा हुआ है ? यदि हां, तो घाटे के क्या कारण हैं ? क्या सरकार जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं । अभी गत वर्ष की बैलेन्स-शीट नहीं बनी है, फिर भी कोई घाटा अनुमानित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 आर0 एन0 सक्सेना, लेक्चरर स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, झांसी को पेंशन व ग्रेच्युटी आदि का लाभ न मिलना

83—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि डा0 आर0 एन0 सक्सेना, लेक्चरर/स्टेड, आयुर्वेदिक कालेज, झांसी में शरीर विज्ञान में लेक्चरर के पद पर कार्यरत थे, ने जून, 1975 में अवकाश ग्रहण कर लिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने 10 अक्तूबर, 1974 को कालेज को अधिग्रहण कर लिया एवं समस्त स्टाफ जो कि एडहाक बेसिस पर कार्य कर रहा था को 76-77 तक स्थायी कर दिया और सभी को पेन्शन आदि के लाभ मिलने लगे किन्तु डा0 सक्सेना जिन्होंने एक वर्ष ही पूर्व अवकाश ग्रहण कर लिया था को सभी लाभों से वंचित रखा गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री डा0 आर0 एन0 सक्सेना को भी पेंशन ग्रेच्युटी आदि का लाभ दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

पदों के स्थायी होने और उसके विरुद्ध कर्मचारी के स्थायी होने पर ही नियमानुसार पेंशन अनुमन्य होगी ।

कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर द्वारा इंग्लैण्ड से आयात किये गये कथित ट्रैक्टर

84—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1982 में पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के फार्म द्वारा 12 फोर्ड ट्रैक्टरों का इंग्लैण्ड से आयात कराया गया था किन्तु रिमोट कन्ट्रोल के आयात न किये जाने के कारण ट्रैक्टर 2 वर्ष से बेकार खड़े रहे, जिससे फार्म को भारी आर्थिक हानि हुई ? यदि हां, तो इस प्रकरण की जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

वर्ष 1982 में इंग्लैण्ड से कोई ट्रैक्टर आयात नहीं किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सी0 पी0 एम0 टी0 में सफल छात्र श्री प्रदीप कुमार को आयुर्वेदिक कालेज में प्रवेश दिये जाने के आदेश

85—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1985 में सम्पन्न सी0 पी0 एम0 टी0 में एक छात्र प्रदीप कुमार, रोल नम्बर 20385 जिसको स्क्रूटनी के बाद अंक तालिका में 535 अंक मिले हैं, को आयुर्वेदिक कालेज में प्रवेश नहीं दिया गया है जबकि 468 अंक प्राप्त करने वालों को प्रवेश दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त विद्यार्थी की दोनों अंक तालिकाएं सदन के पटल पर रखेंगे एवं श्री प्रदीप कुमार को अविलम्ब प्रवेश दिलायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वर्ष 1985 में सम्पन्न सी0 पी0 एम0 टी0 में श्री प्रदीप कुमार रोल नं0 20385 को स्कुटनी के बाद 535 अंक मिले और उन्हें आयुर्वेदिक कालेज, बरेली में प्रवेश के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तानपुर के ग्राम सभा फूलपुर में कृषकों को खाद का वितरण

86—श्री धनराज यादव—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जनपद के विकास खण्ड कूड़भार के ग्राम सभा फूलपुर में चालू वित्तीय वर्ष के रबी अभियान में छोटे-छोटे किसानों को जो खाद वितरित की गयी थी, उनमें शिवसरन सुत सोमन राम निहाज सुत दातादीन, ठाकुरदीन मौर्य, राम खेलावन, जगन्नाथ एवं राम मिलन का नाम भी खाद प्राप्त करने वालों की सूची में है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त 6 व्यक्ति जिन्दा हैं या मर चुके हैं ? यदि मर चुके हैं तो इन्हें प्रमाणित करने वाले उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर मण्डल के अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 के सदस्यों को समयबद्ध वेतनमान की सुविधा

87—श्री धनराज यादव—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 1985 में कोई शासनादेश

प्राप्त है कि राजकीय कर्मचारी को समयबद्ध वेतनमान 10 वर्ष की नियमित सेवा पर दिया जाय ? यदि हां, तो गोरखपुर मण्डल के कितने अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 के सदस्यों में से किन-किन लोगों को उपरोक्त शासनादेश के तहत सुविधा दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव बालक पासी—

जी हां ।

गोरखपुर मण्डल में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 के 62 नियमित पात्र सदस्यों को समयबद्ध वेतनमान का लाभ दिया गया है जिनकी सूची संलग्न है ।

उ0 प्र0 बीज एवं तराई विकास निगम के जनरल मैनेजर श्री एस0 बी0 सिंह को प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्ति

88—श्री धनराज यादव—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 बीज एवं तराई विकास निगम के 1974 में पुनर्गठन के समय यह निर्णय लिया गया था कि उक्त निगम का अध्यक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त होंगे तथा प्रबन्ध निदेशक के पद पर कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक स्तर के अधिकारी नियुक्त होंगे ? यदि हां, तो श्री एस0 बी0 सिंह, जो उक्त निगम के जनरल मैनेजर थे को प्रबन्ध निदेशक के पद पर किन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति दी गई ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम का पुनर्गठन 1978 में किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि उक्त निगम का अध्यक्ष कुलपति कृषि विश्वविद्यालय अथवा कृषि उत्पादन आयुक्त या कृषि सचिव होंगे तथा प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार एवं निगम के निदेशक मण्डल की सहमति से की जायेगी ।

उक्त निगम में प्रबन्ध निदेशक के पद पर डा0 एस0 बी0 सिंह, जो सामान्य प्रबन्धक के पद पर कार्यरत रहे हैं, को कार्यहित में अग्रिम नियमित व्यवस्था होने तक नियुक्त किया गया है । यह व्यवस्था पूर्णरूपेण अन्तरिम है ।

89-91—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[दिनांक 4-9-86 की अता0 प्र0 सं0 113, 114 व 115 द्वारा उत्तरित]

राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला उ0 प्र0 लखनऊ में प्राइवेट नमूनों की जांच के शुल्क में से अराजपत्रित कर्मचारियों के अंश का वितरण

92—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में प्राप्त प्राइवेट नमूनों की जांच का शुल्क अराजपत्रित कर्मचारियों के अंश का भुगतान दिसम्बर 1966 से दिसम्बर, 1977 तक किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और इसका भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, उ0 प्र0, लखनऊ में प्राइवेट नमूनों की जांच के शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि में से अराजपत्रित कर्मचारियों के अंश का वितरण प्रश्नगत अवधि में उन्हें पूर्णरूप से नहीं किया जा सका है । उक्त धनराशि राजकोष में जमा है जिसे वितरण हेतु निकालने के लिए वित्तीय औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही हैं । औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर ही अराजपत्रित कर्मचारियों के अंश का भुगतान सम्भव हो पायेगा ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 181 पर ।)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धगवां, हमीरपुर की जीप की बाडी में परिवर्तन

93—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धगवां (असरौली), जिला हमीरपुर की जीप फाइवर की बन्द बाडी की थी परन्तु वर्तमान में उस जीप पर लोहे की बाडी रखी है ? यदि हां, तो उक्त जीप की फाइवर बाडी के स्थान लोहे की बाडी कैसे हो गई, की जांच करा कर सदन को अवगत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धगवां (अतरौली) जिला हमीरपुर की वाहन संख्या–यू0 एच0 एफ0 3267 (जीप) पर फाइवर बाडी थी । दिनांक 20-4-84 को दुर्घटना-ग्रस्त होने के कारण फाइवर बाडी टूट गई थी अत: उस वाहन पर कैनवस हुड लगाया गया । इसलिए संदर्भित प्रकरण में जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

झांसी जनपद के उप मण्डी स्थल समथर, पूंछ व एरच हेतु भूमि की खरीद

94—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद के सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित उप मण्डी स्थल समथर पूंछ तथा एरच हेतु भूमि क्रय कर ली गयी ? यदि हां, तो इनका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या शासन इसी वर्ष भूमि क्रय कर लेने हेतु आदेश करेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

उप मण्डी स्थल, समथर के निर्माणार्थ चयनित भूमि हरिजन की होने तथा हरिजन व्यक्ति के पास मात्र एक एकड़ भूमि होने के कारण भूमि विक्रय का प्रकरण न्यायालय में लम्बित है । निर्णय उपरान्त भूमि क्रय के संदर्भ में अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी एवं तदुपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

उप मण्डी स्थल पूंछ के निर्माणार्थ ग्राम समाज की भूमि प्राप्त हो चुकी है जिसे मण्डी समिति के नाम दर्ज कराने की कार्यवाही चल रही है । भूमि नियमानुसार मण्डी समिति के नाम दर्ज होने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सकेगा ।

उप मण्डी स्थल एरच हेतु भूमि चयनित कर ली गयी है । क्रय की कार्यवाही चल रही है । भूमि क्रय करने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

95—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

96—श्री सरदार सिंह—

[पुनरावृति के आधार पर पर निरस्त]

97—श्री सरदार सिंह—

[पुनरावृति के आधार पर निरस्त]

थाना नरहौली का मथुरा कृषि उत्पादन मण्डी की दूकानों में स्थानान्तरण

98—श्री सरदार सिंह—

क्या कृषि मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा कृषि उत्पादन मण्डी की कुछ दुकानें पुलिस थाने को दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन अविलम्ब दुकानों को खाली कराके थाने की अन्यत्र व्यवस्था करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां । मण्डी समिति की शान्ति एवं सुरक्षा के लिए 4 दुकानों में थाना

नरहौली स्थानान्तरित किया गया है। थाना नरहौली के भवन निर्माण होते ही मंडी समिति की दुकानों से थाने को नये भवन में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

मिर्जापुर की तहसील में विन्ध्या होटल प्रा0 लि0 को पायनियर इकाई की सुविधा

99—श्री भगवती प्रसाद चौधरी—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मिर्जापुर की तहसील जो उद्योग विभाग द्वारा जीरो इण्डस्ट्रीज क्षेत्र घोषित है, में स्थापित किये जाने वाले प्रथम होटल विन्ध्या होटल प्रा0 लि0 को पायनियर इकाई की सुविधा दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो कब तक दिया जायेगा ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-2-86 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

पायनियर इकाई की सुविधा होटल को अनुमन्य नहीं है।

जी हां। पत्र का समुचित उत्तर दिया जा चुका है।

राजकीय अस्पताल नसीठी, जिला मथुरा में चिकित्सक, नर्स व अन्य स्टाफ की नियुक्ति

100—श्री सरदार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में है कि राजकीय अस्पताल नसीठी जिला मथुरा के अस्पताल में गत पांच वर्षों से चिकित्सक एवं नर्स की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में अभी तक उक्त अस्पताल में डाक्टर एवं नर्स की नियुक्ति नहीं हुई है ? क्या शासन अविलम्ब डाक्टर, नर्स एवं अन्य स्टाफ इस अस्पताल में भिजवाने का कष्ट करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

ग्राम नसीठी जनपद मथुरा में कोई भी राजकीय अस्पताल नहीं है। अतः उसमें किसी डाक्टर, नर्स व अन्य स्टाफ की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

डा0 आदित्यनाथ मिश्र, प्राचार्य राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गाजीपुर द्वारा दायर याचिका पर उच्च न्यायालय का निर्णय

101—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा0 आदित्य नाथ मिश्र प्राचार्य राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गाजीपुर द्वारा दायर याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय के अनुसार डा0 राम अवध सिंह तात्कालिक प्राचार्य को राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गाजीपुर में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए ? यदि हां, तो डा0 आदित्यनाथ मिश्र की तदर्थ नियुक्ति करने का क्या औचित्य है ? क्या यह भी सत्य है कि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध डा0 राम अवध सिंह को प्राचार्य के पद पर राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में स्थानान्तरित करके सेवा में बनाये रखा गया है ? यदि हां, तो औचित्य क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रश्नगत रिट याचिका संख्या 7085/81, डा0 ए0 एन0 मिश्रा बनाम जिलाधिकारी/प्रशासक, गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गाजीपुर तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 8-1-85 के विरोध में डा0 राम अवध सिंह, जो उक्त रिट याचिका में प्रति-

वादी थे, के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस 0एल0 पी0 सं0-993/85 डा0 राम अवध सिंह बनाम डा0 ए0 एन0 मिश्रा तथा अन्य प्रस्तुत की गई है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विचारार्थ स्वीकार कर लिया है । इस प्रकार यह मामला अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रयोगशाला प्राविधिक प्रसूति गृह रेडक्रास कैसरबाग लखनऊ के प्रोगशाला प्राविधिज्ञ श्री राम गुलाम के बकाया वेतन व बोनस का भुगतान

102—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रयोगशाला प्राविधिक प्रसूति गृह रेडक्रास, कैसरबाग, लखनऊ में कार्यरत श्री राम गुलाम प्रयोगशाला प्राविधिक के पद पर कार्यरत कर्मचारी को नवम्बर 85 से अब तक का वेतन व बोनस दिलाने के संबंध में श्री कल्याण सिंह सदस्य विधान सभा द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 2-1-86 को स्वास्थ्य मंत्री/सचिव/ निदेशक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक की बकाया धनराशि का भुगतान कब तक कराया जायेगा ? और यदि भुगतान कर दिया गया है तो विलम्ब के क्या कारण थे और इस विलम्ब करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

श्री राम गुलाम प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ को अवशेष वेतन का भुगतान दिनांक 4 मार्च, 1986 को किया जा चुका है । बोनस का भी भुगतान उन्हें 8-5-1986 को कर दिया गया है ।

भुगतान में हुये विलम्ब का कारण यह था कि जिस पद पर श्री राम गुलाम का स्थानान्तरण किया गया था उस पद पर कार्यरत प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ श्री अशर्फी लाल का स्थानान्तरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया था । चूंकि श्री राम गुलाम अपने स्थानान्तरित पद पर कार्यभार ग्रहण कर चुके थे और एक पद के विरुद्ध दो प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ का वेतन आहरित नहीं किया जा सकता था, इसलिये सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशालय से निर्देश प्राप्त किये गये जिसमें कुछ देरी लग जाना स्वाभाविक था । विलम्ब के लिये कोई कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का आधार उपलब्ध नहीं है ।

जनपद फर्रुखाबाद की औद्योगिक इकाइयों को एन0 डी0 ओ0 तथा फर्नेश आयल का आवंटन व इन इकाइयों का टर्न ओवर

103—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के वर्ष 1984-85 व 1985-86 में किस-किस औद्योगिक इकाई को कितना एल0 डी0 ओ0 व फर्नेश आयल दिया गया ? उक्त औद्योगिक इकाइयों का उक्त दो वर्षों का टर्न-ओवर क्या रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद फर्रुखाबाद की इकाईयों को वर्ष 1984-85 व 1985-86 में एल0 डी 0ओ0 नहीं आवंटित किया गया । फर्नेश आयल मात्र मेसर्स मदन फर्टिलाइजर कम्पनी, वेवर रोड, फतेहगढ़ को निम्न अनुसार प्राप्त हुआ ।

वर्ष	प्राप्ति मात्रा
1984-85	86 कि0 ली0
1985-86	60 कि0 ली0

उक्त इकाई का टर्नओवर निम्न अनुसार रहा ।

वर्ष	टर्नओवर (लाख रु0 में)
1984-85	84.00
1985-86	41.08

जनपद आजमगढ़ की उद्योग सलाहकार समिति के सदस्यों का विवरण

104—श्री मोहम्मद मसूद खां—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कोई उद्योग सलाहकार समिति गठित है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन सदस्य है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

समिति में निम्नलिखित सदस्य है :—

1—जिले के समस्त संसद सदस्य/विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्य ।

2—जिलाधिकारी ।

3—जिला विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) ।

4—परियेजना निदेशक-कम-अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना) ।

5—प्रभागीय वन अधिकारी ।

6—विद्युत खण्ड के अधिकारी ।

7—प्रतिनिधि, जल निगम् ।

8—जिला बिक्रीकर अधिकारी ।

9—अधिशासी अधिकारी/नगरपालिका/नगर महापालिका ।

10—शासन द्वारा नामांकित 7 से 15 तक अशासकीय सदस्य :—

1. श्री सरफराज अहमद, पुत्र श्री सुल्तान अहमद कस्बा-मुहम्मदाबाद, गोहना, आजमगढ़ ।

2. श्री मुश्ताक अहमद कार, निवासी दानिश कदा गली, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़

3. श्री शिवरूप सिंह, ग्राम व पोस्ट-बस्ती, जिला आजमगढ़ ।

11—प्रतिनिधि, लीड बैंक ।

12—लघु उद्योग सेवा संस्थान के प्रतिनिधि ।

13—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई0 टी0 आई0) के एक-एक प्रतिनिधि ।

14. जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, खादी बोर्ड ।

15—जनरल मैनेजर जिला उद्योग केन्द्र, सदस्य सचिव ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य विभाग की नीलाम की गयी गाड़ियों का विवरण

105—यदुनाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि उनके विभाग में यू0 टी0 डी0 4878, यू0 टी0 डी0 4074 व यू0 टी0 डी0 4073 व यू0 टी0 डी0 4077 गाड़ियां वर्ष 1985 में नीलाम कर दी गयी है ? यदि हां, तब माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन गाड़ियों का नीलाम किस दिन हुआ और किन-किन को बेची गयीं ? ये गाड़ियां कब खरीदी गयीं और किस-किस प्रयोग में लायी गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वाहन संख्या यू0 टी0 डी0 4878 को छोड़कर सभी गाड़ियां 5-12-85 को नीलाम कर दी गयी है । वाहन संख्या यू0 टी0 डी0 4074 श्री सत्य नारायण गुप्ता, जौनपुर, वाहन संख्या-यू0 टी0 डी0 4073 श्री अगनू राम, वाराणसी तथा यू0 टी0 डी0 4077 श्री देवेन्द्र सिंह, कानपुर को बेची गयी है । यू0 टी0 डी0 4878 निष्प्रयोज्य घोषित नहीं हुई है अतः उसके नीलाम किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

वाहन संख्या यू 0टी0 डी0 4077, 4074 तथा 4073, 30-6-71 को भारत सरकार से प्राप्त हुई तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम में प्रयोग में रही। वाहन संख्या यू0 टी0 डी0 4878 यूनिसेफ से 7-11-73 को प्राप्त हुई और जनपद गोन्डा में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम में लगी हुई हैं।

जनपद हरदोई में नयी औद्योगिक इकाइयों के स्थाई पंजीयन में अनियमितताओं की जांच

106—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि माह अगस्त, सितम्बर, 1985 में रेलवेगंज, हरदोई, निवासी श्री वी0 पी0 पान्डे ने जिलाधिकारी को गलत तरीके से नयी औद्योगिक इकाइयों के स्थायी पंजीयन के बारे में शिकायत की थी ? यदि हां, तो इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी ? किस अधिकारी ने जांच की थी और जांच रिपोर्ट में क्या पाया गया ? कि क्या इन इकाइयों का बिक्रीकर विभाग में भी पंजीयन हो गया था ? यदि शिकायत गलत पायी गयी तब क्या शिकाकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मै0 दुर्गा उद्योग ग्राम हैतमपुर के पंजीयन संबंधी शिकायत श्री वी0 पी0 पाण्डेय, रेलवेगंज, हरदोई द्वारा जिलाधिकारी, हरदोई को की गई थी, जिस पर उन्होंने मामले की जांच श्री के0 एस0 भटनागर, डिप्टी कलेक्टर हरदोई से कराई।

2. प्राथमिक जांच के आधार पर जिला उद्योग केन्द्र, हरदोई के लिपिक श्री आर0 के0 गुप्ता व संबंधित सहायक प्रबंधक श्री आशाराम सेन को निलम्बित करते हुए विभागीय जांच हेतु श्री टी0 एन0 बोस तत्कालीन सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र हरदोई को नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी श्री बोस का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण जांच पूर्ण न हो सकी।

3. तत्पश्चात् प्रभारी सामान्य प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, हरदोई द्वारा की गई विभागीय जांच में श्री आर0 के0 गुप्ता, वरिष्ठ लिपिक, जिला उद्योग केन्द्र, हरदोई का आरोप सिद्ध न होने के कारण दोषमुक्त करते हुए संयुक्त उद्योग निदेशक, लखनऊ मंडल, द्वारा उन्हें बहाल किया गया।

4. श्री सेन का निलम्बन शासनादेश सं0 7/2/78-कार्मिक-1, दिनांक 18-7-79 के प्राविधानों के अनुसार समाप्त कर दिया गया तथा मामले की जांच सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, लखनऊ को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

5. इकाई का बिक्रीकर विभाग में पंजीयन नहीं हुआ है।

6. श्री सेन की जांच आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों को परिवार कल्याण कार्यक्रम में सहयोग देने के आदेश

107—हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजाज्ञा के विरुद्ध प्रान्तीयकृत होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों पर परिवार कल्याण कार्यक्रम थोपने के लिये दोषी निदेशक के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

माननीय विधायक द्वारा प्रश्नगत राजाज्ञा का अपने प्रश्न में पूर्ण सन्दर्भ नहीं दिया

गया है । ऐसी कोई राजाज्ञा नहीं है जिसमें यह निर्देश दिये गये हों होम्यो-पैथिक मेडिकल कालेजों से यह कार्य नहीं कराया जाए वास्तव में यह आदेश है कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में उनको भी सहयोग देना है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जनपद के ग्राम छतवा निवासी श्री भास्कर प्रसाद को ऋण का वितरण

108—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के विकास खण्ड बांसी के ग्राम छतवा के निवासी श्री भास्कर प्रसाद जो कि एक शिक्षित बेरोजगार है का नाम वर्ष 84-85 में ऋण प्राप्त करने हेतु, जिला उद्योग कार्या-लय बस्ती से चयनित होकर भारतीय स्टेट बैंक बांसी को भेजा गया को अब तक ऋण न मिलने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम छतवा विकास खण्ड बांसी जिला बस्ती के निवासी श्री भास्कर प्रसाद पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद को शिक्षित बेरोजगार योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत करके वितरित किया जा चुका है ।

जनपद बस्ती में परिवार कल्याण विभाग के जिला प्रसार शिक्षक श्री वी0 पी0 श्रीवास्तव के वेतन भुगतान पर रोक

109—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में परिवार कल्याण विभाग मे कार्यरत श्री वी0 पी0 श्रीवास्तव, जिला प्रसार शिक्षक का वेतन अगस्त, 1985 से जनवरी, 1986 तक रोका गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

श्री वी0 पी0 श्रीवास्तव, जिला प्रसार शिक्षक को प्रश्नगत अवधि में माह सित-म्बर, 1985 को छोड़कर शेष सभी माहों का वेतन भुगतान रोका गया है ।

श्रीवास्तव का माह अगस्त, 1985 का वेतन भुगतान उनके बिना किसी पूर्व सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति रहने के कारण रोका गया माह अक्टूबर, 1985 से जनवरी 1986 की अवधि का वेतन भुगतान शासनादेश दिनांक 30-9-1982 में निहित निर्देशानुसार बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये मुख्या-लय पर निवास न करने के कारण अनु-पस्थिति मानकर रोका गया है ।

जनपद बस्ती में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति व वेतन वृद्धि रोकने का विवरण

110—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 85-86 में बस्ती जनपद में कार्यरत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कितने अधिकारी एवं कर्म-चारियों की सेवायें समाप्त की गयीं, कितने को सेवा निवृत्ति हेतु नोटिस दी गयी, कितने की वेतन वृद्धि रोकी गयी और कितने का वेतन रोका गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वर्ष 1985-86 में बस्ती जनपद में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी अधिकारी की सेवायें समाप्त नहीं की गयी । केवल 34 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गयी ।

प्रश्नगत अवधि में किसी भी अधि-कारी/कर्मचारी को सेवा निवृत्ति का नोटिस नहीं दिया गया । 1166 कर्म-चारियों की वेतन वृद्धियां रोकी गयी तथा 271 कर्मचारियों का वेतन रोका गया ।

प्रा0 स्वा0 केन्द्र बसखारी के स्वा0 श्री राम कुमार यादव की ग्रेच्युटी, बीमा-राशि व पारिवारिक पेंशन का भुगतान

111—श्री बलराम यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम कुमार यादव, प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बसखारी, जिला फैजाबाद की मृत्यु दिनांक 9-3-83 को सेवा कार्य करते हुए हुई थी ? यदि हां, तो क्या उनकी ग्रेच्युटी बीमा राशि तथा पारिवारिक पेंशन की धनराशि उनकी पत्नी श्रीमती सुरजा देवी को दे दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां । उनकी ग्रेच्युटी तथा पारिवारिक पेंशन का भुगतान उनकी पत्नी श्रीमती सुरजा को कर दिया गया है । जहां तक बीमा की धनराशि का प्रश्न है स्वास्थ्य निदेशालय के पंजीकृत पत्र दिनांक 20-2-85 द्वारा रु0 26056·85 का चेक सम्बन्धित अधिकारी को पहले ही भेज दिया गया था जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बसखारी फैजाबाद में प्राप्त हुआ नहीं बताया गया है । इस संबंध में ब्रांच मैनेजर, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, हाई-कोर्ट शाखा लखनऊ से नान पेमेन्ट सर्टी-फिकेट के लिए निदेशालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है जिसके प्राप्त होने पर बीमा की धनराशि के भुगतान की दिशा में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद फैजाबाद मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टाण्डा के डा0 ए0 हसन अहमद (तृतीय) का स्थानान्तरण

112—श्री बलराम यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाण्डा पर डा0 ए0 हसन अहमद (तृतीय) करीब 2 वर्षों से कार्यरत है ? क्या यह भी सही है कि उक्त डा0 मोहल्ला सकरावज (बगला बेनजीर) कोतवाली टाण्डा, जिला फैजाबाद के स्थानीय निवासी है ? यदि है तो स्थानीय होते हुए डाक्टर को उसी नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नियुक्त किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त डाक्टर का स्थानान्तरण करने हेतु आदेश प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां । किसी चिकित्साधिकारी को गृह जनपद में तैनात नहीं किया जाता है ।

डा0 एहसान अहमद को फैजाबाद से अन्यत्र स्थानान्तरित करने के आदेश दे दिये गये है ।

113—श्री बलराम यादव—

[2सरे शक्रवार के अता0 प्रश्न स0 189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

114—श्री सत्यपाल सिंह—

[4-9-86 को अता0 प्र0 सं0 105 द्वारा उत्तरित]

आर0 के0 भण्डारी (होम्योपैथ) प्रा0 लि0 के परिवर्तित नाम से समस्त जनपदों में कुम्भ मेला के समय दवाओं की आपूर्ति व भुगतान

115—हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि कुम्भ मेला हरिद्वार में 1986 में स्थापित होम्योपैथिक चिकित्सालयों में होम्योपैथिक दवाओं की आपूर्ति आर0 के0 भण्डारी (होम्योपैथ) प्रा0 लि0 से की गई तथा भुगतान भी किया गया ? यदि हां, तो क्या रजिस्ट्रार कम्पनीज के प्रमाण-पत्र संख्या 7182/38279 दि0 24-12-85 द्वारा मेसर्स आर0 के0 भण्डारी (होम्योपैथ) प्रा0 लि0 का नाम परिवर्तित

कर आर0 के0 बी0 हर्बल्स प्रा0 लि0 से प्रदेश के समस्त जनपदों में दवा की आपूर्ति एवं भुगतान कुम्भ मेला के समय में ही किया गया ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदेश के समस्त जनपदों से की जा रही है ।

मै0 आर0 के0 भण्डारी (होम्योपैथ) प्रा0 लि0 का नाम परिवर्तन व सेल टैक्स का भुगतान

115—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

(अ)क्या यह भी सत्य है कि मेसर्स आर0 के0 बी0 हर्बल्स प्रा0 लि0 के अधिशासी निदेशक द्वारा प्रदेश के समस्त सी0 एम0 ओ0 को मै0 आर0 के0 भण्डारी (होम्योपैथ) प्रा0 लि0 के नाम परिवर्तन की सूचना दिसम्बर 1985 में दी गयी थी ? यदि हां, तो फरवरी से अप्रैल के मध्य आर0 के0 भण्डारी के नाम से दवाओं की आपूर्ति एवं भुगतान करने का क्या औचित्य है तथा क्या उक्त दोनों फर्म का सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर एक ही है ? यदि नहीं, तो सेल टैक्स का भुगतान कैसे किया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

विस्तृत सूचना प्रदेश के सभी जनपदों से एकत्र की जा रही है ।

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, कानपुर द्वारा होम्योपैथिक दवाओं की आपूर्ति हेतु फर्म्स को दिये गये रेट कन्ट्रैक्ट

116—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि आयुक्त एवं निदेशक उद्योग कानपुर द्वारा 1985-86 में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में होम्योपैथिक दवाओं की आपूर्ति हेतु कौन-कौन फर्म्स को रेट कन्ट्रैक्ट दिया गया था तथा वर्ष 1985-86 में प्रदेश के कितने जनपदों में मेसर्स आर0 के0 बी0 हर्बल्स प्रा0 लि0 , नई दिल्ली से दवाओं की आपूर्ति एवं भुगतान किया गया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रदेश के समस्त जनपदों से सूचना एकत्र की जा रही है ।

आर0 के0 बी0 हर्बल्स प्रा0 लि0 से दवाओं की आपूर्ति व भुगतान का औचित्य

117—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या यह सत्य है कि मे0 आर0 के भण्डारी (होम्योपैथ) प्रा0 लि0 नई दिल्ली को आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग विभाग कानपुर द्वारा रेट कन्ट्रैक्ट होम्योपैथिक चिकित्साल्यों में दवाओं की आपूर्ति हेतु दिया गया था ? यदि हां, तो आर0 के0 बी0 हर्बल्स प्रा0 लि0 से दवाओं की आपूर्ति एवं भुगतान करने का औचित्य क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

सूचना प्रदेश के समस्त जनपदों से एकत्र की जा रही है ।

संयुक्त कृषि निदेशक श्री हरि किशन के विरुद्ध शासन के निर्णयों का क्रियान्वयन

118—श्री मूल चन्द—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि कृषि विभाग के संयुक्त कृषि निदेशक श्री हरि किशन के विरुद्ध विजिलेन्स जांच में सही पाये गये आरोपों के परिपेक्ष्य में उनकी पदोन्नति को स्थगित रखने का

निर्णय शासन ने अप्रैल 1986 में लिया था ? यदि हां, तो उन्हें अभी तक चार्जशीट न देने व वर्तमान पद प्रत्यावर्तित कर निलम्बित न करने के क्या कारण है ? ऐसी स्थिति के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मामले का परीक्षण कराया जा रहा है ।

119—श्री हर्ष वर्धन—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों से अवैध रुपयों की मांग

120—श्री रणजीत—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली ने विगत दिनांक 18-2-86 को सम्पन्न अपनी पुत्री की शादी के शुभ अवसर पर प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी से रु0 10,000 की मांग की थी जिसके अनुपालन में प्रभारी चिकित्साधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से उक्त धनराशि जबरन वसूल की गयी है ? यदि हां, तो क्या शासन इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कर अवैध तरीके से पैसा एकत्र करने के लिये दोषी मुख्य चिकित्साधिकारी को दंडित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रश्नगत मामले में अपर स्वास्थ्य सेवा निदेशक लखनऊ मण्डल, लखनऊ से जांच कराने पर आरोप सिद्ध नहीं पाये गये । अतः मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

121—श्री रणजीत—

[दिनांक 4-9-86 को अता0 प्र0 सं0 180 द्वारा उत्तरित]

प्रान्तीयकृत होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में पदों की रिक्ति व सृजन

122—श्री रणजीत—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रान्तीयकृत होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में किन-किन श्रेणी के कितने पद रिक्त है ? क्या यह सही है कि कालेजों द्वारा कुछ नये पदों की भी मांग की गयी है ? यदि हां, तो रिक्त पदों पर भर्ती व मांगे गये पदों के सृजन की दिशा में शासन क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है । जी हां । कुछ नए शैक्षिक पदों की स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रान्तीयकृत होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान व भत्तों में वृद्धि

123—श्री रणजीत—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रान्तीयकृत होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतनमान, भत्तों आदि को कब तक एलोपैथिक मेडिकल कालेजों के बराबर किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नान मेडिकल असिस्टेण्ट्स को फिक्स्ड टी0 ए0 की मांग

124—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर 5 हजार की आबादी पर कार्य करने वाले स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता को निश्चित फिक्स्ड यात्रा भत्ता दिया जा रहा है परन्तु 25 हजार की आबादी पर कार्य करने वाले नान मेडिकल असिस्टेंट को यह सुविधा नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो यह असमानता क्यों ? क्या शासन नान मेडिकल असिस्टेंट को भी फिक्स्ड टी0 ए0 देने पर विचार करेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

स्वास्थ्य विभाग के कतिपय कर्मचारियों को नियत मासिक यात्रा भत्ता दिया जाता है किन्तु वह नान मेडिकल असिस्टेंट के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को अनुमन्य नहीं है क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र . 25 हजार की जनसंख्या के क्षेत्र में होता है । अतः उन्हें वित्तीय नियमों के अधीन यात्रा के आधार पर यात्रा भत्ता दिया जाता है ।

125—श्री रणजीत—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्तियों में कथित अनियमितताएं

126—श्री रणजीत—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाल में 7/8 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्तियां प्रतीक्षा सूची से की गयी है ? यदि हां, तो किस कोटे से एवं उक्त नाम किस क्रम संख्या पर अंकित थे ? क्या यह सही है कि प्रतीक्षा सूची के ऊपर के नाम की उपेक्षा कर नीचे के नामों का नियुक्ति पत्र जारी किया गया है, यहां तक कि फार्मेसिस्ट डा0 गुप्ता का नाम प्रतीक्षा सूची में नहीं था किन्तु नियुक्ति कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्यों व ऐसी नियुक्ति रद्द किये जाने के सम्बन्ध में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां । शेष अंश के सम्बन्ध में कोई विवरण देना उचित नहीं है क्योंकि प्रश्नगत चयन से सम्बन्धित रिट याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

127—श्री धनराज यादव—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के नियुक्ति के मामले में हुई अनियमितताओं की जांच

128—श्री धनराज यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लगभग 258 होम्योपैथिक डिग्री/डिप्लोमाधारकों की नियुक्ति होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के रूप में हाल में हुई है ? यदि हां, तो उनके अंतिम वर्ष के प्राप्तांक व साक्षात्कार के प्राप्तांक क्या है ? क्या यह सही है कि सभी योग्यताओं, मान्यताओं के विपरीत अधिकांश अक्षम व अयोग्य डिग्री/डिप्लोमाधारकों को ही चयनित किया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन उक्त गैर कानूनी व मनमाने चयन को निरस्त करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सन्दर्भगत चयन को लेकर दो रिट याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, अतः इस स्तर पर प्रश्न में वांछित विवरण देना उचित न होगा ।

129—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

[दिनांक 4-9-86 ता0 प्र0 सं0 14 द्वारा उत्तरित]

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति में कथित अनियमितताएं

130—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1985-86 में स्वीकृत लगभग 136 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति बिना विज्ञापन, साक्षात्कार आदि के ही अगस्त, अक्तूबर, 1985 के साक्षात्कार के उपरान्त तैयार की गयी प्रतीक्षा सूची से की जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? यदि नहीं, तो विज्ञापन आदि कब तक हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

निदेशक (होम्योपैथिक) उ0 प्र0 के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच की मांग

131—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक (होम्योपैथी) उ0 प्र0 के विरुद्ध विचाराधीन भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतों की जांच शासन लोकहित में खुफिया विभाग से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

खुफिया विभाग से जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है ।

डा0 वी0 पी0 गुप्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिंडरा वाराणसी के विरुद्ध पारिवारिक मामलों में शिकायती पत्र तथा उस पर जांच की मांग

132(अ)—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 वी0 पी0 गुप्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिंडरा वाराणसी ने अपनी स्त्री मालती गुप्ता व लड़की सीमा को घर से निकाल दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि मालती गुप्ता ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट गोरखपुर के यहां मुकदमा दायर किया है ? क्या यह भी सही है कि डा0 गुप्ता ने एक मिडवाइफ निर्मला मिश्र जो शादीशुदा थी उससे शादी कर लिया है ? और अपने साथ रक्खा है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और कार्यवाही करेगी ? क्या इसकी भी जांच करायेगी कि निर्मला मिश्रा का नाम भी बदल दिया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

132(अ)—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 वी0 पी0 गुप्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिंडरा वाराणसी के ऊपर धारा 395/332/307/120 व आई0 पी0 सी0 का मुकदमा चतुर्थ अतिरिक्त सेशन जज गाजीपुर के यहां चल रहा है ? यदि हां, तो इनको अब तक विभाग में क्यों रक्खा गया ? है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला अस्पताल, गोरखपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर जांच

133—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि सर्वदलीय जन कष्ट निवारण समिति

गोरखपुर के मंत्री श्री विजय प्रताप आेझा का गोरखपुर के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के जिला अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं दवा चोरी के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र दिनांक 8-11-85, 16-11-85, 28-11-85, 28-12-85, 13-1-86 27-1-86, 28-2-86 एवं 3-4-86 उन्हें तथा मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जिला अस्पताल, गोरखपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सर्वदलीय जनकष्ट निवारण समिति के दिनांक 16-11-85, 13-1-86, 27-1-86 तथा 28-2-86 के पत्र प्राप्त हुए हैं । इनकी जांच स्वास्थ्य सेवा निदेशालय स्तर से करायी जा रही है ।

दिनांक 8-11-85, 28-11-85 28-12-85 तथा 3-4-86 के पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुए हैं । अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

134—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[3रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

135—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[आश्वासन समिति के अधीन विधाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री धर्मराज सिंह, स्वास्थ्य सहायक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांधा, बस्ती के स्थानान्तरण की जांच

136—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के तीसरे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं0 61 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जब श्री सिंह का स्थानान्तरण स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा किया गया तो क्षेत्रीय अतिरिक्त निदेशक, गोरखपुर मण्डल ने किस अधिकारी से श्री सिंह को पुनः बस्ती में ही समायोजित कर दिया और लखीमपुर खीरी का स्थानान्तरण निरस्त कर दिया ? अगस्त 84 में स्थानान्तरण आदेश प्रसारित होने के बाद 21 अक्टूबर, 84 तक प्रभारी चिकित्साधिकारी सांधा द्वारा कार्य मुक्त न किये जाने का कारण क्या था ? क्या तत्कालीन प्रभारी चिकित्साधिकारी सांधा भी निदेशालय के आदेश का परिपालन न करने के लिए दोषी हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्री धर्मराज सिंह, स्वास्थ्य सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांधा, जनपद बस्ती को निदेशक, परिवार कल्याण द्वारा दिनांक 31-8-1984 को लखीमपुर खीरी स्थानान्तरित किया गया था और उन्हें दिनांक 22-10-84 को कार्यमुक्त भी कर दिया गया था परन्तु श्री सिंह ने अपनी नई तैनाती के स्थान लखीमपुर खीरी में कार्यभार ग्रहण नहीं किया । इसी बीच श्री सिंह की पत्नी के आवेदन-पत्र पर विचारोपरान्त निदेशक, परिवार कल्याण के आदेश दिनांक 10-7-1985 द्वारा उन्हें बस्ती में समायोजित किया गया ।

श्री सिंह के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 31-8-1984 प्रभारी चिकित्साधिकारी, सांधा को दिनांक 21-9-84 को प्राप्त हुए परन्तु इस तिथि के पूर्व से ही श्री सिंह अपने कार्यभार से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे, फिर भी प्रभारी चिकित्साधिकारी, सांधा ने दिनांक 22-10-84 को श्री सिंह को उनके कार्यभार से एकतरफा

कार्यमुक्त कर दिया था । अतः प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

137—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[4थे गुरुवार के चिकित्सा-11 के लिए स्थगित]

138—श्री द्वारिका प्रसाद तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[दिनांक 4-9-86 को अता0 प्र0 सं0 14-15 द्वारा उत्तरित]

खादी ग्रामोद्योग के जिला उद्योग केन्द्र व्यवस्थापकों के वेतनमान को अपग्रेड करने की मांग

139—श्री हर्षवर्धन—

क्या सरकार बतायेगी कि खादी ग्रामोद्योग के जिला उद्योग केन्द्र के व्यवस्थापकों के वेतनमान को अपग्रेड करने का निर्णय शासन ने लिया है ? यदि हां तो उक्त निर्णय के क्रियान्वयन में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मंत्रि परिषद् की बैठक में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति के विषय में लिया गया निर्णय

140—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मंत्रि परिषद् के नवम्बर 84 के निर्णय के विपरीत अधिक पदों पर की गयी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मंत्रि परिषद् द्वारा दिनांक 15-11-84 की बैठक में कुल 233 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को नियमित आधार पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया था । कालांतर में अपने पूर्व निर्णय को संशोधित करते हुए मंत्रि परिषद् ने दिनांक 27-4-85 में उक्त 233 की संख्या में वृद्धि करते हुए 250 पदों पर होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया । वर्णित परिस्थितियों में मंत्रि परिषद् के निर्णय के विरुद्ध अधिक पदों पर होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति किये जाने तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

फार्मेसिस्ट की भांति हाउस फिजिशियन्स को भी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पद पर नियमित करने की मांग

141—श्री मैनेजर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन ने फार्मेसिस्ट को होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्त किया है ? यदि हां, तो क्या शासन प्रान्तीयकृत होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के कार्यरत हाउस फिजिशियन्स को भी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पद पर नियमित करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रश्नगत मामला माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में रिट याचिका सं0 4123/86 डा0 राम प्रकाश गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य में विचाराधीन है । अतः शेष भाग में वांछित विवरण देना उचित न होगा ।

142—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री महेन्द्र नाथ राय, जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर के विरुद्ध कतिपय आडिट आपत्तियों पर की गई जांच

143—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महेन्द्र नाथ राय, जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर पहले कानपुर, फर्रुखाबाद, गोरखपुर व पीलीभीत में कार्यरत रहे हैं और सभी स्थानों में गबन भ्रष्टाचार तथा अनियमितताएं इन्होंने की हैं ? क्या यह सही है कि जब सन् 1976 में पीलीभीत में तैनात थे तो इन्होंने गलत टी0 ए0 बिल बनाया और गबन भी किया था जिसकी जांच तत्कालीन डी0 ए0 श्री हरिहर प्रसाद सिंह ने किया था और लिख दिया था कि इन्हें कभी भी जिला कृषि अधिकारी का पद न दिया जाय ? यदि हां, तो उसका पालन क्यों नहीं किया गया और गाजीपुर का जिला कृषि अधिकारी क्यों बनाया गया ? क्या इसकी जांच की जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

श्री महेन्द्र नाथ राय, जिला कृषि अधिकारी, पहले कानपुर, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, पीलीभीत में कार्यरत रहे हैं । उक्त स्थानों के कार्यकाल में गबन/भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में नहीं आया किन्तु कतिपय आडिट आपत्तियां पाई गई हैं । श्री राय जब 1976 में जिला कृषि अधिकारी, पीलीभीत के पद पर कार्यरत थे सम्प्रेक्षण में इनके टी0 ए0 बिल में आपत्तियां की गई हैं परन्तु गबन का मामला प्रकाश में नहीं आया । तत्कालीन डी0 ए0 श्री हरिहर प्रसाद सिंह ने कोई जांच नहीं की थी और न ही आदेश दिया था कि श्री राय को जिला कृषि अधिकारी का पद न दिया जाय, श्री राय की जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर के पद पर तैनाती त्रुटिपूर्ण नहीं है । जांच का प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला चिकित्सालयों के होम्योपैथिक विभाग में महिला चिकित्साधिकारियों की विभिन्न जनपदों में सम्बद्धता

144—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या चिकित्सा मंत्री बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 8782(1)/5-7-382/85 चिकित्सा अनुभाग-7 दिनांक 15 अक्टूबर, 1985 के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों का अटैचमेन्ट नहीं किया जा सकता ? यदि हां, तो जिला चिकित्सालयों के होम्योपैथिक विभाग में कितनी महिला चिकित्साधिकारी किन-किन जनपदों में अटैच की गयी हैं तथा अटैचमेन्ट का औचित्य क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सन्दर्भित शासनादेश के अनुसार केवल विशेष परिस्थितियों में निदेशकों को चिकित्साधिकारियों को अटैच करने के अधिकार प्रदान किये गए हैं ।

महिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए केवल चार महिला चिकित्साधिकारियों को जनपद सीतापुर, बस्ती, कानपुर तथा रायबरेली के जिला चिकित्सालयों से सम्बद्ध किया गया है ।

डा0 सुरेश प्रताप सिंह, तात्कालिक आवासीय चिकित्साधिकारी, टी0 डी0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, जौनपुर के अवकाश अवधि का परीक्षण एवं सेवा में बने रहने का औचित्य

145—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा0 सुरेश प्रताप सिंह, तात्कालिक

आवासीय चिकित्साधिकारी, टी0 डी0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज जौनपुर माह मई, 1980 से 9-11-81 तक अवकाश पर रहे ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी, जौनपुर द्वारा अवकाश स्वीकृत कर सेवा में ले लिया गया ? यदि हां, तो क्या डी0 एम0 जौनपुर को उक्त अवधि में अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार था ? यदि नहीं, तो सेवा में बनाए रखने का औचित्य क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

जी हां ।

इस प्रकरण के सम्बन्ध में गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

146—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 सिविल सर्विस रेगुलेशन एमेन्डमेन्ट रेगुलेशन, 1973 जो शासनादेश संख्या जी-2-1732/दस-814-73 दिनांक 13 नवम्बर, 73 द्वारा अधिसूचित हुआ, के अनुसार तदर्थ नियुक्ति के बाद सेवा से विच्छेदन सम्बन्धित कन्डोनेशन एक वर्ष से अधिक समय का नहीं किया जा सकता ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका के भाग 2 से 4 के सहायक नियम 157 के अनुसार अस्थाई कर्मचारियों को केवल 3 माह का ही अवैतनिक अवकाश दिए जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो डा0 सुरेश प्रताप सिंह, तात्कालिक आवासीय चिकित्साधिकारी, टी0 डी0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, जौनपुर की 1 वर्ष 6 माह 9 दिन का अवैतनिक अवकाश डी0 एम0 द्वारा स्वीकृत कर सेवा में बनाए रखने का औचित्य क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रश्नगत प्राविधान सरकारी सेवकों पर लागू होते हैं न कि गैर सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों पर ।

प्रश्नगत अवकाश इन्हें जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया था । इसकी वैधता का शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है ।

डा0 सुरेश प्रताप सिंह, आर0 एम0 ओ0 रा0 एम0 एच0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के वेतन की रिकवरी हेतु भेजे गये पत्र की जांच

147—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राचार्य रा0 टी0 डी0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, जौनपुर का पत्र संख्या एच0 एम0 सी0/286/83-84 दि0 7-6-1984 जो कि प्राचार्य रा0 मोहन होम्यो0 मेडिकल कालेज, लखनऊ को सम्बोधित तथा जिसमें डा0 सुरेश प्रताप सिंह, आर0 एम0 ओ0 रा0 एम0 एच0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के वेतन से रु0 2410.00 की रिकवरी के लिए लिखा गया था, निदेशक होम्योपैथी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या दोषी अधिकारी को दण्डित करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

शिकायत की जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 अविनाश सक्सेना, निदेशक, होम्योपैथिक द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन पर प्रतिकूल प्रविष्टि को एक्सपंज करने का निर्णय

148—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि वर्ष 82-83 में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के चयन में हुई अनियमितता के कारण डा0 सुभाष चन्द्र राय के नाम के सम्मुख गलत अंक अंकित करने के लिए दोषी पाये जाने पर पत्र संख्या 552/सक-9/पांच-2006/1983 दि0 24 अप्रैल, 84 द्वारा शासन ने निदेशक, होम्योपैथिक डा0 अविनाश चन्द्र सक्सेना को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रविष्टि एक्सपंज कर दी गयी है ? यदि हां, तो आधार क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां । निदेशक, होम्योपैथिक द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रतिकूल प्रविष्टि को एक्सपंज करने का निर्णय शासन द्वारा ले लिया गया है ।

चयन समिति द्वारा होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की सूची

149—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 82-83 में चयनित 154 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की सूची में सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी डा0 वेदपाल सिंह है ? यदि हां, तो 1 अक्तूबर, 85 को वर्ष 1985 के विधान सभा द्वितीय सत्र के पांचवें गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के प्रश्न संख्या 3 के उत्तर एवं मा0 कल्याण सिंह विधायक को प्रेषित पत्र में डा0 विजय शंकर पाण्डेय को सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी क्यों दर्शाया गया है ? क्या यह भी सत्य है कि डा0 विजय शंकर पाण्डेय का नाम 18 फरवरी, 83 को निदेशक होम्योपैथी द्वारा जारी 154 चयनित अभ्यर्थियों की सूची में किसी भी वर्ग में नहीं है ? यदि हां, तो गलत तथ्यों की सूचना देने का औचित्य क्या है तथा क्या दोषी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

चयन समिति ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची में 94 अभ्यर्थियों को रखे जाने की संस्तुति की थी, जिसमें क्रम संख्या-94 पर डा0 विजय शंकर पाण्डे का नाम अंकित था । विचारोपरान्त शासन द्वारा उक्त सूची में से केवल 87 अभ्यर्थियों का चयन ही अनुमोदित किया गया व जिसमें क्रम संख्या 87 पर डा0 वेद पाल सिंह का ही नाम अंकित है ।

18 फरवरी, 1983 को निदेशक होम्योपैथी द्वारा कोई सूची जारी नहीं की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 मुहम्मद इकबाल, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेमरियांवा, बस्ती द्वारा उपकेन्द्रवार क्लीनिक सम्पन्न करने का विवरण

150—श्री द्वारिका प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डा0 मुहम्मद इकबाल, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र सेमरियांवा, जनपद बस्ती द्वारा उपकेन्द्रों पर उपकेन्द्रवार वर्ष 1983-84, 1984-85 व 1985-86 तक में कितनी बार क्लीनिंग सम्पन्न की

गयी और क्या इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी बस्ती कार्यालय पर मासिक प्रतिवेदनों में भेजी गई ? यदि हां, तो क्या-क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि डा0 मु0 इकबाल प्र0 वि0 अधि0 नान मेडिकल प्रैक्टिस एलाउन्स पाते हुए प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

डा0 मुहम्मद इकबाल प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरियावां, जनपद बस्ती द्वारा उपकेन्द्रवार वर्ष 1983-84 में 147, वर्ष 1984-85 में 147 और वर्ष 1985-86 में 40 बार क्लीनिक सम्पन्न की गई । इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को भेजे जाने के लिये कोई आदेश नहीं है । अत: डा0 इकबाल अहमद ने यह सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती को नहीं भेजी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरियावां, बस्ती के कर्मचारियों के रोके गये वेतन का भुगतान आदेश

150-ए—श्री द्वारिका प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरियावां जनपद बस्ती में माह नवम्बर, 1985 से माह फरवरी, 1986 तक किन-किन कर्मचारियों का वेतन रोका गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र सेमरियावां (बस्ती) के तमाम पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक तथा पुरुष कार्यकर्ता अपने-अपने निर्धारित मुख्यालय पर नहीं रहते हैं ? यदि हां, तो क्यों और उन कर्मचारियों का देय वेतन क्यों दिया गया है और रोके गये कर्मचारियों का वेतन कब तक देय किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मुख्यालय पर निवास न करने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरियावां, जनपद बस्ती के 2 बेसिक हेल्थ वर्कर, 6 ए0 एन0 एम0, 3 स्वास्थ्य निरीक्षिका, 1 ए0 पी0 एस0, 1 परिवार कल्याण कार्यकर्ता कुल 13 कर्मचारियों का माह नवम्बर, 1985 से माह फरवरी, 1986 तक की अवधि का वेतन रोका गया है ।

वर्तमान में सभी पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने निर्धारित मुख्यालय पर निवास करते हैं । अत: इन कर्मचारियों का वेतन रोके जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कर्मचारियों के रोके गये वेतन भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

151—श्री राम आसरे वर्मा—

[दिनांक 4-9-1986 को अता0 प्र0 सं0 13 द्वारा उत्तरित]

कताई मिल, अकबरपुर, फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में कथित शिकायती-पत्र

152—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली ने 18 अप्रैल, 1984 का कोई प्रार्थना-पत्र राजीव गांधी महामंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस आई को अकबरपुर जिला फैजाबाद स्थित कताई मिल में पक्षपात, भ्रष्टाचार, चोरी इत्यादि के सम्बन्ध में दिया था जिसकी प्रति माननीय मुख्य

मंत्री, उत्तर प्रदेश को भी दी गयी थी ? यदि हां, तो वह मूल पत्र क्या है उसमें मुख्य आरोप क्या है और अब तक क्या उसकी जांच कराई गयी ? यदि हां, तो कब किस एजेन्सी से और जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नही ।

153—श्री विष्णु देव—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

डा0 मुहम्मद इकबाल, प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेमरिया, बस्ती के विरुद्ध राजकीय ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का कथित आरोप

154—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टर मुहम्मद इकबाल, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सेमरिया, जनपद बस्ती राजकीय ड्यूटी से अनुपस्थित होने के अभ्यस्त है और जिनके अनुपस्थित होने का यथेष्ट सबल प्रमाण प्रा0 स्वा0 केन्द्र के आउट डोर रजिस्टर से सिद्ध है एवं पिछले तीन वर्षों में डा0 मु0 इकबाल के कार्य दिवस के दिन भी बहुधा कम्पाउण्डर द्वारा रोगियों के परीक्षण एवं उपचार किये गये है ? यदि हां, तो डा0 मु0 इकबाल के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

डा0 मुहम्मद इकबाल, प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरिया, जनपद बस्ती नियमानुसार राजकीय ड्यूटी करते है । जब डाक्टर मुहम्मद इकबाल भ्रमण पर होते है तब द्वितीय चिकित्सा अधिकारी व फार्मेसिस्ट द्वारा रोगियों को देखा जाता है। डा0 मुहम्मद इकबाल के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

कैलाश मिल कानपुर केमिकल्स एवं अन्य बन्द मिलों को खोले जाने एवं अधिग्रहण की मांग

155—श्री हाफिज मो0 उमर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर की बन्द कैलाश मिल, कानपुर केमिकल्स तथा अन्य बन्द मिलों को सरकार द्वारा खुलवाने के लिए क्या कोई प्रभावी कदम उठाये गये है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मे0 जे0 के0 मैन्यू0 लि0 की (कैलाश मिल, कानपुर तथा मे0 जे0 के0 रेयान, कानपुर जो कि क्रमशः 1976 एवं 1983 से बन्द है) बन्दी से प्रभावित श्रमिकों को बन्दी का मुआवजा दिलाने का प्रयास श्रम विभाग द्वारा किया गया है ।

मेसर्स कानपुर केमिकल्स वर्क्स प्रा0 लि0 अनवरगंज, कानपुर को गैस रिसाव के कारण बन्द कराया गया था, ताकि जनता के स्वास्थ्य पर कोई कुप्रभाव न पड़े । अतः जब तक इसका समुचित निदान न हो जाय कम्पनी खोलने का प्रश्न नहीं उठता ।

155-ए—हाफिज मो0 उमर—

क्या सरकार स्वदेशी काटन मिल की भांति इन बन्द मिलों के अधिग्रहण के सम्बन्ध में कोई प्रभावी कदम उठाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

स्वदेशी काटन मिल का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया

है । अतः स्वदेशी काटन मिल की भांति उक्त मिलों के अधिग्रहण का प्रश्न नहीं उठता है ।

सतर्कता अधिष्ठान द्वारा मुख्य स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक के मेरठ स्थित आवास व बैंक लाकरों में मारा गया छापा

156—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि माह दिसम्बर, 85 में सतर्कता अधिष्ठान के एक दल ने एक मुख्य स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक के मेरठ स्थित आवास व बैंक लाकरों पर छापा मारा था और लगभग 10 लाख रुपये की अघोषित सम्पत्ति का पता लगाया था ? यदि हां, तो जब यह अधिकारी सेवा में आया था, इसने कितनी चल व अचल सम्पत्ति घोषित की थी और ता0 1-4-1985 को कितनी घोषित की थी ? इस अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ0 प्र0 राज्य कताई मिल्स अकबरपुर, फैजाबाद के कतिपय कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

157—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जून, जुलाई व अगस्त, 1985 में तत्कालीन उद्योग मंत्री ने अकबरपुर, जिला फैजाबाद में स्थित उ0 प्र0 राज्य कताई मिल्स के कर्मचारियों श्री राम अरज सिंह, श्री राधेश्याम सिंह व श्री अंजनी कुमार दूबे के प्रार्थना-पत्र पर उनकी सेवाओं की समाप्ति करने के आदेश को निरस्त करने के आदेश किये थे ? यदि हां, तो उक्त तीन कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र व संबंधित मंत्री के आदेश क्या हैं और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

श्री अम्बिका सिंह, विधायक, बस्ती का पत्र, दिनांक 4-6-1985 तत्कालीन उद्योग मंत्री जी को प्रेषित किया गया जिसके साथ सर्वश्री राम अरज सिंह तथा राधेश्याम सिंह के प्रार्थना-पत्र संलग्न थे । उक्त पत्र के साथ श्री अंजनी कुमार दूबे का प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ था । तत्कालीन उद्योग मंत्री जी ने उक्त पत्र पर सेवा समाप्ति के आदेशों को निरस्त करने के आदेश नहीं दिये थे । माननीय विधायक के पत्र पर तत्कालीन उद्योग मंत्री जी ने वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने के संबंध में प्रबन्ध निदेशक, राज्य कताई मिल कम्पनी नं0 1, कानपुर को निर्देश दिये थे । कम्पनी नं0 1 द्वारा यह सूचित किया गया कि संबंधित कर्मचारियों की सेवाएं उनके द्वारा किये गये विभिन्न दुराचरणों के कारण समाप्त की गयी थी ।

158—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

लखनऊ के चिनहट पाट्रीज उद्योग में लगी मशीनों की स्थिति

159—श्री भगौती सिंह—

क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ के प्रसिद्ध चिनहट पाट्रीज उद्योग में इस समय कितनी मशीनें चालू हैं और कितनी मिनी मशीनें कितनी अवधि से खराब पड़ी है ? गत वर्षों की तुलना में क्या इस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों और निजी इकाइयों की संख्या घट गयी है, क्या इसका मुख्य कारण फैक्टरी का निरन्तर घाटे पर चलना है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

लखनऊ के चिनहट पाट्रीज में 12 इन्टीग्रेटेड मशीनें काम कर रही हैं तथा 24 इन्टीग्रेटेड मशीनें विगत 10 वर्षों से खराब हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय तिलकधारी होम्योपैथिक कालेज जौनपुर के प्रो0 डा0 मान सिंह सिसोदिया के संबंध में न्यायालय में विचाराधीन वाद

160—श्री चन्द्रसेन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय तिलकधारी होम्यो0 कालेज, जौनपुर के प्रो0 डा0 मान सिंह सिसोदिया के सम्बन्ध में कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन था, उसमें क्या निर्णय हुआ ? क्या न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही हुई अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्या कारण थे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

डा0 मान सिंह सिसोदिया से संबंधित मुंसिफ मजिस्ट्रेट, जौनपुर के निर्णय के विरुद्ध पांच राजकीय तिलकधारी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज जौनपुर, डा0 ए0 एन0 सिंह, ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में द्वितीय अपील दायर की है । अतः मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है ।

प्रदेश के महिला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुर्वेदिक महिला चिकित्सकों की अंशकालिक तैनाती का निर्णय

161—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के महिला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पुरुष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की भांति आयुर्वेदिक महिला चिकित्सकों को सेवा पर लेने के लिए शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय महिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में महिला चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों पर बी0 ए0 एम0 एस0/ बी0 यू0 एम0 एस0 अर्हता की महिला चिकित्सकों की अंशकालिक तैनाती करने का निर्णय लिया गया है । इस विषय में आदेश जारी हो चुके हैं ।

बांदा जनपद में उपकेन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव नियुक्ति हेतु प्रशिक्षण तथा रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां

162—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में वर्ष 1986-87 में कितने उपकेन्द्र खोले जा रहे हैं तथा अब तक खुले उपकेन्द्रों में क्या सभी कर्मचारियों की नियुक्ति हो गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक सभी उप केन्द्रों में निर्धारित कर्मचारियों की नियुक्ति हो जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वर्ष 1986-87 में बांदा जनपद में 80 उपकेन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है । अब तक खुले उपकेन्द्रों पर ए0 एन0 एम0 के 180 पद रिक्त चल रहे हैं ।

बेसिक महिला हेल्थ वर्कर्स (ए0 एन0 एम0) को उपकेन्द्रों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है । बांदा जनपद की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विशेष बैचों में चयनित कर अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधा की व्यवस्था भी कराई जा रही है । सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां की जायेंगी ।

कृषि विभाग में संयुक्त निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक के पदों पर आरक्षण कोटा की स्थिति

163—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि कृषि विभाग के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक पद एवं अतिरिक्त निदेशक पदों में हरिजन आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अविलम्ब कोटा पूरा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

कृषि विभाग में संयुक्त कृषि निदेशक के 17 पद भरे हुए हैं, 2 पद रिक्त हैं । संयुक्त कृषि निदेशक के 17 पदों में से 3 पद अनुसूचित जाति के अधिकारियों से भरे हुए हैं । इस प्रकार संयुक्त कृषि निदेशक के पदों में अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण है । अतिरिक्त कृषि निदेशक के स्वीकृत 9 पद सामान्य श्रेणी के अधिकारियों से भरे हुए हैं, क्योंकि अतिरिक्त कृषि निदेशक के पदों पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु किये गये पिछले चयन के समय अनुसूचित जाति का कोई भी अधिकारी पात्रता क्षेत्र में उपलब्ध नहीं था ।

अभी प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जनपद के नरैनी ब्लाक में बीहड़ भूमि सुधार की कथित योजना

164—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की नरैनी तहसील के ब्लाक नरैनी में बीहड़ भूमि सुधार के लिए कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना कौन सी है और नरैनी ब्लाक में कब से लागू होगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, गोरखपुर में कार्यरत सीजनल कर्मचारी, वेतन का भुगतान तथा विनियमितीकरण

165—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर में कृषि उत्पादन मंडी समिति, गोरखपुर में 1-7-81 से 14 सीजनल कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें एक की मृत्यु भी हो गयी है ? यदि हां, तो 1-9-85 से इन कर्मचारियों का वेतन न मिलने के क्या कारण हैं ? क्या इन्हें अविलम्ब शेष वेतन का भुगतान करते हुये विनियमितीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, गोरखपुर में दिनांक 1-7-81 से 8 कर्मचारी, सितम्बर, 1981 से 1 कर्मचारी, दिसम्बर, 1981 से एक कर्मचारी, तथा अगस्त, 1982 से 4 कर्मचारी सीजनल कर्मचारी कार्यरत थे जिनमें एक कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है । इन सभी कर्मचारियों को दिनांक 1-9-1985 से दिनांक 30-6-1986 तक का वेतन भुगतान कर दिया गया है । इन कर्मचारियों की सेवायें दिनांक 30-6-1986 से समाप्त की जा चुकी हैं । इसके विरुद्ध सिविल जज, गोरखपुर न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया । जिस पर सिविल जज ने दिनांक 4-7-1986 को सेवा समाप्ति के आदेश को स्थगित कर दिया । इनके विनियमितीकरण के मामले में न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में कार्यवाही की जायेगी ।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा, जनपद बांदा में कार्यरत महिला डाक्टर श्रीमती कमला देवी के विरुद्ध पत्र

166—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का 14 फरवरी, 1986 का पत्रांक संख्या 152—155/सी0 पी0/86 का लिखित पत्र राजकीय आयुर्वेदिक कालेज अतर्रा जनपद बांदा में कार्यरत महिला डाक्टर श्रीमती कमला देवी के विरुद्ध मुख्य मंत्री उ0 प्र0 लखनऊ, स्वास्थ्य मंत्री, उ0 प्र0 लखनऊ निदेशक आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें, उ0 प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र का पूरा विवरण क्या है और पत्र में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां । डा0 श्रीमती कमला देवी द्वारा नर्सिंग होम चलाने ,गरीब जनता से अनुचित धन कमाने, एक महिला श्रीमती उर्मिला देवी का गलत नसबन्दी आपरेशन करने और उसके सम्बन्ध में उक्त महिला द्वारा दायर मुकदमें में न्यायालय द्वारा डाक्टर को क्षतिपूर्ति का आदेश देने, डा0 कमला देवी के अनधिकृत चिकित्सा अवकाश पर रहने, आयकर न जमा करने आदि की शिकायत प्रश्नकर्ता के पत्र में की गई है और अन्य बातों के साथ तत्काल उनकी सेवायें समाप्त करने की मांग की गयी है ।

उक्त आरोपों के बारे में जांच करायी जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही सम्भव होगी ।

एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक चिकित्सा में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति खर्च का विवरण एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा में व्यय वृद्धि करने की मांग

167—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि एलोपैथिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा तथा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में अलग-अलग प्रति व्यक्ति कितना खर्च होता है ? क्या यह सही है कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में प्रति व्यक्ति अधिक खर्च किया जाता है ? यदि हां, तो क्या जनहित को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में अधिक खर्च करने का प्राविधान शासन करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में अलग-अलग प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष व्यय निम्नांकित होता है :—

1.	एलोपैथिक	रु0 15.91 पैसा
2.	आयुर्वेदिक एवं यूनानी	रु0 0.95 पैसा
3.	होम्योपैथिक	रु0 0.27 पैसा

जी हां ।

जन आकांक्षाओं तथा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली की वास्तविक आवश्यकताओं को दृष्टिगत करते हुए आयुर्वेद के प्राविधान में प्रत्येक वर्ष वृद्धि की जा रही है ।

प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक अस्पतालों की भवनों की स्थिति तथा भवन निर्माण योजना

168—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में अभी तक आयुर्वेदिक एवं यूनानी

तथा होम्योपैथिक अस्पतालों के कितने भवनों का निर्माण हुआ है और कितने अस्पताल भवन विहीन चल रहे हैं ? क्या जनहित को ध्यान में रखते हुए सभी भवन विहीन अस्पतालों के भवन का निर्माण करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

अभी तक 508 आयुर्वेदिक एवं यूनानी तथा 3 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण हुआ है और 1161 आयुर्वेदिक एवं यूनानी तथा 684 होम्योपैथिक चिकित्सालय भवन विहीन चल रहे हैं ।

इस प्रकार के चिकित्सालयों के भवन निर्माण की योजना जिला सेक्टर के अधीन है और जिलों से भवन निर्माण हेतु जो वित्तीय आवंटन एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित होते हैं, उनके अनुसार भवनों के निर्माण की स्वीकृतियां शासन द्वारा प्रदान की जाती है ।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज अतर्रा (बांदा) में प्रवक्ता के रिक्त पदों की संख्या एवं चयन प्रक्रिया

169—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज अतर्रा (बांदा) में लेक्चरार (प्रवक्ता) पद की कितनी जगहें अलग-अलग विभाग में खाली हैं और उन्हें कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज अतर्रा (बांदा) में कार्य चिकित्सा एवं शरीर विभागों में लेक्चरर का एक-एक पद रिक्त है । लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर नियुक्ति की जा सकेगी ।

बलिया जनपद में सचल अस्पताल स्थापित करने की मांग

170—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या सरकार बलिया जनपद में सचल अस्पताल स्थापित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

आवश्यकता नहीं है ।

आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के क्षेत्रीय कार्यालय को बलिया में स्थापित करने की मांग

171—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के क्षेत्रीय कार्यालय को बलिया में स्थापित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना अब जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत है । अतः उस योजना में अभी अनुमोदित न होने के कारण बलिया में क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना का प्रश्न नहीं उठता ।

बलिया में स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित ऋण का दुरुपयोग करने वालों की सूची

172—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या सरकार को जानकारी है कि बलिया के उद्योग विभाग ने स्वतः रोज-

गार योजना के अन्तर्गत कितने ऐसे लोगों को ऋण दिया है जिन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया या इसका दुरुपयोग किया है ? क्या मंत्री जी उनके नाम व पते सहित सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अब तक की गयी संयुक्त जांच के अनुसार वर्ष 1983-84 में 118 तथा 1984-85 में 6 व्यक्तियों ने ऋण का दुरुपयोग किया है ।

सूची संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 182 पर)

173—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित]

आदर्श कोल्ड स्टोरेज जलालाबाद एवं जशोदा कोल्ड स्टोरेज, फर्रुखाबाद में काश्तकारों के आलू सड़ने पर प्रतिकर की व्यवस्था एवं लाइसेन्स का नवीनीकरण न कराने पर नियमानुसार कार्यवाही

174—श्री बिहारी लाल दोहरे—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श कोल्ड स्टोरेज जलालाबाद एवं जशोदा कोल्ड स्टोरेज जनपद फर्रुखाबाद में सन् 1984 में काश्तकारों का रखा हुआ आलू सड़ गया था ? यदि हां, तो उसका मुआवजा काश्तकारों को मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक मिल जायेगा ? क्या यह सही है कि सन् 1985 में आलू रखने के लिए इन कोल्ड स्टोरेज को लाइसेन्स नहीं दिया गया फिर भी इनमें आलू रखा गया ? यदि हां, तो अनधिकृत आलू रखने पर इन कोल्ड स्टोरेजों के मालिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

आदर्श कोल्ड स्टोरेज जलालाबाद एवं जशोदा कोल्ड स्टोरेज, जनपद फर्रुखाबाद में सन् 1984 में कुछ काश्तकारों का आलू क्षतिग्रस्त हुआ था ।

अभी नहीं ।

आदर्श कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने वाले किसानों में से 39 किसानों ने प्रतिकर के भुगतान हेतु लाइसेन्सिंग अधिकारी के यहां दावा दायर किया । लाइसेन्सिंग अधिकारी ने तीन मामलों में आदेश पारित कर दिया है तथा शेष मामले अभी विचाराधीन हैं । अभी तक इन 39 काश्तकारों में से किसी को प्रतिकर का भुगतान नहीं हुआ है जैसे-जैसे मामले निस्तारित होते जायेंगे, निर्णय के अनुसार नियमानुसार प्रतिकर के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी । जशोदा कोल्ड स्टोरेज के क्षतिग्रस्त हुए आलू के संबंध में 285 काश्तकारों को कोल्ड स्टोरेज मालिक द्वारा क्षतिपूर्ति कर दी गई है । 161 काश्तकारों ने प्रतिकर हेतु लाइसेन्सिंग अधिकारी (जिलाधिकारी) के न्यायालय में विधिक कार्यवाही की । शीतगृह स्वामी ने मुंसिफ न्यायालय कन्नौज से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है जिसको निरस्त कराने की कार्यवाही की जा रही है । लाइसेन्सिंग अधिकारी द्वारा प्रतिकर निर्धारण के बाद नियमानुसार प्रतिकर के भुगतान कराने की कार्यवाही की जायेगी ।

यह सही है कि सन् 1985 में इन दोनों कोल्ड स्टोरेजों में बिना लाइसेन्स के नवीनीकरण के आलू रखा गया। आदर्श कोल्ड स्टोरेज के विरुद्ध प्राथमिक सूचना लिखाकर सक्षम न्यायालय में वाद दाखिल कराया गया । जशोदा कोल्ड स्टोरेज के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

जनपद फर्रुखाबाद में कोल्ड स्टोरेज के मुआवजा सम्बन्धी काश्तकारों के टर्मिनल कोर्ट, लखनऊ में विचाराधीन मुकदमें

175—श्री बिहारी लाल दोहरे—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में कोल्ड स्टोरेज के मुआवजा संबंधी काश्तकारों के टर्मिनल कोर्ट, लखनऊ में कितने मुकदमें विचाराधीन हैं ? क्या सरकार काश्तकारों की कठिनाई को देखते हुए फर्रुखाबाद में बेंच भेजकर इन मुकदमों का फैसला कराने के पक्ष में है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सैंतीस ।

उ0 प्र0 कोल्ड स्टोरेज अधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है । अधिकरण की बैठकें सामान्यतः मुख्यालय में की जाती हैं ।

उप कृषि निदेशक भूमि संरक्षण बांदा मण्डल द्वारा श्री दीनानाथ सिंह को चतुर्थ श्रेणी पद पर अस्थायी नियुक्ति

176—श्री देव कुमार यादव—

क्या कृषि मंत्री को यह जानकारी है कि उप कृषि निदेशक भूमि संरक्षण बांदा मण्डल (श्री लेख राम सिंह) ने भूमि संरक्षण अधिकारी कर्वी (श्री विजय बहादुर सिंह) के सगे भाई श्री दीना नाथ सिंह की अवैध रूप से वित्तीय वर्ष 1986-87 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति कर ली है और वह बिना कोई सरकारी काम किये हुए राजकीय कोष से वेतन आहरण कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिकारी को दण्डित करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव बालक पासी—

जी नहीं ।

अपितु भूमि संरक्षण अधिकारी, कर्वी (बांदा) श्री विजय बहादुर सिंह ने आदेश दिनांक 21-4-86 द्वारा श्री दीना नाथ सिंह जो भूमि संरक्षण अधिकारी कर्वी श्री विजय बहादुर सिंह के सगे भाई अथवा संबंधी नहीं हैं, की चतुर्थ श्रेणी के पद पर तीन माह हेतु नियुक्ति की थी जो आदेश दिनांक 3-6-1986 द्वारा समाप्त कर दी गई । श्री दीना नाथ सिंह ने कार्यालय का कार्य किया जिसके लिये उन्हें वेतन का भुगतान किया गया। अतः उक्त अधिकारी को दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

उपकृषि निदेशक भूमि संरक्षण बांदा मंडल, बांदा द्वारा अपने गृह कार्य हेतु अवैध रूप से की गयी नियुक्ति

177—श्री देव कुमार यादव—

क्या कृषि मंत्री को यह जानकारी है कि उप कृषि निदेशक भूमि संरक्षण, बांदा मंडल बांदा (श्री लेखराम सिंह) ने अपने गृह कार्य हेतु श्री बृजेन्द्र कुमार की नियुक्ति राजकीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए वित्तीय वर्ष 1985-86 से कर रक्खी है और इस नियुक्ति में भ्रष्टाचार बरता गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध रूप से नियुक्त व्यक्ति की सेवायें समाप्त करते हुए उक्त अधिकारी से अवैध रूप से नियुक्त व्यक्ति द्वारा राजकीय कोष से आहरित वेतन की वसूली कराके दंडित कराने की कृपा करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

कृषि विभाग के अन्तर्गत सहायकों तथा मण्डी सचिवों के पद हेतु ली गयी विभागीय परीक्षा में कथित अनियमितता के सम्बन्ध में पत्र पर जांच

178—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 38 के सन्दर्भ में मा0 कृषि मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पत्र सं0 1300 में अंकित बिन्दुओं पर जांच की कार्यवाही पूरी हो गयी है ? यदि नहीं, तब क्यों तथा अब कब तक पूरी हो जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां । जांच में विभागीय परीक्षा के सम्बन्ध में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी ।

179—श्री यदुनाथ सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जिला कृषि एवं परियोजना अधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक एवं सहायक लेखाकार के पदों पर सामान्य श्रेणी एवं अनु0 जाति की संख्या का विवरण

180—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित जिला कृषि एवं परियोजना अधिकारी के कार्यालय में कुल कितने वरिष्ठ लिपिक एवं सहायक लेखाकार के पद हैं, जिसमें सामान्य एवं अनुसूचित जाति के अलग-अलग कितने कर्मचारी हैं ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उपरोक्त कार्यालय में अनुसूचित जाति के एक भी कर्मचारी वरिष्ठ लिपिक एवं सहायक लेखाकार के पद पर नहीं रक्खे गए हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जिला कृषि/परियोजना अधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक/सहायक लेखाकार के पदों तथा उन पर कार्यरत कर्मचारियों का विवरण निम्नवत है :—

पद का नाम	कुल	कार्यरत कर्मचारी	स्वीकृत सामान्य अनुसंख्या श्रेणी सूचित जाति
1—वरिष्ठ लिपिक	5	5	शून्य
2—सहायक लेखाकार	2	2	,,

ज्येष्ठ लिपिक के 5 पदों में से 3 पदों पर प्रोन्नतियां क्रमशः वर्ष 1964, 1965, 1966 में हुई थीं । उस समय अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रोन्नत किये जाने का नियमों में कोई प्राविधान नहीं था ।

अवशेष दो पदों में से एक पद पर कर्मचारी स्थानान्तरित होकर तैनात किया गया । दूसरे पद पर केवल एक ही कर्मचारी की प्रोन्नति अन्तरोधन व्यवस्था के रूप में की गई जिसमें आरक्षण का नियम लागू नहीं होता ।

सहायक लेखाकार के पद राज्य स्तरीय संवर्ग के होने के कारण इन पर नियुक्तियां सीधी भर्ती के माध्यम से राज्य स्तर पर की जाती है । अतः इस संवर्ग के पदों में आरक्षण जिला स्तर पर नहीं कायम रखा जा सकता ।

जिला कृषि/परियोजना कार्यालय, फैजाबाद में नवसृजित पदों पर निदेशालय से स्थानान्तरण द्वारा समायोजन

181—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित

जिला कृषि एवं परियोजना कार्यालय में कुछ पद सहायक लेखाकार एवं वरिष्ठ लिपिकों के नव सृजित किए गए हैं जिनको पूरा करने के लिए दूसरे जनपदों से कर्मचारी स्थानान्तरित करके समायोजित किए जा रहे हैं जब कि उपरोक्त कार्यालय में अनुसूचित जाति के लिपिक एवं सहायक लेखाकार कर्मचारी प्रोन्नति के आधार पर बनाए जा सकते हैं, यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जनपद फैजाबाद स्थित जिला कृषि/परियोजना कार्यालय में नवसृजित ज्येष्ठ लिपिक के 5 पद तथा सहायक लेखाकार के 4 पद हैं ।

वरिष्ठ लिपिक के इन 5 पदों पर सघन जिला कृषि कार्यक्रम अलीगढ़ के अन्तर्गत कार्यरत फालतू घोषित 5 वरिष्ठ लिपिकों जिसमें एक वरिष्ठ लिपिक अनुसूचित जाति का है, को स्थानान्तरित करके तैनात किया गया है ।

उक्त पदों पर जनपद स्तर पर पदोन्नति देकर नियमान्तर्गत भरना सम्भव नहीं है ।

जहां तक सहायक लेखाकार के नवसृजित 4 पदों को जनपदीय स्तर से प्रोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रश्न है यह नियमान्तर्गत सम्भव नहीं है क्योंकि इन पदों पर नियुक्तियां कृषि निदेशालय स्तर पर सीधी भर्ती अथवा स्थानान्तरण के फलस्वरूप की जाती है ।

संयुक्त निदेशक उद्योग लखनऊ मंडल द्वारा चतुर्थ श्रेणी की पदोन्नति हेतु स्थगित परीक्षा का पुनः आयोजित करने का निर्णय

182—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त निदेशक उद्योग लखनऊ मंडल लखनऊ द्वारा चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति हेतु दिनांक 14 नवम्बर, 1984 को लिखित एवं साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की गई थी और एक महिला कर्मचारी के अनुपस्थित होने पर यह परीक्षा टाल दी गई थी ? यदि हां, तो अब पुनः यह परीक्षा करा कर पदोन्नति कर दी गई है । यदि नहीं, तो कब तक हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी नहीं, यह कारण नहीं था ।

परीक्षा पुनः आयोजित करने का निर्णय लिया गया है ।

श्रीमती शकुन्तला सिंह एक्सटेन्शन एजूकेटर, उरई, जालौन की सेवानिवृत्ति पर देय धनराशि का भुगतान

183—श्री सरदार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में है कि श्रीमती शकुन्तला सिंह एक्सटेन्शन एजूकेटर, अरबन फैमिली प्लानिंग सेन्टर उरई जिला जालौन से दि0 1-4-1980 को, सेवानिवृत्त हुयी थी ? यदि हां, तो उनकी बीमा अवशेष देय पेन्शन अभी तक उन्हें प्राप्त न होने के क्या कारण है ? क्या शासन उनके सभी देयों को प्रदान करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमती शकुन्तला सिंह, एक्सटेन्शन एजूकेटर, उरई 31-3-1980 (अपरान्ह) सेवानिवृत्त हुई थी ।

श्रीमती सिंह को सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान चेक सं0 472712 दिनांक 5-12-1983 द्वारा

तथा सामान्य भविष्यनिधि की धनराशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट संख्या टी0 टी0 ए0 826708 दिनांक 25-8-84 द्वारा किया जा चुका है ।

श्रीमती सिंह की सेवा पुस्तिका में अनेकों प्रविष्टियां अपूर्ण होने तथा वांछित पत्रादि एवं सूचनायें उनसे प्राप्त न होने के कारण पेन्शन प्रकरण महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भेजना सम्भव नहीं हो सका था । प्रस्ताव पर महालेखाकार की स्वीकृति के अभाव में श्रीमती सिंह को पेन्शन भुगतान किया जाना अभी सम्भव नहीं हो सका है ।

चिकित्सा अनुभाग के अवर वर्ग सहायक सैयद इमरान अहमद का स्थानान्तरण

184—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चिकित्सा अनुभाग दो के तत्कालीन अवर वर्ग सहायक सैयद इमरान अहमद को गोपनीयता भंग करने एवं रिश्वत खोरी के आरोप में तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव श्रीमती लता सिंह ने चिकित्सा अनुभाग-2 से चिकित्सा अनुभाग-9 में स्थानान्तरित करके मात्र चन्द घंटों में ही अवमुक्त किए जाने के आदेश दिये थे और साथ ही साथ वैभागिक कार्यवाही/ सतर्कता की जांच करने के भी आदेश दिए थे परन्तु श्रीमती लता सिंह के स्थानान्तरण के पश्चात् उक्त वैभागिक/ सतर्कता जांच की कार्यवाही आज तक पूरी नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? और अब कब तक पूरी की जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

स्थानान्तरण प्रश्न में उल्लिखित आधारों पर नहीं किया गया था । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अलग-अलग लेखा शीर्षकों से किया जाना

185—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना चला रही है ? यदि हां, तो प्रश्नगत योजना में समायोजित कर्मचारियों के वेतनमान **अलग-अलग लेखा शीर्षकों से क्यों आहरित** किये जा रहे हैं ? सरकार इस पर कब तक कार्यवाही पूरी कर लेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना में सम्मिलित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के कर्मचारियों का एकीकृत संवर्ग न बन पाने, जिस पर अभी निर्णय लिये जाने में और समय लगने की सम्भावना है, के कारण अलग-अलग लेखा शीर्षकों से ही उनके वेतन का भुगतान किया जा रहा है ।

प्रदेश के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों के पदों को स्थायी घोषित किये जाने की मांग

186—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के 66 प्रतिशत पद स्थायी घोषित किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो परिवार कल्याण सहायकों के अब तक 66 प्रतिशत पद स्थायी घोषित न किये जाने के क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों के पदों के स्थायी किये जाने से

सम्बन्धित वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति न होने के कारण इन पदों का स्थायीकरण सम्भव नहीं हो सका है ।

मातृ शिशु कल्याण एवं परिवार कल्याण में कार्यरत महिला कर्मचारियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार

187—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि मातृ शिशु कल्याण एवं परिवार कल्याण आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत कार्यरत महिला कर्मचारियों को नि:शुल्क आवास सुविधा/आवास न उपलब्ध होने की स्थिति में आवास भत्ता देने की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही करेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

मामला शासन के विचाराधीन है ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी केसों पर प्रेरक शुल्क का विवरण

188—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी केसों पर प्रेरणा शुल्क के रूप में प्रदान की जाने वाली धनराशि विभागीय एवं गैर विभागीय कर्मचारियों के लिए भिन्न-भिन्न है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में नसबन्दी केसों पर प्रेरक शुल्क निम्नवत् है :—

पुरुष नसबन्दी 40 रु0 प्रति केस ।

महिला नसबन्दी 25 रु0 प्रति केस ।

यह प्रेरक शुल्क विभागीय एवं गैर विभागीय कर्मचारियों के लिए एक समान रूप से निर्धारित किया गया है परन्तु परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारियों को अप्रैल से सितम्बर के प्रेरक शुल्क का भुगतान तभी किया जाता है जब उन्होंने उनके द्वारा अपने अनुपातिक लक्ष्यों के विपरीत कम से कम 50 प्रतिशत उपलब्धियां प्राप्त कर ली गयी हो । उन्हें वर्ष के अन्तिम 6 माहों का भुगतान तभी किया जाता है जबकि सम्बन्धित प्रेरक शत-प्रतिशत उपलब्धियां प्राप्त कर लें । इस भिन्नता का कारण यह है कि परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारी इसी कार्य हेतु नियुक्त किये गए हैं और लक्ष्यों की पूर्ति उनका दायित्व है । इस प्रक्रिया में परिवर्तन किये जाने पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है । आशा है कि लगभग एक माह में इस पर निर्णय ले लिया जायेगा ।

बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत कनिष्ठ वेतनमान के स्वास्थ्य सहायकों को पर्यवेक्षक का वेतनमान उपलब्ध कराने सम्बन्धी शासनादेश

189—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री महोदय बतायेंगे कि बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत कनिष्ठ वेतनमान के स्वास्थ्य सहायकों को पर्यवेक्षक घोषित करने एवं पर्यवेक्षक का वेतन प्रदान करने के सम्बन्ध में 2 अप्रैल, 1985 के माननीय उच्च न्यायालय एवं 6 जनवरी, 1986 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को लागू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन आदेशों का क्रियान्वयन कब तक किया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत कनिष्ठ वेतनमान के

स्वास्थ्य सहायकों को पर्यवेक्षक घोषित करने एवं पर्यवेक्षक का वेतनमान अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 2-4-85 तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 6-1-86 के अनुसार आदेश शासनादेश सं0 जी0 आई 725/16-11-5(69)/1984, दिनांक 15 सितम्बर, 1986 में जारी कर दिये गये हैं ।

मातृ एवं शिशु तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला के प्रशिक्षण का पंजीकरण

190—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मातृ एवं शिशु तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला का प्रशिक्षण प्राप्त एवं बी0 एच0 डब्लू0 का प्रशिक्षण प्राप्त के पंजीकरण की वर्तमान में कोई व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो सरकार इनके पंजीकरण की व्यवस्था कब तक करेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन द्वारा विचार किया जावेगा ।

श्री दानवीर सिंह चौहान, असिस्टेन्ट मैनेजर फिरोजाबाद, आगरा के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शासकीय नीति

191—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद में सहायक कांच विशेषज्ञ कार्यालय में असिस्टेन्ट मैनेजर के पद पर नियुक्त व्यक्ति कांच एवं चूड़ी संबंधी तकनीकी ज्ञान से युक्त है ? यदि नहीं तो गत 4 वर्षों पूर्व इस पद पर श्री दानबीर सिंह चौहान की नियुक्ति की गयी ? यदि हां तो उन्हें गत 5 वर्षों से एक ही स्थान पर सेवारत रखने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

जी हां ।

स्थानान्तरण सम्बन्धी शासकीय नीति के अनुसार सामान्यतः किसी भी वर्ग के कर्मचारी को एक स्थान पर तीन वर्ष और अधिक से अधिक पांच वर्ष तक रक्खा जा सकता है । श्री दानवीर सिंह चौहान को 5 वर्ष पूर्ण होने पर आगरा जनपद से एटा जनपद में स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

192—श्री कृष्ण कुमार—

[4थे गुरु0 में अता0 प्र0 सं0 48 के अन्तर्गत स्थगित]

कानपुर के करघा कोआपरेटिव सोसाइटियों को आवन्टित धन एवं प्रत्येक समिति के सदस्यों के नाम पते का विवरण

193—श्री शारदा प्रताप—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लि0 कार्यालय 11/361 सूटरगंज-कानपुर के अध्यक्ष-रामअौतार तथा अनुसूचित जाति हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लि0 कार्यालय 11/361ए सूटरगंज कानपुर के अध्यक्ष प्रेमनाथ तथा करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लि0 झीझक कानपुर के अध्यक्ष बुल्ली को अप्रैल 86 तक किन-किन मदों से कितना-कितना धन दिया गया है ? इन तीनों समितियों के सदस्यों

के नाम पिता के नाम तथा जाति व स्थानीय (निवासीय) पते क्या हैं ? उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत समितियों को वर्ष 1977-78 से 1985-86 तक क्रमशः रु0 2,81,600 रु0 1,15,000 और रु0 83,000 का धन दिया गया, जिसका मदवार विवरण संलग्न है ।

प्रत्येक समिति के सदस्यों के नाम पिता के नाम तथा जाति आदि की सूची संलग्न† है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस0 एस0 सिंह, भूतपूर्व विधि सलाहकार यू0 पी0 स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लि0 चुर्क (मिर्जापुर) की गबन के आरोप में सेवा समाप्ति

194—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि भू0 पू0 विधि सलाहकार, दि यू0 पी0 स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लि0 चुर्क (मिर्जापुर) को भ्रष्टाचार और गबन के आरोप में उनकी सेवाओं से 8 जून, 85 को बर्खास्त कर दिया गया है ? क्या निगम की सहकारी समिति द्वारा हजारों रुपये गलत तरीके से बिना स्योरिटी लिए दिए गये है ? यदि हां, तो उक्त धन की वसूली के लिए मंत्री जी ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

भूतपूर्व विधि सलाहकार श्री एस0 एस0 सिंह की सेवायें दिनांक 8 जून, 1985 को समाप्त कर दी गई है ।

जी नहीं । निगम की सहकारी समिति द्वारा नियमानुसार निगम के दो कर्मचारी सदस्यों की जमानत पर दिनांक 20 अक्टूबर, 1983 को श्री सिंह को रुपये 14,000 का ऋण दिया गया है ।

प्रश्नगत ऋण में से कुछ धनराशि की वसूली की जा चुकी है । शेष धनराशि की वसूली हेतु समिति ने नोटिस दिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर की ऊसर भूमि को उपजाऊ एवं खेती योग्य बनाने हेतु प्रस्तावित योजना

195—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जनपद गाजीपुर में परती पड़ी हुई सोलह हजार हेक्टेयर ऊसर भूमि को उपजाऊ एवं खेती योग्य बनाने हेतु सप्तम पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक उपरोक्त के सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

वर्ष 1982-83 के कृषि आंकड़ों के अनुसार जनपद गाजीपुर में 6751 हेक्टेयर ऊसर एवं खेती के अयोग्य भूमि है । ऊसर सुधार की योजना वर्ष 78-79 से चलायी जा रही है जिसके अन्तर्गत जनपद गाजीपुर भी आता है । वर्ष 84-85 तक 1864 हेक्टर ऊसर क्षेत्र सुधारा जा चुका है । सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में इस जनपद में ऊसर सुधार का कार्यक्रम जारी रहेगा । वर्ष 85-86 व 86-87 में क्रमशः 270 व 550 है0 ऊसर भूमि के सुधार का लक्ष्य निर्धारित है ।

इसके अतिरिक्त केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित ऊसर सुधार की एक प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत भी जनपद गाजीपुर के ऊसर भूमि के सुधार का कार्य सम्मिलित किया गया है ।

†छापी नहीं गयी ।

जनपद पिथौरागढ़ में मैग्नेसाइट एवं सोप स्टोन के खनन पट्टों की शर्तें एवं खान ब्यूरों के अधिकारियों का उत्तरदायित्व

196—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्यावरण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में व्यापारिक स्तर पर मैगनासाइट धातु अयस्क, खड़िया पत्थर आदि निष्कासन करने हेतु विभिन्न अवधि की लीजें (पट्टा) दिए जाते है ? यदि हां, तो इनके खनन से प्रभावी क्षेत्र में जंगलों, कृषि फल की खेतों व निवासियों को पर्यावरण से पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने तथा भूस्खलन आदि को बचाने के लिए क्या-क्या शर्तें लगाई जाती है ? इन शर्तों की पूर्ण रूपेण समुचित देख-रेख हेतु किस-किस अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । जनपद पिथौरागढ़ में मैग्नेसाइट एवं सोपस्टोन (खड़िया पत्थर) आदि के पट्टे स्वीकृत किये गये है ।

वर्तमान समय में दिए जाने वाले खनन पट्टों में पर्यावरण सुरक्षा तथा भू-स्खलन को बचाने के लिए खनन पट्टों में अन्य निर्धारित व आवश्यक शर्तों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें लगाई जा रही है :—

(1) पट्टेदार खनन कार्य के लिए लागू मेटलीफेरस माइन्स रेग्युलेशन के प्राविधानों का पूर्ण-रूप से अनुपालन करेगा ।

(2) पट्टेदार खनन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भारतीय खान ब्यूरो से स्कीम आफ डेवलपमेण्ट प्लान अनुमोदित करायेगा तथा उसी के अनुसार खनन कार्य करेगा ।

(3) क्षेत्र में सुरक्षित खनन कार्य प्रदूषण रोकने अथवा भूमि संरक्षण के सन्दर्भ में प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जो निर्देश पट्टेदार को दिये जायेंगे उनका वह पूर्णरूप से पालन करेंगे । यदि जारी निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो पट्टाधारक को सुनवाई का मौका देकर पट्टा समाप्त किया जा सकता है ।

नियमानुसार खनन कार्य सम्पादित हो, यह देखने का उत्तरदायित्व खान सुरक्षा विभाग (भारत सरकार), भारतीय खान ब्यूरो तथा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का है ।

निर्वाचन क्षेत्र लखना, इटावा में औद्योगिक केन्द्र की स्थापना की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(समय 12 बजकर 20 मिनट पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाने हेतु मैंने आपको लिखकर दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी सूचना प्राप्त हो गई है । इस पर मैं बाद में व्यवस्था दूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

ठीक है ।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे 33 सूचनाएं प्राप्त हो गई है । सभी को स्वीकार कर लिया गया है और कार्यवाही हेतु शासन को भेज दी गई है । वह पढ़ी हुई मानी जायेगी ।

श्री गया प्रसाद वर्मा—

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र लखना, जनपद इटावा तबाही की कगार

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पर है । क्वारी चम्बल, यमुना नदियों के बीच बसा है । वहां घना जंगल है । जमीन कृषि योग्य नहीं है और न ही कोई औद्योगिक केन्द्र है । जिससे वहां के बसने वाले लोग भूखे मर रहे हैं । पंचायती विभाग से दाल मिल बनने का प्रस्ताव है लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं की जा रही है । जब तक वहां भूमि सुधार कार्य जोरों पर नहीं चलाया जायेगा और एक औद्योगिक केन्द्र नहीं खोला जायेगा तब तक लोगों को भुखमरी से नहीं बचाया जा सकता है ।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि वहां एक औद्योगिक केन्द्र स्वीकृत कर उस पर कार्यवाही कराने का कष्ट करें ।]

मेसर्स इण्डिया लेदर इण्डस्ट्रीज, बाराबंकी में मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

[मान्यवर, जनपद बाराबंकी में मेसर्स इण्डिया लेदर इण्डस्ट्रीज 15 वर्षों से है और इसमें 300 श्रमिक काम करते हैं । उक्त कारखाने के मालिक श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं । कारखाने पर फैक्ट्रीज एक्ट, प्रावीडेण्ट फण्ड एक्ट तथा इ0 एस0 आई0 एक्ट लागू है परन्तु इनके द्वारा देय सुविधाओं से श्रमिकों को वंचित रखा गया है । इस कारखाने में शासनादेश संख्या 2567 (एच0 आई0) 36-2-30 (डी0 टी0) 81 लखनऊ, दिनांक 27 जुलाई, 1984 तथा शासनादेश संख्या 4333 (एच0 आई0)/ 36-2-30 (डी0 टी0) 7/81 लखनऊ, 13 नवम्बर, 1984 को लागू नहीं किया गया है । उक्त कारखाने में अगस्त माह का वेतन 8 सितम्बर तक नहीं बांटा गया । श्रमिकों के मांगने पर प्रबन्धकों ने 9 सितम्बर को उन्हें गेट से बाहर कर दिया ।

सम्पूर्ण श्रमिक हड़ताल पर है और कारखाना बन्द है । मालिकान अवैध हथकण्डे अपनाकर उत्तेजना पैदा कर रहे है श्रम विभाग मूक दर्शक बना है । मजदूरों में भारी असन्तोष है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

वाराणसी शहर में प्रमुख सड़कों के धंसने से असुरक्षा की भावना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शतरुद्र प्रकाश—

[मान्यवर, सम्प्रति वाराणसी की प्रमुख सड़कों के धंसने की घटना बढ़ती जा रही है जिससे लाखों काशीवासियों में असुरक्षा एवं आशंका की भावना बढ़ती जा रही है और शासन द्वारा इसके सही कारण न बताने तथा उचित व्यवस्था न कर पाने के कारण व्यापक पैमाने पर उहापोह उत्पन्न हो गया है । सितम्बर, 86 के प्रथम सप्ताह के गोरो-लिला, कबीर चौरा की सड़कों की धंसने की घटना अभी विस्मृत भी नहीं हो पायी थी कि दिनांक 15 सितम्बर, 86 के दूसरे सप्ताह में मैदागिन तथा विश्वेश्वर गंज की सड़कें धंस गयीं ।

विश्व की प्राचीन मुख्य साहित्यिक नगरी काशी के अस्तित्व को संकट उत्पन्न हो गया है । अगर समय रहते सरकार द्वारा सड़कों की देख-रेख न की गयी, सड़कों की अंधाधुंध खुदाई न रोकी

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गयी, प्राचीन शाही नाले एवं सीवर व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो वाराणसी शहर एक नाले में परिवर्तित हो जायगा ।

अतः जनहित में सरकार द्वारा तत्काल सड़क धंसने की प्रक्रिया को रोका जाय और विकास का कार्य काशी की वास्तुकला, भूगर्भीय स्थिति के अनुकूल ही किया जाय तथा काशी को बचाया जाय ।]

आजमगढ़, थाना मधुबन में श्री बलिराम चौहान की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विष्णु देव—

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ के थाना मधुबन के ग्राम खैरा व देवारा (दुवारी) के बलिराम चौहान की 17-6-1986 को दिन दहाड़े लाठियों से पीट पीटकर हत्या से उत्पन्न स्थिति को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । बलिराम चौहान बिलकुल निर्दोष व्यक्ति था, केवल बेगारी न करने पर उसे 17-6-86 को दिन में जब वह बाजार करने दुबरी जा रहा था, रास्ते में उसे लाठियों से पीट-पीट कर मरा हुआ समझ कर छोड़ दिया गया था । किसी प्रकार थाने पर पहुंचने पर उसके कथनानुसार रपट न दर्ज कराकर उसके भाई से आठ अभियुक्तों में से केवल चार के विरुद्ध 323 की रपट दर्ज की गयी । डाक्टर के खतरनाक चोट दर्ज करने पर भी पुलिस ने उसे सदर अस्पताल में भेजकर छोड़ दिया । कुछ ही घंटों बाद स्वयं के सदर अस्पताल जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गयी । स्थानीय पुलिस के इस दुर्व्यवहार से स्थानीय जनता में बहुत ही क्षोभ एवं असन्तोष पैदा हो गया है । अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर, सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

सदर बाजार, फिरोजाबाद में बिजली के तार से श्री शहजाद की मृत्यु होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

[मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय एवं हृदय विदारक घटना की ओर आकृष्ट करता हूं कि दिनांक 14-9-1986 को फिरोजाबाद सदर बाजार के मुहल्ला गंज के चौराहे पर ग्यारह हजार बोल्टेज की बिजली लाईन के खम्भा नं0 49 पर कसे तार के टूट जाने से आग लग गई और वही आग पोल के सहारे अर्थ के तार में लग जाने से वहीं पर 4-5 गज की दूरी पर खड़े फल विक्रेता श्री शहजाद पुत्र अलाउद्दीन को बिजली की चिनगारी ने खींच लिया जो वहीं पर तुरन्त गौत के मुंह में चला गया ।

मान्यवर, बिजली का करेन्ट पास में बनी 10—12 दुकानों में फैल गया जिससे दुकानों पर काम करते आदमी पटके खाने लगे और दुकानों को छोड़कर भागने लगे तब उनके प्राण बच सके । रास्ता चलते आदमी बिजली के झटकों से चोट खाकर गिरने लगे । यह क्रम करीब 3-4 घण्टे तक चलता रहा । बिजली वालों को सूचना हुई कोई नहीं आया । नागरिकों ने रास्ता बन्द कर लोगों की जान बचाई ।

अस्तु, आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करता हूं कि बिजली के पड़े पुराने कमजोर तारों को तुरन्त ठीक किया जावे और मृत शहजाद को 40,000 रुपया मुआवजा दिया जाये ।]

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

टाउन एरिया लालगंज, जिला रायबरेली में फायर बिग्रेड प्रोजेक्ट की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान रायबरेली जिले की लालगंज टाउन एरिया में अग्निशमन यंत्र की स्थापना जैसे जनहितकारी प्रश्न की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं । लालगंज में अब तहसील भी खुल गई है । जिसके अन्तर्गत, सरैनी, लालगंज, खीरौं, सतांव व डलमऊ विकास क्षेत्र की बहुत सी आबादी आती है । इस समय जिला मुख्यालय पर ही फायर बिग्रेड की स्थापना रहने से सरैनी क्षेत्र में गंगा नदी के कछारी इलाकों में बसे सैकड़ों गांवों में जिनकी जिला मुख्यालय से दूरी लगभग 60 कि0 मी0 से कम न होगी आग लगने पर उसको बुझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है । सरायखाण्डे, कोटिया एहतमाली तथा खजूरगांव आदि गांवों में हुए अग्निकांडों में ये गांव पूरी तरह खाक हो गये थे तथा लाखों की सम्पत्ति स्वाहा हो गई थी । लालगंज में फायर बिग्रेड प्रोजेक्ट की स्थापना से जिले के दूरस्थ दक्षिणी-पश्चिमी सीमा तक के सैकड़ों गांवों को अग्नि की विनाशकारी विभीषिका से बचाया जा सकेगा ।

अतः लालगंज टाउन एरिया में शीघ्र ही फायर बिग्रेड प्रोजेक्ट स्थापित किया जाय ।]

जनपद बांदा में फर्जी मुठभेड़ दिखाकर निर्दोष लोगों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सजीवन—

[मान्यवर, जनपद बांदा में दस्यु गिरोहों के सफाया अभियान में हजारों की संख्या में पुलिस और पी0 ए0 सी0 लगी है । डाकुओं का सफाया तो नहीं हो रहा है, परन्तु निर्दोष लोगों को फर्जी मुठभेड़ दिखाकर मारा जा रहा है ।

दिनांक 29-5-86 को बद्री लोध निवासी पवारी, थाना-रयपुरा व छोदिया आरख निवासी ग्राम अगरहुडा थाना रयपुरा को तथा दिनांक 12-8-86 को संतराम उर्फ सन्ता (चमार) निवासी ग्राम लोढ़िया, थाना कर्वी को पुलिस ने इनके घरों की लूटपाट की तथा घर से पकड़कर इनकी हत्या कर दी और मुठभेड़ का मामला दिखा दिया । जनपद बांदा की पिछड़ी जातियों विशेषकर कुर्मी जाति के लोगों को तथा हरिजनों को पुलिस खुलेआम डाकुओं का संरक्षण देने का आरोप लगाकर प्रताड़ित कर रही है, घरों पर छापा मारकर औरतों की बेइज्जती करती है । लूटपाट आए दिन की बात हो गयी है । लोगों को घरों से पकड़कर 216 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत करीब 300 निर्दोष लोगों पर मुकदमें कायम करके जेल में डाल दिया गया । हजारों लोग पुलिस जुल्म के कारण जनपद छोड़कर घर छोड़कर भागे-भागे फिर रहे हैं । बांदा जनपद में पुलिस जुल्म से आतंक व्याप्त है । न केवल जनपद बांदा बल्कि जनपद इलाहाबाद व फतेहपुर की भी पिछड़ी जातियों को अनावश्यक प्रताड़ित किया जा रहा है । इन योजनाओं से प्रदेश की पिछड़ी जातियों व हरिजनों में आक्रोश एवं रोष व्याप्त है । यह सरकारी नीति का दुष्परिणाम है जिससे पुलिस नंगा नाच करके, पिछड़ी जातियों व हरिजनों का उत्पीड़न कर रही है और आम जनता भी त्रस्त है । सम्पूर्ण प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 से कराई जाय और 216 के निर्दोष लोगों को बरी किया जाय । निर्दोष लोगों पर मुकदमें वापस लिये जायं । अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करता हूं ।]

दूषित जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[महोदय, आपकी अनुज्ञा से माननीय सदन तथा शासन के संज्ञान में यह तथ्य

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लाना चाहता हूं कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कम्पनियां बाजार में अत्यन्त घटिया स्तर की जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति कर रही है । उदाहरण के लिए 'लोमोडेक्स' की एक बोतल प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें फफूंदी तो है ही साथ में चींटी साफ दिखाई दे रही है । यह प्राण रक्षक दवा है जो कि आखरी सांस लेने वाले मरीज को इन्जेक्ट की जाती है । यह औषधि रेलीज इण्डिया लि0 की है तथा राजकीय चिकित्सालयों में सप्लाई की गई है । इस प्रकार की दवाओं से कितने ही रोगियों के प्राण संकट में पड़ते हैं । यह बोतलें अस्पतालों तथा बाजारों में पटी पड़ी हैं ।

मेरी मांग है कि जहां-जहां भी राजकीय चिकित्सालयों में इस दवा का स्टाक हो उसका इस्तेमाल तुरन्त रोक दिया जाय । बाजार में मनाही करा दी जाय तथा रेलीज इण्डिया लि0 के विरुद्ध जीवन रक्षक के बजाय जीवन भक्षक दवा बनाने के अपराध में कड़ी कार्यवाही की जाय ।]

विधान सभा सचिवालय, कर्मचारी के साथ पुलिस (सुल्तानपुर) द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजकिशोर सिंह—

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

श्री आदित्य कुमार दूबे जो कि विधान सभा सचिवालय में कर्मचारी हैं, ग्रामसभा-बेलासदा, थाना कोतवाली देहात सुल्तानपुर के निवासी हैं । दिनांक 15-9-86 को ये अपने गांव में अपनी भूमि पर निर्माण कार्य करा रहे थे । ग्राम प्रधान श्री शिव नारायण मिश्र आदि ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए थाना कोतवाली देहात थानाध्यक्ष श्री राम शिरोमणि पाण्डेय को मौके पर लाकर उपरोक्त श्री दुबे को भद्दी-भद्दी गालियां दिलवायी तथा थानाध्यक्ष ने एक फर्जी कागज पर श्री दुबे से जबरदस्ती हस्ताक्षर कराकर निर्माण कार्य रूकवा दिया और बाद में श्री दुबे को थाने ले जाकर अवैध ढंग से एक घण्टे हिरासत में रखा और अभद्रता का व्यवहार किया । श्री दूबे ने उसी दिन पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को थानाध्यक्ष श्री राम शिरोमणि पाण्डेय आदि के खिलाफ प्रार्थना-पत्र दिया । थानाध्यक्ष के उपरोक्त दुर्व्यवहार से न केवल गांव बल्कि पूरे क्षेत्र की जनता में थानाध्यक्ष के विरुद्ध घोर असंतोष व्याप्त है ।

अतएव इस मामले में थानाध्यक्ष को निलंबित करने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की शासन से मांग करता हूं ।]

प्रदेश में कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, सिंचाई विभाग तथा सहकारिता विभाग में समन्वय न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यदुनाथ सिंह—

[मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना आवश्यक है कि आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, सिंचाई विभाग, सहकारिता विभाग में समन्वय न होने के कारण उपभोग के समर्थन का मूल्य निश्चित नहीं हो पा रहा है । चावल के तीनों किस्म 8 पैसा प्रति किलो बढ़ने की सम्भावना हो गयी है । जब कि चावल 2.50 पैसे प्रति किलो से लेकर 3.00 रुपये प्रति किलो जनता में बिकने की आवश्यकता है । प्रदेश में 22 जनपदों में सूखा ग्रस्त घोषित हो गये हैं । खाद्य समस्या भयंकर हो गयी है ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पिछड़े काम करने वालों में असंतोष है । कार्य के बदले अनाज वाली योजना लागू करने की शासन से तत्काल अपेक्षा है ।]

राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों का विनियमितीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन सिंह माहरा—

[माननीय, मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ में श्रीमती सुरक्षा सिंह व आठ व्यक्ति जूनियर एनालिटिकल असिस्टेन्ट (खाद्य) के पद पर तदर्थ आधार पर लगभग आठ वर्षों से कार्यरत है परन्तु मार्च 1984 के शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में अभी तक विनियमितीकरण न किये जाने के कारण कर्मचारियों में काफी असंतोष व्याप्त हो गया है ।

अत: मैं शासन से मांग करता हूं कि शासकीय नीति के अनुसार उक्त कर्मचारियों का विनियमितीकरण करने हेतु आदेश जारी किया जाय ताकि कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष समाप्त हो जाय ।]

उ0 प्र0 पुलिस एवं पी0 ए0 सी0 कर्मियों में असन्तोष होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मित्रसेन—

[माननीय, उ0 प्र0 पुलिस कर्मियों एवं पी0 ए0 सी0 में अपनी जायज मांगों को लेकर गहरा असंतोष व्याप्त है । पुलिस को जन कल्याणकारी बनाने के लिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशें लागू करने की जोरदार मांग की जा रही है । पुलिस कर्मियों के समक्ष वेतन और भत्ते की बढ़ोत्तरी, कर्मचारियों के निवास की उचित व्यवस्था, बैरकों के आवासीय सुविधा में सुधार, पुलिस मेस में सस्ते और अच्छे भोजन की व्यवस्था, पुलिस कर्मियों से 8 घन्टे से अधिक काम न लेने, पदोन्नतियों की मनमानी और तानाशाही रोकने और पदोन्नतियों में स्पष्ट नीति अपनाने, सचिवालय में तैनात पुलिस कर्मियों की तरह कर मुक्त विभागीय दुकानों की सुविधा प्रदान करने की बुनियादी सवालों को लेकर जोरदार मांग की जा रही है । पुलिस कर्मियों और पी0 ए0 सी0 के जवानों को अपनी बुनियादी सवालों को उठाने का कोई संगठनात्मक माध्यम न होने के कारण वे पुलिस परिषद् बनाने की जोरदार मांग कर रहे हैं और देश के 14 प्रान्तों में पुलिस परिषद् के गठन की मान्यता मिल जाने से उनकी पुलिस परिषद् की मांग तर्कसंगत और न्यायोचित है । जब कि शासन तंत्र के सभी अंगों एवं विभागों में छोटे से लेकर उच्च अधिकारियों तक को आवश्यक सेवा में रहते हुए भी संगठन बनाने की छूट दी गयी है । फिर पुलिस को जन कल्याणकारी बनाने के लिए पुलिस परिषद् गठित करने की अनुमति न देने का कोई औचित्य नहीं है ।

अतएव हमारी आपके माध्यम से शासन से मांग है कि पुलिस और पी0 ए0 सी0 में पुलिस परिषद् के गठन के प्रश्न को लेकर उनमें व्याप्त असंतोष और आक्रोश को देखते हुए पुलिस परिषद् के गठन को मान्यता दी जाय और उनके नेता राम आशीष राय को जेल से मुक्त किया जाय ।]

इलाहाबाद नगर में सीवर मेन होल की दुर्दशा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

[माननीय, इलाहाबाद नगर के सीवर मेन होल मौत के कुएं बनते जा रहे हैं ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हजारों मेन होल के ढक्कन गायब हैं और आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं । इस तरह पिछले पखवारे में चार बच्चों की मौतें हो चुकी हैं तथा प्रतिदिन औसतन 10, 12 व्यक्ति नगर में सड़क की रोशनी गायब होने से अंधकार में गिरकर अपना हाथ पैर तुड़वा रहे हैं । स्वास्थ्य तथा जल-संस्थान विभाग के अधिकारीगण कान में तेल डालकर सो रहे हैं । इस सम्बन्ध में, कई बार घटना प्रदर्शन करने के बावजूद नगर महापालिका, जल-संस्थान तथा स्वास्थ्य विभाग एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए समाधान की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं । 15 सितम्बर को प्रयागघाट, दारागंज निवासी श्री माखन लाल की 6 वर्षीय पुत्री, निकट स्थित मेन होल में गिरकर काल के गाल में समा गयी । इसी प्रकार अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में मुट्ठीगंज, प्रयाग स्टेशन के निकट तथा कर्नलगंज मुहल्लों में हुई बच्चों की मौत से इलाहाबाद के नागरिकों में भय तथा आतंक व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल बच्चों की मौतों की क्षतिपूर्ति, दोषी अधिकारियों को दंडित तथा मौत के कुएं रूपी इन मेन होलों को बन्द कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद उन्नाव में फैक्ट्रियों के दूषित जल का कुप्रभाव होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोहर लाल—

[माननीय, उन्नाव जनपद सदैव सूखा व बाढ़ से प्रभावित रहता है । इस साल अनावृष्टि के कारण जनपद में भयंकर सूखा व्याप्त है । 60 फीसदी से ज्यादा फसलों का नुकसान हो चुका है । उन्नाव जनपद में लगी हुई फैक्टरियों के द्वारा गन्दा व प्रदूषित जल उन्नाव के गांव मगरवारा, अकरमपुर, पौनी, घोघी, रौतापुर तथा कटरी पीपर खेड़ा आदि गांवों से होता हुआ गंगा जी में गिरता है । यह प्रदूषित जल गांव के तालाबों में व खेतों में भरकर इकट्ठा होता है जिससे जानवरों तक को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है और दूसरी तरफ महामारी फैलने का डर बना हुआ है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि उन्नाव जनपद की उन फैक्टरियों पर रोक लगायी जाय जो इस प्रकार का गन्दा जल प्रभावित कर रहे हैं ।]

हसनपुर, मुरादाबाद में चिकित्सालय भवन के निर्माण में विलम्ब होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौशिक रमाशंकर—

[माननीय, मुरादाबाद जनपद में हसनपुर एक अच्छा नगर है । 30—40 वर्षों से वहां नगरपालिका है किन्तु ऐसे नगर में भी उपयुक्त चिकित्सा उपलब्ध नहीं है । एक 24 बिस्तरों वाला अस्पताल निर्माणाधीन है । 7 वर्ष उसे बनते हुये हो गये हैं । शासन की लापरवाही और पैसों के आवंटन में देरी के कारण उक्त भवन का निर्माण बीच-बीच में रुकता रहा है । आज निर्माण के अन्तिम चरण में होते हुये भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, 25 हजार की आबादी का नगर तथा नगर के आस-पास के हजारों ग्रामवासी उपयुक्त चिकित्सा सुविधाओं से वंचित है । हसनपुर नगर तहसील का मुख्यालय है । जनता को अत्यन्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । श्रीमन् सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से मांग करता हूं कि तुरन्त अन्तिम चरण के निर्माण को पूरा कराके चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें ।]

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नरैनी, बांदा में प्रस्तावित रसिन बांध का कार्य अपूर्ण होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा—

[मान्यवर, बांदा जनपद के नरैनी तहसील में प्रस्तावित रसिन बांध का सर्वे एवं कुछ निर्मित होने के बाद कोई कार्य न होने से यह करोड़ों रुपये की योजना खटाई में पड़ी है जिससे किसानों की हजारों एकड़ भूमि की लहलहाती फसल, बिना सिंचाई सुविधा के सूख-कर यह क्षेत्र वीरान हो जाता है और प्रति वर्ष इस क्षेत्र का हजारों किसान मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच जाता है तथा विवश होकर प्रति वर्ष हजारों की तादाद में दूसरे प्रदेशों में अपनी रोजी-रोटी के लिये पलायन कर जाता है । जिससे किसानों एवं मजदूरों में भीषण जनाक्रोश एवं निराशा व्याप्त है किसी भी समय यह भीषण जनाक्रोश आन्दोलन रास्ते से सड़क पर उतर आयेगा ।

अतः मांग करता हूं कि अविलम्ब रसिन बांध का निर्माण कराया जाय और इस क्षेत्र को भुखमरी से बचाया जाय ।]

तहसील फरेन्दा, गोरखपुर में बाढ़ से तबाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हर्ष वर्धन—

[मान्यवर, गोरखपुर जनपद की फरेन्दा तहसील का उत्तरांचल तथा रोंहिन नदी के किनारे बसे गांवों में बाढ़ से भयंकर तबाही मची हुयी है । नेपाल से भारत आकर बहने वाले नालों पर सिंचाई विभाग द्वारा कोई दूरगामी योजना न बनाये जाने के परिणामस्वरूप नेपाल से आये हुये जल के कारण लक्ष्मी-पुर, मिसरौलिया एवं बृजमन गंज विकास खण्ड के इन गांवों में बाढ़ से तवाही हुयी है जहां इसके पूर्व कभी भी बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा था । सम्बन्धित क्षेत्र में 10,000 के लगभग घर गिर गये है तथा फसल की व्यापक क्षति हुयी है । रोंहिन नदी पर मछली गांव और लक्ष्मी पुर में बांध टूट कर बह गया । चहरी पर बांध जयपूरिया उद्योग घराने ने लगभग 10 मीटर बांधने नहीं दिया, परिणामस्वरूप रोंहिन नदी का पानी ने उक्त रास्ते से घुसकर भयंकर तबाही मचा दी है । फरेन्दा विकास खण्ड के लगभग 10 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुये है । पूरे फरेन्दा तहसील में सिचाई विभाग की अकर्मण्यता तथा अपर्याप्त राहत दिये जाने के कारण व्यापक असन्तोष व्याप्त है । अतएव लोक-महत्व के इस अविलम्बनीय विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार से मांग करता हूं कि फरेदा तहसील के गिरे हुये घरों को बनवाने हेतु पर्याप्त मुआवजा दिया जाये । क्षति को देखते हुये सारी वसूली स्थगित कर दी जाये तथा संबंधित गांवों में जल निगम द्वारा पीने के पानी की अविलम्ब व्यवस्था कराते हुये महामारी से बचाने के लिये दवा का व्यापक छिड़काव कराया जाये ।]

विकास खण्ड बिछिया, उन्नाव में निर्माण कार्यों में बरती गयी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्र भान मौर्य—

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन एवं शासन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को लाना चाहता हूं । जनपद उन्नाव के अन्तर्गत विकास खण्ड, बिछिया में एन0 आर0 ई0 पी0, स्पेशल कम्पोनेन्ट, डी0 आर0 डी0 ए0 तथा आर0 ई0 एस0 के अन्तर्गत जो सड़के, पुलिया, नाली, गोबरगैस प्लान्ट एवं हरिजनों को आवास निर्मित किये गये है उसमें भारी पैमाने पर धांधली, भ्रष्टाचार एवं बेईमानी की गयी है । उदाहरण स्वरूप ग्राम तौरा में तीन आवास हरि-

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनों जिनके नाम तुलसी, चन्दा एवं राम लाल के बनाये गये, उसमें प्रशासन द्वारा 9-9 हजार रुपये प्रति आवास स्वीकृत थे । प्रति व्यक्ति 6-6 हजार रुपये उसी मोहल्ले के नाली एवं खडंजे, में लगाये गये जो अधूरा पड़ा है और जिसमें लगभग 4 हजार रुपये केवल खर्च हुए है । इन आवासों में नम्बर 3 और पोला ईंटा लगाया गया है । कई गोबरगैस प्लाण्ट फर्जी है जो कागजों पर ही सीमित है । इससे जनता में भारी रोष एवं क्षोभ है । अत: आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि उक्त सभी कार्यों की जांच बी0 एस0 सी0 द्वारा कराकर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित कराया जाय ।]

जनपद देवरिया में छोटी गण्डक नदी में बाढ़ के कारण तहसील हाटा व सलेमपुर निवासियों के समक्ष संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सूर्य प्रताप शाही—

[मान्यवर, जनपद देवरिया में अगस्त के अंतिम सप्ताह में छोटी गण्डक नदी में अचानक भयंकर रूप से आई बाढ़ के कारण तहसील हाटा, देवरिया तथा सलेमपुर के लगभग 400 गांव भयंकर रूप से जलमग्न हो गये और हजारों हेक्टेयर खरीफ की फसल डूब गई और हुजारों मकान गिर गए किन्तु जनता में राहत सामग्री का विवरण ठीक ढंग से नहीं किया गया । बाढ़ग्रस्त लोगों में मिट्टी का तेल प्रति परिवार मात्र 1 लीटर तथा राशन 20 किलो ही दिया गया । गिरे मकान को अब तक क्षतिपूर्ति नहीं मिली है । पानी के सड़ने से हैजे और इन्सेफेलाइटिस टाइप की गम्भीर बीमारियां फैल रहीं है । टीके और छिड़काव न होने के कारण जनता के स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा है ।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

बस्ती जिले के उत्तरांचल में पशुओं की भयंकर बीमारी फैल जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

[मान्यवर, बस्ती जिले के उत्तरांचल में विगत एक माह से पशुओं में भयंकर बीमारी फैली हुई है । बीमारी का रूप यह है कि अचानक पशु का पेट फूल जाता है । उसका दम घुटने लगता है । वह मुंह से जोर-जोर से सांस लेने लगता है। उसकी गरदन टेढ़ी होती जाती है और जीभ निकाल कर दम तोड़ देता है । बीमारी का प्रगट रूप तथा पशु का अन्त कुल दो घन्टे में हो जाता है । इस बीमारी से अब तक सैकड़ों गायों, बैलों और भैंसों के मरने की सूचना मिली है । बांसी विकास खण्ड के ग्राम नगवा, मटौली, उस्का, उस्की, सिंसहनियां आदि ग्रामों में मैंने स्वयं जाकर पूछताछ की है तो इन पांचों ग्रामों को इस बीमारी से अब तक 9 भैंसें, 8 बैल और 7 गाय मर चुकी हैं । समस्या यह है कि गांव का व्यक्ति पशु के पेट फूलने के बाद ही सचेत हो पाता है और जब तक पशु चिकित्सालय से किसी प्रकार की चिकित्सीय सहायता उपलब्ध हो पशु मर जाता है ।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल डाक्टरों का एक विशेष दल बस्ती जिले के पूर्वांचल में भेजकर इस रोग के कारणों का पता लगायें तथा पशुओं के प्राण रक्षार्थ आवश्यक दवाओं तथा उपचार का प्रबन्ध करें ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की शिकायत होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

[मान्यवर, विगत सत्र 2-4-86 एवं 20-3-86 को 301 के उत्तर के संदर्भ में जनपद इलाहादाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी रवीन्द्र नाथ बनर्जी पर भ्रष्टाचार के कथित आरोप शासन द्वारा जांच कराने पर सिद्ध पाया गया । फलस्वरूप उपरोक्त भ्रष्ट शिक्षा अधिकारी जो अपने तथा कथित दलालों के साथ भारी रकम लेकर संस्कृत तथा उर्दू में फर्जी नियुक्तियां की थी, शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है । खेद है कि उक्त भ्रष्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी को दण्डित करना तो दूर रहा अभी तक स्थानान्तरण भी नहीं किया गया है ।

मान्यवर, बल्कि उसे संरक्षण इस बात का प्राप्त है कि पुनः वह अपने तथाकथित दलालों में श्री हैदर अली एवं शिव शेखर आदि को लेकर जो विद्यालय में एक दिन भी पढ़ाने नहीं आते हैं, 2000 रुपये प्रतिदिन किराये पर एक अम्बेसडर कार लेकर उक्त अधिकारी के साथ रहते हैं । कार्यालय से क्षेत्र तक विद्यालयों में घूम-घूम कर अध्यापकों के स्थानान्तरण पोस्टिंग एवं सेलेक्शन एवं भर्ती के लिए भारी रकम वसूल रहे हैं । उधर निकाले गये अध्यापक अपने पैसे वापस करने की मांग कर रहे हैं जिसकी अदायगी के लिए दूसरा भ्रष्टाचार शुरू किया गया है ।

अतः लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल उक्त अधिकारी को हटाकर दंडित किया जाये ।]

मुरादाबाद में काशीपुर-रामनगर रोड पर चलने वाली प्राइवेट बसों के कर्मचारियों का जनता के प्रति दुर्व्यवहार तथा माननीय विधायकों को असुविधा होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि जनपद मुरादाबाद में काशीपुर-रामनगर रोड पर 80 किमी0 की दूरी में 22 प्राइवेट बसें चल रही हैं । 6 बसें मुरादाबाद से डिलारी की ओर चल रहीं हैं जो हर समय भूसे की तरह भर कर चलती हैं । बस यूनियन वाले 125 सवारियों से कम नहीं भरते जिससे महिलाओं, बूढ़ों व बच्चों को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है । यह बसें अपने हेड क्वार्टर से ही भर जाती हैं टाउन एरिया भोजपुर व पीपलसाना पर यात्री सारा दिन प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं । 11 बसों को इन्होंने मेल बना दिया है आर0 टी0 ओ0 मुरादाबाद व नैनीताल व इस रूट पर पड़ने वाले समस्त थानों से इनका मासिक पैसा बंधा हुआ है । उक्त यूनियन वाले हर प्रकार के अधिभार एवं करों की चोरी कर रहे हैं । एक चक्कर दिखा कर कई चक्करों का इनकम टैक्स बचा रहे हैं । एक परमिट की आड़ में कई-कई बसें चला रहे हैं । इन्होंने विधायकों की मोहरें बनवा रखी हैं जिसके द्वारा ए0 आर0 टी0 ओ0 मुरादाबाद से मिलकर यह शादी पार्टियों एवं तीर्थ स्थानों की यात्रा के उद्देश्य से पर-

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मिट बनवाते हैं । इस यूनियन की अनेकों नम्बर-2 की बसें अभी हाल में ही अजमेर शरीफ गयी थीं । बस नंबर यू0 एच0 सी0 408 के मालिक ने रक्षा-बंधन के दिन जाम लगा कर समस्त यातायात साढ़े तीन घण्टे अवरुद्ध कर दिया व काशीपुर वाली ट्रेन को भी 45 मिनट रोके रखा, इनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 148 ए/86 थाना भोजपुर पंजीकृत हुआ है । उक्त बस वाले काफी शक्तिशाली हैं, इसी कारण से माननीय विधायकों को बैठने के लिए कोई रिजर्व सीट नहीं रखते हैं ।

मैं इनकम टैक्स अधिकारी आर0 टी0 ओ0 मुरादाबाद व आर0 टी0 ओ0 नैनीताल सहित उक्त बस यूनियन वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं व मुकदमा उपरोक्त में भाग लेने वाली बसों के परमिट निरस्त करने एवं नये परमिट जारी करने की मांग करता हूं ।

आगरा मण्डल में नहरी राजबहा व माइनरों के अवैध कटान होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

[मान्यवर, संपूर्ण आगरा मंडल भयंकर रूप से सूखा पीड़ित है । दो माह से वर्षा न होने के कारण सभी फसलें सूख कर पूरी तरह नष्ट हो गयीं । आगरा मण्डल के अन्तर्गत अलीगढ़ जनपद में सूखे का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है । यहां उपलब्ध सिंचाई साधनों में बिजली की आपूर्ति नियमित न होने और जल स्तर गिर जाने से नलकूप कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसी स्थिति में एक मात्र नहरी सिंचाई का माध्यम ही शेष रह जाता है । गत माह से नहर राजबहा माइनरों के अवैध कटान के कारण नहरों में उपलब्ध जल का सिंचाई कार्यों में प्रयोग नहीं हो पा रहा है । नहरों के अनुचित कटाव से अधिकांश पानी अनावश्यक रूप से बहकर नष्ट हो जाता है । खरीफ की अवशेष फसलों को बचाने तथा आगामी रबी की फसल की बुवाई के लिए नहरों के अवैध कटान को रोककर सिंचाई सुलभ कराने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये जायें ।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के माध्यम से शासन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

देवरिया जनपद में पडरौना व सेवरही में पिपराघाट तटबन्ध की दुर्दशा होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बालेश्वर—

[मान्यवर, लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में आपके माध्यम से लाना चाहता हूं । देवरिया जनपद के दो विधान सभा क्षेत्र पडरौना तथा सेवरही बिहार के पश्चिमी चम्पारन बिहार विधान सभा क्षेत्र धनहा से लगा हुआ है । इनके इसी धनहा क्षेत्र में पिपरासी पिपराघाट तटबन्ध बना हुआ है । उपरोक्त तटबन्ध पर बिहार सरकार द्वारा सिंचाई विभाग से 1960-61 से बाढ़ निरोधक कार्य हो रहे हैं । परन्तु आज तक बिहार के सिंचाई विभाग के अभियन्ता इस बन्ध को बचाने में असक्षम रहे हैं । प्रतिवर्ष टूटता जा रहा है और हर वर्ष टूटने से बिहार का तो कम लेकिन उत्तर प्रदेश के उपरोक्त दोनों विधान सभाओं की जनता हर वर्ष की बाढ़ की भीषण मार से कराह रही है । सरकार राहत के नाम पर कुछ राशन, मिट्टी का तेल बंटवाकर जनता को संतोष देती आ रही है । इस वर्ष दिनांक 14/15 की रात दो बजे के करीब उक्त बन्धा कुड़वा स्थान पर

नोट :—[ ] यह अंश पढा हुआ माना गया ।

लगभग आठ सौ मीटर की लम्बाई से टूट गया है जिससे लगभग ढाई सौ मीटर ऊंचाई से पानी बहना शुरू हुआ है जिसके कारण तमाम लोग और जानवर उससे बहकर मर गये हैं । क्षेत्र की जनता मे हाहाकार मचा हुआ है ।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि देवरिया जनपद के दोनों विधान सभा क्षेत्रों की जनता को डूबने और क्षति होने से बचायें और वहां की जनता को मुआवजा प्रदान करें तथा केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड को उपरोक्त बंधे को सौंपने की संस्तुति करें ।]

उत्तरकाशी एवं टेहरी क्षेत्र के कुछ निवासियों को अनुसूचित जनजाति घोषित न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

डाक्टर दिनेश जौहरी—

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करना चाहता हूं । जिला उत्तरकाशी के नौगांव, मोरी, पुरोला विकास खण्ड तथा टिहरी जिले के थत्यूड़ विकास खण्ड की जनता को अनुसूचित जनजाति घोषित किये जाने की मांग काफी समय से चल रही है और समय-समय पर जनता द्वारा विशाल धरने व आन्दोलन होते रहे हैं, सितम्बर 1983 एवं 84 में मांग को बल देने के लिये जेल भरो आन्दोलन काफी दिनों तक चलाया गया, 1984-85 में कई लोग क्रमिक अनशन पर बैठे, इसी मांग के सन्दर्भ में 30 मई, 86 से पुन: बड़कोट में भूख हड़ताल शुरू हुई, हजारों लोगों द्वारा बड़कोट पुरोला एवं धनोष्टी तहसील मुख्य कार्यालय पर क्रमिक अनशन भी किये गये । नौ सत्याग्रहियों को पुलिस ने 309 के मुकदमें कायम करके जेल में बन्द कर दिया । उपरोक्त मांगों के पूरा न होना, गिरफ्तार लोगों को न छोड़ना एवं मुकदमें वापिस न किये जाने के कारण जनता में रोष बढ़ता जा रहा है एवं 22 सितम्बर, 86 तक यदि उपरोक्त मांगों को नहीं माना गया तो संघर्ष समिति ने आन्दोलन तेज करने का निर्णय लिया है । जिसमें स्थिति विस्फोटक भी हो सकती है । अत: आप से अनुरोध है कि तुरन्त इस क्षेत्र के नागरिकों को अनुसूचित जनजाति घोषित किये जाने, बिना शर्त भूख हड़तालियों के विरुद्ध मुकदमें वापिस लिये जाने हेतु सरकार को निर्देशित करें ।]

जनपद बांदा निवासी श्री हीरा लाल पांडेय को बहराइच से रिवाल्वर का लाइसेन्स दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री मयंकर सिंह—

[मान्यवर, अत्यन्त अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि बहराइच जनपद में घोर देशघाती हरकतें प्रशासन द्वारा की जा चुकी है । बहराइच के जिला प्रशासन द्वारा एक ऐसे व्यक्ति हीरा लाल पाण्डेय को रिवाल्वर का लाईसेन्स प्रदान किया जा चुका है जो नरैनी बांदा जिले के ददुवा गिरोह से संबंधित तथा वर्तमान समय में मीसाबन्दी है । उसे बहराइच के पते पर दर्शाया गया है और उसका पता 7--पुलिस लाइन बहराइच दिखाया गया । वह किसी का आवासीय पता न होकर पुलिस अधीक्षक बहराइच का सरकारी आवास है । साथ ही वहां पर राबर्ट नेस्तर नामक व्यक्ति को लाइसेंस दिये जाने की संस्तुति पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा दी गयी थी जो भारत का नागरिक नहीं था, जिस कारण उसे देश निकाला दिया गया है ।]

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हलीम मुस्लिम महाविद्यालय, कानपुर के बन्द होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम—

[मान्यवर, हलीम मुस्लिम महाविद्यालय विगत माह से कानपुर महानगर में लोकचर्चा का विषय बना हुआ है । इस महाविद्यालय की प्रबंध समिति विगत कई वर्षों से बिना किसी उचित कारण के विद्यालय को बन्द करके छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करती है । प्रबंध समिति में व्यापक अनियमितताएं हैं । छात्रों को उचित शिक्षा प्राप्त हो इसे दृष्टि में रखते हुये इस महाविद्यालय में प्रशासक की नियुक्ति किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है । प्रबन्ध समिति ने महाविद्यालय को अनिश्चित-काल के लिये बन्द कर दिया है, जिससे छात्र एवं छात्रायें प्रवेश तथा शिक्षा अध्ययन के लिये भटक रहे हैं । इस महाविद्यालय से लगभग एक हजार छात्र छात्राओं का भविष्य जुड़ा हुआ है । अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर धारा 301 के अंतर्गत ध्यान आकर्षित करते हुए मैं मांग करता हूं कि शासन इसकी जांच कराकर इस महाविद्यालय का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लें ताकि महाविद्यालय अध्ययन के लिये खुल सके एवं प्रबन्ध समिति द्वारा की गयी लाखों रुपयों की गबन की जांच भी हो जाय ।]

आर0 टी0 ओ0, गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्यों तथा आवंटन की शिकायत होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

[आर0 टी0 ओ0, गोरखपुर में विगत वर्षों से परमिट के आवण्टन में व्यापक पैमाने पर धांधली की जा रही है । अभी माह जनवरी, 86 में 6, 7व 9 को आर0टी0ओ0 की एक बैठक बुलायी गयी थी जिसमें नियमानुसार सदस्य उपस्थित नहीं थे । सचिव ने एजेण्डे के तथ्यों को छिपाकर एक परिवार में कई पूर्व परमिट धारकों, नाबालिकों अवैध संचालन करने वालों एवं निगम में अनुबन्धित बसों को परमिट दिलवायें हैं । प्रश्नावली एवं शपथ पत्र रहित अधूरे प्रार्थना-पत्रों पर देवी शंकर, राम किंकर उपाध्याय एवं जीत नारायण शुक्ल को परमिट दिलवाये गये । शिक्षित बेरोजगार के नाम पर ला-ग्रेजुएट व गैर-स्नातक राशन के दुकानदार सरकारी कर्मचारी व 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को परमिट दिये गये । विज्ञप्ति संख्या 743/परमिट/85 का गजट में प्रकाशन न कराकर हरिजनों के आरक्षित परमिट सवर्णों को दिलाये गये । सहजनवां रुदौली मार्ग पर हरिजनों की आरक्षित दो वैकेन्सी राम रतन, धनई, राम रूप के रहते सवर्णों को परमिट दी गयी । अम्बिकेश्वर, अजय रमाकान्त को हरिजनों की वैकेन्सी में नहीं दिया गया । सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सिसंवा, हाटा, सिंगहा, पिपराघाट एवं कसया सिसवा-नहर मार्गों के बीच पड़ने वाले राष्ट्रीयकृत मार्गों पर यात्रीकर का अनुबन्ध कर अवैध संचालन को अधिकृत किये । अतएव उक्त तथ्यों की छानबीन की मांग शासन से करता हूं ।]

सरधना नगर, जनपद मेरठ में बिजली की अनियमित आपूर्ति से निवासियों को कठिनाई होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अब्दुल वहीद कुरेशी—

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से लोक महत्व का प्रश्न सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । सरधना नगर जनपद मेरठ का एक ऐतिहासिक तथा औद्योगिक नगर है । यहां के गरीब हरिजन, पिछड़े वर्ग तथा बुनकर लोग लगभग 80 प्रतिशत कपड़ा बुनकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं । इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे घरेलू कुटीर उद्योग धन्धे भी जैसे दियासलाई कपड़ा छपाई आदि से गरीब लोग अपनी

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

रोजी कमाते हैं । यहां पर भारत प्रसिद्ध चर्च, कई कालेज तथा बड़े हास्पीटल होने के बावजूद यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । जहां पर शासन को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । इस क्षेत्र में बिजली की बड़ी अव्यवस्था है यहां पर बिजली 6 घण्टे के औसत से ज्यादा नहीं आती है बल्कि 36-36 घण्टे बिल्कुल गायब रहती है । जिससे सस्ते मूल्य का कपड़ा तथा अन्य सामान गरीब जनता को नहीं मिल पाता । बिजली न आने से पावरलूम बन्द हो जाते हैं जिससे बुनकरों को पूरी मजदूरी नहीं मिल पाती है । जिससे मजदूरों में भुखमरी तक की नौबत आ जाती है । बिजली सायं से ही बन्द हो जाती है तथा दो फेज भी नहीं मिल पाती है तथा विद्यार्थी पढ़ भी नहीं पाते । इससे उनमें उत्तेजना तथा असन्तोष व्याप्त है और इस कारण जनता तथा विद्यार्थी प्रदर्शन तथा धरना देते हैं । इस विषय में शासन को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने का निदेश देने का कष्ट करें ।]

राष्ट्रीय बालिका विद्यालय बाबूगंज, लखनऊ के अंतर्गत तारावती सेठ माण्टेसरी स्कूल में व्याप्त अनियमितता के प्रति पुलिस की निष्क्रियता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, शिक्षा जगत में निर्मम शोषण अपने प्रदेश की विशेषता बन गई है । शासन की नाक के नीचे राजधानी में ही शिक्षिकाओं की विवशताओं का फायदा उठाकर प्रबन्धतंत्र द्वारा धन बटोरने का एक प्रकरण प्रकाश में आया है । राष्ट्रीय बालिका विद्यालय बाबूगंज, लखनऊ के अंतर्गत तारावती सेठ माण्टेसरी स्कूल में कम पैसे देकर ज्यादा पैसों पर शिक्षिकाओं को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया जाता रहा है । इस सिलसिले में लखनऊ के थाना हसनगंज में अपराध संख्या 418 धारा 420 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है तथा दस्तावेजी सबूत भी प्रस्तुत किये गये हैं किन्तु राजनीतिक दबावों के कारण जाल-साज प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्रवाई करने में पुलिस उदासीनता बरत रही है । जिससे स्थानीय जनता में रोष एवं असन्तोष व्याप्त है । सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल जालसाजी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करता हूं ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में तैनात स्थानापन्न अवर वर्ग सहायकों की लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली अर्हकारी परीक्षा के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश सचिवालय में तैनात स्थानापन्न अवर वर्ग सहायकों की लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा ली जाने वाली विशेष अर्हकारी परीक्षा में अपनायी गयी विभेदकारी नीति की ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार की एक विशेष अर्हकारी परीक्षा वर्ष 1972 में आयोजित की गयी थी, जिसमें स्थानापन्न अवर वर्ग सहायकों की चरित्र पंजिकाओं के लिये 200 अंक निर्धारित किये गये थे । इस प्रकार उसमें स्वच्छ चरित्र पंजी वाले स्थानापन्न अवर वर्ग सहायकों को प्रमुखता मिली । इस बार जो विशेष अर्हकारी परीक्षा अगस्त/सितम्बर, 1986 में आयोजित की गयी है, उसमें मेरी जानकारी के अनुसार चरित्र पंजिकाओं पर मात्र 100 अंक निर्धारित किये गये हैं । इस प्रकार यह एक ओर शासन की यह नीति पक्षपातपूर्ण है । वहीं दूसरी ओर इससे अच्छी चरित्र पंजिकाओं वाले सहायकों का उक्त परीक्षा में सफल होना संदिग्ध हो जायेगा । अतः आपसे अनुरोध है कि वर्ष 1972 की भांति इस बार भी चरित्र पंजिकाओं पर 200 अंक

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

निर्धारित कराकर सचिवालय के स्थानापन्न अवर वर्ग सहायकों को न्याय दिलाने का कष्ट करें ।]

तहसील किरावली, आगरा के अनेक ग्रामों में जल प्रदूषण से भयंकर बीमारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह—

[मान्यवर, जनपद आगरा की तहसील **किरावली में प्रदूषित पेयजल से गड़ीमा,** नगला, गड़ीमा, सीगना बुर्ज, जखा, सलेमाबाद, चौमाशाहपुर और टीकरी ग्रामों में हाइड्रोसील, जोड़ों में दर्द होना, जवानी में दांत उखड़ना और बाल सफेद होना, कमर झुकना तथा हाइड्रोसील और पाण्डु रोग भयंकर रूप से फैला हुआ है जिससे पीड़ित 75 प्रतिशत जानलेवा विभिन्न प्रकार की यातना व कष्ट को सहकर जीवित होने की दशा में भी मृतक जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं और टीकरी गांव में दर्जनों मौत पाण्डु रोग से हो गई हैं । इन भयंकर और जानलेवा रोगों के प्रति आगरे का चिकित्सा विभाग मौन और निष्क्रिय बैठा है । उक्त गांव का जीवन होने वाली मृत्यु की आशंकाओं से चिंतित व भय व्याप्त है । इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उक्त गांव का प्रदूषित पेयजल समस्या दूर कराई जाय और भयंकर रोगों का तुरन्त निदान कराने की प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जाय ।]

वाराणसी स्थित सिंधिया घाट सिद्ध हनुमान मन्दिर पर अनधिकृत कब्जे के प्रयास के विरोध में जनमानस में क्षोभ एवं असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री मैनेजर सिंह—

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से अविलंबनीय लोक महत्व के निम्न प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । वाराणसी नगर अंतर्गत सिंधिया घाट स्थित हनुमान मन्दिर तथा उसके सम्पत्ति पर अनाधिकार अराजकतत्वों द्वारा कब्जों का प्रयास किये जाने से उत्पन्न विषम परिस्थिति की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त हनुमान मन्दिर वाराणसी का एक प्रसिद्ध देव पीठ है जिसका निर्माण वहां के स्थानीय श्रद्धालु जनता द्वारा समय-समय पर कराया गया है । जहां नित्य भिक्षुजनों को भोजन नि:शुल्क कराया जाता है । दातव्य औषधालय भी चलाया जाता है साथ ही एक अखाड़ा, व्यायामशाला का भी सुप्रबन्ध चलता है । इस स्थान पर वाराणसी के एक कुख्यात अपराधकर्मी जो वर्षों से वाराणसी के मुहल्ला पशुपतेश्वर हल्का नं0—1, रजिस्टर नं0 8, थाना चौक, वाराणसी में प्रसिद्ध हिस्ट्रीशीटर के रूप में चर्चित है। उक्त मंदिर को हड़पना चाहते हैं और आपराधिक गोल बनाकर मंदिर के ऊपर कब्जा दखल करने का प्रयास कर रहे हैं । जिसे स्थानीय जनता के प्रबल प्रतिशोध के कारण सफल नहीं होने दिया जा रहा है । किन्तु स्थानीय चौक पुलिस की सांठ-गांठ से उक्त आपराधिक हिस्ट्रीशीटर श्री अन्जनी नन्दन पुत्र श्री उमापन्त, बी-क्लास हिस्ट्रीशीटर नं0-76 बराबर कब्जे की धमकी दे रहा है तथा स्थानीय श्रद्धालु जनता को जान-माल की धमकी भी दे रहा है । स्थानीय चौक पुलिस की सांठ-गांठ के कारण खतरा गम्भीर होता जा रहा है । ऐसी विषम परिस्थिति की ओर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 300 के अन्तर्गत मुझे 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । उन्हें आज न सुनकर कल सुना जायेगा ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने एक महत्वपूर्ण औचित्य का प्रश्न उठाया है । आज सूखे पर चर्चा होनी है । लेकिन इस बीच में कुछ परिस्थिति बदल गई । गोरखपुर, प्रतापगढ़ और रायबरेली में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है । इसलिए सूखे के विषय में यह बाढ़ का विषय भी जोड़ दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो सुझाव आपका आया है, वह पढ़ लिया गया है । आज सूखे पर चर्चा है, आपका जो औचित्य का प्रश्न आया है, उसमें है कि सूखे और बाढ़ दोनों पर चर्चा साथ-साथ हो । कोई रुकावट तो किसी को है नहीं, चाहे सूखे पर बोलें या बाढ़ पर बोलें, लेकिन, सोचा यह गया कि 3 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है, वह निर्णय ले लेगी तो बाढ़ पर अलग से चर्चा हो जायगी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, विधायकों के आवास के सम्बन्ध में . . .

श्री उपाध्यक्ष—

वह कल होगा, आप बैठें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

11 तारीख को डेढ़ दर्जन विधायकों को खाना नहीं मिला है, यह सारे विधायकों के सम्मान का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको कल सुनेंगे ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा बार-बार मना करने के बाद भी श्री शतरुद्र प्रकाश के बोलते रहने पर)

कुछ भी लिखा नहीं जायगा । इसे मैंने कल के लिये स्थगित किया है, कल सुनूंगा ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, जो विषय माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने उठाया है, चाहे इस पक्ष के विधायक हों या उस पक्ष के विधायक हों, मैं चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें कि जो पूर्व व्यवस्था थी, वही कायम रहेगी । जो रेजीडेण्ट कमिश्नर ने आदेश करके यह कर दिया है कि जो विधायक, वहां जायेंगे, उनसे परमीशन लेकर एलाटमेण्ट होगा और खाने का 10 रु0 लगेगा, इसके स्थान पर जो पूर्व व्यवस्था थी राज्य सम्पत्ति विभाग के द्वारा वही व्यवस्था लागू की जाय ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जिस समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया है इससे पहले भी कुछ घटनायें ऐसी हुई थीं, शासन को इसका पता चला था । जो भी व्यवस्था की गयी वह पहले ही से इस तरह के नियम थे, उनको अब कार्यान्वित किया गया, लेकिन यह देखा गया कि जो माननीय विधायकगण हैं, उनके आसानी के बजाय इससे असुविधा हुई । जो भी व्यवस्था हो रही है या राज्य सम्पत्ति विभाग कर रहा है, वह विधायकों की सुविधा के लिए कर रहा है लेकिन अगर वह सन्तुष्ट नहीं है तो जो पूर्व व्यवस्था थी वही लागू कर दी जायगी ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री पद्मा सेठ के बारे में आपको लिखकर दिया है कि उन्होंने अपने उत्तर से उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह कल लिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आप पहले मेरी बात को सुन लें तब अपनी व्यवस्था देने की बात कहें । आज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भी लोकायुक्त में श्रीमती पद्मा सेठ का एक मामला विचाराधीन है और उनको नोटिस जारी कर दी गयी है । उन्होंने जान-बुझ कर अधिकारी को छिपाने की चेष्टा की है ।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा और श्री औसान सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं आप कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

श्री औसान सिंह जी, आप कल बोल लें ।

(व्यवधान)

*श्री औसान सिंह—

मेरी हत्या करने के उद्देश्य से गुण्डे घूम रहे है जिन पर 325, 353 और 395 की दफायें है और उन गुण्डों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है । मैंने इसी आदरणीय सदन में उनके बारे में मामला उठाया था । उन गुण्डो ने हमको चुनौती दी है और कहा है कि आज नहीं तो कल और कल नहीं फिर कभी सदन में औसान सिंह की कन्डोलेन्स होगी । वे गुण्डे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके यही पर दारुलशफा में कमरा नं0 112 में ठहरे हुए है और एक भू0 पू0 विधायक को जिनको कि कमरा आज भी एलाट है उनके कमरे में वे ठहरे हुए है । पुलिस भी उन पर हाथ नहीं डाल पा रही है । जिन गुण्डों को मीसा के तहत जेल में बन्द होना चाहिये था, जिन पर 32 मुकदमें लगे हुए है, राजू भदौरिया और वीरेन्द्र भदौरिया, इन्होंने पुलिस पर भी हमला किया है, लेकिन आज तक राजनैतिक संरक्षण के कारण इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पायी है । मैं फिर कहता हूं कि मेरी हत्या निश्चित हो जायेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है, इसलिये मैं इस सदन के द्वारा आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय औसान सिंह ने जो सूचना दी है, इन असामाजिक तत्वों के कारण पूरा नगर बन्द हो चुका है, हड़ताल हो चुकी है फिर भी सरकार ने इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की । आज औसान सिंह की जान का और माल का खतरा पैदा हो गया है । दारुलसफा में ही जहां विधायकगण रहते है, मेरी निश्चित जानकारी है कि उसी में एक कमरे में इन असामाजिक तत्वों को संरक्षण मिला है और एक विधायक की हत्या का षड्यन्त्र किया जा रहा है । मेरी प्रार्थना है कि इस पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

यह माननीय औसान सिंह ने जो प्रश्न उठाया है, यह गम्भीर मामला है । मेरी निश्चित जानकारी है कि जैसा उन्होंने कहा, सच है । लेकिन अफसोस की बात है कि माननीय गृह मंत्री ने माननीय औसान सिंह की सुरक्षा की कोई बात नहीं की । उन गुण्डों में से एक गुण्डे पर 18 मुकदमें और दूसरे गुण्डे पर 32 से 36 मुकदमें है और गम्भीर आरोप है । इन गुण्डों को एक दरोगा ने गिरफ्तार किया तो माननीय गृह मंत्री ने तुरन्त उसका ट्रान्सफर कर दिया, इस-लिए पूरी तरह से उनको राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है । जो पुलिस अधिकारी उनसे लड़ना चाहता है उसको सजा दी जा रही है । आज स्थिति यह है कि जिस पर डेढ़ दर्जन मुकदमें हों वह राजनीतिक संरक्षण पा रहा है और किसी विधायक की हत्या के लिए षड्यन्त्र हो रहा है और माननीय गृह मंत्री ने उस दरोगा का तरन्त ट्रान्सफर कर दिया । पूरा का पूरा राजनैतिक संरक्षण उनको प्राप्त है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, इस तरह के रोज प्रश्न माननीय सदस्यों द्वारा उठाये जाते हैं, असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं, यह अशोभनीय बात है और किसी समय कोई अप्रिय घटना औसान सिंह के साथ घट सकती है, माननीय गृह मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, वह तत्काल आश्वासन दें कि अगर अपराधी उस कमरे में हैं, तो उनको गिरफ्तार किया जायेगा ।

गृह मन्त्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)—

मान्यवर, जो सूचना दी गयी है, उसके सम्बन्ध में समस्त प्रकरण की जानकारी कर ली जायेगी और जो उचित कार्यवाही होगी वह करूंगा ।

श्री औसान सिंह—

(सदन के फ्लोर की ओर जाते हुये) इससे काम नहीं चलेगा, कोई स्पष्ट आश्वासन दें ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, इस घटना के सम्बन्ध में मैंने कहा, इसके बारे में मेरी बात माननीय गृह मंत्री जी से भी टेलीफोन पर हो चुकी है । उसके बाद भी, कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसलिये इसको सदन में उठाना पड़ा है, उन गुण्डों को संरक्षण दिया जा रहा है, अगर वह दारुलशफा में है, तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिये, आप पुलिस को निर्देश दे दें कि उनको गिरफ्तार करें ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्रश्न माननीय सदस्य की सुरक्षा का है, प्रश्न दरोगा का नहीं है, एक दरोगा नहीं तो दूसरा और दूसरा नहीं तो तीसरा, जो भी रहेगा, वह करेगा। (व्यवधान) आप मेरी बात को तो सुनें । माननीय सदस्य की सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री औसान सिंह—

कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप शान्त हो जायें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, केवल सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, वह अपराधी कमरा नं0 112 में दारुलशफा में ठहरे हुए हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए माननीय मंत्री जी आश्वासन दें, वह अपराधी हैं और वान्टेड हैं और आज वह दारुलशफा में मौजूद हैं, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

माननीय सदस्य की सुरक्षा की व्यवस्था तो की जायेगी, अगर कोई अपराधी ठहरा हुआ है और कोई निश्चित जानकारी देने पर कि आदमी का नाम क्या है, कमरे का नम्बर क्या है....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा निश्चित जानकारी दी गयी है । दारुलशफा में अपराधी ठहरे हुये हैं और माननीय मंत्री जी छिपा रहे हैं, यह अफसोस और लज्जा की बात है । माननीय मंत्री जी तत्काल घोषणा करें कि उन अपराधियों को पकड़ा जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने सुरक्षा की तो बात कह दी । यह कोई बहस का तो मुद्दा नहीं है, वह मना तो नहीं कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री हरदेव—

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस पर मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं । मंत्री जी ने पूरे तौर से कार्यवाही करने का आश्वासन दे दिया है और उनकी सुरक्षा का भी आश्वासन दे दिया है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने एक निश्चित जानकारी दे दी है कि दारुल शफा के कमरा नम्बर 112 में वे लोग ठहरे हैं...

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर) ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस बात का अन्त कभी नहीं होगा । एक के बाद दूसरे माननीय सदस्य बोलते रहेंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है ।

श्री राम नरेश यादव—

मेरा एक व्यवस्था का सवाल है ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया) ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(कई सदस्य एक साथ बोल रहे थे) ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है । सदन की यह परम्परा रही है कि अगर इस सदन का कोई माननीय सदस्य अपनी पूरी जानकारी के अनुसार सदन को कोई जानकारी देता है तो यह सदन उसको सत्य मानकर उस पर कार्यवाही की सरकार से अपेक्षा करता है । यह परम्परा रही है और आपकी पीठ से बीसियों बार इस सम्बन्ध में निर्देश भी दिये गये हैं । लेकिन आज एक नई बात गृह मंत्री जी ने कही कि वे जांच करायेंगे । माननीय औसान सिंह ने एक डेफिनिट सूचना सदन को दी कि दारुलशफा के कमरा नम्बर 112 में कई हार्डेन्ड क्रिमिनल्स रुके हुए है । मैं गृह मंत्री जी से उनके आचरण को देखते हुये जैसा कि उन्होंने बुलन्दशहर के मामले में सत्य पर पर्दा डालने का प्रयास किया था, न्याय की कोई अपेक्षा नहीं करता । हम आपसे निर्देश की अपेक्षा करते हैं कि जो सदन की परम्परा रही है कि अगर कोई माननीय सदस्य जिम्मेदारी के साथ अपनी निजी जानकारी के आधार पर कोई सूचना देता है तो उसको सत्य मानकर उस पर कार्यवाही की जाती है । मंत्री जी ने इस विषय में कुछ नहीं कहा है । इसलिये मैं आपसे चाहता हूं कि उस परम्परा के बारे में

नोट :—[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उस पीठ पर बैठकर उसे आप खंडित कर रहे हैं या सरकार को उस परम्परा के पालन का निर्देश दे रहे हैं, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, चाहे इस पक्ष के सम्मानित सदस्य हों या उस पक्ष के सम्मानित सदस्य हों, हैं दोनों सम्मानित सदस्य । एक सम्मानित सदस्य ने बड़ी गम्भीरता के साथ अपनी सुरक्षा के संबंध में चर्चा की और यहां तक कि सदन के संज्ञान में भी उस बात को लाने का काम किया कि वह आपराधिक तत्व ए ब्लाक के कमरा नं0 112 में रह रहे हैं । उसके बाद भी गृह मंत्री यह ध्यान दें कि यदि वे मुझे जानकारी दे देंगे तो मैं कार्यवाही करूंगा, यह कहां तक उचित है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । जब सदन के संज्ञान में एक बात आ गई और सम्मानित सदस्य ने सारी स्थिति सदन के सामने रख दी तो ऐसी सूरत में क्या फिर से लिखकर देने की परम्परा चलेगी या उन्होंने जो बात कही है उस पर माननीय गृह मंत्री या सरकार कार्यवाही करेगी ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

पहले सुन लीजिये । माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिये ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि व्यवस्था का प्रश्न आपसे किया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे सुनने का अधिकार दोनों ओर से है ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, जो बात यहां कही गयी है उसमें दो अलग-अलग बातें हैं एक तो माननीय सदस्य की सुरक्षा का प्रश्न है उसमें मैंने आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करेंगे। दूसरी जो सूचना दी है कि कमरा नं0 112 में कुछ आपराधिक तत्व ठहरे हुये हैं । हो सकता है उसमें और दूसरे लोग भी ठहरे हों मैं उसकी जानकारी करूंगा । आपराधिक तत्व जहां भी ठहरेंगे उनके विरुद्ध पूरी-पूरी कार्यवाही करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, आपसे व्यवस्था की बात पूछी गयी है (उपाध्यक्ष गृह मंत्री हैं या आप हैं) ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये, मैं व्यवस्था दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री औसान सिंह—

मान्यवर, यह मेरी निश्चित जानकारी है राजू भदौरिया और वीरेन्द्र भदौरिया आज प्रातः मुझे उस कमरे के सामने मिले । उस कमरे में वह ठहरे हैं, मुझे वे मिले और मेरे पास धमकी भिजवाई कि जैसे 9 ता0 को तुमने मामला उठाया उसको अगर आगे उठाया तो तुम्हें जिन्दगी से हाथ धोना पड़ेगा, वहां दूबारा चुनाव करा देंगे । यह मेरी जिन्दगी और मौत का सवाल है (व्यवधान) (शेम-शेम की आवाज) मैं यह जानकारी दे रहा हूं, उनके खिलाफ संगीन मामले हैं 307, 395, 353 के विभिन्न मुकदमें उनके खिलाफ दर्ज

है । उसके बाद भी उनको राजनैतिक संरक्षण दिया जा रहा है । मेरा दरोगा से कोई मतलब नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है । लेकिन आज वहां की जनता आतंकित है । इन लोगों के खिलाफ सारी रिपोर्ट गृह मंत्री, गृह सचिव, आई0 जी0, डी0 आई0 जी0 सबके पास है मैंने डी0 आई0 जी0 कानपुर क्षेत्र से भी कहा था कि मेरा जल्दी ही विधान सभा में कन्डोलेन्स होने वाला है । तो यह मेरी जिन्दगी और मौत का सवाल है ।

(श्री औसान सिंह सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये । किन्तु श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी तथा श्री शारदा प्रताप के प्रयास से वापस चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय औसान सिंह जी, आप आसन ग्रहण करें ।

श्री औसान सिंह—

मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपसे अपेक्षा थी कि आप शासन को कोई निर्देश देंगे । जो बातें माननीय गृह मंत्री जी ने कही है उन पर हमें विश्वास नहीं है, जैसा माननीय तिवारी जी ने कहा कि सरकार उनको खुद संरक्षण दे रही है, इसलिये आप उसमें व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

विश्वास तो करना होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

हम तो शासन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही आपसे चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, यह मामला सदन के सामने आया है माननीय सदस्य की सुरक्षा का प्रश्न है । दारुलशफा आपके क्षेत्राधिकार में है अगर वहां पर यह सरकार किसी माननीय सदस्य की सुरक्षा नहीं कर पा रही है वहां पर इस सदन को कार्यपालिका का अधिकार प्राप्त है ।

मान्यवर, आप मार्शल को निर्देश दे सकते हैं कि वहां जाकर बड़े-बड़े क्रिमिनलों को, जिनके नाम बता रहे हैं, गिरफ्तार करके सदन में लाया जा सकता है । यदि गृह मंत्री अपने कर्तव्यों का और सरकार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती है और सुरक्षा का कोई राज्य नहीं रह जाता है तो आपकी पीठ प्रभावशाली बने और आपकी पीठ की गरिमा बने और सरकार नपुंसक न बन जाये, इसलिये आप मार्शल को भेजें और गिरफ्तार करके सदन में उनको लाया जाये ।

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण और गम्भीर मसला सदन के सामने आया है जिसमें माननीय सदस्यों की सुरक्षा का तो प्रश्न निहित है ही लेकिन उसके साथ ही दारुलशफा में आपराधिक तत्व खुले रूप में घूमें तो सदस्यों के लिये गम्भीर खतरा पैदा हो जाता है । इसके पहले सदन में जब कोई इस तरह का गंभीर मसला आया तो उस पर तत्काल कार्यवाही करने के बाद सदन को अवगत कराया गया है । गृह मंत्री को दरोगा के अलावा कोई बात नजर ही नहीं आती है । बदमाशों की बात की जा रही है वह दरोगा की बात कर रहे हैं । इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि मान्यवर, आप गृह मंत्री को निर्देशित करें कि तत्काल ऐसे आपराधिक व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही निश्चित करके सदन को शाम तक अवगत करायें कि वह पकड़े गये कि नहीं । अन्यथा चर्चा यहां हो रही है और खबर उनको मिल जायेगी और वह चले जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

जहां तक सवाल माननीय सदस्यों की सुरक्षा का है, चाहे किसी भी पक्ष के माननीय सदस्य हों, सभी की सुरक्षा का भार समान रूप से बराबर है । मैं सरकार को निर्देशित करता हूं कि किसी भी विधायक को असुरक्षा का भान महसूस न हो और सभी अपने को सुरक्षित महसूस करें । अवांछनीय तत्व कहीं भी हों, दारुलशफा इस विधान मंडल के परव्यू में आता है, उनको पकड़वा लें । (व्यवधान) आप लोग बैठ जायं । मैं निर्देशित करता हूं कि तुरन्त कार्यवाही करें ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

अब मद सं0-3 विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इसमें मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है । रख लेने दें ।

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17-9-1986 की बैठक में विचारोपरान्त सदन के दिनांक 18 सितम्बर, 1986 के कार्यक्रम के सम्बन्ध में यह सिफारिश की है कि प्रश्नोत्तर के बाद का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाये :—

1—प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा—अपरान्ह 12.30 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक ।

2—उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा बिजली की दरों में की गयी वृद्धि से बिजली उपभोक्ताओं में व्याप्त असंतोष के विषय में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त आदि द्वारा नियम 52 के अंतर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा । अपरान्ह 5 बजे से अपरान्ह 6 बजे तक ।

3—उ0 प्र0 राज्य विद्युत 1000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये किये जाने के सम्बन्ध में मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर परिषद् की ऋण लेने की सीमा विवाद जारी ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना माननीय उपाध्यक्ष जी द्वारा अभी सदन को दी गयी है, सहमत है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सबसे पहले मेरा कार्य-सूची के बारे में व्यवस्था का प्रश्न है । कार्य सूची में मद संख्या-3 जो है, उसके सम्बन्ध में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के.....

नियम 315 के खण्ड 14 व 15 को आप देखने का कष्ट करें । इसमें यह मद आता ही नहीं है । आप देखें कि 315(14) क्या है—"विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा घोषणा, उदाहरणार्थ सदन के सदस्यों के त्याग पत्र, अधिष्ठाता मंडल, समिति, आदि के लिये नाम निर्देशन" । अब आप 315(15) देखें, उसमें है—"अध्यक्ष की व्यवस्थायें अथवा घोषणायें और यह है कार्य मंत्रणा समिति का प्रस्ताव । इसमें न समिति के सदस्यों की घोषणा है, न किसी माननीय सदस्य के त्याग पत्र की घोषणा है और न ही इसमें अधिष्ठाता मंडल की कोई घोषणा है । इसलिए यह प्रस्ताव नियम 315 के (14) व (15) के अन्तर्गत नहीं आ सकता है । यह नियम 315 के नियम (23) के अन्तर्गत आ सकता है, लेकिन उसका अपना स्थान सुनिश्चित है । यह आप देखें, नियम 315 देखें, जिसमें 'सापेक्ष अग्रेता' एक स्थान पर दिया हुआ है । उपनियम 23 में है कार्य-मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर विचार । अतः 315 के अनुसार आज के एजेण्डा में यह आइटम नम्बर 7 के बाद जाना चाहिए । यह मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अब यह मैं क्यों प्रस्तुत कर रहा हूं । इसलिए मैं चिन्ता तर्क करते हुए प्रस्तुत कर रहा हूं कि यह सत्तारूढ़ दल की एक साजिश का परिणाम है । धीरे-धीरे यह एक अनुचित परम्परा बनती जा रही है । कोई अति विशेष स्थिति हो, कोई अपरिहार्य परिस्थिति हो, असामान्य स्थिति पैदा हो जाए, जिसमें कार्यस्थगन प्रस्ताव, विशेषाधिकार के प्रस्ताव व नियम 64 आदि को रोकना पड़े तो मैं उससे सहमत हो सकता हूं । लेकिन आज सत्तारूढ़ दल की ओर से ऐसी परिस्थिति निर्माण की जाती है कि प्रतिपक्ष के संवैधानिक अधिकारों और अवसरों को समाप्त कर यह एकदम से बहस पर आ जाते हैं । आज जो अपने प्रदेश की स्थिति है, उसमें मुझे कुछ कार्य-स्थगन प्रस्ताव डिस्कस करने थे । इसलिए मैं कार्यमंत्रणा समिति के प्रस्ताव से सहमति तब प्रस्तुत करूंगा जब प्रस्ताव आ जायगा, किन्तु मैंने अभी तो एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । आप व्यवस्था दें कि यह एजेण्डा में नम्बर (3) के स्थान पर आयेगा या (8) के स्थान पर। जब यह कार्य मंत्रणा समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत होगा तो मैं इसके सम्बन्ध में अपनी असहमति व्यक्त करूंगा ।

श्री मैनेजर सिंह—

यह मैं सरकार का दोष नहीं मानता हूं, उसको दोष देना निरर्थक है । कार्य मन्त्रणा समिति में हमारे विरोध पक्ष के भी प्रतिनिधि हैं, फिर हम इनको कैसे दोष दें । दोषी हम सब हैं । उनकी आपत्ति सही है दोष सरकार का नहीं है । उसमें जो सदस्य बैठे हैं . . . (व्यवधान) आप अपने लोगों से क्यों नहीं पूछते हैं ? वह वहां पर जाकर क्यों 'हां' कहते हैं, क्यों नहीं विरोध करते हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

कार्य मंत्रणा समिति में कल सभी दल के लोग थे । उसमें यह विचार किया गया था. . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं था ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

समिति में है, कल हों या न हों, यह मैं नहीं जानता हूं । कार्य मंत्रणा समिति ने यह तय किया कि सूखे के विषय में विषम स्थिति को देखते

हुए 4/5 घंटे की चर्चा उस पर कराई जाए, इसलिए यह निश्चय करके कार्य मंत्रणा समिति ने इस पर प्रस्ताव दिया है । मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि सूखे पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा कराई जाए । इसलिए यह किया गया है ।

श्री राम सरन—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्, यह कोई तरीका नहीं है । कल हम कार्य मंत्रणा समिति में थे । हम भी थे, कौशिक जी भी थे, कुंवर साहब थे और अम्मार साहब भी थे । राजेन्द्र गुप्त जी को कल ढुंढ़वाया गया, इनको दफ्तर में ढुंढ़वाया गया, किन्तु यह नहीं मिले । (व्यवधान) हरीश जी के बारे में नहीं पता है । इनको इस लिए ढुंढ़वाया गया कि सबसे ज्यादा व्यवस्था यही उठाते हैं । सबसे ज्यादा नियमों का बोझ इन्हीं के सिर पर है । हम तो बेवकूफ हैं सबसे ज्यादा नियमावली का बोझ इनके सर पर लदा रहता है । हम तो बेवकूफ हैं जो यहां आये हैं । दो दिन के लिये सदन बुलाया है । यह कोई तरीका नहीं है । सारे प्रेस वाले हम पर थूकते हैं कि अपनी सुविधाओं के लिये लड़ते हो सूखे के लिये क्या लड़ रहे हो । मैं राजेन्द्र गुप्त जी से निवेदन करूंगा कि अगर इत्तफाक से आपके दल का कोई नहीं गया तो हम तो गये थे । यह कोई तरीका नहीं है कि अगर एक दल का प्रतिनिधि न हो तो कोई कार्यवाही ही न हो सके ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय राम सरन दास जी की कुर्सी माननीय संसदीय कार्य मंत्री के सामने से हटा दीजिये । यह जब उनके सामने पड़ते हैं तो यह ना कह ही नहीं सकते हैं । इनकी कुर्सी बदलवा दीजिये ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, जहां तक सूखे के संबंध में चर्चा करने का मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम सभी लोग इस मत के थे कि सूखे के ऊपर अधिक से अधिक चर्चा हो । यह एक ज्वलंत और तात्कालिक समस्या है इस पर बहस हो । जहां तक विरोधी दल के सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रश्न है, यथा नियम 56 और 301 का सम्बन्ध है, उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए । आपकी पीठ से आज यह निर्देश किया गया है, जितनी भी 301 की सूचनाएं आज आयीं सबको सम्मिलित कर लिया गया । मैं समझ नहीं पाता कि माननीय गुप्ता जी कैसे विपरीत समझ रहे हैं । नियम 56 के सम्बन्ध में भी निर्णय हो चुका है कि 5 को ग्रहण करके उनको वक्तव्य के लिये भेजें । कल वक्तव्य हो जायेगा । इसमें किसी सदस्य के अधिकारों का हनन नहीं किया गया है । इस बात को सोचा गया कि सूखा एक ज्वलंत समस्या है, इस पर अधिक से अधिक बहस हो, इसलिये यह तय हुआ है और सभी ने तय किया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अभी मैंने केवल एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है माननीय राम सरन दास जी अकारण आवेश में आ गये । मैंने व्यवस्था का प्रश्न रखा है कि क्या यह आइटम 3 पर आ सकता है । कोई आदमी त्रिकालदर्शी नहीं है । सूखे की अनिवार्यता और महत्व को मैं समझता हूं इसीलिये औचित्य के प्रश्न में बाढ़ को शामिल करने की बात कही गयी है । लेकिन मैं इस बात का विरोधी हूं, कि आदरणीय सदन के अधिकारों का करटेलमेन्ट एक परम्परा के रूप में करना, मैं इसे संसदीय परम्पराओं के खिलाफ समझता हूं । यह एक

परम्परा न बन जाय इसलिये इसका विरोध किया है, करता हूं और करता रहूंगा ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है तो आप स्वयं जानते हैं, आप जिस पीठ पर विराजमान हैं उसको इसी नियमावली के जरिये अधिकार दिया गया है कि किसी तरह एजेन्डे को वह फारमूलेट कर सकती है । माननीय गुप्त जी ने कहा कि सरकार की जो प्रजातांत्रिक परम्परायें हैं उनका हनन कर रही है । तो मान्यवर, मैंने कल निवेदन किया था कार्य मंत्रणा समिति में कि जितनी भी 301 की सूचनाएं आयें उन्हें स्वीकार कर लिया जाय । सम्मानित सदस्य बैठें हैं इससे इन्कार नहीं करेंगे । आप केवल सात ही स्वीकार करते हैं । लेकिन मैंने कहा था कि सूखे के ऊपर चर्चा होने जा रही है हम नहीं चाहते कि जो सम्मानित सदस्य सूचनाएं दे रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कटौती हो । जितनी सूचनाएं थीं उनको स्वीकार किया गया । सरकार ने कहीं पर भी, प्रजातांत्रिक मूल्यों या अधिकारों का हनन करना होता तो यह क्यों कहा जाता कहीं पर भी अधिकारों के हनने की बात नहीं है ।

दूसरी बात मैंने निवेदन किया था कि कार्य-स्थगन के जहां तक प्रस्तावों का सम्बन्ध है, उसमें जहां पर तीन आप स्वीकार करते हैं, स्वीकार कर लें । मेरा केवल निवेदन यह है कि इस वक्त पूरा प्रदेश बाढ़-सूखा-ग्रस्त है । सभी माननीय सदस्य यहां पर अपने-अपने क्षेत्र का दौरा करके आये हैं उनका भी मार्गदर्शन लेना है ताकि सूखे के कारण पूरे प्रदेश का कोई भाग भुखमरी की स्थिति में न पहुंच सके, अनइम्प्लायमेन्ट बढ़ गया है और ऐसे समय पर गुप्ता जी का यह कहना कि सरकार नियमों का हनन कर रही है या अधिकारों को करटेल कर रही है, उचित नहीं है । मान्यवर, जहां पर दैवी आपदा का सवाल होगा, जहां पर जनता का सवाल होगा, जहां पर इस प्रकार के अधिकारों का सवाल होगा, उनको राहत देने का सवाल होगा, वहां पर इस प्रकार की गलती हम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

जहां तक गुप्ता जी का एजेण्डे के सम्बन्ध में सवाल है, उसमें यह साफ लिखा हुआ है—"इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी तथा अध्यक्ष के अन्यथा निर्देश के अधीन रहते हुए सदन के समस्त विभिन्न वर्गों के कार्यों को, जो नीचे निर्दिष्ट किये गये हैं ।" जब अध्यक्ष ने निर्णय ले लिया, तो उस पर आपत्ति करने का गुप्ता जी को कोई औचित्य नहीं है । उसमें तो अध्यक्ष जी का निर्देश है और कार्य-मंत्रणा समिति का प्रस्ताव है । उसमें जनतंत्र का हनन नहीं हो रहा है और न किसी प्रकार की ज्यादती हो रही है । सब नियमों के अन्तर्गत हो रहा है ।

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना उपाध्यक्ष द्वारा अभी सदन को दी गयी है, से सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया

तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1986, जो विधान सभा द्वारा 1 सितम्बर, 1986 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 10 सितम्बर, 1986 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश चल चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष की अनुज्ञा से उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1986 जो विधान सभा द्वारा 4 सितम्बर, 1986 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 17 सितम्बर, 1986 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1986-87 का अनुपूरक) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि :—

उत्तर प्रदेश विनियोग (1986-87 का अनुपूरक) विधेयक, 1986 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 2 सितम्बर, 1986 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 4 सितम्बर, 1986 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 8 सितम्बर, 1986 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1986 का उत्तर प्रदेश का 14वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि :—

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1986 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 सितम्बर, 1986 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 2 सितम्बर, 1986 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 8 सितम्बर, 1986 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1986 का उत्तर प्रदेश का 15वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि :—

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 29 अगस्त, 1986 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 सितम्बर, 1986 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल

महोदय की अनुमति दिनांक 8 सितम्बर, 1986 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1966 का उत्तर प्रदेश का 16वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि :—

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 2 सितम्बर, 1986 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 सितम्बर, 1986 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 8 सितम्बर, 1986 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1986 का उत्तर प्रदेश का 17वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि :—

उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1986 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 सितम्बर, 1986 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 3 सितम्बर, 1986 को बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 8 सितम्बर, 1986 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1986 का उत्तर प्रदेश का 18 वां अधिनियम बन गया ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री सुखपाल पाण्डे जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । मद संख्या-3 के अन्तर्गत कार्यमन्त्रणा समिति का प्रस्ताव रखा गया । उसमें कहा गया कि 12-30 पर सूखे पर चर्चा रखी जाय, जैसा कि आपने कहा कि निर्णय सर्वसम्मति से पारित हुआ तो शेष चीजें क्यों निलम्बित हो गईं, फिर आप मद संख्या-4, मद संख्या-5 क्यों ले रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर व्यवस्था साफ है आप लोगों ने ही आधे घन्टे का समय लिया और आप ही व्यवस्था उठा रहे हैं ।

(व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें मुझे 27 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । इसमें श्री कौशिक रमाशंकर, श्री मुहम्मद आजम खां, श्री शफीकुर्रहमान वर्क, श्री शतरुद्र प्रकाश तथा श्री राम नरेश यादव की सूचनाएं वक्तव्य के लिए स्वीकार की गई हैं । श्री सत्य प्रकाश विकल, कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री किरनपाल सिंह की सूचनाओं पर ध्यानाकर्षण किया गया है । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की सूचना पर भी ध्यानाकर्षण किया गया है । श्री राम आसरे वर्मा, श्री हृदय नरायन दीक्षित, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री हरिशंकर तिवारी, श्री अच्युतानंद तिवारी, श्री रामपाल वर्मा, श्री कामेश्वर

उपाध्याय की सूचना पर ध्यानाकर्षण किया गया है शेष सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है ।

मद संख्या-10 (पुकारे जाने पर)

प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

प्रश्न उठाने का हमारा अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

आप व्यवस्था देने से क्यों कतरा रहे हैं ? मैंने नियम-56 के अन्तर्गत . . .

(घोर व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ—

मान्यवर, चर्चा शुरू कराइए ।

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

वर्मा जी, आप बैठें मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, बहुत अहम मसला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

सूखे का मामला अहम है और कोई मामला अहम नहीं है ।

(व्यवधान)

(श्री राम सरन के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने मद संख्या-10 पर खान गुफरान जाहिदी जी को बुलाया है मद संख्या-11 पर तो आप बोलेंगे ही, मद संख्या-10 पर इन्हें बोलने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री राम सरन—

मान्यवर, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जाहिदी जी, को बोलने दीजिए। आप भी वही बात कहेंगे यह भी वही बात कहेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राम सरन—

मान्यवर, कार्यमंत्रणा समिति में तय हो चुका है । सब लोग वहां मौजूद थे । अम्मार साहब भी थे, आप भी थे और सब भी थे ।

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, यह नयी परम्परा आप कैसे डलवा रहें हैं, ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं, देखा नहीं । मैं अपर हाउस में भी रहा हूं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह कौन सा तरीका है यह गल्ती न कीजिए । इनीशिएट हम करेंगे, यह जवाब देंगे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, एजेण्डे के बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर यह दसवां आइटम न होता तो आप ही बोलते ।

श्री राम सरन—

मान्यवर, पहली तारीख में कार्य-स्थगन प्रस्ताव हमारे साथियों ने पेश किया और वह तीन तारीख को वक्तव्य के लिए स्वीकार हुआ । तीन तारीख में वक्तव्य आया, हम सन्तुष्ट नहीं हुए, मैंने फाड़ दिया या कुछ भी किया। तो मान्यवर, अध्यक्ष महोदय ने वहां से निदेश दिया कि मैं मंगल के दिन इस पर चर्चा स्वीकार करता हूं । तो जब 8 तारीख में यहां अविश्वास पर बहस चल रही थी तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 2 दिन सूखे पर चर्चा होगी इसलिए एडजर्न हो गया, तो वह पेन्डिंग चर्चा पड़ी हुई है इसलिए चर्चा हम शुरू करेंगे । यह नयी परम्परा कैसे होगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

10-11-12 पर इन्हीं को बोल लेने दीजिए ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, आपने मेरा नाम ले लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने तो मद संख्या-10 के हिसाब से आपको बुलवाया था लेकिन आप कहते हैं कि 10-11-12 को एक साथ ले लिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, आपने पुकारा और मैं खड़ा हुआ हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने ठीक पुकारा ।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, इस पर आप व्यवस्था दे दें ।

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, आप हमें पहले बोलने दें ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने व्यवस्था दे दी है तीनों पर ।

श्री राम सरन—

मान्यवर, कटौती भी हमीं पेश करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि इनको इनीशिएट करने से या हमारे इनीशिएट करने से क्या फर्क पड़ेगा ? मेरा कहना यह है कि अगर सूखे पर चर्चा है और हर क्षेत्र प्रभावित है तो हर क्षेत्र का सदस्य उससे प्रभावित है...

(व्यवधान)

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, पहले कार्य मंत्रणा ने किसे स्वीकार किया, यह बता दें ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

[समय 1 बज कर 20 मिनट]

आपस में बात करके आप सूखा का समय बर्बाद कर रहे हैं । मैंने मद नं0 10 पर जाहिदी साहब को बुला लिया लेकिन राम सरन दास जी ने कहा कि मैंने इसको कार्यस्थगन के रूप में दिया था तो मैंने तीनों मद को एक साथ ले लिया । चूंकि राम सरन दास जी का कार्यस्थगन था इसलिए मैं पहले इनको बुलवा दूंगा फिर जाहिदी साहब को ।

श्री राम सरन—

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश बड़ा विशाल प्रदेश है । इस प्रदेश की बड़ी-बड़ी समस्यायें रहती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आज सूखा का विषय है और सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र के विषय में बोलना चाहेंगे इसलिए मैं समय की सीमा निर्धारित करता हूं । नेता 15 मिनट और बाकी सब लोग 5-5 मिनट बोलेंगे ।

श्री राम सरन—

मान्यवर, पूरा प्रदेश सूखे की भयंकर चपेट में है और यह समस्या एक दिन की नहीं है । यह हर साल, दूसरे साल, तीसरे साल कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी 4 दिन के लिए, कभी 8 दिन के लिए, कभी एक महीने के लिए और कभी दो महीने के लिए आती ही रहती है और यह सरकार ऐसी है कि यह सूखे और बाढ़ को झेल नहीं पाती है । जब बाढ़ शुरू हो जाती है तो यह प्रबन्ध करना शुरू करते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 44 जिले सूखे की चपेट में हैं और माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि 57 जिलों में से 54 जिले सूखे से प्रभावित हैं लेकिन मान्यवर, मैं 50 मानकर चलता हूं कि 50 जिले सूखे से प्रभावित हैं जिनमें मेरठ मण्डल, आगरा मण्डल, रुहेलखण्ड, मुरादाबाद आदि अत्यधिक प्रभावित हैं ।

मान्यवर, मैं किसान हूं, अभी 4 दिन पहले जब मैं अपने क्षेत्र में गया तो मैं किसानों की हालत देख नहीं पाया, किसान रो रहे थे । धान की फसल ऐसी हो गई है जैसे सूखे झाड़ू से साफ करते हैं, ऐसी धान की हालत हो गई है । मान्यवर, 50 से लेकर 90 परसेन्ट, यहां तक कि सेन्ट-परसेंट फसल नष्ट हो गई है । आगरा, मथुरा आदि के बारे में तो माननीय सदस्य कहेंगे आज सहारनपुर और पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति है । रोज समाचा-पत्रों में छपता है कि मेरठ में इतने करोड़ रु0 का नुकसान हुआ । शाहजहांपुर में अरबों का नुकसान हुआ । ठीक कह रहे थे संसदीय कार्य-मंत्री जी कि स्थिति भुखमरी की है । तहसील नकुड़ में यदि कोई अच्छा स्टेप न उठाया गया तो 20 दिन के बाद वाकई लोग भूखों मरने लगेंगे । हमारे पड़ोस में हरियाणा है, उसने सूखा ग्रस्त घोषित कर दिया । सहारनपुर से देवरिया 8 सौ किलोमीटर पर है, कहीं वर्षा हो जाती है तो कृषि मंत्री जी का बयान आ जाता है कि वर्षा से जनता में खुशी की लहर जाग उठी है । मुझे तो पता भी नहीं चला की बादल किधर आये । हमारे यहां तो लोग मर रहे हैं । सिंचाई मंत्री जी हमारे यहां गये थे एस0 डी0 एम0, कलेक्टर मौजूद थे, कांग्रेसी विधायक थे, मैं भी वहां मौजूद था । तहसील नकुड़ के एस0 डी0 एम0 ने बताया कि हमारे यहां 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हो चुका है । अरबों का नुकसान हो चुका है । लोग भुखमरी की कगार पर हैं, लेकिन लोग जायं कहां ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 18 हजार सरकारी नलकूप हैं और 5 लाख निजी नलकूप हैं । कुछ बिजली के

है और कुछ डीजल के हैं । इनके आंकड़ों के अनुसार 3 हजार नलकूप फेल है । श्याम सूरत उपाध्याय जी एक कमेटी के मेम्बर थे, मैं भी था । मुख्य मंत्री श्रीपति मिश्रा जी थे उस समय यह मिनिस्टर नहीं थे, एम0 एल0 ए0 थे तो इन्होंने कहा था कि मेरे क्षेत्र में 40 प्रतिशत नलकूप फेल है और वही स्थिति सारे प्रदेश की है । पूरे प्रदेश में 15 से 40, 50 प्रतिशत तक नलकूप ठप्प हैं । जब हमारे यहां माननीय मंत्री जी गये थे तो मारपीट की नौबत आ गई थी, तुरन्त इन्होंने अधिकारियों को भेजा कि देखकर आओ कि नलकूप चल रहा है या नहीं । सरकार तो कहती है कि हमने इंतजाम कर दिया । मैं आपसे और माननीय बिजली मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने यहां कहा कि 10 घंटे बिजली किसानों को दी जा रही है । तीन दिन के बाद मैं एक गांव में गया और यही जानने गया था कि कितने घंटे बिजली मिल रही है तो मैंने उस गांव के किसान से पूछा कि कल कितने घंटे बिजली मिली थी तो उसने बताया कि 3 घंटे फिर मैं अपने गांव आया तो अपने लड़के से पूछा कि कल कितने घंटे बिजली मिली तो उसने बताया कि 6 घंटे । मान्यवर, 3, 4, 5, 6 घंटे सबसे अधिक हैं, इससे अधिक बिजली कहीं नहीं मिल रही है । सरकार 10 घंटे दे रही है लेकिन किसान को कहीं 10 घंटे बिजली नहीं मिल रही है । इनके अफसर घूम रहे हैं, बिजली मंत्री जी हैं नहीं, छोटा बिजली मंत्री जो बहुत चिल्लाता है, बहुत कूदता है वह भी नहीं है ।इनका कोई भी इंजीनियर मौके पर नहीं जाता है, जैसा कौशिक जी कह रहे थे इनके सारे साधन फेल हैं । सरकारी ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी है, कहते हैं टैक्सी का इंतजाम कर रहे हैं । अगर टैक्सी का इन्तजाम हो भी जायेगा तो कोई इंजीनियर मौके पर नहीं जायेगा, उस पर उनके परिवार के बाल बच्चे घूमेंगे । उन्हीं के इस्तेमाल में टैक्सी आयेगी । मान्यवर, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, कोई दैवीय आपदा हो, सूखा या बाढ़, हमारे अधिकारी लोग देवी की पूजा करते हैं । वे भी पूजा करते हैं अपने घरों में कि हे भगवान ! अच्छा करा जो बाढ़ आ गयी, अच्छा करा जो सूखा पड़ गया । ये कुछ बजट देंगे जनता में बांटने के लिये तो ये उसमें से 50 परसेंट से ज्यादा खा जाएंगे । सूखे में कम खा पाते हैं दिखाई पड़ता है, लेकिन बाढ़ में कहते हैं कि हजारों रेत के कट्टे डलवा दिये, बह गये बाढ़ में । कोई हिसाब-किताब नहीं है । मान्यवर, कहीं कोई राहत कार्य नहीं है । मान्यवर, हमारे यहां के निजी ट्यूबवेल के किसान पेट्रोल पम्पों पर लाइन में लगे हैं और जब अम्मार साहब ने भुखमरी की बात कही तो एक साथी ने मेज थपथपाई, तो आगरा मथुरा के किसान ही सही बात जानते होंगे । मेरठ, बुलन्दशहर के जानते होंगे ।

श्रीमन्, मैं बहुत बड़ा किसान नहीं हूं, छोटा किसान हूं । दस मन अनाज पैदा करके अपने परिवार को खिला पाता हूं । स्थिति यह है कि किसानों ने अपनी बहुओं के, अपनी बेटियों के जेवर गिरवी रखकर डीजल खरीदना शुरू कर दिया है कि किस तरह से दो मन अनाज पैदा हो तो परिवार पले । हालत इतनी खराब है कि आज किसान के पास जो पिछला सामान है या जो जेवर है, उसको गिरवी रख करके वह डीजल का इंतजाम कर रहा है । अब श्रीमन्, मैं इनका ध्यान नहरों की ओर दिलाना चाहता हूं । मैं यमुना नहर का किसान हूं । बहुत पुरानी नहर है, अंग्रेजों के जमाने की । यहां कुछ गंगा के किनारे के भी होंगे ।

यहां उस दिन बहस हो रही थी तो कहा था कि उस नहर में पानी नहीं जा रहा है । वह नहर पानी नहीं दे रही है । किसी ने इलजाम लगाया कि सहारनपुर का पानी कटवाकर हुकुम सिंह अपने जिले में ले गये । यही स्थिति है । पहले बरसात के दिनों में, इस नहर में हफ्तों टूट हो जाया करती थी । अबकी बार बरसात में धान या गन्ने की फसल में जो पहले हफ्ता टूट हो जाया करती थी, हफ्ते में धान को, गन्ने को पानी खूब मिलता था, इस बार 24 सौं घण्टे पानी नहीं मिलता है । मैंने अंग्रेजों का जमाना देखा है, मेरी उमर 59 साल की है । अंग्रेज घोड़े पर, टमटम पर चलते थे, लेकिन मैंने अपनी जिन्दगी में इतनी बदइन्तजामी कभी नहीं देखी । यमुना में यह पहली बार हुआ कि बरसात में एक हफ्ता रजवाहे बन्द रहे । आज वहां का किसान रो रहा है । मौर्या जी के सामने भी यह समस्या आयी । बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है । श्रीमन्, चारे का यह हाल है कि किसान को मवेशियों के लिये जो चरी और भूसा था, इस बार यह बिल्कुल खतम हो गया है । पिछला चारा बिल्कुल खतम हो गया और अब जो छोटे-छोटे गन्ने खड़े हैं, उसे काटकर किसान मवेशियों का पेट भर रहा है । अब न गन्ना रहेगा, न धान रहेगा, न चरी रहेगी और न मक्का रहेगा । सारे उत्तर प्रदेश में, और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कहता हूं । पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि बस्ती की डुमरियागंज तहसील की बड़ी खराब हालत है । आज बहराइच के एम0 एल0 ए0 से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि बड़ी खराब हालत है । मान्यवर, इस समय सारा प्रदेश सूखे की भयंकर आग में झुलस रहा है और सरकार कोई राहत कार्य नहीं कर रही है । इनके तो मजे आ रहे हैं । ये तो मजे मारते हैं, इनकी बाढ़ कहां है ।। ये तो बाढ़ का स्वागत करते हैं । हेलीकाप्टर में घूमते हैं । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि इस समस्या से नहीं निपटेंगे तो प्रदेश भूखा मर जायगा ।

मान्यवर, एक समस्या और है वह है वसूलयाबी की । मंत्री जी के सामने भी यह बात आयी थी । कलेक्टर साहब से कहा गया है कि एक महीने के लिये रुकवा रहे हैं जबकि वस्तुस्थिति कुछ और है । यह बात कही गयी थी कि जो लोग इच्छुक हैं वह देंगे । मान्यवर, अमीन-सिपाही जब गांव में जायेंगे तो सबके पास जायेंगे कि इच्छा है कि नहीं । मान्यवर, किसान जो जेवर लेकर गल्ले के लिये जा रहा हो उसके सामने अमीन-सिपाही खड़े हों तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी क्या हालत होगी । अमीन-सिपाही यही कहते हैं कि कोई लिखित आदेश कलेक्टर का नहीं है, मंत्री का नहीं है । नहीं पैसा दे पाते हो तो तहसील की हवालात में चलो । ऐसी स्थिति में, मान्यवर, वह बेचारा किसान उस जेवर को बजाय गल्ले लेने के उसे अमीन-सिपाही की झोली में डाल देता है । मान्यवर, मेरी तहसील नकुड़ में तुरन्त राहत व्यवस्था नहीं की गयी तो किसान एक-डेढ़ महीने में भूखों मरना शुरू हो जायेगा । मान्यवर, आज किसान की जो दुर्दशा इस हिन्दुस्तान में है वह किसी और तबके की नहीं है । मान्यवर, यह लोग मौजमस्ती मारकर बैठे हैं किसान का हमदर्द होने का दम भरते हैं । लेकिन किसान की स्थिति आज क्या है, किसान का क्या होगा ? मान्यवर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे रोना आ रहा है, मेरे में अब दम नहीं है कुछ और कहने की । तहसील नकुड़ में हालत दिन-प्रति-दिन बिगड़ती जा रही है ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मैंने अखबारों में भी पढ़ा है, केबिनेट मीटिंग में भी इस पर चर्चा हुई । मान्यवर, जब तक सरकार की प्रदेश में सूखे की रिपोर्ट पेश नहीं होगी तब तक बहस क्या हो सकेगी । कौन-कौन से जिले सूखाग्रस्त हो गये हैं ? कितनी-कितनी राहत बांटी गयी ? इन सब बिन्दुओं पर सरकार अपनी रिपोर्ट रखे ताकि पता चल सके कि सरकार की रिपोर्ट कितनी सच है । मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण विषय है, माननीय मुख्य मंत्री जी को सदन में रहना चाहिये, लेकिन मौजूद नहीं है । मान्यवर, जब तक सरकार की तरफ से रिपोर्ट नहीं आयेगी बहस क्या हो सकेगी ।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । सूखे पर चर्चा हो रही है कोई भी केबिनेट मंत्री हाउस में नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी—

दीक्षित जी हैं ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ—

मान्यवर, किस जिले की क्या स्थिति है, यह तो पता चलना चाहिये ताकि सरकार की नीयत का पता चल सके ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सब लोग बैठें ।

इस पर तो चर्चा है, सरकार भी अपना पक्ष रखेगी । वक्तव्य होता तो रिपोर्ट पेश करते । चर्चा शुरू हुई, माननीय राम सरन जी ने इस पर बोलना शुरू किया । सरकार भी बाद में अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, आपने जो निर्देश दिया है, वह मान्य है । यदि आप इस पर सही तरह से बहस चाहते हैं तो सूखे के लिए सरकार ने क्या कार्यक्रम चलाये और उनके नतीजे क्या निकले, क्या कमजोरियां हैं, और अपने कार्यक्रम में यह असफल क्यों हुए, जब तक सरकार इस पर अपनी बात पहले नहीं कहेगी, तब तक कैसे मालूम पड़ पायेगा कि कहां-कहां पर क्या है ? इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इस पर, उधर मंत्री जी की तरफ से कुछ कहलवा दें, तो अच्छा रहेगा । केन्द्र ने कितना रुपया दिया, प्रदेश सरकार ने कितना रुपया दिया है और कितने जिले इन्होंने सूखे से बाढ़ से ग्रसित बतायें हैं ? इसके बारे में माननीय मंत्री जी पहले बता दें, तभी हम इस पर कुछ कहेंगे और तभी यह सही बहस होगी ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, यह चर्चा नियमों के तहत हो रही है । आपने श्री राम सरन जी को इस चर्चा पर इनीसिएट करने का मौका दिया । नेता विरोधी दल जी पहले बोलते तो उसके बाद इधर से माननीय मंत्री जी उस पर कुछ कहते । लेकिन उस पर चर्चा शुरू हो गई । उसके बाद यह नियम को तोड़ने का और उसे वक्तव्य में बदलने की परम्परा मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने इजाजत दे दी है कि सरकार जब चाहे इस पर अपना दृष्टिकोण रख सकती है ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, आपने सूखे के विषय पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं । दैवी आपदा का जहां तक सवाल है, इस सम्बन्ध में चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों और चाहे मेरे क्षेत्र में कम सूखा पड़ा हो और दूसरे के क्षेत्र में ज्यादा सूखा पड़ा हो, यह एक समस्या है । बाढ़ एक समस्या है । इस समस्या का मुकाबला कैसे किया जाय, उसके लिए राहें तय करने, सुझाव मांगने के लिए ही यह चर्चा यहां पर की जा रही है । यदि कोई सुझाव आया और उस पर सरकार अमल न करे, तब तो कहा जा सकता है । अभी हमारे उधर के माननीय सदस्य जो इस चर्चा पर बोल रहे थे, ने एक सीधा-सीधा आरोप लगा दिया कि यह सरकार दैवी आपदा की उम्मीद में बैठी रहती है और उसके कर्मचारी दैवी आपदा का इन्तजार करते हैं । क्या हमारे कर्मचारियों की खेती नहीं होती है ? क्या उनके बाल-बच्चे नहीं होते हैं ? क्या हमारी खेती नहीं है ?

यह पूरे प्रदेश की समस्या है, तो पूरे प्रदेश के स्तर पर टकराव और मुकाबला करना पड़ेगा । मैं तो यह समझता था कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम इस मसले पर, जो हर तीसरे चौथे साल कभी बाढ़ के रूप में कभी सूखे के रूप में और कभी किसी बड़ी बीमारी के रूप में हमारे सामने आता है, उस पर बातें करें और सरकार को कुछ ऐसा काम करने को कहें, जो अभी तक न हुआ हो । मैं कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े अभी तक सामने आये हैं . . .

("हां" लाबी से तेज हंसी की आवाज आने से व्यवधान)

जो चीजें सामने आयी हैं, सरकारी आंकडों से जो चीजें हासिल हुई हैं, उससे अन्दाजा होता है कि 16 जिले ऐसे हैं, जहां 60 प्रतिशत से कम वर्षा हुई है । उनके नाम गिनाने की जरूरत नहीं है ।

(विपक्ष की ओर से "नाम बताइए, नाम बताइए" की आवाजें)

ठीक है, मैं उनके नाम भी बता देता हूं । जून, 1986 तक बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, गाजीपुर और बलिया में, जुलाई, 1986 तक सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और मिर्जापुर, अगस्त, 1986 तक मथुरा, आगरा, एटा, बदायूं, बिजनौर, कानपुर देहात, झांसी, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा और लखनऊ ।

(विपक्ष की ओर से "बस्ती कहां गया, बस्ती कहां गया" की आवाजें)

ये जो चीजें हमारे सामने आती हैं, अखबारों और दूसरे माध्यमों से आती हैं । इन्हीं पर बात कर रहा हूं । जैसा माननीय राम सरन जी ने कहा हमें दलगत राजनीति में नहीं जाना चाहिये था । लेकिन माननीय नेता विरोधी दल कहते हैं कि सारे जिले सूखे से प्रभावित हैं, जब कि राम सरन जी ने नाम बताये हैं और संख्या बताई है । मैं किसकी मानूं, नेता विरोधी दल की या माननीय राम सरन जी की मानूं । आप दिल में यह फैसला लें कि सूखे से लड़ाई लड़नी है, अगर पड़ गया है तो न आपका हाथ है न हमारा हाथ है, अगर आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो उसके खिलाफ कैसे लड़ेंगे ? सूखे से लड़ने के लिये क्या-क्या उपाय होने चाहियें, बिजली की जरूरत है, ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने की जरूरत है कि जहां पर व्यापक सूखा पड़ गया है वहां बिजली सप्लाई जरूरी है, नहरों में पानी अवश्य पहुंचे इसको सुनिश्चित किया जाय । ट्यूबवेल चलते रहें, इसको देखा जाय, ऐसे कार्यों की मानीटरिंग को

जाय, एक-एक सप्ताह की मानीटरिंग की रिपोर्ट सरकार तक पहुंचनी चाहिये । पूरी सरकारी मशीनरी को जंगी पैमाने पर जुट जाना चाहिए । वहां पहुंचकर यह देखना चाहिये कि जो 16 करोड़ रु0 से ऊपर की लागत का राहत कार्य चालू किया गया है, वह ठीक प्रकार से चल रहा है या नहीं । मैं कुछ सुझाव रखना जरूरी समझता हूं । मैं महसूस करता हूं कि पिछले 40 साल में हर खेत को पानी पहुंचना चाहिये था लेकिन 172 लाख हेक्टेयर करीब-करीब जमीन जो काश्त के काबिल है, जहां पानी पहुंच जाना चाहिए था, वहां पर भी कितने प्रतिशत पहुंचा, अभी अपने उस लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर सके ।

यह हम सबके सोचने की बात है । इसमें न इस पक्ष की कोई बात है और न उस पक्ष की कोई बात है, सूखा बस एक समस्या है । लेकिन देखना यह है कि क्या हर खेत में पानी पहुंच सका नहीं पहुंच सका । कौन सी बड़ी स्कीम, ताबीर मुद्दती स्कीम पहले पूरी होगी ? सरकारी आंकड़ों के अनुसार 24 हजार 22 स्टेट ट्यूबवेल लगे हैं जिसमें से 21,883 चल रहे हैं और 2,139 ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं किन्हीं कारणों से, चाहे पम्पिंग सेट न पहुंच पाये हों, बिजली की कमी रही हो या तार टूट गये हों । मानीटियरिंग स्केल पर ऐसा महसूस करते हैं कि सारे ट्यूबवेल सही चलने में पूरी तरह से सफल नहीं हैं । मैं सुझाव के तौर पर इस सिलसिले में तीन-चार बातें कहना चाहूंगा ।

(इस समय 1 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल पीठासीन हुए)

जब तक आप पानी को पहुंचाने के लिये और उसकी निकासी के लिये कोई कन्वेन्शनल सिस्टम इस स्कीम के तहत नहीं बनायेंगे जैसे कि पहले रहट चला करते थे जो कि अब देखने को भी नहीं मिलते हैं, रहट में बैल जोड़े जाते थे । मैं कहता हूं कि आप नई-नई स्कीमें चलाइये लेकिन पुरानी स्कीमों के तौर पर जो रहट लगाना चाहे या और कोई जरिये से पानी का प्रबन्ध करना चाहे तो उसको भी अनुदान दिये जाने की आप स्कीम बनाइये । इसके लिए व्यापक स्कीम बनाने की और उसको महत्व दिये जाने की बड़ी जरूरत है कि आप पुराने तरीकों को भी इस्तेमाल में लाने के लिये अनुदान दीजिये ।

दूसरी बात जैसे कि नहर का पानी है, अगर नहर में पानी नहीं है तो वह बेकार है, इससे बड़ा खेद का विषय और हो नहीं सकता है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि छोटे-छोटे रजबहे बनाये जायं । मेरे यहां कठरवा रजबहा 9 किलोमीटर तक बना हुआ है, पर पता नहीं किस तरह से ऊंचाई पर बना हुआ है कि पानी नहीं पहुंच पाता है । काश्तकारों के लिये पहले पानी की आवश्यकता है उसी तरह से जिस तरह से हमारे जिस्म में बहते हुए खून की जरूरत है । मैं रजबहों के सिलसिले में एक तजवीज पेश करना चाहता हूं । मैं आपके माध्यम से इरीगेशन मंत्री से कहना चाहता हूं कि छोटी-छोटी नहरों में और रजबहों में जहां पानी नहीं पहुंचता है या पहुंच नहीं पाता है वहां पर शोल्डरिंग ट्यूबवेल लगाये जायं । दो ट्यूबवेल बनाये जायं जिसके जरिये से उस नहर का पानी फेंक दिया जाय । मैं समझता हूं कि इससे 9-10 किलोमीटर तक पानी आसानी से पहुंच जायेगा ।

तीसरी चीज बरसाती वाटर है । स्टोरिंग करने का जरिया न होने से बरसाती पानी 70 फीसदी समुद्र में चला जाता है और हम इसे किसी तरह से स्टोर नहीं कर पाते हैं । वाटर स्टोरिंग रिसोर्सेज के लिये कुछ न कुछ

जरूर करना चाहिये । इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के लिये नई-नई स्कीमें बनानी होंगी । जहां-जहां हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जैसे एन0 आर0 ई0 पी0 और आई0 आर0 डी0, मैं चाहूंगा कि इन प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम करना चाहिये ।

मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने सूखा पड़ने से पहले ही सारी मानीटिय-रिंग की, जिसकी वजह से आज माननीय सदस्य राम सरन दास ने कहा है कि इरीगेशन मंत्री उनके क्षेत्र में गये । इससे मालूम होता है कि सरकार सजग है और काम करना चाहती है । मेरा सुझाव है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाये जायें जिससे हर खेत को पानी मिले और बिजली मिले । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा—

(कुंवर रेवती रमण सिंह का नाम पुकारे जाने पर) मान्यवर, बोलने वालों की सूची आपको दी गयी है, उसी के अनुसार आप बुलवायें ।

श्री अधिष्ठाता—

इस पर दो दिन लगातार चर्चा होगी और माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा । जिन सदस्यों के नाम नहीं हैं, उनको भी अवसर मिलेगा ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, आज सूखा पड़ा हुआ है और उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं । पूरा प्रदेश सूखे और बाढ़ से ग्रसित है और प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन आप सरकार की गम्भीरता को देखें कि दीक्षित जी अकेले बैठे हुये हैं और उनके अलावा और कोई मंत्री सदन में उपस्थित नहीं है । इसी से जाहिर होता है कि यह सरकार कितनी गम्भीरता से इसको ले रही है, यह इसी बात से साबित है । मान्यवर, अभी जाहिदी साहब बोल रहे थे और उन्होंने कुछ आंकड़ों को पढ़ दिया और कहा कि इन-इन जिलों में सूखा है, लेकिन मान्यवर पूरे प्रदेश में सूखे की स्थिति है और जिला कलेक्टरों ने उसकी रिपोर्ट आज तक शासन को नहीं भेजी है । सरकार का कितना असर है अपने अधिकारियों पर कि उन्होंने आज तक सूखे की रिपोर्ट तक नहीं भेजी है । मान्यवर, जब सदन बन्द हो रहा था तो यह कहा गया था कि आप लोग अपने क्षेत्र में जाइये और तब यहां पर बोलियेगा । मान्यवर, कोई भी मंत्री किसी भी जिले में नहीं गया है, इससे अफसोस की और कोई बात नहीं हो सकती है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह कागज की नाव दौड़ा रहे हैं और यहां पर बहुत उत्तेजित हो रहे हैं । किस जिले में कितना पानी बरसा ? इसके बारे में आंकड़े जाहिदी साहब ने पढ़कर सुना दिये । पता नहीं यह इनके आंकड़े हैं या सरकारी आंकड़े हैं । मेरा दावा है कि उत्तर प्रदेश में जहां पर सूखा है, वहीं पर बाढ़ भी है । आज पूरे प्रदेश में सूखे के साथ ही साथ बाढ़ की भी स्थिति है । कोई भी जिला सूखे से वंचित नहीं है । सरकार सूखे के कारण अक्षम हो गयी है । पूरे प्रदेश में सूखे के बारे में सरकार ने कोई भी राहत का काम नहीं किया है । सरकार ने किसानों की मालगुजारी नहीं माफ की है । यह सरकार तो अंग्रेजी सरकार से भी बदतर है । 50 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हो गया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

है और सरकार ने मालगुजारी माफ नहीं किया है, जबकि इतने नुकसान पर मालगुजारी माफ हो जानी चाहिए । एक भी जिले में मालगुजारी माफ नहीं की गयी है । कलेक्टर को आदेश दे दिये गये हैं कि जो उचित हो वह करें । अगर सरकार कलेक्टर की मर्जी से चलेगी तो इस प्रदेश का क्या होगा । अभी अम्मार रिजवी साहब ने कहा, हरदेव को अपना खाना लखनऊ में मिल रहा है, लेकिन उनके गांव के जो हरिजन हैं वह गांव छोड़कर भाग रहे हैं । और यह तो भोजन लखनऊ में ले रहे हैं । मान्यवर, अभी अम्मार रिजवी जी, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में भुखमरी की स्थिति आ गई है । यह प्रदेश की सरकार कह रही है, अपनी जबान से कह रही है । लेकिन कार्य क्या हो रहा है सिफर । एक पैसे का काम भी पूरे प्रदेश में बता दीजिये कि कहीं राहत कार्य हो रहा हो, सड़क बन रही हो, मजदूर जो खेत में काम करते हैं उनके पास आज कोई काम नहीं रह गया है, उनके पास खाने के लिये कुछ भी नही रह गया है, सरकार ने उनके लिये कोई व्यवस्था की है ? आंकड़े यहां लाकर पढ़ देते हैं कि इस जिले में इतना पानी बरसा, सरकार सचेत है, सरकार जागरूक है । अरे, जब लोग मर जायेंगे तब आपकी जागरूकता काम में आयेगी । आपको संवेदनशील होना चाहिए । आपके मंत्री वे आंकड़े पढ़ देते हैं जो कलेक्टर ने दे दिये, लेकिन आपके मंत्री वहां नहीं गये ।

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी—

उन्होंने कहा कि भुखमरी की स्थिति हो सकती है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

इस प्रदेश में जो खाद इस्तेमाल हुई है 1985 में, वह 3 अरब 89 करोड़ 6 लाख रुपये की हुई है । यह खाद भी किसानों के खेतों में पड़ी थी, वह भी बेकार हो गई । पौने चार अरब की खाद किसानों के खेतों में खराब हो गई । इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश में 1985-86 में 27 अरब, 89 करोड़ 85 लाख के खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य था । मेरा दावा है कि कम से कम आज प्रदेश में 15 अरब रुपये का अनाज खेतों में सूख गया वह किसान को मिलने वाला नहीं है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं । ट्यूबवेल आपके नहीं चल रहे हैं । 24 हजार सरकारी ट्यूबवेलों में, मेरा दावा है कि आप सदन की एक कमेटी बना दें, उधर के सदस्यों को ही बना दें वह देखेगी कि कितने ट्यूबवेल चल रहे हैं । हर जिले में 70 प्रतिशत ट्यूबवेल खराब हैं । कोई ट्यूबवेल काम नहीं कर रहे हैं । मंत्री जी आंकड़े पढ़ देंगे, जो इन्जीनियर ने भेज दिये और उन्हें कलेक्टर ने वेरीफाई कर दिया । वे आंकड़े सही नहीं हैं । आज ट्यूबवेल खराब हैं, नालियां खराब हैं, उनमें पानी नहीं है, बिजली नहीं है कैसे ट्यूबवेल चलेंगे । जो निजी नलकूप हैं वे ठप्प हैं । बिजली 1, 2, 3 घन्टे दी जा रही है, लगातार नहीं दी जा रही है। इसलिए किसान अपनी बचत नहीं कर पा रहा है । उसकी लहलहाती फसल सूख रही है, नहर में पानी नहीं है । एक दिन मंत्री जी ने चीफ इन्जीनियर को बुलाकर पूछा कि उस नहर में पानी नहीं है । उसने कहा कि इतना क्यूसेक वाटर हमने सप्लाई कर दिया है । कहां सप्लाई किया है ? नहर में तो पानी है ही नहीं । जो कुलाबे लगे हैं उनके ऊपर पानी नहीं जा रहा है । किसी नहर में ट्यूबवेल में

पानी नहीं है । पशुओं के लिये पीने का पानी नहीं है । दो दिन वर्षा हो गई और आंकड़े लिये जा रहे हैं कि पानी से फिर फसल लहलहा रही है । जो फसल सूख गई है, आप तो किसान हैं, आप पहचानते हैं, कि जब फसल सूख हो गई तो फिर पानी बरसने से वह लहलहायेगी । लेकिन इनके आंकड़े आ गये । मान्यवर, एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । आज जानवरों के लिये चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है । जानवर भी भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं । उसके लिये सरकार ने कोई इन्तजाम नहीं किया है । कयामत आ जायेगी और ये इन्तजाम करते रह जायेंगे । सब कागजों में इन्तजाम करा रह जायेगा । इसलिए मान्यवर, मेरा आपसे, सरकार से और उधर बैठे हुए साथियों से आग्रह है कि उनके अन्दर यह भावना जागृत हो कि नहरों में पानी आ जाय । पशुओं के पीने के लिये पानी ट्यूबवेल और नहरों से दीजिये और जो फसल बची हुई है उसके लिये प्राथमिकता के आधार पर मेरी मांग है कि उद्योगों की बिजली बन्द करके किसानों को 12 घन्टा, 18 घंटा और 20 घंटा बिजली दीजिये । इन शब्दों के साथ, मैं उम्मीद करता हूं कि यह सरकार इस ओर देखेगी और किसानों की मालगुजारी माफ करेगी, किसान मुलतवी नहीं चाहता है वह मालगुजारी की माफी चाहता है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

श्रीमन्, सूखे की स्थिति पर सदन में चर्चा हो रही है । सूखे के सम्बन्ध में दो पहलू हो सकते हैं जैसा माननीय जाहिदी साहब ने कहा लम्बे अर्से की स्कीमें बनाई जायें और सूखे से कैसे निपटा जा सकता है । आज की चर्चा में हमें यह सोचना है कि आज की सूखे कि स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है ।

श्रीमन्, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली मण्डल, मुरादाबाद मण्डल, मेरठ मण्डल और आगरा मण्डल में मैंने खुद जाकर मालूम किया है और मेरे साथियों ने मुझे बताया-है, वहां पर लोगों का कहना है कि 100 वर्षों में ऐसा सूखा नहीं पड़ा है । 1982 में जो सूखा पड़ा था उसे सबसे भयानक माना जा सकता है परन्तु इस बार तो दो महीने से एक बूंद भी पानी नहीं बरसा है । जो फसल नजर आ रही है हो सकता है उसका रंग हरा नजर आ सकता हो जिसमें मक्का और ज्वार खेतों में खड़ा हो, लेकिन उसमें दाना पड़ने वाला नहीं है । खरीफ की 75 प्रतिशत फसल नष्ट हो चुकी है । आंकड़ों में कई बार आप भी उलझ सकते हैं और विपक्ष भी उलझ सकता है । पिछली दफा जो आपने वक्तव्य दिया था उसमें कहा था कि जुलाई में इतनी मि0 मी0 वर्षा हुई । परन्तु देखने की बात यह है कि वह वर्षा कब हुई और कैसे हुई ? तीन दिनों के अंदर इतनी वर्षा हुई जितनी कि पूरे महीने में होनी चाहिये थी । मानसून 15 दिन वैसे ही लेट हो गया और पहली वर्षा 4 जुलाई को हुई और उसमें तीन दिन में सारा बरस गया और हाहाकार मच गया सारे नदी नाले बहने लगे । कागजों पर वह वर्षा नजर आती है कि जुलाई में वर्षा सामान्य रही । तो वह भी असामयिक वर्षा हुई उससे वास्तव में फसलों को लाभ नहीं हुआ । 25, 26 जुलाई के बाद कोई भी वर्षा नहीं हुई । ऐसी ही स्थिति 15, 20 दिन और रही तो जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी ने इशारा किया कि एक विषम स्थिति आ सकती है । इसके बाद लोगों को वास्तव में न खाने को अनाज रहेगा और न कोई रोजगार रहेगा तो ऐसी स्थिति 15, 20 दिन बाद आ जायेगी । जहां पर सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं, ट्यूबवेल नहीं है वहां एक विषम स्थिति आ जायेगी । जहां

पर ट्यूबवेल हैं उनका रख रखाव ठीक से हो रहा है, वहां पर तो जैसे मरुस्थल में भी कुछ अच्छी फसल हो सकती है । आज वास्तव में ऐसी जगहों पर भी 50 परसेन्ट फसल नष्ट हो गयी है । सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भी जहां सिंचाई के साधन नहीं है वहां पर शत-प्रतिशत फसल समाप्त हो गयी है और सिंचित क्षेत्र में जो फसल को नुकसान हुआ है वह अलेहदा है ।

मैं दो-तीन चीजों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है । पहला तो सिंचाई के साधनों का अधिकतम उपयोग करने की बात है । इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां पर नहरें और नलकूप हैं उनका अधिकतम उपयोग हो । लेकिन जो नहरें हैं उनकी क्षमता बढ़ाई नहीं जा सकती है । लेकिन उनकी पेट्रोलिंग कराई जा सकती है । जहां नहर में पानी पहले पहुंचता है वहां लोग उसे काट देते हैं और आगे वह पानी नहीं पहुंच पाता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि पेट्रोलिंग बढ़ाकर टेलएण्ड तक पानी पहुंचे ताकि पशुओं के लिए चारा तो मिल सके । अनाज को तो आप भण्डारों से मंगाकर पहुंचा देंगे लेकिन चारा आप नहीं पहुंचा पायेंगे क्योंकि चारे के भण्डार आपके पास नहीं हैं ।

नलकूपों की काफी आलोचना होती है, कई जगहों पर तो नलकूप सही भी चलते हैं और बहुत सी जगहों पर नहीं चलते हैं । मैं आपको बरेली जनपद के आंकड़े देना चाहता हूं वहां पर लगभग 4 सौ नलकूप हैं जिसमें से 51 नलकूप ऐसे हैं जिनकी गुले भी आज तक नहीं बन पाई है । मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आपने नलकूपों को जिला सेक्टर में दे दिया है नालियां बनाने का काम जिला सेक्टर में होगा । जिला सेक्टर की 1986-87 की योजना स्वीकार कर चुके हैं और इस मद में धन बचा नहीं है लेकिन आप यदि चाहते हैं तो सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट भेजकर जिन ट्यूबवेलों की नालियां नहीं बनी हैं उनको एक महीने में बनवा दें अन्यथा यह फसल तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चुकी है और आने वाली रबी की फसल में बोने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि जमीन में नमी की कमी है । इसलिए यदि एडीशनल ग्रान्ट यहां से जिला सेक्टर के लिए भेज देंगे तो 50 नलकूप बरेली में और दूसरे जनपदों में इसी तरह की स्थिति मिलेगी वहां नालियां बनने से आने वाली फसल में पैदावार कुछ हो सकेगी । इसके अतिरिक्त शेष नलकूपों की भी मरम्मत के लिए आवश्यक धन तत्काल भेजना होगा ।

मान्यवर, इसी तरह विद्युत् व्यवस्था की बात है । हम सभी लोग चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक बिजली मिलनी चाहिए और सरकार ने प्रयास भी किया है लेकिन कुछ अड़चनों जैसे हड़तालों के कारण कमी आई और पूरी बिजली नहीं मिली । सरकार कह रही है कि 8—10 घंटे बिजली मिल रही है मेरे क्षेत्र से रिपोर्ट भी है कि 8 घंटे मिल रही है, तो इतनी नहीं मिल रही है, जिससे आवश्यकता की पूर्ति हो सके । इसका कारण है कि 8—10 घंटे बिजली तो सामान्य वर्षों में देने का प्रयास होता है लेकिन सूखे में ऐसा करेंगे तो इससे बिजली की आज की आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी ।

इसलिये जो शहरों में, हजरतगंज में करोड़ों यूनिट बिजली खर्च कर रहे हैं उसमें यदि 15 दिन के लिये या एक महीने के कटौती करके, व्यवसायिक विद्युत् पर प्रतिबन्ध लगा दें और नलकूपों को 15—16 घंटे आपूर्ति कर दें तो नलकूपों का पूरा उपयोग हो सकेगा । मान्यवर, मेरा तो विचार है कि मौसम के अनुसार इस समय

विधान सभा के एयर कन्डीशनिंग पर भी प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक बिजली का उपयोग हो सकेगा। वैसे भी औसत 30 हेक्टेयर प्रतिवर्ष प्रति ट्यूबवेल सिंचाई होती है और सूखे की स्थिति में कितना यह प्रतिशत गिर जायेगा इसको आप निश्चित जान सकते हैं।

मान्यवर, राहत कार्य प्रारम्भ करें इससे बेहतर होगा जैसा मैंने सुझाव दिया है कि जो पैसा राहत क्षेत्र में आप देना चाहते हैं अच्छा होगा ट्यूबवेल में सिंचाई के स्थायी साधनों में खर्च करें। आप एन0 आर0 ई0 पी0 योजना चला रहे हैं, अनाज मिल जायेगा लेकिन इससे अच्छा होगा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना जो है इसमें भारत सरकार से अधिकतम मांग करके कार्य कराये जायें। जिलों में राहत काम के लिये पैसा बहुत कम मांगा गया है। एन0 आर0 ई0 पी0 में बरेली ने 50 लाख मांगा है। हो सकता है 50 लाख आ जायेगा किन्तु जनसंख्या 50 लाख हो तो वहां रोजगार कितने लोग पा जायेंगे। इसलिए आग्रह है कि तत्काल इस तरह से कार्य किया जाये कि कोई मजदूर देहात में खाली न बैठे और कितने सिंचाई के साधन हैं उनके अधिकतम उपयोग के लिये विद्युत् व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था सरकार जुटा दे तो आने वाली फसल में उम्मीद की जा सकती है और किसान को हम बचा सकते हैं अन्यथा आने वाले संकट से हम बच नहीं सकते हैं। बेरोजगारी और भुखमरी से बचने के लिये सूखाग्रस्त क्षेत्र में तत्काल एन0 आर0 ई0 पी0 तथा आर0 एल0 एल0 ई0 जी0 पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कें, नाले, तालाब इत्यादि का निर्माण तत्काल प्रारम्भ करायें।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

मान्यवर, आज डेढ़ महीने के बाद एक बहुत बड़े अहम् और भयावह मसले के ऊपर इस शासन ने चर्चा का अवसर दिया है। मान्यवर, जुलाई की 30 तारीख के बाद वर्षा बिलकुल प्रदेश में बन्द हो गयी। जिन लोगों को खेती का ज्ञान है, उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि अगस्त के महीने में ही धान में रेंडा लगता है। उस समय उसको पानी न मिले तो कोई भी धान का दाना उसमें नहीं पड़ेगा। दिखाई तो हरा देगा, लेकिन फसल नहीं होगी। 30 जुलाई के बाद वर्षा बन्द हो गई। एक महीने लगातार वर्षा नहीं हुई है, लेकिन शासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। किसी किस्म की चर्चा नहीं हो सकी, उसके द्वारा कोई उपाय नहीं हो सका। किन्तु जब विधान सभा में अविश्वास का प्रस्ताव आया, उस पर चर्चा होने की बात आई तो मंडल की बैठक उस समय बुलाई गई और शासन की ओर से उसके बाद अधिकारियों को कुछ आदेश दिये गये और सिंचाई साधनों को ठीक करने की बात कही गई। जब सारी फसल सूख गयी, तब शासन को ध्यान आया, वह भी उस समय जब अविश्वास का प्रस्ताव विधान सभा में पेश हो गया इस समय से कि कहीं सत्ता हाथ से चली न जाये, शासन की गद्दी कहीं नीचे से खिसक न जाये। तब इन्हें ध्यान आया मृत्यु के मुंह में जाने वाले लोगों का और सोचा कि उनकी तरफ भी देख लिया जाये। आज हम मिर्जापुर जिले से लेकर बहराइच तक 11 जिलों से होकर आये हैं। मुख्य रूप से बस्ती में तीन दिन घूमा हूं। वहां फसल पूरी तरह समाप्त हो गई है। यदि किसी को फिर भी हरी फसल देखने से लगता हो कि फसल है तो ऐसी बात नहीं है, किसी को कुछ भी उससे मिलने वाला नहीं है। हमारे बस्ती जनपद में खेती के एक बटा दस भाग में रोपाई का धान होता है और 9/10 भाग में बुवाई का धान होता है। रोपाई के धान में भले ही देर से कुछ मिल जायेगा, लेकिन बुवाई में कुछ

भी किसी को नहीं मिल पायेगा । शासन ने पहले जो रिपोर्ट रखी, उसमें बस्ती की भयावह स्थिति को नहीं रखा । मैं कहना चाहूंगा कि बस्ती जिले की स्थिति बहुत खराब है । 9/10 क्षेत्र में बुवाई का धान होता है, जो बिलकुल बर्बाद हो गया है । अभी कहा गया है कि यह सूखा कोई लाया नहीं है । इसे सरकार नहीं लाई, परन्तु यह कहना गलत बात है । यदि सरकार सूखा नहीं लाई है तो उसे रोका अवश्य जा सकता था । अगर इजरायल अपनी दलदल जमीन को पूर्ण उर्वरा जमीन में बदल सकता है, रूस अपनी नदियों के बहाव को उत्तर से दक्षिण की ओर मोड़ सकता है । आस्ट्रेलिया अपने सूखे की जमीन को हरी और उपजाऊ जमीन में बदल सकता है तो भारतवर्ष में भी विभिन्न उपायों द्वारा सूखे पर नियंत्रण पाया जा सकता था । सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश में जलाशय बन सकते थे, जिनमें वर्षा के समय में पानी को रोक कर बाकी किसी समय में उससे सिंचाई का काम हो सकता था ।

आज अभी हमारे एक सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने कहा है कि हर खेत को पानी नहीं पहुंचाया जा सका है । यह सरकार के लिए बड़े लज्जा की बात है और इसके लिए सरकार को त्याग-पत्र दे देना चाहिए । जिस देश और प्रदेश में 39 साल में हर खेत को पानी नहीं मिल पाया है, तो हर इंसान को भूख से बचाने की आपकी घोषणा झूठी और थोथी है । मैंने माननीय बरार साहब के इलाके को तो नहीं देखा है, किन्तु मैं मिर्जापुर से बहराइच की स्थिति को भली-भांति देखकर आया हूं । उसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने आज नियम 301 में सैकड़ों पशुओं के मरने की सूचना दी है । आज हालत इतनी खराब है कि लोगों को अन्न नहीं मिल पा रहा है । खेत में जो फसल सूख गई थी, उसे ही वह अपने पशुओं को खिला रहे हैं ।

मैं अब ट्यूबवेलों की दुर्व्यवस्था की ओर माननीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं अपने क्षेत्र के सभी ट्यूबवेलों के नाम और विवरण तो नहीं दूंगा वरना पूरा दिन लग जायेगा, किन्तु बस्ती जनपद में, जो 95 ट्यूबवेल मेरे क्षेत्र में चलते हैं, उसमें से 60 ठप्प होकर पड़े हैं । उनके कुछ के नाम इस प्रकार हैं—मथुरापुर, बेतिया, कैथवलिया, टेड़िया, विशुनपुर, सेमरा, एकडंगवा, बभनी, जमला जोत, उसकी, अतरभू, सोनफेरवा, बरदही, डौंडियाताल, कुड़जा, गेंगटा मांझी, पेड़ारी बुजुर्ग, पराई, छितौना, बेलमनवा, कोसिया, सपहा, सकरापार, बरगदी, जमोहनी गांवों में है । यह जो मैंने नाम गिनाये हैं यहां पर ट्यूबवेल खराब हैं । 95 ट्यूबवेलों में से 60 ठप्प पड़े हुए हैं । इनमें से कुछ 3 साल से बेकार पड़े हैं और कुछ 8 महीने से बेकार पड़े हैं । मैं स्वयं 23 ट्यूबवेलों पर होकर आया हूं । यह 23 के 23 तकनीकी कारणों से बेकार पड़े हैं । कहीं पर नालियां टूटी पड़ी हैं, कहीं पर गूल नहीं बनी है । विश्व बैंक के जरिये जो 25 ट्यूबवेल बनाये गये हैं वह पचीसों बेकार पड़े हैं । जहां से पानी निकल कर अंडरग्राउंड नालियों में जाता है वह स्थान नीचे होने के कारण वहां पानी नहीं चढ़ता है । किसान परेशान है, कहीं पर आपरेटर गायब है कहीं पर बिजली नहीं है । चारों तरफ इसी तरह से ट्यूबवेल बेकार पड़े हुए हैं । इसी के साथ-साथ मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जैसे यह सरकार सूखे को रोकने में विफल रही है उसी प्रकार से सूखे का सामना करने में भी विफल रही है ।

मजदूरों की हालत और भी दयनीय हो गयी है । सरकार की तरफ से बहाना किया जाता है कि बरसात में

काम नहीं होगा । काम नहीं हो रहा है । सूखा पड़ जाने के कारण निराई और कटाई का काम नहीं होगा । मजदूर के लिए कोई रोजी नहीं है । आप विधान सभा के माननीय सदस्यों का एक दल बस्ती भेजें जो जाकर वहां की स्थिति को देखे कि स्थिति कितनी भयावह हो गयी है । वहां पर भूख से मरने की सूचना मिली है । मैं यहां से लौटकर जा रहा हूं उनके नाम और पते लेकर आऊंगा । लेकिन शासन अस्पतालों के डाक्टरों को भेजेगी और वह आकर कहेंगे कि यह लोग भूख से नहीं मरे हैं बल्कि बीमारी से मरे हैं । वहां पर भूख से मरना शुरू हो गया है मैं चाहूंगा कि सरकार वहां पर तत्काल राहत काम चालू करे ताकि लोगों को भूखों मरने से बचाया जा सके । सूखे से कितना भारी घाव लगा है और सरकार नमक दलने का काम कर रही है । अखबारों में पढ़ा कि राशन के चावल का दाम 8 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है ।

कांग्रेस सरकार ने सूखा पीड़ित लोगों के घावों पर नमक दलने का काम किया है । जहां पर यह घोषणा होनी चाहिए थी कि भुखमरी से बचाने के लिए राशन दिया जायेगा । चावल और गेहूं के दाम गिराये जायेंगे वहीं पर यह घोषणा की गयी है कि 8 रुपये क्विंटल चावल के दाम बढ़ाये जा रहे हैं, तो लोगों ने जब इसे पढ़ा होगा तो उनके ऊपर कैसी बीती होगी । जिस क्षेत्र में से माननीय सदस्या साहनी जी आती हैं, उनके ही बढ़नी ब्लाक में 13 न्याय पंचायतें हैं और केवल 2 में ट्यूबवेल हैं । वहां भी 5 ट्यूबवेल हैं लेकिन वह भी बंद पड़े हैं । कांग्रेस से चुनकर आने वाली वह विधायिका हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जरा वह खड़ी होकर बोलें कि कितनी दुर्दशा है । जब पांचों ट्यूबवेल बंद पड़े हैं तो रोपाई के धान में पानी कैसे जा पाया होगा ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इसी तरह से पशुओं के चारे की हालत है । अगर धान बढ़ता और काटा जाता तो उससे पुआल मिलता जिससे पशुओं के चारे की व्यवस्था होती लेकिन पशुओं के चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और पशु मर रहे हैं ।

मैं कहना चाहूंगा कि आज युद्धस्तर पर सभी जिलों के अंदर राहत कार्य शुरू किये जाने चाहिए । खाद्यान्न के दाम गिराये जाने चाहिए । जिन इलाकों में भुखमरी आ गयी है वहां पर राशन मुफ्त भेजें । लगान को मुल्तवी न करें बल्कि लगान को माफ किया जाना चाहिए । बच्चों की फीस माफ की जानी चाहिए । मैं शासन को सूचित करना चाहता हूं कि मैं घूमकर आया हूं सिवाय इसके कि डाक बंगले पर मीटिंग के अलावा कोई अधिकारी किसी क्षेत्र को देखने नहीं जाता है । मैंने ट्यूबवेलों पर जाकर जानकारी की है । कोई भी ट्यूबवेल विभाग का अधिकारी ट्यूबवेलों पर जाकर उनकी हालत देखने नहीं गया है । इन्हीं शब्दों के साथ, मैंने जो सूखा की स्थिति है उस पर आपसे कुछ निवेदन किया है । लेकिन इसी के साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि शासन इसको विपक्ष की बात न समझकर, स्थिति बड़ी भयावह है, बड़ी खराब है, रबी की बोवाई भी नहीं हो पायेगी । बाढ़ आने के बाद खेतों में नमी आ जाती है । यह समस्या केवल इस समय की नहीं है, रबी की बोवाई के लिए नमी नहीं है । किसान के पास जो कुछ था, वह खरीफ में लगा दिया, फसल सूख गयी और उसकी पूंजी मिट्टी में मिल गयी । अब उसमें रबी की बोवाई के लिए ताकत नहीं है । उसके लिए पूरा प्रबन्ध कराना है और एक एकड़, दो एकड़, तीन एकड़ की सीमा न रखकर अगर बोवाई का प्रबन्ध नहीं किया गया तो मैं समझता हूं कि सरकार की

समझदारी नहीं होगी । जिनको दो एकड़, 10 एकड़ या 20 एकड़ बोना होगा, उसकी भी ताकत टूट गयी है । इसलिए बिना किसी सीमा दिये हुए इस समय युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाया जाय और रबी की बोवाई का भी प्रबन्ध किया जाय, तभी इस समस्या का सामना किया जा सकता है ।

*श्री मुईद अहमद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज सूखे की चर्चा पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं । हमारे साथी पाण्डेय जी कह रहे हैं कि सुल्तानपुर जिला सूखे से अछूता है । तो मान्यवर, सुल्तानपुर जिला सूखे से अछूता नहीं है, वह भी हमारे प्रदेश का जिला है । इसमें कोई शक नहीं है कि सूखे से जो नुकसान हुआ है, उसका मूल्यांकन आप नहीं कर सकते। उसका मूल्यांकन केवल किसान ही कर पाता है और यह बात सही है कि सूखा और बाढ़ इस समय दोनों आये हैं । कहीं-कहीं पर बाढ़ भी है । बाढ़ से उतना नुकसान नहीं होता है, सूखे से जितना होता है । सूखे से जो नुकसान होता है, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती है । बाढ़ के नुकसान से राहत कार्य पहुंचने के बाद फसल कुछ न कुछ बच जाती है । लेकिन सूखे के चपेट से पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है । 1979 में सूखा पड़ा हुआ था, उसके बाद इस बार सूखा पड़ा है । पूरे प्रदेश में सूखे की स्थिति पैदा हो गयी है । पश्चिमी जिले में कहीं-कहीं पर ज्यादा है । मगर पूर्वी और मध्य जिलों में इतना सूखा पड़ा है कि इससे किसानों की पीठ टूट गयी है । इस समय सरकार की तरफ से चर्चा हो रही है और विरोधी पक्ष के लोगों ने इस बात को उठाया है । मैं इतना कह सकता हूं कि इससे पूरे सदन को चिन्ता है । सारे सदस्य लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं । यह दैवी आपदा है, इसे कोई रोक नहीं पाया है ।

मान्यवर, जो बात कही गयी कि बरसात के पानी की आप कुछ व्यवस्था करें, बाढ़ आवे, तो हम उससे निपट लें । जब वह व्यवस्था नहीं है, तब इस समय पूरा प्रदेश गरीबी, भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है । किसान कमजोर हो चुका है । सरकार का नैतिक कर्तव्य होता है कि इससे युद्ध स्थल पर लड़े । सरकार की तरफ से जो प्रिकाशन लेने चाहिए थे, वह प्रिकाशन्स लिये गये । जिलाधीश महोदय को इस संबंध में सारे निर्देश दिये गये, क्योंकि उन्हीं के द्वारा कार्यान्वयन कराना है, चाहे नहर का पानी हो, या बरसात का पानी हो, हर चीज के लिए कहा गया कि नहर के टेल तक पानी पहुंचना चाहिए, और अगर नहीं पहुंच सकता है, तो वह अधिकारियों की कमी के कारण नहीं पहुंचता है । शासन की तरफ से प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं । मगर प्रशासन के अधिकारियों की मानसिकता इतनी कुंठित हो चुकी है कि वह उतना काम नहीं कर सके हैं । आज भी सूखे से सारे लोग त्रस्त हैं । मान्यवर, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि ट्यूबवेल खराब पड़े रहे । ट्यूबवेल का प्रतिशत खराब रहा है । यह कहना बेकार है कि नहरें और ट्यूबवेल हैं इनमें हम सिंचाई कर सकते हैं क्योंकि ट्यूबवेल अक्सर खराब रहते हैं ।

(लाल बत्ती होने पर)

मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा । सुल्तानपुर में पिछले दो वर्षों के मुकाबले बिजली कम गई है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और सूखे के दिनों में बिजली और कम गई है, तो मान्यवर मैं कहना चाहूंगा कि बिजली भी ठीक से किसानों को नहीं मिल पाई है । सूखा 1979 में भी पड़ा था ।

(व्यवधान)

डीजल के लिए किसान पांच लीटर का डिब्बा लेकर सड़क पर सोता था और डीजल नहीं मिलता था और इस समय सरकार द्वारा डीजल उपलब्ध कराया गया है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

शासन के अधिकारी शुरू में प्रिकाशन नहीं लेते हैं, जिससे नुकसान होता है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, सुल्तानपुर में ताल की वजह से बाढ़ की चपेट में आ गया है, तो सरकार ने लगान में छूट देने के लिए कहा है सूखे से इतना नुकसान हुआ है उस नुकसान के प्रतिशत को पूरा किया है ।

(व्यवधान)

कोई कहता है कि सूखे के बाद पानी गिर गया उससे राहत मिली है तो वह ठीक नहीं है पानी से कोई राहत नहीं मिली है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

सूखे से अलग नुकसान हुआ है बाढ़ से अलग नुकसान हुआ है ।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, आपने मुझे सूखे की चर्चा पर और बाढ़ की चर्चा पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप सब बैठें । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं आप सब बैठ जायें । सबको मौका मिलेगा ।

(व्यवधान)

सब सदस्य अपने स्थान पर विराजें ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, बड़े अफसोस की बात है कि अपने उत्तर प्रदेश की एक अविलम्बनीय और तात्कालिक समस्या के ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं । सूखे की समस्या पर हम लोग विचार कर रहे हैं लेकिन न तो यहां सिंचाई मंत्री उपस्थित हैं, न राजस्व मंत्री उपस्थित हैं और न ही यहां बिजली मंत्री उपस्थित हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या होगी कि सूखे पर बहस हो रही है, बिजली और सिंचाई का जिससे विशेष ताल्लुक है, राजस्व जिसको राहत देनी है, उसका कैबिनेट स्तर का मंत्री यहां उपस्थित नहीं है ।

मान्यवर, राजस्व विभाग वाले जिस प्रकार से आंकड़ों के हिसाब से मंत्री जी को मंचित करते हैं उसके बारे में मैं चन्द निवेदन करना चाहूंगा । मान्यवर, भारत वर्ष की मानसून की स्थिति ऐसी है कि हमारे यहां प्रत्येक वर्ष पूरे हिन्दुस्तान की वर्षा को देखकर औसत लगाया जाय तो औसतन एक ही वर्षा, एक सी ही वर्षा होती है । यह बात अलग है कि किन्हीं हिस्सों में बहुत ज्यादा होती है और किन्हीं हिस्सों में सूखा पड़ता है । मान्यवर, उसी प्रकार की स्थिति हमारे प्रदेश की भी है । हमारा उत्तर प्रदेश दो लाख चौरानबे हजार वर्ग किलोमीटर लम्बा चौड़ा प्रदेश है और उस प्रदेश में निश्चित रूप से कहीं अधिक वर्षा होती है और कहीं सूखा पड़ता है, लेकिन राजस्व विभाग ने जो पिछली बार, जैसा

कि वक्तव्य माननीय मंत्री जी का था, उन्होंने औसत दिया था उत्तर प्रदेश का, कि हमारे उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्षा इन-इन दिनों में हुई ।

मान्यवर, बरार जी ने एक तरफ इशारा किया कि महीनेवार यह नहीं था लेकिन मैं दूसरी तरफ इशारा कर रहा हूं कि इस औसत पर हम सही स्थिति पर पहुंच नहीं सकते हैं । मेरा निवेदन है राजस्व विभाग से कि कृपा करके उत्तर प्रदेश की स्थिति और यहां के जिलों की भी बड़ी नाप देखते हुए आप जो आंकड़े इकट्ठे करें वह सूखे के सम्बन्ध में हो या बाढ़ के सम्बन्ध में हो, वह तहसील स्तर पर करें । अगर इससे भी नीचे स्तर की कोई इकाई होती तो मैं उसके लिए सुझाव देता किन्तु इकाई क्योंकि तहसील है ही इनसे निवेदन करता हूं कि आप जो सूखे के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करें उनको तहसील वाइज करें । चूंकि मान्यवर, हमारे यहां ऐसे जिले हैं कि तहसील के हिसाब से भी फर्क हो जाता है मसलन हमारे यहां ठाकुरद्वारा में जितनी वर्षा होती है उतनी मुरादाबाद में हसनपुर में नहीं होती, उतनी सम्भल में नहीं होती, अमरोहा में नहीं होती है । चूंकि ठाकुरद्वारा हमारे यहां ऐसा है कि वह नैनीताल से जुड़ा होने के कारण वहां मानसून की वर्षा नहीं भी होती है तो भी वहां वर्षा हो जाती है ।

ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि आप तहसील के स्तर पर आंकड़े इकट्ठा करें । यह जो क्षति हो रही है, 16 जिलों को इसी प्रकार से दे दिया । 16 जिले हमारे जाहिदी साहब ने कह दिया । निश्चित रूप से मान्यवर, मुरादाबाद, मेरठ, आगरा, बरेली मण्डल और उसके भी आगे लखनऊ मण्डल में सूखे की व्यापक स्थिति है । हमारे यहां से जो रिपोर्ट आई है कि 50 फीसदी से ज्यादा फसल चौपट हो गयी है और दूसरे जिलों से भी आई है यह हमारी निजी जानकारी है, लेकिन शासन स्तर से अभी तक कोई भी किसी प्रकार के निदेश जारी नहीं हुए है । यहां तक कि जो पिछले साल के बजट का हिसाब-किताब है, जिसके जरिये से देहात में कुछ काम होता था वह भी ठप्प है, उसका पैसा भी नहीं गया है । तो जो राहत का काम अनिवार्य रूप से होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है । उसके अलावा भी इस प्रकार की स्थितियां है कि जो सामान्य काम हमारे देहातों में होता था वह भी नहीं हो रहा है ।

मान्यवर, सिंचाई विभाग की जो स्थिति है और विशेषकर ट्यूबवेल की जो स्थिति है, जैसा कि सदस्यों ने बताया, बरार साहब ने भी बताया, आप सब देखें, तो निश्चित रूप से ट्यूबवेल चलते ही नहीं है और उन्हें कोई देखने वाला नहीं है । सिंचाई मंत्री जो हमारे भोलाशंकर मौर्य जी है वह बेचारे कहीं जा ही नहीं सकते क्योंकि मैंने सुना है कि हर ड्राइवर ने उनकी गाड़ी को चलाने से मना कर दिया है इसलिए वह दौरा नहीं कर सकते हैं तो वह कैसे जायं । हमारे गांवों में जो छोटे-छोटे काम है, 10 ट्यूबवेल तो मुरादाबाद में ऐसे है जिनमें बिजली का तार जोड़ना है लेकिन सूखे की स्थिति को देखते हुए भी वहां बिजली का तार ज़ोड़ नहीं रहे है । बीसों ट्यूबवेल ऐसे है जिनमें नालियां तक बनाने की व्यवस्था नहीं हो रही है और राहत का काम तो राजस्व मंत्री ने शुरुआत ही नहीं किया है ।

बिजली की स्थिति के बारे में माननीय बरार जी ने बता दिया कि 10 घंटे दी जा रही है । खैर, उनके जिले में दी जा रही होगी लेकिन हमारे जिले में अभी जब माननीय मंत्री अरुण कुमार सिंह गये थे सब ने उनसे कहा था कि बिजली नहीं मिल पा रही है ।

वहां पर औसतन 5 घंटे बिजली दे पा रहे हैं और उस 5 घंटे में भी सब ट्यूबवेल चलते नहीं हैं और सब जगह पानी पहुंच नहीं पाता है । जब पानी आता है तो एक किसान अपने खेत में भर लेता है और दूसरे के खेत में जाने का सवाल ही नहीं उठता है ।

मान्यवर, मुरादाबाद जिले को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया जब कि मुरादाबाद में 50 फीसदी से अधिक फसल नष्ट हो चुकी है और जो 50 फीसदी बची है, उसके भी बचने का प्रश्न नहीं है लेकिन उसको किसी तरह से काश्तकार ने अपने व्यक्तिगत साधनों से जीवित रखा है ।

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं एक तो निश्चित रूप से कम से कम 12 घंटे बिजली ट्यूबवेलों को दी जानी चाहिए । दूसरे चारे की व्यवस्था बहुत खराब हो रही है । 100 रु0 क्विंटल भूसा बिक रहा है । मान्यवर, राहत के कार्यों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आप कहते हैं कि हमारे पास गेहूं का भंडार है तो आप खाद्यान्न योजना चलाकर सड़कों के निर्माण का कार्य करायें, इससे लोगों को काम भी मिलेगा और खाने को अनाज भी ।

मान्यवर, अगली फसल की चिन्ता इनको अभी से करनी चाहिए ताकि वह सभी काश्तकारों के लिए सुलभ हो सके । अगर आपने खाद की व्यवस्था और बीज की व्यवस्था कुछ चन्द लोगों को देने की कोशिश की तो सीमान्त कृषकों को छोड़कर सबको मिल जाता है । अगर बीज की व्यवस्था आपको करना है, अगर आप किसानों की सरकार होने का दावा करते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश को बचाना चाहते हैं तो आपको रबी की फसल की व्यवस्था करनी होगी और उसकी व्यवस्था के लिए सब खाद और बीज की व्यवस्था आप करें ।

श्री समरपाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । मान्यवर, सूखे की भयंकरता और भीषणता पर न सत्ता पक्ष और न विपक्ष को कोई विचार भेद है । जो बुजुर्ग हैं उनका कहना है कि उनके जीवन में ऐसा भयंकर सूखा कभी नहीं आया जैसा इस वर्ष आया । यह सही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन तुलनात्मक अच्छे हैं लेकिन चूंकि वह भी वर्षा पर आधारित हैं, तो उनमें भी पानी की कमी हो गई है । कहीं-कहीं तो ऐसा हुआ है कि भूमि का जल-स्तर गिर गया है और वहां पर ट्यूबवेल भी फेल हो गये हैं । मेरे अपने ही क्षेत्र में 500 निजी ट्यूबवेल हैं लेकिन वहां पर पानी का स्तर 10 फुट गिर गया और वहां ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं । खरीफ की फसल का बुरा हाल है । यह उसके पकने का समय है । अभी धान में बालियां ही आई हैं और वह भी सूख रही हैं । गन्ने का बुरा हाल है । जो दालें हैं उनमें फूल ही नहीं आ रहे हैं । चारा खत्म हो रहा है । हर आदमी इस बात से सहमत है कि यह बहुत बड़ा सूखा है और उसको बार-बार दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

मान्यवर, मुरादाबाद जिले की एक विशेषता यह है जिसकी ओर कौशिक जी ने ध्यान आकृष्ट नहीं किया कि वहां कोढ़ में खाज हो रही है । एक तो सूखा, दूसरे वहां कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसमें कौशिक जी का भी कुछ क्षेत्र है तथा सम्भल में दीमक का बहुत प्रकोप है । जो फसल हो सकती थी उसको भी दीमक ने चौपट कर दिया । वर्षा कम होने के कारण दीमक ने कमाल कर दिया है । यह ऐसी समस्या है जिसकी ओर बार-बार सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया लेकिन सरकार का ध्यान

उस ओर नहीं गया । पिछले साल भी मैंने सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट किया था ।

बिजनौर जिले में रावली घाट पर पुल बनाया गया और गंगा में एक बैराज बनाया गया जिससे एक नहर निकाली गई, उससे पश्चिम की ओर मेरठ, अलीगढ़, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद को पानी दिया जा रहा है जबकि पानी की ज्यादा आवश्यकता बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूं और बरेली को थी । मैं चाहूंगा कि जो नहरों आदि के काम रुके पड़े हैं उन्हें तुरन्त शुरू किया जाय ताकि जब आवश्यकता हो उससे पानी लिया जा सके और लोगों को रोजगार भी मिल सके ।

इसके अतिरिक्त मुरादाबाद का दुर्भाग्य यह भी है कि वहां कालागढ़ से एक नहर निकाली गई, मुरादाबाद की जमीन से यह नहर जाती है लेकिन पानी गंगा में डाल देती है । मुरादाबाद को एक बूंद पानी नहीं मिलता है । उसी नहर से पानी खोह नदी में डालकर एक नहर निकाली गई जिससे बिजनौर को पानी मिल जाता है, लेकिन इस साल हर साल की तरह उसका फाटक गिरा दिया गया है और बिजनौर को भी पानी नहीं मिल रहा है । अगर यह फाटक उठा दिया जाय तो बिजनौर को पानी मिल जायेगा । यह परिस्थिति है । जो दैवीय आपदा है, उसमें मनुष्य का कोई चारा नहीं चलता है । लेकिन सरकार को जो इसका निदान ढूंढ़ना है, उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । हर जिले में सरकार ने आदेश भेज दिया है लेकिन उनका अनुश्रवण नहीं हो रहा है । वहां पर साप्ताहिक अनुश्रवण किया जाय, जो आदेश है, उसका पालन हो रहा है या नहीं यह सुनिश्चित किया जाय । दूसरा जो छोटे-छोटे काम रुके पड़े हैं, नहरों के, नलकूपों के, सड़कों के उनको प्रारम्भ कराया जाय । खरीफ की फसल में तो हम फेल हो गये, रबी में फेल न हो जायं, इसलिये हमको नई रणनीति अपनानी पड़ेगी । गेहूं के बजाय ऐसी फसलों को प्रमुखता देनी पड़ेगी जिसमें पानी की कम आवश्यकता हो । इसके लिये मैं दालों का सुझाव दूंगा । क्योंकि यह आशा नहीं है कि आगे भी पानी मिल सकेगा । रबी के आदान उसके जो तत्व हैं, उनको फसल बोने से पहले किसानों तक पहुंचा दिये जायं, सीमान्त और लघु किसानों को प्रोत्साहित किया जाय । रोजगार उपलब्ध कराने के लिये जो काम रुके पड़े हैं, उनको तुरन्त प्रारम्भ किया जायं । ताकि जो भुखमरी की कगार पर है उनको रोजगार मिल सके । धन्यवाद ।

*श्री बदन सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश के जो 50 जिले सूखे से प्रभावित हैं उनमें आगरा जिला सबसे अधिक प्रभावित है और आगरे जिले में भी फतेहपुर सीकरी का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है । जो राजस्थान से लगा हुआ है । मान्यवर, 50 वर्ष के अन्दर यह इस प्रदेश में विशेष प्रकार का सूखा पड़ा है और वह इस वजह से है कि जो वर्षा ऋतु में अगस्त और सितम्बर महीने में पानी बरसता था, मान्यवर, इन दो महीनों में बिल्कुल नहीं बरसा । कुछ स्थान तो ऐसे हैं, प्रदेश में, जहां पर पानी न बरसने के कारण खरीफ की फसल नहीं बोयी जा सकी, लेकिन जहां थोड़ी सी वर्षा होने के कारण बो दी गयी, वहां पर फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गयी है । आगरा जिले में मान्यवर, फसल बोयी नहीं जा सकी । मान्यवर, सरकारी अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण नहीं बोयी जा सकी । अब तो फसल नष्ट हो चुकी है । बीमार आदमी का इलाज किया जा सकता है, फसल जिस समय सूख रही थी, उस समय उसका इलाज नहर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और ट्यूबवेल चला करके उसे बचाया जा सकता था, लेकिन अब वह समय आ गया है, जब फसल बिल्कुल नष्ट हो गयी है और अब राजकीय नलकूप चलाने से और नहरों को चलाने से खरीफ की फसल के बचने का सवाल ही नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अब रबी की फसल को हो गया है । जब ट्यूबवेल और नहरें दिसम्बर तक चलने की स्थिति में नहीं रहेंगे तो रबी की फसल के लिये बुवाई का काम सम्भव नहीं हो सकेगा ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर आगरा जिले में ट्यूबवेल सही स्थिति में होते, नहरें सही स्थिति में होती तो कम से कम 25 प्रतिशत फसल को बचाया जा सकता था, लेकिन आगरा जिले में एक भी नहर चलने की स्थिति में नहीं है । आगरा में ऐसी नहरें हैं जिनके टेल पर दस वर्ष से पानी नहीं पहुंचा है । मेरे क्षेत्र में 23 ट्यूबवेलों में से सब के सब बन्द पड़े हैं । उनकी नालियां नहीं बनी हैं, वहां पर बिजली नहीं पहुंची है और ऐसे समय में जबकि पानी की बड़ी भारी जरूरत है, किसी ट्यूबवेल पर कोई भी आपरेटर नहीं रहता है । इसी के साथ-साथ हमारे जिले में सबसे बड़ी चिन्ता यह हो गयी है जहां फसल नष्ट हो गयी है, वहीं पशुओं के लिये चारा भी नहीं रहा है । इससे बहुत गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जायगी क्योंकि इस समय वहां पर कुओं का जल-स्तर 60 फिट गहरा चला गया है और कुओं में पानी नहीं मिल रहा है । एक बात यहां पर उल्लेखनीय है, मैं अधिकारियों पर साफ आरोप लगा रहा हूं कि आगरा के अन्दर लघु सिंचाई विभाग की ओर से 23 लाख की रिग्स मशीन खरीदी गयी और 3 लाख का कम्प्रेसर खरीदा गया, वेल्डिंग मशीन खरीदी गयी, लेकिन ये मशीनें बिगड़ी पड़ी हुई हैं और इनका प्रयोग नहीं किया गया, जबकि इनका प्रयोग करने के लिये तीन लाख रुपया वेतन वहां का स्टाफ ले चुका है । ये मशीनें सोगों में पड़ी हैं और इनका प्रयोग सूखे के समय नहीं हो रहा है । जबकि बोरिंग करके खरीफ के समय नहीं तो रबी के लिए इन मशीनों का सदुपयोग किया जा सकता है और रबी में किसानों को पानी मिल सकता है । इसके साथ ही साथ सूखे से सम्बन्धित रिग्स मशीनों का प्रयोग करके बोरिंग नहीं कराएंगे तो रबी की फसल भी नष्ट हो सकती है । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे फतेहपुर सीकरी के अन्दर पशुओं के लिये तालाबों और पोखरों में पानी नहीं रह गया है । मान्यवर, मैं गोठरा गांव में गया था । वहां एक नील गाय अपने बच्चों को छोड़ कर चली गयी । उसके बच्चों को गांव वाले ले जा करके पाल रहे हैं । ऐसी स्थिति में पशुओं को अपना जीवन बचाने के लिये अपने बच्चों का ध्यान नहीं रहा, वहां पर विकट समस्या उत्पन्न हो गयी है । इसी के साथ-साथ यह कहना आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि अगर सूखे की दिशा में ये अधिकारी लोग इसी प्रकार से निष्क्रिय रहे और केवल मीटिंगें होती रहीं और केवल विधान सभा में भाषण दिये जाते रहे और मौके पर जाकर अधिकारियों ने तत्परता से काम नहीं किया, नहरों को पानी लाने की स्थिति के लिये तैयार नहीं किया गया तो इस सूखे की स्थिति भयावह होगी । किसान रबी की फसल भी नहीं बो पायेगा । इसके अतिरिक्त पेयजल की गम्भीर समस्या भी उत्पन्न हो जायेगी । मान्यवर जिस किसान से गेहूं 160 रु0 क्विंटल खरीदा गया था, आज उस किसान के पास अपने खाने के लिये गेहूं नहीं रहा, उसे वही गेहूं सवा दो सौ रु0 क्विंटल के हिसाब से खरीदना पड़ रहा है । उसके पास खाद के लिये पैसा नहीं रहा, बीज के लिये पैसा नहीं रहा । मैं मांग करता हूं कि सरकार युद्धस्तर पर

किसान को पानी उपलब्ध कराने की, बीज खाद उपलब्ध कराने की तत्काल व्यवस्था करे । सरकारी घोषणा हुई कि 2 महीने के लिये समस्त राजस्व की वसूली स्थगित कर दी गयी है । केवल राजस्व की वसूली स्थगित करने से काम नहीं चलेगा । किसान को यदि सच्चे अर्थों में राहत पहुंचाना चाहते है तो राजस्व की वसूलियां, सिंचाई की वसूलियां और उसके कर्जे वह सब माफ कर देने चाहिये । किसान को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिये ताकि वह रबी की फसल बो सके । अगर इस वक्त भी इन्होंने अपने अधिकारियों से उसी तरह से काम लिया जैसे आज तक लेते रहे है तो यह प्रदेश बचने का नहीं है प्रयास करने पर भी सूखे से इस प्रदेश को राहत नहीं मिल सकेगी ।

श्री राजेन्द्र शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सूखे की चर्चा पर बोलने का अवसर प्रदान किया ? मान्यवर, मैं इसके साथ-साथ माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर ठीक तरह से गम्भीरता से विचार करने का मौका दिया । मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये अपनी इच्छायें जाहिर की, मान्यवर, पूरे प्रदेश में भयंकर सूखा है । मान्यवर, मैं मेरठ जनपद की ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा । गंगा-जमुना के बीच के दोआब में जो पूरा देश प्रदेश में हरियाली के लिये जाना जाता है कि वहां हरियाली रहती है, आज जमुना नदी के किनारे छपरौली से चले और खरकौदा पहुंचे तो शायद कहीं हरियाली नजर न आये । मान्यवर, पहली बारिश मेरठ में जो हुई सरकारी आंकड़ों के अनुसार वह 70 मि0 मी0 हुई जो कि खेतों के लिये उपयोगी बारिश नहीं हुई । उससे न केवल खरीफ की फसल पूरी नष्ट हुई, पशुओं के चारे की भी समस्या उत्पन्न हुई, बीमारी फैली है जिससे किसानों को भारी हानि का सामना करना पड़ रहा है मान्यवर, मेरठ का किसान विशेषत: गन्ने पर आधारित है । गन्ने की ग्रोथ का पीरियड जुलाई से सितम्बर तक होत है उस समय बारिश बिल्कुल नहीं हुई जिससे गन्ने की ग्रोथ पर विपरीत असर पड़ा है जिससे 50 फीसदी गन्ना समाप्त हो गया । किसान की आर्थिक स्थिति बिल्कुल टूट गयी है, खराब हो गयी है । आज किसान का ध्यान रबी की फसल पर लगा हुआ है । रबी की फसल की बीमारियों से बचाने के लिये सरकार तत्काल सारी दवाओं की व्यवस्था करने की कोशिश करे । किसानों को सस्ते दर पर कीटनाशक दवायें उपलब्ध करायी जाये किसान की आर्थिक हालत इतनी जर्जर हो गयी है कि वे आज खाद खरीदने में बीज खरीदने में, दवायें खरीदने में सक्षम नहीं रह गये है । किसान को राहत पहुंचाने के लिये यह आवश्यक है कि किसान को सस्ती कीमतों पर सारी आवश्यक चीजें मुहैया करायी जायं । यदि उसे यह चीजें उपलब्ध नहीं होगी तो वह रबी की फसल ठीक तरह से बो नहीं पायेंगे। मेरठ के अन्दर, जैसा अभी माननीय जयदीप सिंह बरार जी ने कहा, तहसील वाइज देखें तो स्थिति भिन्न है । हिन्डन से लेकर जमुना तक 10 वर्ष के आंकड़े उठाये जायं तो कम बारिश हुई है ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र खरकौदा में नहर नहीं है किसान ट्यूबवेल पर आश्रित है । मेरठ में 26 ट्यूबवेल बन्द पड़े है और करीब 52 ट्यूबवेल खराबी की स्थिति में है । इस प्रकार मेरठ में किसानों के पास अधिकांश प्राईवेट ट्यूबवेल है । उनके जब ट्रान्सफारमर जल जाते है तो महीनों तक किसानों को ट्रान्सफार्मर नहीं मिल पाते है, इसलिए बिजली मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस प्रकार के आदेश दे दें कि

3 दिन के अन्दर किसान को ट्रान्सफार्मर मिल जाना चाहिए ताकि किसान सही समय पर सिंचाई कर सके । ऋण वसूली स्थगित की जाय, लगान आपसी माफ की जाय ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, आप किस क्रम से बुला रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

जिन लोगों ने सूचना दी है और जिन्होंने सूचना नहीं भी दी है, उन सबको बुला रहा हूं । कृपा करके आप बिराजिए ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस दैवी-आपदा के ऊपर बोलने का मौका दिया । महोदय, वैसे तो तीन लोक से मथुरा न्यारी कहा जाता है । लेकिन आज वहां पर एक अजीब स्थिति है । कभी अतिवृष्टि से वहां पर बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा । आज सूखे की वहां पर एक भयावह स्थिति है । सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी और अखबार की रिपोर्ट के अनुसार भी । इस दैवी आपदा के साथ ही साथ हमारे यहां प्रशासनिक आपदा भी है । जब हमारे जिलाधिकारी को वहां पर रहना चाहिए था, प्रशासन ने उन्हें बाहर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया । वहां कोई सुनने वाला नहीं है । बिजली के दफ्तर में जाते है, तो कोई नहीं मिलता है, लघु सिंचाई के कार्यालय में जाते है तो वहां कोई नहीं मिलता है और सिंचाई के कार्यालय में जाते है तो वहां पर कोई नहीं मिलता है कोई भी अधिकारी कार्यालय में नहीं मिलता है । खरीफ की फसल तो हमारे हाथ से चली गई है, लेकिन आगे आने वाली रबी की फसल के भी हाथ से जाने के आसार नजर आ रहे है । बिजली न मिल पाने के कारण नलकूप नहीं चल पा रहे है । चारे में एक प्रकार की बीमारी पैदा हो गई है, जिसके कारण पशु उसे खाकर बीमार हो रहे है और मर जा रहे है । जो पशुओं के डाक्टर है, वे अस्पतालों में नहीं मिलते है । जो किसान दूध बेचकर अपना गुजारा करता था, आज स्थिति यह हो गई है कि जो गाय 10-10 किलो दूध देती थी, अब वह 1-1 और 2-2 किलो दूध पर आ गई है । जिला प्रशासन ने शासन को 15-20 दिन पहले इस सम्बन्ध में सूचित कर दिया गया था कि जनपद मे सूखा है लेकिन राहत कार्य फिर भी शुरू नहीं किये गये है । आज इस सूखे के कारण 70 प्रतिशत से भी अधिक फसल को नुकसान हुआ है लेकिन आज तक वहां पर कोई भी राहत कार्य शुरू नहीं किया गया है । अभिभावकों के पास अपने बच्चे की फीस देने के लिए पैसा नहीं है । नाना प्रकार की बीमारियों के निदान हेतु कोई दवाई वहां पर उपलब्ध नहीं है ।

जहां तक ट्यूबवेलों का सवाल है, वहां पर कोई भी सरकारी ट्यूबवेल नहीं है । जो 13 ट्यूबवेल सरकार है, वे खराब पड़े हुए है । बिजली आती कम है और जाती ज्यादा है ।

जहां तक नहरों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मांठ ब्रांच और अपर आगरा कैनाल की स्थिति बहुत खराब है । नहर व रजवाहों की सिल्ट सफाई न होने के कारण पानी टेल पर नहीं पहुंच पा रहा है । नहर एवं रजवाहों की पटरियां टूटी हुई है । इस कारण इन नहरों में पानी आगे नहीं बढ़ पाता है । यहां पर पानी नहीं पहुंचता था और टूटी पड़ी हुई है । पूरा पानी नहीं दे रहे है । न सिंचाई विभाग, न बिजली विभाग, न कृषि विभाग किसी की भी मदद नहीं मिल रही है । माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि मथुरा की स्थिति ऐसी

है कि बीसों वर्ष से जो सरकारी दये हैं, वे स्थगित होते चले आ रहे हैं, किसान की कमर टूट गयी है और अब कोई भी दये देने की स्थिति में नहीं है । मेरा अनुरोध है कि मथुरा में जितने भी सरकारी दये हैं, अब उन्हें स्थगित करने से काम नहीं चलेगा, उन्हें पूरी तरह से माफ कर दिया जाय, छात्रों की फीस माफ कर दी जाय । वहां पर जो उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है, उसके विरुद्ध शासन ने अभी भी राहत कार्य शुरू नहीं किये हैं । शासन, मथुरा की विशेष स्थिति को देखते हुए, बैंक ऋण, कोआपरेटिव ऋण को माफ करे । पशुओं के लिये चारे का प्रबन्ध करे अगर यह नहीं किया गया तो 10-15 दिन के बाद वहां पर हाहाकार मच जायगा । सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वहां के उद्योग धन्धे "ताज" की वजह से चौपट हो गये हैं । वहां पर कोई साधन नहीं है जिससे खेतिहर मजदूर काम कर सके । वहां पर डी0 एम0 के न होने के कारण डी0 एन0 डी0 ए0 का काम और एन0 आर0 ई0 पी0 का काम रुका हुआ है । मेरी मांग है कि वहां पर शासन युद्ध-स्तर पर राहत कार्य शुरू करे ।

श्री बंशीधर राज—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने सूखे जैसी विषम परिस्थिति पर बोलने का अवसर दिया । चाहे विपक्ष के साथी हों या सत्ता पक्ष के साथी हों लेकिन सूखे की परिस्थिति से सभी सदस्य चिन्तित हैं । इससे शासन की चिन्ता और भी बढ़ जाती है । यह इसी बात से स्पष्ट है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने निश्चय किया है कि सूखे पर दो दिन की बहस हो ताकि पूरी स्थिति सामने आ जाय । 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत, जो मंत्री हैं, उनको निर्देशित किया है कि जिले में जायं और देखें कि क्या स्थिति है और जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां राहत कार्य प्रारम्भ करायें ।

इसी के साथ ही मैं आपका ध्यान जनपद लखीमपुर खीरी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । जहां एक ओर तहसील निघासन और तहसील भौरारा में नदियों का जाल बिछा है और पूरा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहता है वहीं मोहम्मदी और लखीमपुर का दक्षिणी भाग सूखे की भयंकर चपेट में आ गया है, वैसे तो पूरा जनपद ही इससे प्रभावित है, लेकिन मोहम्मदी में यह स्थिति व्याप्त हो गयी है कि पशुओं के लिये चारा नहीं है, पानी पोखरों में और तालाबों में सूख गया है । शासन ने अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया तो चाहे मनुष्यों को खाने के लिये भोजन मिल जाय लेकिन चारे की व्यवस्था पशुओं के लिये नहीं हो पायेगी । तहसील मोहम्मदी में सितम्बर में 59.4 मि0 मी0 वर्षा हुई है, जुलाई में 250.8 मि0 मी0, अगस्त में केवल 170 मि0 मी0 की वर्षा हुई थी, जो औसत से बहुत ही कम है लेकिन यह जो भी वर्षा हुई थी और जिन दिनों में हुई इससे कोई राहत नहीं हुई । फसलों की हालत इतनी गम्भीर हो गयी है कि सारी फसलें सूख गयी है और 75 से 80 प्रतिशत हानि हो गई है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुल 33 प्रतिशत क्षेत्र ही लखीमपुर खीरी का सिंचित है और बाकी असिंचित है । इस 33 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र में भी सिंचाई की स्थिति अत्यन्त दयनीय है शासन ने आदेश किया है, इसके विपरीत भी 70 प्रतिशत से ज्यादा नलकूप खराब हैं और नहीं चल रहे हैं ।

नहरों की स्थिति यह है कि टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है । मेरी नलकूप के अधिशासी अभियन्ता से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास धन ही नहीं है जिससे कि नलकूप की मरम्मत कर सकें । यदि नलकूपों

की मरम्मत नहीं हुई तो मैं कहता हूं कि प्रदेश में कोई फसल नहीं हो सकेगी, रबी की फसल की बुवाई भी नहीं हो सकेगी । अगर मोहम्मदी में तुरन्त राहत का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया तो निश्चित ही वहां भुखमरी की स्थिति पैदा हो जायेगी । राजस्व व अन्य के देयों की वसूली स्थगित नहीं की गयी है, बराबर राजस्व के देयों की वसूली की जा रही है तथा वसूली में उत्पीड़क कार्यवाही की जा रही है । मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस सम्बन्ध में वहां राजस्व व अन्य देयों की वसूली को स्थगित कराने की कृपा करें ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मैं बस दो मिनट का समय और लूंगा । इस समय जो सूखा की स्थिति व्याप्त है उसके लिये नल-कूपों की मरम्मत के लिये आप धन की व्यवस्था करा दें और मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वहां पर मोहम्मदी में राहत-कार्य तुरन्त प्रारम्भ करा दें । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री मित्रसेन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सूखा का विषय बहुत ही चिन्तनीय विषय है । इसके लिये हम लोगों को जितनी चिन्ता है, उतनी चिन्ता यदि शासन को होती तो निश्चित रूप से कोई न कोई कार्यवाही इसके लिये की गयी होती ।

इस सूखे की स्थिति के लिये कई कारण है कि एक तो वर्षा देर से हुई जिसके कारण 25 परसेन्ट किसान धान की रोपाई समय से नहीं कर पाये । दूसरा कारण यह था, माननीय सिंचाई मंत्री बैठे हुए हैं, वे यह बता दें कि उन्होंने नहर में पानी कब दिया ? नहरें जून तक क्यों नहीं चल पायीं ? जून में नहरों में पानी आया है इसलिये भी धान की रोपाई समय से नहीं हो पायी है और न मेढ़ ही लग पायी है । तीसरे बरसात भी देर से हुई । इसी बीच में बिजली के कर्मचारियों की हड़ताल हो गयी, बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले गये । सूखे की स्थिति ज्यों-ज्यों खराब होती गयी, बिजली विभाग समय पर काम नहीं आया । यहां विद्युत मंत्री बिजली 10 घन्टे दिये जाने का वायदा करते है लेकिन मौके पर वह दे नहीं पाये ।

शासन पक्ष के लोग सरकार की वकालत करते है खास करके जाहिदी साहेब और लाल प्रताप सिंह जो सरकार के गवाह है और सरकार की वकालत करते है वह भी शायद आज कुछ हट करके कहें कि किसानों को बिजली कम मिल रही है । जैसे कि बरार जी ने चिन्ता व्यक्त की है कि औद्योगिक क्षेत्रों की बिजली या जो सजावट के लिये बिजली खर्च होती है, उसे रोक दिया जाय और वह बिजली किसानों को दे दी जाय तो कुछ हद तक फसल को बचाने का प्रयास किया जा सकता है । लेकिन सरकार को कोई चिन्ता नहीं है ।

आज यहां सदन में सूखे की स्थिति पर चर्चा हो रही है जो कि प्रदेश के लिये एक बड़ा गम्भीर विषय है किन्तु यहां जबकि कैबिनेट स्तर के सारे मंत्रियों को उपस्थित होना चाहिये था, नहीं है । हमारे जीवन के तथा विकास के मुख्य साधन जो खेत है, मंत्रि परिषद् के लोग उसे उपेक्षा की नजर से देखते है, इससे ज्यादा गिरी स्थिति और क्या हो सकती है ।

मुख्य मंत्री अपने क्षेत्र में या फिर कुछ पूर्वी जिलों को छोड़कर कहीं नहीं गये । अभी कौशिक जी कह रहे थे कि ड्राईवर नहीं है । क्या सारे ड्राईवर निकम्मे हो गये जो वे किसी दूसरे ड्राईवर के साथ नहीं जा सके ?

सारे ड्राईवर हड़ताल पर चले गये, कोई इंजीनियर भी नहीं जा रहा है । जब आज कोई इन्जीनियर नहीं मिल रहा है, सभी जेल में चले गये हैं । इनके ओवरसियर नहीं पहुंच रहे हैं और पूरा प्रदेश जल रहा है, न पानी है और न बिजली है और नलकूप बेकार हो गये हैं । मान्यवर, इससे ज्यादा और क्या दुखद स्थिति आ सकती है ।

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्व मंत्री चर्चा करके आगे बढ़ जाते हैं कि राजस्व को रोक दिया गया है । किसानों की फसल का नुकसान हो जाता है, 60-70 प्रतिशत का नुकसान हो जाता है, तो कहते हैं कि राजस्व की वसूली को स्थगित कर दिया गया है । मान्यवर, यह माफ नहीं करते हैं, वसूली को रोक देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उन किसानों से उसकी वसूली की जाती है और इस कारण उनको अधिक रकम देनी पड़ती है और तब उनको और कष्ट होता है । जो वह कर्ज लेते हैं, जो उस पर ब्याज होता है, उसको आप माफ नहीं करते हैं, और न इस प्रकार की कोई घोषणा ही की गयी है । इस सरकार ने किसानों को तबाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है । जिस फसल का नुकसान हो जाता है, उसकी मालगुजारी रोक दी जाती है, माफ करनी चाहिये, लेकिन सरकार यह नहीं करती है । किसान इससे तबाह हो रहा है ।

मान्यवर, जब मुसीबत आती है तो बिजली नहीं मिल पाती है । बिजली विभाग सूखे या बाढ़ की स्थिति में भी बिजली नहीं देता है । ऐसी स्थिति में अगर कोई बिजली का बिल्कुल भी उपयोग न करे तो भी बिजली का शुल्क माफ नहीं होता है । सूखा पड़ जाये लेकिन बिजली नहीं मिलेगी, तो मेरा निवेदन है कि बिजली पूरे समय देनी चाहिए । बिजली 12 घंटे मिलनी चाहिये और इस समय उसका किराया माफ कर दिया जाना चाहिये । बिजली और सिंचाई मुफ्त होनी चाहिये । मेरा निवेदन है कि इस प्रदेश की जनता पर विपत्ति आयी है, तो हमारे जो मंत्री हैं उनको शिलान्यास करना बन्द कर देना चाहिये और जो पैसा इस तरह के कामों पर खर्च हो रहा है, उस पैसे को ग्रामीण अंचल में जो योजनायें चल रहीं हैं उन पर खर्च करना चाहिये । मान्यवर, मेरा शासन से अनुरोध है कि इस सूखे की स्थिति को बड़ी गम्भीरता से लेना चाहिये और राहत कार्यों को शुरू कर देना चाहिये । इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री कल्लू राम रत्नाकर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, सूखा पूरे प्रदेश में व्याप्त है और मैं अपने जनपद मिर्जापुर की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, मैं पहले मिर्जापुर की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको बता देना चाहता हूं । मिर्जापुर बाढ़ और सूखे दोनों प्रकार से परेशान रहता है । मिर्जापुर में 4 तहसीलें हैं, सदर, चुनार, राबर्ट्सगंज और दुद्धी । इन चार तहसीलों में 2 तहसीलों में बाढ़ और दो तहसीलों में सूखा बना रहता है । यहां पर सूखा बुरी तरह से व्याप्त है, पीने के पानी की और सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है । हर वर्ष मई और जून के महीनों में शासन की ओर से टैंकरों में पानी की व्यवस्था की जाती है और पानी गांवों में भेजा जाता है । हमारे जिले में जो बांध हैं वह मुगलिया जमाने के हैं—नगवा, खनकौला, चन्द्र प्रभा और अहरौरा । इनके रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कोई पैसा मेन्टीनेन्स के लिये नहीं दिया जाता है । मिट्टी पट गयी है, और इन बांधों की गहराई कम हो गयी है और पानी की क्षमता कम हो गयी है और जो नहरें इनसे निकाली गयी है वह अस्त व्यस्त हो गयी है, उनकी मेन्टीनेन्स नहीं है । इनकी सफाई की बड़ी जरूरत है । मान्यवर, इनमें झाला टाइप के ठोकर बना दिये जायें जिससे सिंचाई की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सके ।

(समय 3 बजकर 20 मिनट पर)

वहां पर नहर के खुलवाने और बन्द करवाने के लिये एक सलाहकार समिति बनायी गई है जिसमें ऐसे व्यक्ति सदस्य बनाये गये है जो सिंचाई से बहुत कम ताल्लुक रखते हैं । उनको यह मालूम नहीं है कि सिंचाई की आवश्यकता किसानों को कब होती है और कब नहीं होती है। इसलिये मेरा कहना यह है कि उस समिति में वहां के काश्तकारों को वरीयता दी जाय जो कि उस नहर से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं और जिनका निवास स्थान वहीं हो, उनका रहन-सहन वहीं का हो ।

हमारे विधान सभा क्षेत्र में कनहर परियोजना की सन् 1977 या इससे भी पहले से नींव पड़ चुकी थी लेकिन आज तक वह परियोजना पूरी नहीं हुई । हमारा विश्वास है कि यदि यह परियोजन पूरी कर दी जाय तो मिर्जापुर के किसानों की सिंचाई की समस्या पेयजल की समस्या पूरी हो जायेगी । बोरिंग वहां पर सफल नहीं है । मिर्जापुर के एक एरिये में नलकूपों की व्यवस्था है लेकिन उनमें बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं है । मिर्जापुर, जो कि पूरे प्रदेश को बिजली देता है, वह बिजली की समस्या से परेशान है । बिजली उत्पन्न करने वाला क्षेत्र बिजली रहित है । साहूपुर, वहां पर कंट्रोलिंग स्टेशन है । उसमें मिर्जापुर सिटी बिजली से प्रभावित है । इसलिए जिस क्षेत्र में बिजली तैयार की जाती है वहां पर कम से कम बिजली का समुचित प्रबंध होना चाहिये ।

आज कल चेक डैम की एक योजना वहां पर प्रारम्भ की गयी है । इसमें छोटे-छोटे नालों को बन्द करके सिंचाई का कार्य किया जाता है । लेकिन उसमें अधिकारी इतना भ्रष्टाचार फैलाये हुए हैं कि चेक डैम बांधे नहीं जा रहे है । उसमें सीमेन्ट ब्लैक किया जा रहा है और यह अधिकारी कर्मचारी लोग किसानों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे है । जब कोई प्रतिनिधि कहता है कि इन नालों को बांध दिया जाय जिससे किसानों को लाभ पहुंच सके लेकिन अधिकारी लोग अपनी इच्छा से कार्य करते है । बन्धी डिवीजन में जो चेक डैम बना हुआ था वह टूट गया है । उसके मेन्टीनेन्स की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था हो जाय । धन्यवाद ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्यों से फिर निवेदन करना चाहूंगा कि आज 5 बजे तक इस पर चर्चा चलेगी और कल भी चलेगी । एक बार में एक ही माननीय सदस्य बोल पायेंगे । सभी को मौका मिलेगा, सिर्फ धैर्य रखने की बात है । थोड़ा आगे पीछे अवश्य हो सकता है ।

(व्यवधान)

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, जहां सरकार के चलते मोहब्बत, ईमानदारी, भाईचारा, राष्ट्रीय एकता, देश-प्रेम का सूखा पड़ गया था और यही असर है कि इस सरकार के चलते इन सब चीजों का सूखा देश भर में पड़ गया वहीं श्रीमान् आज खेत और खलिहान में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भी सूखा पड़ गया है । जो चर्चा चल रही है उसमें इस पक्ष के और उस पक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए है, उसी सिलसिले में बस्ती जनपद की हालत बहुत खराब है और इस बार जो वर्षा हुई है वह अजीबो-गरीब किस्म की वर्षा हुई है । अगर एक किनारे पर वर्षा हुई है तो दूसरे किनारे पर वर्षा नहीं हुई है ।

श्रीमन् इनका जो पानी नापने का पैमाना है वह गलत है उससे पूरे जिले और तहसील का पानी नहीं नापा जाता है । वहां पर बस्ती जिले के एम0 एल0 ए0 बैठे हुए हैं उनसे आप पूछ लीजिए कि वहां क्या स्थिति है । मुझे दुख है कि वहां इतनी तबाही हुई है कि धान की रोपाई खेतों में नहीं हो पायी, जो छुटवा फसल बोई गयी थी वह भी तबाह हो गई है जिनमें बालियां निकल रही थीं, वह सब सूख गये है । इस पर यह कहते है कि लगान स्थगित कर देंगे । एसा कोई वर्ष हमारे यहां नहीं है, जब बाढ़ से तबाही न हुई हो इस वर्ष तो सूखा पड़ गया है तो यह लगान स्थगित होते-होते हमारे कन्धों पर बोझ बढ़ जाता है । हम मांग करेंगे कि तमाम लगान जो हमारे ऊपर बकाया है उसे माफ कर दिया जाय, लड़कों की फीस माफ कर दी जाय ।

श्रीमान्, नलकूपों का हाल बहुत बदतर है । यह सरकार गलत कहती है कि नलकूप चल रहे है, कोई नलकूप नहीं चल रहे हैं । बहुत से नलकूप खोद दिए गए लेकिन उनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है कि जिस स्तर पर उनके लिये काम होना चाहिए उस स्तर पर काम नहीं हो रहा है । यह सरकार इस विषय को गम्भीरता से नहीं ले रही है यह तो इसी से मालूम है कि यह प्रस्ताव इनकी तरफ से नहीं आया है हमारी तरफ से आया है । इनका किसानों से कोई मतलब नहीं है । आप ही देख लीजिए इतने गम्भीर प्रश्न पर चर्चा हो रही है और इनकी तरफ से कोई मन्त्री यहां नहीं है जिनका इस विषय से सम्बन्ध हो । (व्यवधान) न विद्युत मंत्री है, न सिंचाई मंत्री है और न राजस्व मंत्री है, श्रीमन् आप ही बताइये कि राजस्व मंत्री कहां है ? इनके जो इंचार्ज जिलों के मंत्री है वह भी जिला मुख्यालय तक ही गये लेकिन क्षेत्रों का दौरा नहीं किया । हमारे यहां ही जब निषाद साहब आये तो दोनों तरफ के लोगों ने कहा हमारे साथ चलिये, बस्ती, खलीलाबाद, नौगढ़ और नेपाल के बार्डर तक चलिये लेकिन वह नहीं गये जो आंकड़े उनको दे दिए गये उसी को वह ले आये । यहां तक कि अधिकारी भी नहीं गये जो सूचना तहसील से उन्हें मिली उसी को आप तक पहुंचा दिया । आज सड़कों के किनारे जो खाईयां है उनमें पानी नहीं है तो जानवर कहां से पानी पीयेंगे । दो दिन वर्षा हो गयी तो यह कहते है कि फसल बर्बाद हो गयी थी वह ठीक हो जायेगी । तो आप ही बताइये जो बर्बाद हो गयी है, उसमें अब धान कहां लगेगा । इसलिये मेरी मांग है कि बस्ती जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाय, वहां किसानों का लगान माफ की जाय और लड़कों की फीस माफ की जाय, किसानों के सारे कर्जे माफ किये जायें और आने वाली रबी की फसल का इंतेजाम किया जाय । किसानों को सस्ते दामों पर खाद और बीज दिये जायें । मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इसको गम्भीरता से ले, माननीय राजस्व मन्त्री आ गये है, वे विशेषकर बस्ती की ओर तत्काल ध्यान दें ।

*कर्नल केशरी सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सूखे जैसी गम्भीर विषय पर सदन में बोलने का अवसर दिया । सदन की भावना से हम सब लोग अवगत हो गये हैं । इस विषय को शासन ने भी काफी गम्भीरता से लिया, इसीलिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर दो दिन का समय बहस करने के लिए दिया । मैं बस्ती जिले की ओर विशेषकर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि कम से कम 80 फीसदी धान की फसल सूख गयी है । इसी तरह मक्का और दलहन भी 70 फीसदी सूख गया है । गन्ने की फसल ठिगनी हो गयी है । चारे की भी गम्भीर समस्या है । मुझे आश्चर्य इस बात से हुआ कि बस्ती का नाम सूखाग्रस्त जिलों में नहीं लिया गया है । इसका कारण यही था कि अधिकारियों से रिपोर्ट ले ली जाती है और वे सड़कों पर हरियाली देखकर रिपोर्ट दे देते हैं । मान्यवर, दुर्भाग्य है कि हमारे जिले में नहरें और नलकूप काफी मात्रा में काम नहीं करते हैं । नलकूपों में बिजली की सप्लाई ठीक से नहीं होती है । मन्त्री जी हमारे यहां गये थे, 20 सूत्री कार्यक्रम के इंचार्ज हैं, उस समय सारे विद्युत् अभियन्ता वहां गैर हाजिर थे जिससे उन पर काफी डांट पड़ी थी । मान्यवर, हमारे यहां नलकूपों की नालियां और गूलें टूटी हैं । उनकी मरम्मत का कार्य कई-कई वर्षों में भी नहीं किया जाता है । खरीफ की फसल तो बर्बाद हो चुकी है इसके साथ ही रबी की फसल के बोआई की भी समस्या होगी चूंकि जमीन में नमी नहीं है और न सिंचाई के साधन ही हैं । इसलिये मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि शासन राहत कार्य वहां तुरन्त शुरू करे । हमारे यहां कोई उद्योग भी नहीं है जिससे कि मजदूर को काम मिल जाये, इसलिये राहत कार्य शुरू करने से वहां की जनता और मजदूरों को काम मिल सकेगा । हमारे यहां ट्यूबवेलों की मरम्मत के कार्य तुरन्त किए जायें और बिजली में जो उपेक्षा की जाती है उसमें कठोर कार्यवाही की जाये जिससे ट्यूबवेलों को अच्छी तरह से बिजली की आपूर्ति हो सके ।

मान्यवर, हमारे यहां डीजल के लिए पेट्रोल पंपों पर बड़ी लम्बी-लम्बी लाइनें लगती हैं और अनियमितायें की जाती हैं । इसलिये देखा जाये कि जहां अनियमितता पायी जाय तो वहां कठोर कार्यवाही की जाये । मान्यवर, रबी की फसल में बीज और खाद की उपलब्धि कठिन हो जायेगी इसलिये इस ओर ध्यान देकर उचित व्यवस्था की जाये ।

मान्यवर, सिंचाई और जमीन में नमी न होने से रबी की फसल की बोआई नहीं हो पायेगी । प्राइवेट लोग जो पम्पिंग सेट क्रय करना चाहते हैं उनको दी जाने वाली सुविधा को सरल बनाया जाये चूंकि वर्तमान व्यवस्था में कठिनाई होती है और छूट नहीं मिलती है ।

मान्यवर, सस्ते गल्ले की दुकान हर गांव सभा में खोली जाय । बच्चों की फीस और लगान माफ किया जाये ।

मान्यवर, हमारे यहां बस्ती में सरजू नहर केनाल योजना को युद्ध स्तर पर लागू की जाये अन्यथा 50 वर्षों तक उसकी खुदाई नहीं हो सकेगी और इसके कारण बस्ती जिले में यह समस्या, सूखे की समस्या स्थायी रूप ले लेगी । अतः बस्ती जिले को तुरन्त सूखाग्रस्त घोषित किया जाये और राहत कार्य, जैसे अनुदान किसानों को देना, छूट देना, लगान और फीस माफ करना एवं वसूली में छूट देने जैसे कार्य, किये जायें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, सूखे की विषम स्थिति... (व्यवधान) (श्री विजय सिंह राणा सदन के फ्लोर में आकर बैठ गये)

श्री अधिष्ठाता—

श्री राणा जी, आप विद्वान और इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, आपने सूचना दिया है और माननीय सदस्यों ने भी सूचना दिया है । आपको बुलवाना चाहते हैं लेकिन आपने इसके पहले श्री कमाल यूसुफ को बोलने के लिये इशारा किया । क्या मैं लोक दल के ही सदस्यों को मौका दूं और सदस्यों को नहीं ? पहले आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजय सिंह राणा—

मेरा कार्य सूची पर, मद सं0 11 में, दूसरा नाम है और सुबह से खड़ा हो रहा हूं किन्तु मुझे नहीं बुला रहे हैं और मान्यवर, मैं इसके विरोध में यहां बैठा हूं । जब तक आप हमें अपने गार्डों से नहीं निकलवा देते, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं ।

(श्री विजय सिंह राणा पुनः सदन के फ्लोर में आकर बैठ गये, किन्तु कुछ समय बाद उनके दल के कतिपय सदस्य उन्हें उनके स्थान पर ले गये)

मैं आपकी इस व्यवस्था के विरोध में सदन का बहिष्कार कर रहा हूं । मैं समझता हूं कि आपकी जो अनाचार की नीति है, वह नहीं होनी चाहिए । कहीं तो न्याय होना चाहिये । आप कार्यसूची को देख लीजिए, किन्तु आप उसको तिलांजलि दे रहे हैं । मेरा नाम राम सरन जी के बाद सबसे पहले आना चाहिए, लेकिन आप मेरी साफ अवहेलना कर रहे हैं । दूसरे लोगों को बराबर बुलवा रहे हैं ।

(श्री विजय सिंह राणा सदन से बाहर चले गये) (व्यवधान)

*श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, सूखे की विषम स्थिति के बारे में सरकार ने युद्ध स्तर पर लड़ने के लिए क्या काम किये हैं, यह हमें सदन में देखना चाहिए था । श्रीमान्, सूखे की स्थिति पर 13 तारीख को नलकूप विभाग के फिरोजाबाद के एस0 डी0 ओ0 ने अपनी एक रिपोर्ट सरकार को भेजी है । मेरे क्षेत्र में 49 नलकूप हैं, उनमें से 28 नलकूप बन्द पड़े हैं । उनमें खराबी क्या है ? तकनीकी खराबी नहीं है । मशीन नहीं है अथवा मशीन खराब हो गयी है या मशीन ऊपर से नीचे गिर गयी है । इनमें दो नलकूप नम्बर 93 और 96 ऐसे हैं, जिनके बिजली के तार टूट गये हैं । इस स्थिति की तीन महीने पहले रिपोर्ट दी है, किन्तु अभी तक उन पर तार जोड़ने का काम बिजली विभाग की तरफ से नहीं हो पाया है । इन 28 नलकूपों को चालू करने के लिए साढ़े तीन लाख रुपये की मांग उक्त एस0 डी0 ओ0 ने इनके विभाग को भेजी है, लेकिन अभी तक उसके लिए एक पैसा भी नहीं दिया गया है । इन 28 नलकूपों की सूची मेरे पास है, मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जो सिंचाई विभाग के भी मन्त्री हैं, एक सवाल पूछना चाहता हूं, सदन में सूखे की चर्चा की घोषणा करते समय उन्होंने यह कहा था कि हम सूखे की विषम स्थिति से लड़ने के लिए युद्ध-स्तर पर तैयारी कर रहे हैं । अब वह इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं या क्या प्रयास कर रहे हैं अथवा वह इस ओर कितना ध्यान दे रहे हैं ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह एक देखने की बात है । मुख्य मन्त्री जी आगरा में एक पांच सितारा होटल का उद्घाटन करने तो पहुंच गये, लेकिन उत्तर प्रदेश के भयानक सूखे से जो जनता तड़प रही थी, उस जनता के कितने लोगों को देखने का उन्हें अवसर मिला है । इनके अधिकारियों ने इन्हें सूखे के सम्बन्ध में झूठी रिपोर्ट भेज दी है । मुझे पता चला है कि राजस्व विभाग की ओर से जिलों में एक गोपनीय पत्र गया है शासन की ओर से कि जहां-जहां शत-प्रतिशत भी फसल से नुकसान हो 40/50 प्रतिशत नुकसान की ही वह बात लिखकर भेजें । मेरे यहां शत-प्रतिशत फसल चौपट हो गयी है । अब रिपोर्ट आने में इनके विभाग में कितना विलम्ब होगा यह भगवान जानें ।

मैं आपके सामने यहां तीन मुख्य बातें रखना चाहता हूं । आप कहेंगे कि हम लगान में माफी कर देंगे । जितने सरकारी ऋण हैं, बैंकों के तमाम प्रकार के जो ऋण हैं । अब उसके बाद जो किसान कर्ज लेता है, उसकी स्थिति क्या है । बैंक की जो किस्त टूटेगी सूखे के कारण, उसके ब्याज को अगली किस्त में जोड़ दिया जायेगा मूल-धन में । यह कहेंगे कि हमने वसूली सस्पेंड कर दी है, लेकिन जब वह अगले वर्ष लगेगा तो उस पर कितना बड़ा भार पड़ेगा, यह कल्पना करने की बात है । इसलिये नीतियों में बुनियादी परिवर्तन होना चाहिए । यह दैवी आपदा का समय है । इस समय जितने भी सरकारी ऋण हैं या देय हैं उन सब पर ब्याज को नियमतः माफ कर देना चाहिए, यह सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा । पुराने जो नियम हैं राहत के सम्बन्ध में, उनमें सरकार को परिवर्तन करना पड़ेगा । इस वक्त राहत की योजनायें युद्धस्तर पर शुरू करनी चाहिए । एन0 आर0 ई0 पी0, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, सूखा राहत योजना के अन्तर्गत तालाब, गड्ढे, पोखर आदि को खुदवाने के काम शुरू किए जाने चाहिए । इसके अलावा जो लोग खेतों पर काम करते थे, जिनके पास जमीन नहीं थी जो लोग मजदूरी करते थे उनके पास काम नहीं है । सरकार को उनको रोजगार देना चाहिए । केवल लगान माफ कर देने से, सरकारी ऋण स्थगित कर देने से काम नहीं चलने वाला है जो किसान के डिपेन्डेन्ट हैं, उसके खेतों पर काम करने वाले लोग हैं उनको रोजगार देने की व्यवस्था होनी चाहिए । आज उन क्षेत्रों में अनाज बंटवाने का काम करें । अनाज फ्री देने का काम करें । लेकिन इस तरह का कोई कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है । जो बुनियादी सवाल हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है ।

सारे प्रदेश में सूखे से हाहाकार मचा है । मन्त्रिपरिषद् सूखे की भयानक स्थिति को देखकर स्तब्ध है । इनके हाथ-पांव फूल गये हैं, यह कोई काम नहीं करना चाहते हैं । राहत कार्यों का अखबारों में बयान देकर राहत का ढ़िंढ़ोरा पीटा जा रहा है । इनके पास कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे किसान को बुनियादी तौर पर राहत मिल सके । हमारा फिरोजाबाद नहरों के हिसाब से बिल्कुल टेल पर पड़ता है जिससे वहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है । वर्ल्ड बैंक की जो योजना आयी है उसमें 25 नलकूप एक विकास खण्ड में लगाये जा रहे हैं । मेरा निवेदन है कि जो एरिया टेल पर पड़ता है और जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है वहां पर पब्लिक ट्यूबवेल सरकार को लगाने चाहिए । विश्व बैंक से जो धन आ रहा है उससे मेहरबानी करके एक ऐसी योजना बनायें कि जहां पर नहर का

पानी नहीं पहुंचता है, कुंयें नहीं है वहां पर पब्लिक ट्यूबवेल लगाने चाहिए । टेल पर पानी आने के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि पानी ऊपर काटा जाता है जिससे पानी नहीं पहुंचता है । हमारे यहां 6 महीने में एक दिन भी पानी नहीं पहुंचा है । मैंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक में 20 बार इस सवाल को उठाया है लेकिन पानी नहीं आया । मन्त्री जी के निर्देश हुए फिर भी पानी के दर्शन किसी ने नहीं किये । इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि टेल पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । यह आपकी जिम्मेदारी है । जो स्थिति है उसको देखते हुए मैं सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि इनकी अक्षमता और निकम्मेपन के कारण आज 70 फीसदी नलकूप खराब पड़े हैं और नहरों में टेल पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे । आबपाशी आप माफ करें, जो बिजली की बढ़ी दरें है उनको माफ करें, लगान को माफ करें और समस्त सरकारी देयों पर जो ब्याज लगा रखा है उसको माफ करने की घोषणा करें, यह भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे ।

श्री बद्री सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

*श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जिनके क्षेत्र में सूखा पड़ा है उनको आप संतुलित तरीके से बुलवायें क्योंकि पीड़ा इंसान की वकील के जरिये से नहीं निकलेगी । पीड़ा इंसान अपने मन से पेश करेगा ।

जब आप आगरा जनपद के 4-5 विधायकों को बोलने का अवसर दे सकते हैं, तो आप क्या मेरठ के एक भी विधायक को बोलने का अवसर नहीं दे सकते हैं ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने मेरठ के एक माननीय सदस्य को बोलवा दिया है । आपको भी बोलने का अवसर देंगे ।

*श्री बद्री सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सूखे की ऐसी अहम् समस्या पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, साथ ही साथ माननीय मुख्य मंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि जो उन्होंने सूखे जैसे अहम् समस्या पर दो दिन की चर्चा के लिए समय निर्धारित किया । इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं और वह बधाई के पात्र हैं । मैं अपने जनपद जालौन और विशेषकर अपने क्षेत्र कालपी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वहां पर खरीफ की फसल ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग अवर्षा के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गयी है । खरीफ की फसल भी पानी न बरसने से बोया जाना असम्भव है । इसलिए मेरा यह सुझाव और मांग है कि हमारे जनपद व क्षेत्र में नहरों को फुल गेज से चलाया जाय और टेल तक पानी पहुंचाया जाय, क्योंकि हमारे क्षेत्र में हजारों गांव टेल पर पड़ते हैं, जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है । टेल तक पानी पहुंचाने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था की जाय, ताकि कटिंग्स आदि न हों और टेल तक पानी

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पहुंच सके । नहरों की सफाई भी कराइ जाय । हमारे क्षेत्र में दो पम्प कनाल हैं, एक मैनपुर और दूसरे इंदरसी, जिनकी पानी देने की क्षमता कम है और मशीनें खराब हैं । वहां पर डबुल मशीनें रखी जायं और इनकी क्षमता बढ़ाई जाय । मैंने पहले पांच पम्प कनाल की मांग सदन में की थी । कृपया हमारे क्षेत्र में पांच पम्प कनाल और बनाये जायें । सभी ट्यूबवेल्स वर्किंग आर्डर में किये जायं । जो मामूली खराबी से कभी-कभी बन्द रहते हैं, उन्हें ठीक कराया जाय । ट्यूबवेल की नालियां, जो टूट गयी हैं, उन्हें ठीक कराया जाय । अगर जल्दी सम्भव न हो तो फिलहाल कच्ची नालियां ही बना दी जायं, ताकि किसान आसानी से पानी ले सके । राहत कार्य तेजी से कराया जाय । एन0 आर0 ई0 पी0, आर0 एल0 जी0 पी0 आदि योजनाओं में कार्य कराया जाय । रोजगार ज्यादा से ज्यादा मोहइया कराये जायं । बीहड़ सुधार योजना, जिसके अन्तर्गत हमारा जनपद ले लिया गया है, वहां पर शीघ्र बाढ़ सुधार योजना लागू की जाय । ब्लाक स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया जाय और वहां पर जीप और पेट्रोलिंग पार्टियों की व्यवस्था रहे जो कटिंग्स की सूचना मिलने पर तुरन्त जाकर मौके पर देखे और उसका समाधान करे । पशुओं के लिए चारे का भण्डार किया जाय और मेरा यह सुझाव है कि जनपद जालौन से भूसा बाहर बिकने न जाय । इस सम्बन्ध में सरकार आदेश करे कि जिले से बाहर भूसा बिकने न जाने पाये और वह वहीं पर स्टोर हो जायगा, तो जानवरों के चारे की समस्या हल हो जायगी । हमारे क्षेत्र कालपी में कोई भी उद्योग नहीं है वहां पर एक भारी उद्योग लगाया जाय । पेयजल का भी संकट हमारे जनपद में आगे आ सकता है । इसलिए जितने हैण्ड पम्प वहां पर हैं, वे सभी ठीक हालत में रखे जायं । सूखा राहत का कार्य युद्ध स्थल पर किया जाय । बिजली व्यवस्था भी दुरुस्त रखी जाय । अन्त में मैं मान्यवर, यह निवेदन करता हूं कि हमारा जनपद जालौन सूखाग्रस्त घोषित किया जाय ।

*श्री औसान सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सूखा जैसे ज्वलन्त प्रकरण पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, पहले वर्षा, उसके बाद सूखा, उसके बाद पुनः बाढ़ और आज पूरे प्रदेश की स्थिति यह हो गयी है कि सूखे के कारण अकाल के गाल में पहुंच गयी है और हमारे मंत्री लोग सब सो रहे हैं । हमारे इटावा जिले के राजस्व राज्य मंत्री जी हैं, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि गत वर्ष इटावा जनपद बाढ़ग्रस्त घोषित किया गया, लेकिन बाढ़ के नाम पर कोई राहत नहीं मिली । इस वर्ष इटावा जनपद को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इटावा जनपद को सूखाग्रस्त घोषित करें । इटावा जनपद में सबसे पहले बाढ़ आई । 16-17 तारीख को 10 इंच वर्षा हुई और धान की जो नर्सरी थी वह शत-प्रतिशत नष्ट हो गई । मक्का, ज्वार, बाजरा आदि की फसल नष्ट हो गयी । मान्यवर, राजस्व मंत्री जी बैठे हुए हैं, वह इटावा जनपद को भूल गये हैं । चम्बल आदि जिनका वह नाम लिया करते थे । वहां 90 फीसदी ट्यूबवेल बंद पड़े हुए हैं । बिजली नहीं है, बिजली है तो आपरेटर नहीं है, आपरेटर है तो मोटर नहीं है और जहां मोटर है, वहां नालियां नही है । यह स्थिति है किसी माइनर में किसी भी रजवाहे में 2—4 किलोमीटर में पानी नहीं पहुंच रहा है । जगह-जगह खंदियां और कटिंग है । इनके सिंचाई विभाग के अधिकारी अपनी कोठियों में आराम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर रहे हैं । सारे प्रदेश के किसान और मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं । रोजी-रोटी के लिए किसान दिल्ली और पंजाब भाग रहा है । पशु भूखे मर रहे है । हमारी मांग है कि राहत कार्य चालू किया जाये । एन0 आर0 ई0 पी0 आदि योजनाओं के अन्तर्गत युद्ध स्तर पर कार्य कराया जाये । शासन और प्रशासन युद्ध स्तर पर कार्य में लगे । ट्यूबवेल मंत्री, बिजली मंत्री और सिंचाई मंत्री मौके पर जाकर दौरा करें ।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं । सहसपुर माइनर, गूरा माइनर, रतनपुर माइनर, विष्णुपुरवा माइनर, उनौल माइनर, तिलकपुर माइनर, विसई माइनर, बुसौं माइनर, धुपवानी माइनर, रतनपुर माइनर में एक किलोमीटर पानी कहीं नहीं पहुंचा है और अप्रैल से लेकर आज तक पानी नहीं पहुंचा है वहां के किसानों की क्या दशा होगी इसको आप समझ सकते हैं हमारे जनपद के राजस्व मंत्री हैं । धुपवानी, लहरपुर सिरसानी, किचइया, गोपालपुर, बसेरू, भमौरा, गैली, हरदू, तिरका, रथगांव सहसपुर आदि गांवों में जाकर आप देखें कि किसानों की क्या हालत है फटी बंडी पहनने वाले किसानों की क्या हालत है । पशु भूखों मर रहे हैं मवेशियों के लिए चारे का प्रबन्ध नहीं है मैं चाहूंगा कि मवेशियों के लिए चारे का प्रबन्ध किया जाये । खाली अखबारों में स्टेटमेन्ट देने से काम चलने वाला नहीं है । अधिकारी जो रिपोर्ट देते हैं वह गलत है । तहसीलदार, लेखपाल और कानूनगों के लिए, मैं दावा करता हूं कि यह कहीं भी मौकें पर जाकर दौरा नहीं करते हैं, मौके पर फसलों का जायजा नहीं लेते और 50 फीसदी से ऊपर की रिपोर्ट नहीं करते हैं वह 50 फीसदी से ऊपर की रिपोर्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि 50 फीसदी से ऊपर लगान माफी और आबपासी करनी पड़ेगी, इसलिए इन लोगों को आदेश हैं ऐसे निर्देश हैं कि शासन को 50 फीसदी से ऊपर की रिपोर्ट नहीं पहुंचाई जाएगी । आप कहीं जाकर जानकारी कर लें, मुआयना कर लें । वस्तु-स्थिति क्या है, स्वतः स्पष्ट हो जाएगी । जहां आबपासी और लगान माफ हुई है वहां . . .

(लाल बत्ती होने पर तथा कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

खतौली बनायी जाय । मान्यवर, आबपासी में छूट नहीं दी गई है ।

मान्यवर, मेरा आपसे प्रार्थना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जहां सूखे की स्थिति है वहां युद्ध स्तर पर राहत कार्य-प्रारम्भ कराया जाय । खाद्यान्न योजना, एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत कार्य कराया जाय और भूसे का, चारे का प्रबंध कराया जाय और सस्ते गल्ले की दूकानें खुलवायी जायं । इन शब्दों के साथ, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझको मौका दिया ।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे सूखे और अवर्षण से उत्पन्न स्थिति पर हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया । मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका जो काफी बाढ़ व सूखे से ग्रसित रहता है । मान्यवर, इस वर्ष बाढ़ और भयंकर सूखे की स्थिति में पूर्वांचल जल रहा है, ऐसी स्थिति में हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश के सूखे से निपटने के साथ-साथ कल ही उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के सूखे और बाढ़ का निरीक्षण किया है यह उनके गतिशील और प्रगतिशील नेतृत्व का परिचायक है ।

मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने त्वरित गति से सामानों को

मुहैया कराने का संकल्प ले लिया है । आदेश पारित कर दिये है । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में ट्यूबवेल ही एक मात्र सिंचाई का साधन है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि ट्यूबवेलों का कमाण्ड एरिया ढाई सौ-तीन सौ एकड़ का है, उससे सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं हो पाती है इसलिए उसको घटाकर 100—150 एकड़ कर दिया जाय । इससे सिंचाई बराबर तरीके से हो सकेगी ।

मान्यवर, अभी पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने गहरी चिन्ता सूखे और बाढ़ पर व्यक्त की है । मान्यवर, ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं और गूलों का निर्माण नहीं हुआ है यह यथार्थ और सत्य है । पूरे गोरखपुर जिले में 80 प्रतिशत ट्यूबवेल गूलों और नालियों के अभाव में खराब पड़े हुए हैं । मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि संबंधित अधिकारियों की रिसपान्सिबिलिटी फिक्स करके उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, जो उसमें ढिलाई बरत रहे है । जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले वर्ष बाढ़ में ढिलाई बरतने वाले जिलाधिकारियों को हटाया था । उसी हिसाब से इस वर्ष भी आवश्यकता है कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री ने पूर्वांचल तथा गोरखपूर जिले की सहजनवा तहसील का निरीक्षण किया था । सूखे का आँकलन करने के लिए सहजनवां और सदर तहसील में अधिकारियों का एक दस्ता भेजा गया था उन अधिकारियों ने सहजनवां क्षेत्र में 25 प्रतिशत सूखा दिखाया है जब कि वास्तविकता यह है कि हमारे यहां 80 प्रतिशत सूखा पड़ा है । मेरी आपसे मांग है कि प्रदेश सरकार एक केन्द्रीय टीम यहां भेजें जो सूखे का आँकलन कर प्रतिशत निर्धारित करें । मान्यवर, नहरों और ट्यूबवेलों से सूखे से नहीं निपटा जा सकता है इसके लिए विशेष आवश्यकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में विशेषकर गोरखपुर मण्डल में सूखे से निपटने के लिए विशेष योजना चलायी जाय जिससे सिंचाई की क्षमता बढ़ सकें । मान्यवर, हमारे यहां बखिरा, कुवानों, गोला पम्प कैनाल तथा सरयू परियोजना शीघ्र पूरी की जाय ताकि वहां की सिंचन क्षमता बढ़ सकें और सूखे की स्थिति से राहत हो सके । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक तरफ विद्युत् की दरों में बढ़ोत्तरी हो रही है और किसानों पर अधिकार बढ़ रहा है । वहीं विद्युत की कमी के कारण ट्यूबवेल और नहरों का पानी खेतों तक और नहर के टेल तक नहीं पहुंच पाता है इसलिए विद्युत् की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है । इसके साथ ही सरकारी संस्थानों पर बकाया धनराशि और बड़े उद्योग घरानों पर बकाया धनराशि को वसूल करके विद्युत् में लगा करके उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

मान्यवर, मैं 2 मिनट में समाप्त किये देता हूं । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार सूखे से निपटने के लिए देहाती क्षेत्रों में न्याय-पंचायत स्तर पर सस्ते गल्ले की दुकानें खोलकर उनको खाद्यान्न मुहैया करायें क्योंकि किसी भी लोकप्रिय सरकार के लिए अन्न, वस्त्र और चिकित्सा मुहैया कराना अत्यन्त आवश्यक होता है । इस दिशा में हमारे मुख्य मंत्री जी ने कठोर कदम उठाये है कि जो सामान दिया जा रहा है वह जनता में ठीक तरह से पहुंच जाय । मेरी मांग है कि जो

अधिकारी मुख्य मंत्री के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं तथा गलत आंकड़े दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं ।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क—

अधिष्ठाता महोदय, यह देश और प्रदेश किसान का है । यहां पर 80 फीसदी किसान रहते हैं आज सूखे की लपेट में यह प्रदेश आया हुआ है । इस पर मुझे अफसोस है कि आज माननीय मुख्य मंत्री को यहां होना चाहिये था, बिजली मंत्री को भी होना चाहिए था लेकिन वह तशरीफ नहीं लाये । आज चाहे सूखे का मसला हो, चाहे बाढ़ का मसला हो, वह मसला किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि प्रदेश का है, इस पर तवज्जह नहीं की जायगी और सूखे से प्रदेश जितना प्रभावित है उस पर अगर सरकार हमदर्दी से गौर नहीं करेगी तो यह प्रदेश नहीं बच सकता ।

मुझे अफसोस है कि सरकार की तरफ से जो माननीय जाहिदी साहब ने बात कही कि सोलह जिलों की या 27 जिलों की रिपोर्ट है, लेकिन उसमें मुरादाबाद जिला शामिल नहीं है, जबकि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि पूरा मुरादाबाद सूखे से प्रभावित है 80 फीसदी नुकसान तहसील सम्भल के अंदर हुआ है । मेरे पास किसान आये और उन्होंने कहा कि हम इस सरकार के ऊपर कन्डोलेन्स की एक मीटिंग करने के बाद आये हैं और हम महसूस कर रहे हैं कि वक्त से पहले ही इनका जनाजा निकाल रहा है ।

किसानों की समस्याओं पर गौर नहीं किया जा रहा है । बिजली का यह आलम है कि किसानों को 4-5 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं मिल पा रही है । पानी की वजह से आज खेती बिल्कुल तबाह और बर्बाद है । धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है खरीफ की फसल में कोई चीज नहीं बची है ।

(इस समय 4 बजकर 4 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुये ।)

यहां तक कि जानवरों को खाने के लिए चारा नहीं है, पीने के लिए नदियों और तालाबों में पानी नहीं है । सरकार ने आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया । मंत्रियों ने दौरे नहीं किये । मुझे अफसोस है कि इस सिलसिले में जो रिपोर्ट सरकार की तरफ से आयी है वह टोटली गलत है ।

उत्तर प्रदेश के सारे जिले इस सूखे से प्रभावित हैं और आज आलम यह हो गया है कि किसानों के मरने की नौबत आ गयी है और वक्त ऐसा आने वाला है कि लोगों को भूखा मरना पड़ेगा । इस तरीके से आज आप खुशहाली लाने के बजाय तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि इस मौके पर शहर की बिजली को काटकर किसानों के लिए कम से कम 18 घंटे बिजली दें तब तो कुछ फायदा हो सकता है । ट्यूबवेल की मांटरिंग रिपोर्ट जो आती है वह पूरी गलत आती है । आज 50 प्रतिशत से ज्यादा ट्यूबवेल बेकार पड़े हैं । फोर्टनाइटली जो रिपोर्ट आती है, वह फर्जी होती है और 2-3 ट्यूबवेल खराब दिखा देते हैं, जिससे सारे प्रदेश के अन्दर पानी खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है और नदियां तथा नहरें भी बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं, इनकी वजह से भी खेतों को पानी नहीं पहुंच रहा है । आप सिंचाई के साधनों को देखें और सिंचाई मंत्री जी आप उनकी रिपोर्ट देखिये कि किसानों को कितना पानी मिल रहा है और कितने ट्यूबवेल चले हैं, कितने ट्यूबवेल खराब पड़े हैं ?

आपके पास जो रिपोर्ट आती है वह बिल्कुल गलत आती है । इसलिए मैं चाहूंगा कि आप दौरे कीजिए और वहां का जायजा लीजिये और किसानों के लिए जो राहत हो सकती है, दी जाय छूट देने से काम नहीं चलेगा । तीन महीने के लिए छूट दे देंगे तो उसके बाद किसान पैसा नहीं दे पायेगा । मैं मांग करता हूं कि जितनी भी वसूली राजस्व की है, उसको माफ किया जाय, कोई टैक्स न वसूल किया जाय ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह राम की लीला है कहीं सूखे की लपेट में लोग आंसू बहा रहे हैं, कहीं गगन की बरसात से लोग डूब रहे है । सारा प्रदेश इससे चिंतित है, जन सेवियों ने जो चर्चा की है, वह बहुत उचित है । जनसेवी जागरूक हैं और शासन सतर्क है । पश्चिम में गंगा और जमुना से सिंचाई हो रही है । अक्तूबर-सितम्बर तक उसको सरकार को चलाने की चेष्टा है । परन्तु उसमें पानी कम है, साथ ही जो नलकूप हैं, धरती में पानी कम बरसने के कारण काम नहीं कर रहे हैं । इन नलकूपों को बिजली सही दी जाय तो धरती सरसब्ज हो सकती है । सारी बिजली धरती माता की तरफ लगा दी जाय तो उपज बढ़ जायेगी । जो नौजवान जुलाई और अगस्त में घनघोर घटाओं में नाच उठता था वह आज सूखे से पीड़ित है । सारी बिजली धरती माता की तरफ दी जाय और मैं समझता हूं कि कारखानों की बिजली काटकर किसानों को दी जाय ताकि प्रदेश का उत्थान हो सके । मेरठ में 2 लाख 91 हजार हेक्टेयर बुआई है, 60—70 प्रतिशत धान में, गन्ना में 60 से 75 प्रतिशत, मक्का में 50 से 60 प्रतिशत का नुकसान हो चुका है । इसलिए किसानों को गेहूं की बुआई के लिये खाद, बीज में 50 प्रतिशत की छूट एलान हो ताकि बुआई के वक्त उनको इसका लाभ मिल सके ।

इसी तरह मैं चाहूंगा कि जो रिकवरी हो रही है या छूट दी गई है, उसमें छूट दी जाय । पिछले साल खाद में जो 50 प्रतिशत की छूट दी गई, वह पैसा शासन से जनपद स्तर पर नहीं पहुंचा है, जिसके कारण बैंक ऋण पर सूद ले रहा है । जितने सरकारी नलकूप है, वह दुरुस्त होकर चलने चाहिये । 28 नलकूप मेरे जनपद में खराब हैं । इन थोड़े से शब्दों में मैंने अपनी पीड़ा और अपने क्षेत्र की पीड़ा पेश की । धन्यवाद ।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सूखे की प्रदेश में जो विषम स्थिति है, जिस पर आज सदन में सभी सम्मानित सदस्य अपने हृदय की व्यथा प्रगट कर रहे हैं ।

मान्यवर, सत्ता पक्ष की ओर से जब बोला जा रहा था, उस समय जब उन जिलों की सूची पढ़ी जा रही थी । जिनमें साठ प्रतिशत से अधिक सूखे से नुकसान हुआ और बस्ती का नाम नहीं लिया गया, तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ । मैं बस्ती जिले की बरसात की स्थिति आपके सामने रखना चाहता हूं । यह सूची सत्ता पक्ष की ओर से माननीय खान गुफरान जाहिदी साहब ने पढ़ी थी, मैं शासन का नाम नहीं ले रहा हूं । इस वर्ष बस्ती में 1973 से ले करके 1986 के बीच में अगस्त के महीने में इतना कम पानी बरसा कि इतना कम आज तक कभी नहीं बरसा । मान्यवर, बांसी तहसील का रिकार्ड मैं नोट करके लाया हूं । वहां 1982 में 82.6 मि0मी0, 1983 में 99.37 मि0मी0

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

और 1984 में 51.09 मि0मी0 वर्षा हुई । बस्ती में अगस्त के महीने में 216 से 391 मि0मी0 वर्षा हुआ करती थी । इसी तरह से जुलाई में बस्ती में केवल बीच में 3-4 दिन बरसात हुई। बाकी दिनों में वर्षा हुई ही नहीं । पूरे जड़हन को 30 प्रतिशत रकबा बैठाया ही नहीं गया । धान की फसल जो बैठाई गयी, उसमें पूरे अगस्त के महीने में पानी मिला ही नहीं । केवल 13 सितम्बर को पानी बरसा । तो सत्ता पक्ष की ओर से किस हिसाब से आंकड़े बताये गये कि बस्ती में 50 प्रतिशत से कम सूखे का प्रभाव है । अगस्त में खेतों में धान की फसल प्राप्त नहीं हुई । तेरह-चौदह में वर्षा हुई है, अगर वह आगे और नहीं हुई तो रबी की फसल की भी बुआई नहीं हो सकती है । वहां के जिलाधिकारी ने ऐसा क्या देखा है जो उन्होंने 60 प्रतिशत से कम सूखा दिखाया है ।

मान्यवर, मेरा निश्चित मत है कि बस्ती जनपद में 80 से 85 प्रतिशत तक सूखे की स्थिति है । शासन की ओर से कोई आख्या नहीं पढ़ी गयी है कि इसमें शासन की क्या रिपोर्ट है । आपने जो सत्ता पक्ष की ओर से पढ़ा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं । शासन पढ़कर बतावे । वहां पर 80 से 85 प्रतिशत नुकसान हुआ है । आधी फसल बोयी ही नहीं गयी सूखा क्या पड़ेगा । मान्यवर, जो ट्यूबवेल हैं, मैं यह मानता हूं कि लगभग 8—10 घंटे बिजली मिलती रही, लेकिन इस सूखे की हालत में इतनी बिजली से सम्पूर्ण क्षेत्र को सिंचित कर पाना सम्भव नहीं है । दूसरे जो नलकूप चल भी रहे हैं, इसमें कोई भी नलकूप ऐसा नहीं है जो राजकीय नलकूप पूरे कमाण्ड एरिया को सिंचित कर सका हो । अन्डर ग्राउन्ड पाइप लाइनें जो डाली गयी है, उनका आउटलेट ऐसी जगह बना है, ऊंचाई पर है कि वहां से पानी नहीं जा सकता है । इसी तरह से बस्ती में सूखे की स्थिति है और दुख की बात है कि शासन की ओर से अब तक ऐसा कोई राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है जिससे वहां के लोगों को राहत मिल सके । इन शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बस्ती पर विशेष ध्यान देते हुए इस बात की फिर जांच करावें कि वहां पर 50 प्रतिशत सूखे की स्थिति है कि 80 से 85 प्रतिशत है और इस पर तत्काल कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

श्री जय नारायण तिवारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मित्रता की उपमा दूध और पानी के मेल से दी जाती है, लेकिन कपट रूपी खटाई के पड़ने से दूध फटकर सारहीन हो जाया करता है तो मन में क्लेश होती है, कशिश होती है, पीड़ा भी होती है लेकिन प्रकृति का प्रकोप कहा जाय या विधि की विडम्बना कि हमारे एक ही जनपद सुल्तानपुर मे आधा सूखे की चपेट में है, तो आधा बाढ़ की चपेट में है । इसको विधि का विधान न कहकर, प्रकृति की विडम्बना न कह कर क्या कहें, यह समझ में नहीं आता । क्लेश इसलिये होता है कि नलकूप ही हमारी सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन है जिससे प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता के जीवन का दिया टिमटिमाता है जैसे इस जमाने में भी मान्यवर, गांव की अस्सी प्रतिशत जनता दिये की टिमटिमाती रोशनी में रहती है और वह बिजली रोशनी से बहुत दूर है । वहां आज फर्जी आंकड़े तैयार किये जाते हैं अधिकारियों को जरा सा डर नहीं रहता है । जो नलकूप सालों से नहीं चल रहे है, उनको भी उन्होंने चलता हुआ, सिंचाई करता हुआ, तो दिखाया है । यह एक बहुत ही बिडम्बना है । बड़ी भयावह स्थिति है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री जय नारायण तिवारी—

मान्यवर, इधर जब सूखा आया, नहरों को पानी दिया गया प्राथमिकता के आधार पर माइनरें चलायी गयी । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अधिकारियों द्वारा दिये गये फर्जी आंकड़ों पर विश्वास न करके, मेरी बात को सत्य मानकर, अवाम की बात को सत्य मानकर, आप अपने नलकूपों की 100 प्रतिशत चेकिंग प्रारम्भ करा दें । 100 प्रतिशत चेकिंग के बाद अगर यह बात प्रमाणित हो जाती है कि आपके नलकूप इस सूखे के दौरान भी, जहां आपके अधिकारी चलता हुआ दिखा रहे हैं, हमको मौके पर बन्द मिले थे, उनके विरुद्ध कार्यवाही करें । मान्यवर, यह एक पीड़ा है, कशिश है ।

मान्यवर, मेरा क्षेत्र रसौली है । नहरों की सीपेज, माइनर में सीपेज और नलकूप बन्द हैं । मान्यवर, इस क्षेत्र में गोमती के किनारे आबादी है । बाराबंकी से लेकर प्रधान मंत्री के क्षेत्र से मिला हुआ सुल्तानपुर गोमती के किनारे-किनारे बसा यह क्षेत्र दिखाई देता है । जब गोमती में बाढ़ आती है तो मेरा पूरा का पूरा क्षेत्र जल प्लावित हो जाता है । जहां आज सूखे का नजारा दिखाई पड़ता है । वहीं दो-चार दिन में बाढ़ का भी नजारा दिखाई पड़ सकता है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री जय नारायण तिवारी—

मान्यवर, सीपेज से मेरे क्षेत्र को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिस एरिया में सीपेज लगा हुआ हो वहां पर आप देखें, पेड़ नेस्तनाबूद होते नजर आ रहे हैं फलदार वृक्ष सूखते चले जा रहे हैं, सीपेज के कारण । मान्यवर, उसको दूर करने के लिये मेरी गुजारिश है कि अपने माइनर के बगल में साइड ड्रेन देने की प्राथमिकता पर विचार करें । सीपेज से मेरा क्षेत्र बहुत प्रभावित है । वसूली जो एक माह के लिये बाढ़ और और सूखे के कारण स्थगित की जाती है, आप उसका सर्वे करा लें, वह सीपेज से प्रभावित इलाका है ड्रेनेज से प्रभावित इलाका है वहां की वसूली स्थायी तौर पर रोक देनी चाहिए । मान्यवर, पारसाल सुल्तानपुर में 280 मि0 ली0 वर्षा रिकार्ड हुई है इस साल उसका आधा भी पानी नहीं गिरा है पिछले दिनों की वर्षा छोड़कर । जो यह कहा जाता है 25—30 प्रतिशत की क्षति नहीं हुई है, मैं कहना चाहता हूं कि जहां सूखा है मुकम्मल की मुकम्मल 50 प्रतिशत से ज्यादा की क्षति हुई है । जो 50 प्रतिशत से ज्यादा की क्षति वाले इलाके हैं वहां पर सारी सुविधा शासन की तरफ से प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जानी चाहियें ।

(समय 4 बजकर 20 मिनट पर)

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज सूखे पर चर्चा हो रही है । आज बुन्देलखंड वर्षा के अभाव में पूरी तरह से सूखे की चपेट में है । बुन्देलखण्ड का बांदा जनपद की 75 फीसदी फसल नष्ट हो चुकी है । बांदा जनपद के नरैनी ब्लाक नरैनी ब्लाक में कोई राजकीय नलकूप नहीं है । आज यह ब्लाक भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है । पहले से ही यह क्षेत्र अतिवृष्टि के कारण प्रभावित था, लेकिन इस साल वर्षा न होने के कारण पूरा ब्लाक भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है । इस नरैनी ब्लाक

से हजारों की तादाद में लोग हरियाना, दिल्ली और गुजरात प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं रोजी-रोटी के लिए ।

बांदा के करतल क्षेत्र, कालिंजर क्षेत्र फतेहगंज क्षेत्र, बदौसा क्षेत्र, लूक धौरही क्षेत्र, खानपुर, कोलावल और रायपुर क्षेत्र की पूरी फसल नष्ट हो चुकी है । महुवा ब्लाक के जो गांव हैं, जहां पर धान की फसल होती है, नहरों से पानी न मिल पाने के कारण धान की फसल 60 प्रतिशत के लगभग नष्ट हो चुकी है । आज वहां पर पीने के पानी की समस्या पैदा हो गयी है । तालाबों का पानी सूखने लगा है । कुओं में 1-2 फिट पानी शेष रह गया । जानवरों तक को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे जानवर मरने लग गये हैं । बैंकों से किसानों ने जो कर्ज लिया था और सरकार द्वारा बेरहमी से उनसे वसूल किया जा रहा है, जिससे किसानों की जमीन नीलामी हो रही है ।

किसानों को आज बेइज्जत किया जा रहा है । वसूली इस तरह से चलती जायेगी तो एक दिन उस क्षेत्र के लोग भूमिहीन हो जायेंगे । इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाये जायं । लगान व बैंकों से प्राप्त ऋण को माफ कराया जाय, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कराई जाय, पीने के पानी के लिए हैण्ड पम्प लगाये जायं, विद्युत् आपूर्ति यथोचित समय तक वहां उपलब्ध कराई जाय, छात्रों की फीस माफ की जाय और रबी की फसल के लिए किसानों को मुफ्त खाद व बीज मुहैया करवाये जायं । नहरों को ठीक कर उनमें यथोचित पानी उपलब्ध कराया जाय ।

चौधरी भगवती प्रसाद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सूखे की चर्चा पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं ऐसे जनपद से आता हूं . . .

(विरोधी दल से एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपा कर आप बैठ जायं । एक समय में केवल एक माननीय सदस्य बोलेगा ।

चौधरी भगवती प्रसाद—

मान्यवर, मैं ऐसे जनपद से आता हूं जहां सूखे और बाढ़ दोनों का प्रकोप रहता है । मौजूदा स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश की जनता प्रकृति के अत्याचार से त्रस्त है । आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को शक्तिबाण लग गया है और अगर संजीवनी बूटी की तरह उत्तर प्रदेश शासन का राहत कार्य किसानों तक नहीं पहुंचा तो किसान उठ नहीं पायगा । नहीं उठ पायगा तो जो हमें गौरव है कि हमारे पास अन्न का विशाल भण्डार है, वह कैसे बना रह पायगा । मिर्जापुर की दो तहसीलें सदर और चुनार बाढ़ से प्रभावित हैं तथा हलिया और लालगंज ब्लाक पूर्ण रूप से सूखे से ग्रसित हैं । अगर तत्काल राहत कार्य नहीं प्रारम्भ किया गया तो हरिजनों, आदिवासियों, मजदूर वर्ग के लोगों और गरीब किसानों के सामने रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो जायगी । एक सुझाव और है नार्दन इण्डिया कैनाल एक्ट के अनुसार जो सिंचाई के बांध हैं उनको शेड्यूल एक में रख दिया गया है । शेड्यूल एक में उनको रखा जाता है, जिनसे सिंचाई एश्योर्ड होती है । जहां तक मिर्जापुर की बात है चाहे सिरसा बांध हो मेजा बांध, अदवा बांध, सुखड़ा बांध या और कोई बांध हो, जो रिजर्वाइर हैं वर्षा पर ही आधारित हैं, उनको शेड्यूल एक में नहीं रखना चाहिये । वहां के बांध वर्षा पर ही

निर्भर रहते हैं । मेरी मांग है कि इनको शेड्यूल एक से हटाकर जनरल बना दिया जाय क्योंकि किसानों को बजाय 24 रु0 सिंचाई शुल्क के 42 रु0 सिंचाई शुल्क देना पड़ता है ।

जब शासन स्वीकार कर रहा है कि 50 प्रतिशत और 60 प्रतिशत जहां फसल क्षतिग्रस्त है, वहां के लगान को स्थगित कर दिया जाय । मेरी मांग है कि बजाय 50 प्रतिशत की छूट दे दी जानी चाहिए क्योंकि किसान का श्रम, साधन और बीज तो गया ही । इसके बाद भी अगर लगान को उसे केवल स्थगित करते हैं तो किसान को राहत नहीं मिल पायगी । किसान सिंचित इलाके का 4.17 रु0 और असिंचित का 2.09 रु0 लगान दे सकता है, सिंचाई कर 26 रु0 प्रति एकड़ दे सकता है । लेकिन वह खाद का खरीद मूल्य 126 रु0 और 186 रु0 बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है । किसान को खाद में छूट मिलनी चाहिये ताकि वह अपनी रबी की फसल को सुधार सके, उसकी खरीफ की फसल तो चौपट हो ही गयी है ।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, आज प्रदेश में सूखे से उत्पन्न जो भीषण संकट है, उस संबंध में सदन में चर्चा हो रही है । सरकारी पक्ष और विपक्ष के सभी लोग इस प्रश्न से बहुत चिंतित हैं लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ, आपके माध्यम से, कहना पड़ रहा है कि जो प्रदेश की जनता जब संकट की घड़ी में हो, भुखमरी के कगार पर पहुंच रही हो, गांव की जनता जीविका का साधन न होने के कारण शहरों की तरफ भाग रही हो, तो प्रदेश की जनता जानना चाहती है, वह भी देख रही है सदन की तरफ टकटकी लगाये कि सदन के अंदर सरकारी पक्ष की तरफ से क्या घोषणायें की जाती हैं । मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, जो सदन के नेता भी हैं, आज सदन में उनकी अनुपस्थिति इस बात का संकेत करती है कि आज सरकार ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के प्रति सजग नहीं है । मैं एक आरोप लगाना चाहता हूं कि ऐसे मौके पर भी सरकार सजग नहीं है । सजग शब्द मैं इसलिये कह रहा हूं कि सरकार केवल "सजग" शब्द पर जिन्दा है । यह कह देते हैं कि सारी बातें सरकार के नियंत्रण में है और यह कह कर सरकार फिर भी अपने ही ढंग से चल रही है । आज सूखे से सारा प्रदेश जल रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि इसके साथ ही साथ जो पिछले दिनों सरकार की तरफ से बयान आया था उसमें सूखे से प्रभावित केवल 22 जिलों की ही चर्चा थी । अब हो सकता है कि सरकार की तरफ से बयान आ जाय कि कुछ जिलों के नाम अब और सूची में जोड़ दिये गये हैं ।

लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि काश्तकार रोपाई में तबाह हो गया और जो भी रोपाई हो भी पायी थी वह अवर्षण के कारण सूखती चली गयी । प्रदेश का चाहे जो भी जिला हो सबकी यही स्थिति है चाहे वह मैनपुरी हो, चाहे आगरा मंडल हो, चाहे मेरठ मण्डल हो, प्रदेश का चाहे कोई भी मंडल हो और किसान की चाहे गन्ना की फसल हो या और कोई अन्य फसल हो, सारी फसलें बर्बाद हो रही हैं । सरकार के सामने जब समस्या लेकर जाओ तो घोषणा कर देते हैं कि नहरों में पानी चलाने के आदेश दे दिये गये हैं, अब पानी चलता रहेगा । मैं तो निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि प्रदेश में कहीं भी नहरों की टेल में पानी नहीं पहुंच रहा है । सदन में सरकार की ओर से घोषणा की गयी थी कि ट्यूबवेलों

को चालू किया जायेगा । मैं कई जनपदों में घूम-घूम कर देख चुका हूं और देखा है कि कहीं ट्यूबवेल पर बिजली नहीं है, अगर बिजली है तो मशीन खराब है, कहीं भी ट्यूबवेल चालू स्थिति में नहीं है ।

सरकार के पक्ष के लोग जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो कहते हैं कि यह सूखा की स्थिति तो दैवी आपदा है । कृषि मंत्री यहां नहीं बैठे हैं, यदि होते तो मैं उनसे पूछता कि जो घोषणा आप करते हैं कि किसानों की पैदावार बढ़ रही है और आप किसानों को सुविधा दे रहे हैं, लेकिन आज जब किसान मर रहा है, उसकी फसलें सूख रही हैं, किसानों के जीविका के साधन तबाह हो रहे हैं, तो फिर आपकी घोषणा का क्या रूप है ? आप यही कहेंगे कि यह दैवी आपदा आ गयी वर्षा नहीं हुई, अवर्षण हो गया ।

आज सरकार जैसे चल रही है, इस पर सोचना पड़ेगा कि इस तरह से कोरे नारों से, कोरे आश्वासनों से जैसे कि इसी सदन में समय-समय पर दिये और कहे जाते हैं, इससे ज्यादा दिनों तक काम चलने वाला नहीं है । बिजली मंत्री जी बैठे हुए हैं, किसानों को जिन्दा रखने के लिये बिजली मंत्री को घोषणा करनी चाहिये कि सूखे की स्थिति में जो किसान थोड़ी-बहुत अपनी फसलों को बचा पाये हैं उन्हें हम कम से कम 12 घंटे तक बिजली देंगे । आज 70 फीसदी फसल बर्बाद हो चुकी है केवल 30 या 40 फीसदी ही अभी तक बच पायी है इसके लिये नहरों में पानी देने की तुरन्त व्यवस्था करनी होगी, ट्यूबवेलों का सुधार करना होगा ।

राजस्व राज्य मंत्री इस समय यहां नहीं हैं, मुख्य मंत्री नहीं हैं । राहत के नाम पर जब किसानों की फसल मर जायेगी, खेत में फसल नहीं होगी तो मजदूरों को काम नहीं मिलेगा और जब काम नहीं होगा तो पेट कैसे भरेगा ? राष्ट्रीय योजना के नाम पर सरकार कुछ नहीं कर रही है । आज गांवों में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है, उस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार को प्रदेश की जनता को आश्वासन देना होगा कि जो लगान अभी तक स्थगित नहीं हुए हैं, सारे लगान माफ किये जायेंगे सारे दयों की वसूली माफ की जायेगी । बिजली का रेट सामान्य करने का निर्णय लेना होगा । जो उधर के लोग हैं और जो किसानों के घरों से संबंधित हैं उनके मन में भी इस समय चिन्ता है जनता को राहत दिलाने के लिए । सरकार को राहत देने की घोषणा करनी चाहिये ।

श्री हरदेव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो इस चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, हमारी सरकार ने जब-जब सूखा, बाढ़ या जो और कोई दैवी आपदा आयी, तो उसके लिये सदैव सजग रही और सतर्क रही है । मान्यवर, मैं 1980 से बराबर देख रहा हूं कि राहत विभाग जो राजस्व विभाग है, ने अपनी पूरी क्षमता से मदद किया है और इस समय 10 करोड़ रुपये के करीब राहत के कार्यों के लिये सरकार ने हर जनपदों में धन दिया है । मान्यवर, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने राहत कार्यों के अलावा किसानों को सुविधायें भी दी है । मान्यवर, सिंचाई सूखा दूर करने के लिये आवश्यक है और सिंचाई के लिये बिजली आवश्यक है । इनका आपस में बड़ा संबंध है । बिजली के ही सहयोग से सिंचाई हो सकती है, और नलकूप तथा पम्प कैनाल चलते हैं, यह

सब बिजली पर ही आधारित है । इसलिये सिंचाई और बिजली का आपस में बड़ा संबंध है और दोनों की कमी को दूर करने के लिये हमारी सरकार ने काफी प्रयास किया है । हमारे यहां डाक्टर राम नाथ दुबे, जो भूगोल शास्त्र के विद्वान थे, उन्होंने कहा है कि भारत व उत्तर प्रदेश की वर्षा अनिश्चित है, कभी होती है और कभी नहीं होती है । हमारी कृषि और बिजली उत्पादन वर्षा पर ही डिपेन्ड करते हैं । इस वर्ष जून और अगस्त में वर्षा की कमी हुई जिससे प्रदेश में सूखे का प्रभाव पड़ गया है । अगस्त में कम वर्षा हुई है ।

मान्यवर, अब मैं बलिया जनपद की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । बलिया की ऐसी विचित्र भौगोलिक स्थिति है कि एक ओर तो बाढ़ है और दूसरी ओर सूखा है । हमारे रसड़ा में सूखा पड़ा हुआ है । हमारी सरकार ने रसड़ा तहसील में 698 ग्राम सभाओं को सूखा में पेयजल के लिये चुना था और जिनमें से 410 ग्रामों में हैण्ड पाइप लगाने की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन रसड़ा में एक भी हैण्ड पाइप लगाने की व्यवस्था अभी नहीं की गयी है । विद्युत की कमी के कारण सिंचाई के जो साधन हैं वह कठिनाई में हैं । इसलिए हमारे यहां घाघरा नदी में जहां पानी की पूरी व्यवस्था है, और सटे प्रांत बिहार से कोयले का इन्तजाम है, और मऊनाथ भंजन होकर बनारस से भटनी तक जो रेल मार्ग बड़ी लाइन बनायी जा रही है, वहां पर पावर हाउस की व्यवस्था कर दी जाये ।

मान्यवर, घाघरा नदी पर तुर्तीपार, बेल्थरा रोड में पावर हाउस की व्यवस्था कर दी जाये तो बिजली की बडी सुविधा होगी । मान्यवर, लाल बत्ती जल गयी है, मैं एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया है, मैंने दूसरे माननीय सदस्य श्री मूल चन्द्र जी को बुला लिया है, आप बैठें ।

श्री हरदेव—

तो मान्यवर, हमारे क्षेत्र रसड़ा, बलिया में 55 से 60 प्रतिशत तक की फसल का सूखा से नुकसान हुआ है, क्षति पहुंची है, तो इस क्षेत्र को तथा जनपद को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाये और समुचित राहत देने की कृपा की जाये । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री मूलचन्द—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सूखे की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, किसान इस देश रूपी गाड़ी को, इस मुल्क रूपी गाड़ी को चलाने वाली एक मजदूर रूपी बैल है । लेकिन दुर्भाग्य है कि उस किसान को जो देश रूपी गाड़ी को खींचने वाले मजदूर रूपी बैल है, उसको न खाने को मिल रहा है, न पानी मिल रहा है, लेकिन वह, किसान व मजदूर रूपी बैल मुल्क रूपी गाड़ी को खींचते चले जा रहे हैं जिसके ऊपर इतना विशाल बोझ है । यह सूखा इतना प्रचन्ड रूप धारण किये हुए है कि इससे आज सारा किसान परेशान है । उसकी सारी फसल नष्ट हो गयी है ।

दुख इस बात का है कि हमारे क्षेत्र में यह हालत है कि दो महीने में 40 घंटे बिजली की लाइन मिली जिससे किसान की सारी फसल नष्ट हो गई । फिर भी बिजली के बिल पर बढ़ोत्तरी की गई । देखिये, किसानों की फसल नष्ट, बिजली की लाइन नहीं मिली, धान की रोपाई नहीं हुई, उनको मिला तो क्या मिला—बिजली की बढ़ोत्तरी उनके सिर पर लाद दी गई । मान्यवर,

यही नहीं, यह खेद का विषय है,] मैं सन् 1985 का हवाला देता हूं कि सरकार द्वारा 54 प्रतिशत रबी की फसल के लिये जो खाद पर छूट देने की घोषणा की थी, उस लालच पर खाद किसानों ने खरीद लिया था । खराब खाद भी खरीद ली, ज्यादा खरीद ली तो ब्याज सहित वह किसानों से 100 प्रतिशत वसूला जा रहा है । किसान ने वह खाद खेत में डाली, उसे बिजली नहीं मिली सारी फसल नष्ट हो गई, उसे पानी नहीं मिला ।

हमारे यहां के दो ब्लाक के आंकड़े मैं बता सकता हूं कि वहां के 50 ट्यूबवेल खराब हैं और अभी तीन ब्लाक का बाकी है । मैंने वहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों से बात की । उन्होंने कहा कि उनके पास वर्कशाप के लिये कोई सामान नहीं है । न तो सरकार द्वारा कोई धन मिल रहा है न कोई व्यवस्था हो रही है, तो हम क्या करें, यह खेद का विषय है । इन्जीनियरों से बात हुई कि भई, ये ट्यूबवेल क्यों खराब हैं । उन्होंने सलाह दी कि मकर रेखा और कर्क रेखा ये दो रेखायें हैं और इन दोनों रेखाओं के बीच की सतह सूख गई है, उनके बीच में पानी नहीं है इसलिये पूरी दुनिया में ट्यूबवेल सूख रहे हैं यही वजह है । उनको बोरिंग करने के लिये जो मशीन मिलती है वह केवल 500 फीट तक बोरिंग कर सकती है । अगर 1500 फिट तक बोरिंग करने की व्यवस्था हो जाय तो पानी कम नहीं हो सकता ।

श्री अधिष्ठाता—

आपके भाषण का समय समाप्त हुआ ।

श्री मलचन्द—

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । हमारे चन्द्र प्रभा प्रखण्ड नहर में पानी नहीं है । मैं अनुरोध करूंगा कि जो बिजली की बढ़ोत्तरी हुई है उसको खत्म किया जाय ।

(व्यवधान)

(श्री गौरी शंकर के खड़े होने पर विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ बोलने लगे ।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राजस्व मंत्री जी कुछ आंकड़े देना चाहते हैं ताकि आपके भाषण और अच्छे हों, इसलिये वे बीच में बोलना चाहते हैं । अभी बहस जारी रहेगी ।

एक सदस्य—

उनसे अन्त में बुलवायें ।

श्री अधिष्ठाता—

वे बीच में बोल सकते हैं ।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

मान्यवर, मैं आभारी हूं उन सभी माननीय सदस्यगण का जिन्होंने आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया । वे बधाई के पात्र हैं । (व्यवधान) माननीय सदस्यगण ने अपने-अपने जनपदों की बात कही कदाचित उन्हें कुछ मामलों में कहीं न कहीं कुछ भ्रांति है । वह भ्रांति न रहे इस बात को मैं बताना चाहता हूं । चूंकि कल भी चर्चा इसमें जारी रहेगी, मैं आवश्यकता हुई तो कल भी पुनः निवेदन करूंगा । इस समय मैं दो-तीन बातें बताना चाहता हूं जो आज सुबह माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा और जो सन्दर्भ उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने प्रदेश की भयावह स्थिति की बात कही और कहा कि स्थिति भुखमरी तक पहुंच सकती है आपका आशय यह था कि यदि स्थिति पर ठीक से कंट्रोल नहीं किया गया तो स्थिति भयावह हो सकती है, भुखमरी के कगार तक जा सकते हैं

लेकिन हमारा शासन इस बात के लिये सजग है ।

जिन-जिन जनपदों से जो सूचनायें आई हैं, माननीय सदस्यों की रुचि भी है जानने की, तो मैं बताना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट जनपदों से आती है उसके आधार पर हम उसे मानते हैं । मान्यवर, तीन तरह की सूचनायें हैं, जिनको मैं माननीय सदस्यों के संज्ञान में लाना चाहता हूं । एक वह जिले हैं जहां 25 प्रतिशत से कम क्षति हुई है, दूसरे वह जिले हैं जहां 25 से 50 परसेन्ट तक क्षति हुई है और तीसरे वे जिले हैं जहां 50 से 70 और 80 परसेन्ट तक की क्षति हुई है (व्यवधान) आपकी रुचि है वह मैं बताना चाहता हूं तो 25 से कम क्षति वाले जनपद हैं पीलीभीत, रामपुर, कानपुर देहात, फतेहपुर, बांदा, मिर्जापुर, देवरिया, ललितपुर, झांसी, जालौन (व्यवधान) पहाड़ी 7 जिलों से अभी पूरी सूचना नहीं मिली है ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

वह कौन जिले हैं ?

श्री गौरी शंकर—

अभी वह भी बता दूंगा । वह जनपद जहां 25 से 50 प्रतिशत क्षति हुई है उसमें बुलन्दशहर, मैनपुरी, बिजनौर, कानपुर नगर, बस्ती, आजमगढ़ देवरिया, खीरी, फैजाबाद, प्रतापगढ़, उन्नाव (व्यवधान) लखनऊ . . .

श्री भगौती सिंह—

मान्यवर, यह गलत है ।

श्री अधिष्ठाता—

भगौती सिंह जी सुनिये ।

श्री गौरी शंकर—

जहां 50 से 70, 80 फीसदी क्षति हुई है वह हैं मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, इटावा, अलीगढ़ शाहजहांपुर, बरेली, मथुरा, आगरा, बदायूं, मैनपुरी (व्यवधान) । जहां-जहां से सूचना मिल रही है उस हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं । (व्यवधान) ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य शांति से सुनें । (व्यवधान) (कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर नारे लगाने लगे ।)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

यह झूठी रिपोर्ट है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

इस रिपोर्ट को हम नहीं सुनेंगे ।

(श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री माता प्रसाद पाण्डेय आदि कई माननीय सदस्य सदन के मध्य आकर नारे लगाने लगे "यह रिपोर्ट झूठी है ।")

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, अपने-अपने आसन पर बैठकर अपनी-अपनी बात कहें ।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

बस्ती का नाम रिपोर्ट में क्यों रह गया है ?

श्री भगौती सिंह—

लखनऊ कहां रह गया है ?

(विपक्ष के काफी माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर नारे लगाने लगे कि यह रिपोर्ट फर्जी है । पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करें । यह रिपोर्ट फर्जी है)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अपना-अपना आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य अपनी

सीट पर जाकर अपनी-अपनी बात कहें । माननीय सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

(सदन के फ्लोर में ही नारे लगाते रहे कि "यह रिपोर्ट फर्जी है")

मैं 10 मिनट के लिये सदन को स्थगित करता हूं ।

(इस समय 4 बजकर 52 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित कर दी गयी । 5 बजकर 2 मिनट पर मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिये और बढ़ा दिया है । 5 बजकर 12 मिनट पर मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिये और बढ़ा दिया है ।

तदुपरान्त 5 बजकर 22 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुई ।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग आसन ग्रहण करें ।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 50 जनपद सूखे से प्रभावित हैं । पहाड़ी जनपदों की सूचना प्राप्त की जा रही है । अद्यतन स्थिति से तभी मैं अवगत करा सकूंगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मंत्री जी, थोड़ा सा घबड़ाये हुए हैं । 7 पहाड़ी जिले जो हैं, उन जिलों के नाम मंत्री जी बता दें जिनकी सूचना नहीं आई है और बाकी जिले जो सूखे से प्रभावित हैं, उनके भी नाम मंत्री जी बता दें ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, पहाड़ी 7 जिले हैं, उनके नाम बाद में बता दिये जायेंगे ।

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम आसरे दीक्षित)—

पहाड़ी 7 जिले नहीं हैं, पहाड़ी 8 जिले हैं ।

श्री गौरी शंकर—

माननीय मंत्री जी ने मुझे सतर्क किया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं । 8वां जिला जो है, उसकी सूचना मेरे पास है । 7 पहाड़ी जिलों की सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई है । शेष 50 जिलों के बारे में यह सूचना यह है कि वे सूखे से प्रभावित हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहें । मेरी बात सुन लें, आप लोग उत्तेजित न हों । उन्होंने बता दिया कि 50 जिले सूखे से प्रभावित हैं ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

यह तो पहले भी उन्होंने कहा था ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, नहीं पहले नहीं कहा था ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, अभी जब ये अपना वक्तव्य पढ़ रहे थे, तो उन्होंने यह बताया कि इतने प्रतिशत से इतने प्रतिशत तक सूखे से जिले प्रभावित हैं । हमारे माननीय मंत्री जी निषाद जी जो हमारे जिले के प्रभारी हैं, उनके पास 25 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक की सूचना है ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग एक-एक करके बोलें, इस तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा

है और न कुछ सुनाई पड़ रहा है ।

(घोर व्यवधान)

इस पर चर्चा खत्म नहीं हुई है । चर्चा कल भी होगी । माननीय मंत्री जी ने 50 जिले सूखे से प्रभावित बताया है। स्पष्टीकरण कल जारी रहेगा । उस पर कल बहस हो जायेगी ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, कुंवर मानवेन्द्र सिंह, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री विजय सिंह राणा, श्री सुखपाल पाण्डे, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री दीपचन्द्र सोनकर आदि विपक्ष के कई माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

आप सब अपने स्थान पर बैठें । मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं । आप सब अपने स्थान पर बैठें ।

(घोर व्यवधान)

आप सब बैठें । मंत्री जी कुछ कह रहे हैं उनकी बात सुन लें ।

(सभी सदस्य वापस अपने स्थान पर चले गये)

(घोर व्यवधान)

श्री गौरी शंकर—

मैं निवेदन कर रहा था कि सभी जनपदों में एन0 आर0 ई0 पी0 और आर0 एल0 जी0 पी0 की योजनायें चल रही हैं, उनके अन्तर्गत राहत कार्यों की स्वीकृति कराई जाएगी ।

(घोर व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या प्रतिशत है, यह आप बता दें ?

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

संसदीय कार्य मंत्री जवाब दें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्यों में जनपदों के बारे में जो उत्तेजना है, वह स्वभाविक है । क्योंकि जैसा सबेरे मैंने निवेदन किया था सब लोग किसी न किसी तरह से इससे प्रभावित है। माननीय राज्य मंत्री जी ने 50 जिले बताये और यह भी बता दिया कि पहाड़ के जिलों की सूचना अभी नहीं आई है, तो जो 50 जिले प्रभावित हुए हैं उसमें पूरा उत्तर प्रदेश सामने आ गया । अब माननीय सदस्यों को, कि कितना प्रतिशत है इसके बारे में, कल भी इस पर चर्चा होगी सारी जानकारी कल दी जा सकती है, लेकिन जहां तक राहत की योजनायें हैं, जो बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र हैं, सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं या दैवी आपदा से ग्रस्त जो क्षेत्र हैं वहां जो सुविधायें दी जाती हैं वह इन सब 50 जनपदों में दी जाएगी उसमें किसी चीज को नहीं रोका जाएगा ।

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बात तो सुन लीजिए । इस तरह खड़े होने से तो काम नहीं चलेगा । नेता विरोधी दल आप बोलें ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, असली मुख्य जड़ है भाषा में कंजूसी । यह लोग भाषा में कंजूसी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है । बस्ती का उदाहरण दे रहा हूं आपने कहा कि 25 से 50 प्रतिशत

सूखा है यह सब तो रिपोर्ट से मालूम हो गया है, यह पता लग गया है कि बस्ती को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है । आप बस्ती का ही बता दें इसमें आपको क्या दिक्कत है ? मान्यवर, यह चाहते हैं कि राजस्व मंत्री के मुख से घोषणा न की जाय । माननीय मुख्य मंत्री जी के मुख से घोषणा कराना चाहते हैं, अगर इतना अन्तर है तो कोई अन्तर नहीं पड़ता है । लेकिन मान लीजिये एक-दो जिलों की घोषणा की जैसा कि उदाहरण दिया है तो माननीय सदस्यों को तब तक सन्तोष नहीं होगा जब तक यह घोषणा नहीं करेंगे । अब मान लीजिये आपका मेरठ, आगरा घोषित हो गया । इटावा और फर्रुखाबाद तक घोषित हो गया अब जो शेष जिले रह गये हैं, उन माननीय सदस्यों को चिन्ता है कि हमारा जिला है या नहीं । इसे संतुष्टि करने के लिए आप सीधे-सीधे कहिये कि यह जिला है, जो घोषित है, उसमें यह भी है । अभी बस्ती का उदाहरण दिया है, बलिया का उदाहरण दिया है आप कह रहे हैं कि 25 से 50 के बीच है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहें । नेता विरोधी दल बोल रहे हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मैं 70 प्रतिशत का उदाहरण दे रहा हूं । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह 50 जिले हैं वह समान है या नहीं है ? यह कहिये कि समान है या नहीं है ?

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग आसन ग्रहण करें, संसदीय कार्य मंत्री बोलना चाहते हैं, उन्हें बोल लेने दीजिए ।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं देता हूं, मित्रसेन जी, गुप्ता जी आप सब लोग बैठें, आपको नहीं बुलाया है । आपको कल मौका मिलेगा । मैं इजाजत नहीं देता हूं । अगर आप लोग बोलेंगे तो वह जवाब नहीं दे पायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, यह बस्ती के बारे में बताये कि 70 फीसदी है ।

श्री मित्रसेन—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । पहले शांति बनायें । कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री हरदेव—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

खड़े रहने से कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री हरदेव—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता हूं, आप बैठें ।

(व्यवधान)

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

उनको कहने तो दीजिये कुछ । बैठिये तो सही ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

उनका स्टेटमेन्ट हो रहा था, संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए थे, उन्हें कहने तो दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, सूखा से सदन चिंतित है और इस गम्भीर चर्चा के बाद उचित समझौता मनोरंजन हेतु माननीय हरदेव राम जी को एक मौका दे दीजियेगा । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य चिंतित हैं, ठीक है, कल बहस होगी, एक बात आप स्पष्ट करा दें कि जो 50 जिले सूखा पीड़ित आप मानते हैं वह कौन-कौन जिले हैं और उनमें नुकसान का क्या प्रतिशत है ? आप उस जिले के माननीय सदस्य चाहे वह इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, यदि उस रिपोर्ट पर आपत्ति करें तो उसकी आप एक उच्चस्तरीय जांच करवायें । यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट गलत हो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 2-4 को मुअत्तल कीजिये। तब सदन सही तरीके से चलेगा । आज आप यह सूचना दे दें । कल इस पर प्रश्नोत्तर होगा, अगर गलत रिपोर्टिंग हुई है तो उसकी आप जो व्यवस्था, जांच की करें, जो आपस में तय हो जाये, उन दो-चार जिलों की जांच हो जायेगी जब तक आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मुअत्तल नहीं करेंगे तब तक फर्जी रिपोर्टिंग चलेगी ।

श्री काशी सिंह एरी—

पिछले 9 तारीख को हम लोग हाउस से उठे थे और तब यह तय हुआ था कि 18, 19 को सूखे पर चर्चा होगी तो अब तक सूचना क्यों नहीं पहुंची है ?

श्री उपाध्यक्ष—

एरी साहब, आपकी सूचना कल तक आ जायेगी ।

श्री अम्मार रिजवी—

जैसा माननीय मैनेजर सिंह ने कहा मैं सूचित करना चाहता हूं कि हर मंत्री को एक या दो जिले दिये गये थे और उनको भेजा गया था . . .

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

कोई नहीं गया । मेरे यहां मुख्य मंत्री गये थे उन्होंने पंचसितारा होटल में दावत खाई और चले आये, किसी भी जनप्रतिनिधि से एक मिनट भी सूखे पर बात नहीं की ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

आपके यहां तो मुख्य मंत्री स्वयं गये थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

संसदीय कार्य मंत्री को कह लेने दें । मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

यह बहुत गम्भीर मसला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव—

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जिनके जिले सूखाग्रस्त घोषित हो गये हैं, उनको बार-बार बोलने की क्या आवश्यकता है । चिन्ता तो उन जिलों की है जो सूखाग्रस्त घोषित नहीं हुये हैं । उन जिलों की असली रिपोर्ट आ सके, चिन्ता इस बात की है । इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, आगरा यह सब तो सूखाग्रस्त घोषित हो चुके हैं, नुकसान का चाहे जो प्रतिशत हो, सुविधा तो सब मिलेगी । जो जिले सूखे से प्रभावित हैं और सूखाग्रस्त नहीं हैं असली चिन्ता उनकी है । जैसे बस्ती का बार-बार नाम आया और 70 प्रतिशत वहां नुकसान हुआ है । इसको मंत्री जी ने मान लिया है । आपने 31 जिले माने हैं । जिन जिलों को आपने सूखाग्रस्त किया है, उसी तरह से 50 जिले हैं, सबकी स्थिति समान है । आप चाहते हैं कि यह घोषणा मुख्य मंत्री के मुंह से हो ।

मा0 मुख्य मंत्री जी चर्चा में शामिल ही नहीं हुए । उन्हें कोई चिन्ता नहीं है । केवल घोषणाएं आप उनसे कराने की कोशिश कर रहे हैं । एक बेचारे राजस्व मंत्री पूरे दिन चर्चा में शामिल रहे, तो आप घोषणाएं भी उन्हीं के मुंह से करा दीजिये । मुख्य मंत्री जी का इन्तजार क्यों कर रहे हैं । आपने 31 जिले सूखाग्रस्त बताये हैं बाकी बचे 19 को भी आप उन्हीं के समान घोषित करते हैं, इतना ही आप कह दीजिये ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने बताया कि उन्होंने माननीय सदस्यों से भी एक बात कही कि वे अनुशासन में रहें, तो मैं उनका बहुत ही आभार प्रकट करता हूं । मान्यवर, 50 जिले सूखे से प्रभावित हैं । जो राहत के कार्य हैं, इनमें सबमें समान रूप से किये जायेंगे । पहले भी ऐसा कहा गया था, फिर दोहरा रहा हूं । जो यह कहा गया कि माननीय मुख्य मंत्री जी को इस चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो उन्होंने स्वयं कहा और उन्हीं के इशारे पर सूखे पर दो दिन की चर्चा रखी गयी, उनकी इस विषय में पूरी दिलचस्पी है । आज एक आवश्यक कार्य के कारण वे यहां नहीं आ सके । उनकी पूरी दिलचस्पी इस विषय में है । इस सम्बन्ध में, मैं अनुरोध करूंगा कि जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, जो माननीय सदस्यों की आशंकाएं हैं, कल उन सबका समाधान मंत्रीगण और माननीय मुख्य मंत्री जी करेंगे । मेरा अनुरोध है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, इसको चलने दें । जितना ज्यादा समय इसमें लगायेंगे, समस्या का समाधान करने में उतनी ही आसानी होगी । अतः इसमें व्यवधान न उत्पन्न करें । आपसे अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही को आगे चलावें ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर चर्चा अब कल होगी ।

(व्यवधान)

काशी सिंह ऐरी जी, आप बैठ जायं, कल इस पर अभी चर्चा होनी है ।

ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जब 9 तारीख को हम लोग सदन में बैठे थे तो तय हुआ था कि मद संख्या 13 और 14 एक साथ ले ली जायेंगी जिससे कि एक ही समय में सारी जानकारी दे दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है मद संख्या 13 और 14 एक साथ ले ली जायं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा बिजली की दरों में की गयी वृद्धि से बिजली उपभोक्ताओं में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में चर्चा

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, चर्चा का विषय यह है कि अभी पिछले दिनों बिजली की टैरिफ का जो निरीक्षण हुआ । उसके नाम पर अंधाधुंध तरीके से टैरिफ बढ़ाई गयी । इस पर सदन में चर्चा होनी है । यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और शासन की जन विरोधी नीति का परिचायक है । इन्होंने दो वर्षों में छठी बार बिजली के रेट्स बढ़ाये है और मान्यवर, रेट्स इतनी बुरी तरह से बढ़ाये गये हैं कि पिछली बार तो उपभोक्ताओं को छोड़ दिया गया था, वह सामान्य उपभोक्ता जो लाइट और फैन का कनेक्शन लेते हैं, उनको भी बिजली के रेट्स बढ़ाने की परिधि में ले लिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि शांति बनाये रखें । बिजली बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसको शांतिपूर्वक सुनें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जो बिजली के रेट्स बढ़ाये गये हैं उन्हें मैं नियम विरुद्ध समझता हूं । इनका एक एक्ट है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 उसकी धारा 49 (2) की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । उसमें व्यवस्था की गयी है कि टैरिफ बढ़ाया जायेगा समय-समय पर लेकिन टैरिफ के बढ़ाते समय किन परिस्थितियों का ध्यान रखा जायेगा उसका भी उल्लेख इसमें किया गया है । यह अंग्रेजी में है उसके मैं अंश पढ़ देता हूं इसका हिन्दी अनुवाद भी कर दूंगा ।

आई फिक्सिंग दि यूनीफार्म टैरिफ्स, दि बोर्ड शैल हैव रिगार्ड टू आल आर एनी आफ दि फालोयिंग फैक्टर्स, नेमली बोर्ड के द्वारा जब टैरिफ बढ़ाये जायेंगे तो निम्नलिखित विषयों की ओर ध्यान रखा जायेगा ।

(ए) दि नेचर आफ दि सप्लाई एण्ड दि परपज फार विच इट इज रिक्वायर्ड (बी) दि कोरडीनेटेड डेवलपमेन्ट आफ दि सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन आफ इलेक्ट्रिकसिटी विदिन दि स्टेट इन दि मोस्ट एफीशियेन्ट एण्ड एक्नोमिकल मैनर, विद पर्टीकुलर रेफरेन्स टू एचीव्ड डेवलपमेन्ट इन एरियाज नाट फार दि टाइम बीन्ग सर्व्ड आर एडीसर्व्ड आर एडीक्येटली सर्व्ड बाई दि लाइसेन्स ।

साफ लिखा हुआ है कि जब कभी बिजली के रेट्स बढ़ाये जायेंगे तब इस बात को सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि विवरण निपुणता के साथ और मितव्ययितापूर्ण है । बिजली का उत्पादन भली प्रकार हो रहा है और सुचारु रूप से वितरण व्यवस्था हो ।

क्या हमारे उ0 प्र0 में ठीक ढंग से बिजली का उत्पादन हो रहा है हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उसकी वितरण की व्यवस्था सुचारु रूप से है । मान्यवर चाहे माननीय सदस्य इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, इस बात पर सब एकमत है कि आज बिजली का उत्पादन सही है वितरण ठीक नहीं है पूरे समय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बिजली मिल नहीं पाती है । सूखे पर जब यहां चर्चा हो रही थी, उस समय भी यही बात प्रकाश में आयी थी । बिजली किसानों को पूरी तरीके से नहीं मिल रही है । मान्यवर, जो एक्ट में 49(2) में प्राविधान है उसका भी उल्लंघन किया गया है । पिछली बार जब रेट्स बढ़ाये गये थे उसमें जो सामान्य उपभोक्ता है उनको छोड़ दिया गया था लेकिन इस बार इसकी परिधि में उनको भी ले लिया गया है । जो गम्भीर काम किया है वह यह है कि काश्तकार पर कत्लेआम करने की साजिश की जा रही है । 12 रु0 प्रति हार्सपावर के जो रेट्स 1979 में थे, उन्हें 22.50 रु0 प्रति हार्सपावर बढ़ाया गया अब उसे विवेकहीन ढंग से बढ़ाकर 30 रु0 प्रति हार्सपावर कर दिया गया है । हम सब विचार करें कि क्या किसान को निर्धारित घंटे भी बिजली मिलती है । उसके यहां मीटर नहीं लगा हुआ है । सरकार की ओर से कह दिया जाता है समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जाता है कि 10 घन्टे बिजली मिलेगी लेकिन गांव से आने वाले हम सब लोग जानते हैं कि लगातार 2 घंटे भी बिजली किसान को नहीं मिलती है । स्थिति क्या है बिजली का बल्ब जला किसान को महसूस हुआ कि बिजली आ गयी किसान दौड़ता हुआ अपने नलकूप पर आया लेकिन तब तक बिजली चली गयी । बिजली आपूर्ति की आश्वासित किये बिना यह टैरिफ बढ़ाने का कोई अधिकार सरकार को नहीं है । आप मीटर लगा दें जितनी बिजली उतना हम दाम देंगे ।

मैं मान्यवर, हरियाणा की जानकारी देना चाहूंगा, वहां बिजली रोज नहीं मिलती लेकिन काश्तकारों को आश्वासित है कि जिस दिन बिजली मिलेगी उस दिन 5-6 घन्टे बिजली लगातार मिलेगी । 12.50 रु0 प्रति हार्स पावर से बढ़ाते-बढ़ाते 22.50 और अब जो 30 रु0 प्रति हार्स पावर का रेट किया गया है उसकी मैं घोर निन्दा करता हूं और मांग करता हूं कि आप मीटर लगा दीजिये जितनी रीडिंग आयेगी उतना दाम लिया जाय ।

इन्होंने लाइट एण्ड फैन का इण्डस्ट्रियल से जो मेल था, उसे खत्म कर दिया । लाइट एण्ड फैन को इण्डस्ट्रियल से जोड़ दिया, जिससे अघोषित किए हुए बिजली के मूल्य का भार लोगों पर पड़ गया । मीडिएम को लार्जर में डाल दिया । जिससे उसका क्वान्टम बढ़ गया । सरकार ने बहाना लिया कि हमने अभियन्ताओं की तनख्वाह बढ़ाई और कर्मचारियों को एरियर दिया । सरकार ने जो समय-समय पर घोषणा की है, यदि उस हिसाब से भी देखा जाय तो कुल 22-23 करोड़ रुपए तक का एरियर बनता है लेकिन 75 करोड़ रुपए का भार इन्होंने जनता पर डाल दिया । बिजली के रेट बढ़ने से उद्योग, व्यापार पर तो असर पड़ा साथ ही साथ लाइट एण्ड फैन पर भी रेट बढ़ गये, जिससे झोपड़ियों में रहने वालों के ऊपर भी इसका असर पड़ा । जब तक व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जायेगा, घाटे को नहीं रोका जायेगा और व्यवस्था में सुधार नहीं किया जायेगा, तब तक यह टैरिफ बढ़ाने के लिए जो एड की बात कही गई है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं ।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट करने का समय दिया । इसके पूर्व भी जिस दिन आज के लिए सदन उठा था, उस दिन इसी संकल्प पर चर्चा हो रही थी कि ऋण की सीमा को एक हजार से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दी जाय । उसी सन्दर्भ में

मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी । आज सातवीं योजना हमारे सामने है और इसमें विद्युत को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । चाहे इधर के लोग हों और चाहे उधर के, सभी का यह मत है कि बिना ऊर्जा के न उद्योग चल सकता है, न कृषि चल सकती है और न ही शहरी सभ्यता चल सकती है । इसलिए एक महत्वाकांक्षी योजना बिजली के उत्पादन और उसके वितरण तथा उसके सम्प्रेक्षण के लिए बनाई गई है, जिसके लिए निश्चित रूप से हमें ज्यादा धन की आवश्यकता पड़ेगी । जो हमारी 6ठी योजना थी, उसमें 2153 करोड़ रुपए इस मद में रखे गये थे, परन्तु 7वीं योजना में इसमें 3440 करोड़ इसमें रखा गया है, जो लगभग 1200 करोड़ रुपए ज्यादा है, जिसे हम खर्च करने जा रहे हैं । इसे कहीं न कहीं से हमें इकट्ठा करना है । जहां तक प्लानिंग कमीशन की नीति निर्धारण का सवाल है, वह यह कहता है कि आपको पैसा किस चीज के लिए चाहिए । हमारे पास कोई कैपिटल तो है नहीं । हमें स्रोतों पर निर्भर करना पड़ता है । उनके निर्देश यह है कि 20 प्रतिशत हम अपना स्वयं साधन जुटायेंगे लगभग 15 से 20 प्रतिशत इंस्टीट्यूशनल

फाइनेन्सिंग एजेन्सी से इकट्ठा करें । इसके लिये हमें एल0 आई0 सी0 लैण्ड डेवलपमेन्ट बैंक और चाहे वह कोई और बैंक हो, पर निर्भर रहना पड़ता है ।

(इस समय 6 बजे अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

इस 20 प्रतिशत की पूंजी को सातवीं योजना में बढ़ा रहे हैं । उसी के लिये एक हजार करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ किया है । यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है । समय-समय पर चाहे आप उधर रहे हों या हम उधर रहे हों । क्योंकि बिजली के बगैर काम चलना नहीं है, अतः इसके प्रचार और प्रसार की जरूरत है ।। 1969-70 में 100 करोड़ किया था 72-73 में 200 करोड़ किया,, 75-76 में 400 करोड़, 80-81 में 600 करोड़ और 82-83 में 1000 करोड़ किया गया । जो 1500 करोड़ कह रहे हैं, उसका टैरिफ से कोई सीधा वास्ता नहीं है बल्कि जो विकास करने जा रहे हैं, उसके लिए जो 20 प्रतिशत जुटाना पड़ेगा उसके लिए ऋण सीमा बढ़ा रहे हैं ।

श्री विजय सिंह राणा—

माननीय, मद 14 पर इनका प्रस्ताव सही है, मद 13 पर हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लें ।

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय, ऐसा प्रस्ताव सिर्फ आगरा से आ सकता है ।

यह 1000 से 1500 करोड़ करने का जो प्रस्ताव है इसका टैरिफ से कोई वास्ता नहीं है बल्कि जो विकास करना चाहते हैं उसके लिए आवश्यकता है । विद्युत परिषद् की यह स्थिति है कि उसको ऋण मिल सकता है । पिछले 15—20 वर्षों में कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि लोन न वापस करें अन्यथा जो लोन लेते हैं, उसको समय से अदा किया है । इसीलिए आज स्थिति यह है कि आज कोई भी संस्था हो ऋण देने के लिए तैयार है । जब आसान शर्तों पर ऋण मिल सकता है और अच्छे काम में लगा सकते हैं तो इसीलिए ले रहे हैं, इसीलिए संकल्प लाये हैं । मुझे विश्वास है कि आप सब का पूर्ण सहयोग मिलेगा ।

*श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आभारी हूं । एक हिसाब लगा कर देखें कि बिजली के ऊपर पहली बार यह किया है कि 22.50 रु0 से बढ़ाकर 30.00 रु0 कर दिया है । पहले 12.00 रु0 था फिर 22.50 हुआ फिर 30.00 रु0 कर दिया है । हमारा कहना यह है कि एक वर्ष में किसान को कुल मिलाकर 4 महीने बिजली मिलती है, इससे ज्यादा किसी किसान को नहीं मिलती है । सभी माननीय सदस्यों से पूछ लें अगर 4 महीने से 1 दिन भी ज्यादा मिलती हो । एक हार्स पावर पर 30.00 रु0 प्रति माह देगा तो एक साल में उसे काफी पैसा देना पड़ेगा । एक दिन में 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं देते है हद से हद 5 घंटे देते है जब तक बिजली का करेण्ट शुरू होता है पानी पहुंचता है तब तक बिजली गायब हो जाती है । इससे इतना अपव्यय होता है कि जब किसान मजदूर को लेकर खेत पर जाता है और उसे क्यारी पर लगाता है तब तक बिजली गायब हो जाती है । वह बिजली का इंतजार करता रहता है, मजदूर घर चला जाता है, काश्तकार को मजदूर का पैसा वैसे ही देना पड़ता है । आज सूखे की स्थिति में किसान तबाह हो रहा है और यह बिजली को बढ़ोत्तरी की घोषणा उसके ऊपर इतना बड़ा भार है कि किसान तबाह हो रहा है । जब इनको मौका मिला और ये बजट लाये तब बार-बार यह घोषणा की कि बजट में कोई नया कर नहीं लगायेंगे । दो महीने नहीं बीते कि किसान की कमर तोड़ने के लिए हमेशा कर लगाया और केवल किसान पर लगाया । 1981 के आंकड़े देख लें इन्होंने घोषणा की थी कि नया कर नहीं लगायेंगे उसके बाद 4 नये कर लगाये । सवा तीन एकड़ तक लगान माफ था, उसे लगाया, विकास कर लगाया और उससे 20 करोड़ रु0 कमाया । उसके बाद बिजली की बढ़ोत्तरी करके उससे 36 करोड़ रुपया कमाया । तीस करोड़ रुपया बसों का किराया बढ़ा कर लिया । कुल मिलाकर 86 करोड़ रुपया जो करों से कमाया है वह पूरा का पूरा बजट किसानों के ऊपर ही गया है ।

किसी भी देश के अन्दर इतना करभार नहीं है । यहां किसानों के पास लड़ने के लिये ताकत नहीं है । अगर उसके पास अदालत में जाने की क्षमता होती तो सरकार को लेने के देने पड़ जाते । इसीलिए मेरा कहना है कि किसानों के ऊपर इतना बड़ा भार है कि पूरे प्रदेश का किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है । अगर सरकार ने किसानों की तरफ ध्यान न दिया तो वह दिन दूर नहीं कि किसान सरकार का विद्रोही बन जायेगा और जहां जिन खेतों के जरिये आप हरितक्रान्ति लाने के लिये कहते हैं वहीं उनके जरिये क्रान्ति के बीज बो दिये जायेंगे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, जो राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने संकल्प रखा है, वह मौजूदा सन्दर्भों में सार्थक है और जो माननीय मंत्री जी के द्वारा 1500 करोड़ रुपये के ऋण के सम्बन्ध में यहां प्राविधान रखा गया है, दोनों को जोड़ कर देखा जाय तो मैं समझता हूं कि विद्युत परिषद् इस समय मजबूरी की स्थिति में चल रही है । पूरे का पूरा ऊर्जा विभाग मजबूरी की मानसिकता से ग्रस्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । इसीलिये टैक्स बढ़ाना भी इनकी मजबूरी है, मजबूरी इनको कम्पलीट दबाये हुई है । बिजली के दाम बढ़ाये जाने के लिये भी इनको मजबूरी आयी है । दाम के बारे में सरकार को साफ तौर पर घोषणा करनी चाहिये क्योंकि जहां तक बिजली के उत्पादन का प्रश्न है यह कास्ट डिक्लाइनिंग इण्डस्ट्री है । जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ेगा बिजली के दाम में कमी आयेगी ।

उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण रहा है कि यहां पर बिजली का उत्पादन घट रहा है । जहां पर या जिन प्रदेशों में बिजली का उत्पादन 70 से ले करके 90 सैकड़ा तक हो रहा है वहां बिजली सस्ती हो रही है । उत्तर प्रदेश में 30 से 35 सैकड़ा तक बिजली का उत्पादन है ।

मंत्री जी यहां एलान करते हुए खुशी महसूस करते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में हम बिजली का उत्पादन 40 से 45 सैकड़ा तक बढ़ायेंगे । मैं कहता हूं कि जब तक 70 सैकड़ा तक उत्पादन न हो, तब तक समझिये बिजली का उत्पादन पूरा नहीं हुआ बल्कि घट रहा है । इसीलिये आज उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली है । आप देखिये कि हरियाणा में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में घरेलू बिजली और कृषि की बिजली के क्या दाम हैं ? उत्तर प्रदेश में बिजली कम पैदा हो रही है इसीलिये यहां पर 70 पैसे से ले करके 75 पैसे तक प्रति यूनिट घरेलू बिजली की दर निश्चित की गयी है और साढ़े 22 रु0 से 30 रु0 तक कृषि के मामले में दरें बढ़ी हैं ।

मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली के दाम बढ़ाये गये हैं, आज उत्तर प्रदेश में जो बिजली के उपभोक्ता हैं, वह इससे भी सन्तुष्ट हो जाते यदि बिजली की आपूर्ति समुचित होती रहती । आज हालत यह हो रही है कि यदि बिजली का उत्पादन 40 सैकड़ा भी हो जाय, जो कि आज नहीं है । आज बिजली का उत्पादन 25 से 30 सैकड़ा से ज्यादा नहीं होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिजली 20 परसेन्ट चोरी हो जाती है ।

मैं एक दिन की बात नहीं कह रहा हूं, सभी कैचल टाउन्स में, कस्बों में और देहातों में बिजली नहीं मिल पा रही है । बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, पश्चिमांचल, पर्वतीय भाग, बुन्देलखण्ड और चाहे मध्य उत्तर प्रदेश हो, कहीं पर भी बिजली नहीं मिल रही है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बनारस में 3 बजे से 6 बजे तक बिजली की कटौती की जाती है और ज्यादातर समाचार पत्र इसी समय निकलते हैं, बिजली न मिल पाने के कारण उनका प्रकाशन बन्द हो गया है, जितने कारखाने चलते हैं वह बन्द हो गये हैं और उद्योग बन्द हो गये हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जब उत्पादन नहीं हो पा रहा है, तो उस समय विद्युत की दर बढ़ाना किसी भी समझदार आदमी के गले से नीचे नहीं उतर सकता है । मेरा सरकार से निवेदन है कि इस समय जो 4024 मेगावाट इन्सटाल्ड कैपासिटी है उत्तर प्रदेश में और सातवीं योजना में माननीय मंत्री जी को सबसे अधिक पैसा मिला है । आप उससे बिजली का उत्पादन बढ़ायें, परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा है । सिंचाई और बिजली को मिलाकर 50 प्रतिशत योजनायें हैं, 37-38 प्रतिशत बिजली की योजनायें हैं ।

मान्यवर, 3440 करोड़ रुपये का प्राविधान 7वीं योजना में किया गया है और जब कि 2153 करोड़ का प्रावि-

धान 6ठी योजना में था । मैं माननीय मंत्री जी से एक सवाल पूंछना चाहता हूं कि आपको 7वीं योजना में सबसे अधिक पैसा मिला है, तो फिर बिजली की दर बढ़ाने की क्या आवश्यकता पड़ गयी । आपको 6ठी योजना में पैसा कम मिला था, तब तो आपने इस हद तक बिजली की दर नहीं बढ़ायी थी और जब पैसा ज्यादा मिल गया तो बिजली की दर बढ़ाने का क्या औचित्य है । यह सवाल मैं माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो ओबरा पावर स्टेशन है, उसकी इन्सटाल्ड कैपासिटी 1550 मेगावाट है, और जब तक ओबरा को नहीं ठीक किया जायेगा, वहां के उत्पादन को नहीं ठीक किया जायेगा तब तक उत्तर प्रदेश में बिजली की हालत को सुधारा नहीं जा सकता है । वहां की स्थिति क्यों नहीं ठीक हो रही है, इस पर मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं ।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस समय जो एक महीना पहले बिजली की दरें बढ़ायी गयी हैं, उस पर सरकार को पुर्नविचार करना चाहिये । मान्यवर, ओबरा और परीक्षा पावर हाउस में फरनेस आयल की बहुत ज्यादा बर्बादी होती है और इसको रोका जाना चाहिये । जो कोयला दिया जाता है, उसकी क्वालिटी खराब होती है, उसको सुधारा जाना चाहिये । सही स्तर के कोयले को लाया जाना चाहिये । मान्यवर, कोयले और तेल की चोर बाजारी को रोककर 35 करोड़ रुपया बचाया जा सकता है । मैं कह रहा हूं कि इस समय जो बिजली की दरें बढ़ाई गयी हैं उन पर सरकार पुर्नविचार करे और जहां तक ऋणों के लिये आप ज्यादा बाण्डों के जारी करने की बात कर रहे हैं, तो यह आपकी मजबूरी हालत है । मान्यवर, बिजली विभाग की हालत यह है कि वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है । एक करोड़ 70 लाख रुपया बजट में बनारस के लिये स्वीकार किया गया था और अभी तक 70 लाख रुपया से अधिक नहीं मिल पाया है । मार्च में बजट पास हुआ है । आज सितम्बर समाप्त होने को है, 25 लाख रुपया मिला है । वहां के कर्मचारियों को वेतन देने के लिये पैसा नहीं है । बिजली विभाग की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिये जो परियोजनायें हैं उनको समय से समाप्त होना चाहिये और अगर उत्पादन का काम आप ठीक नहीं कर सकते हैं, तो इसको प्राइवेट सेक्टर में दे दीजिये । इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(समय 6 बजकर 20 मिनट पर)

*श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, इस समय सदन में दो संकल्पों पर चर्चा हो रही है । एक तो माननीय गुप्ता जी का, विद्युत की दरों में जो वृद्धि की गई है, उसको वापस लेने का संकल्प है और दूसरा माननीय मंत्री जी की तरफ से विद्युत परिषद् द्वारा ऋण की क्षमता 1 हजार करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये कर देने का संकल्प प्रस्तुत है । मान्यवर, इस संबंध में निवेदन है कि जब-जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत आयी है, सन् 80 में किसानों के ऊपर 12 से 15 रुपये कर दी, सन् 81 में 22 रुपये प्रति हार्स पावर कर दी और आज भी यही प्रश्न हमारे सामने यह सरकार लायी है कि घाटे की पूर्ति करने के लिये विद्युत दरें बढ़ाई जा रही हैं । तीन बार सन् 80 में, 81 में और 85 में इन्होंने विद्युत की दरें बढ़ाई हैं और आज 86 में पुनः बढ़ा दी गई । एक सिद्धान्त प्रतिपादित हुआ कि विद्युत दर बढ़ाकर आमदनी का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सिलसिला निकाला और फिर भी घाटा पूरा नहीं हो रहा है । उसकी राशि बराबर बढ़ती जा रही है । दूसरी बात यह है कि मंत्री जी ने कहा कि जो धन-राशि हम ले रहे थे वह कर्जे की आपूर्ति करने के बाद हम घाटे की दर पर रोक नहीं लगा पा रहे थे । इसलिये वे चाहते हैं कि उस घाटे को पूरा करने के लिये ऋण लेने की सीमा का जो माप-दण्ड था उसको 1500 करोड़ रुपया कर दिया जाय तो हम घाटे को पूरा कर सकते हैं । मैं सैद्धान्तिक रूप से एक बात पूछना चाहता हूं कि विद्युत की दरों में वृद्धि और ऋण लेने की क्षमता में बढ़ोत्तरी यह दोनों अपने आप में और निकम्मे साबित हो गये । विद्युत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और कमियां दूर किये बिना, चोरी दूर किये बिना इस घाटे की क्षतिपूर्ति विद्युत दरों को बढ़ाने से नहीं हो सकती है । यह बात स्वत: सिद्ध है । आपके विद्युत परिषद् में जो सामान है, जो अब जनता कनेक्शन दिये जा रहे हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये जा रहे हैं, उनकी दरें भी ढाई गुना कर दीं । कोई भी किसान ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह अपने नलकूप के कनेक्शन का पूरा रुपया अदा कर सके । मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी नलकूपों के बिजली के कनेक्शन है उन पर मीटर लगा दिये जायं तो उसके बाद इस सरकार का पर्दाफाश हो जायेगा कि किसान को आप कितनी बिजली दे पाते हैं । एक साल मीटर लगाने से आप क्यों कतराते हैं ? आपको लगाना चाहिए ताकि स्थिति साफ हो जाय कि किसान को आप सिर्फ 1 महीने ही बिजली दे पाते हैं । माननीय मंत्री जी के पास इस तरह की सूचना है कि एक अभियन्ता महोदय के खिलाफ शिकायत की गई कि एस0 पी0 पांडे मुख्य अभियन्ता गढ़वाल क्षेत्र के जो हैं उनके खिलाफ अनेक विधायकों ने और विधान परिषद् के सदस्यों ने लिखकर दिया कि इन अभियन्ता महोदय ने करोड़ों रुपये का गोलमाल किया लेकिन कोई कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं हुई । उसके बाद विद्युत मंत्री जी को 1986 में माननीय धनी राम नेगी ने एक शिकायती पत्र दिया और उनसे अनुरोध किया कि उनके अभियन्ता महोदय ने कई जगहों पर प्लांट ले लिये हैं । किन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है । फिरोजाबाद में 54 प्रतिशत बिजली की चोरी होती है, 5 अभियन्ताओं के खिलाफ इस सम्बन्ध में लिखकर दिया गया । मंत्री जी ने इसका लिखित जवाब भी दिया कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई । उनका स्थानान्तरण भी नहीं किया गया । वे 5 अभियन्ता अभी वहीं बैठे हुये हैं । तीन महीने पहले करकोली के बिजली के खम्भे टूट गये थे, वे अभी तक ठीक नहीं हुये हैं । इसलिये मान्यवर, ऋण लेने की सीमा बढ़ाने का घोर विरोध तथा विद्युत की दरें बढ़ाने का घोर विरोध करता हूं ।

श्री राज किशोर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने कर्जे का जो सिलसिला बताया है उसका अर्थ यह है कि विद्युत परिषद् कर्जे पर ही जिन्दा है और कहावत है—"ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत" । इस तरह से ऋण लेते-लेते उत्तर प्रदेश को कहां ले जायेंगे कि कहा नहीं जा सकता है । अभी विद्युत परिषद् में पूंजीनिवेश 43 सौ तीन करोड़ है, अप्रैल, 86 तक और जो नुकसान हो रहा है । वह लगभग 20 अरब है । तो इनको 50 फीसदी का

नुकसान हो रहा है । इन्होंने किसानों के पम्पसेटों की बिजली की दरें बढ़ा दी । पहले 10 रु0 था उसे 15 किया फिर साढ़े 22 किया और अब 30 हो गया है । इसी तरह से जो घरेलू उपयोग की बिजली है उसके दाम भी बढ़ा दिये । आप कर्जा लेते चले जा रहे हैं और लोगों को बिजली ठीक से नहीं दे पा रहे हैं न खेती के लिये और न ही घरेलू उपयोग के लिये और न ही उद्योगों के लिये तो फिर कर्जा क्यों ले रहे हैं ? हमारे सामने योजनाओं का सब्जबाग दिखाया जाता है कि 7वीं योजना में इतना उत्पादन होगा, इतना हम खर्च करेंगे आपने बिजली का उत्पादन आज तक नहीं बढ़ाया । ओबरा प्लांट आपने नष्ट कर दिया । वह किसने किया ? वह आप जानते हैं जो दूसरी इकाइयां लगी हैं, वह भी पर्याप्त उत्पादन नहीं कर रही हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री राज किशोर सिंह—

यह स्थिति हमारे प्रदेश की हो गयी है हमारे यहां प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है । आप यहां हाउस में कहेंगे कि हम किसानों को अधिक बिजली देंगे, 10 घंटे बिजली किसानों को देंगे लेकिन 4, 5 घन्टे बिजली मुश्किल से मिल पाती है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें ।

श्री राज किशोर सिंह—

माननीय उर्जा मंत्री—बनारस गये थे ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ । आप बैठें माननीय विकल जी बोलें ।

श्री राज किशोर सिंह—

यह जो प्रस्ताव लाये हैं 15 सौ करोड़ तक ऋण लेने का, इसका मैं विरोध करता हूं ।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो दुर्दशा विद्युत परिषद् की की गयी है और जो दरें विद्युत की बढ़ाई गयी हैं उससे जनता में घोर असन्तोष है । मान्यवर, 135 करोड़ रुपयों का बोझ जनता के ऊपर डाला गया है, साल के शुरू में । 75 करोड़ का बोझ अब बिजली की दरें बढ़ाकर जनता पर डाला गया और अब पुनः उसे बढ़ाना चाहते हैं । हमारे माननीय उर्जा मंत्री जी 3 अगस्त को आगरा गये थे तो वहां के लोगों ने बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी के विरोध में प्रदर्शन किया और काले झंडे दिखाये । हमारे उर्जा मंत्री जी ने बड़ी शालीनता से टिप्पणी की कि हमारी हालत उन लड़की वालों की तरह है जो बारातियों की खातिर में अपनी जी-जान लगा देते हैं और कुछ लोग उसमें नुक्स निकालते हैं । तो मैं उसमें सुधार करना चाहता हूं । उस टिप्पणी को ठीक करना चाहता हूं कि यह ऐसी लड़की वाले हैं जो बारातियों की खातिर की आड़ में जिनकी निगाह बारातियों की जेब पर लगी रहती है कि कब मौका मिले और डाका डालें और जेब पर हाथ साफ करें । तो हमारे इस विभाग में चोरी और भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है । गत वर्ष बिजली पर बोलते हुये मैंने एक शेर कहा था आज मैं शेर तो नहीं कहूंगा लेकिन माननीय मंत्री जी को एक पहेली सुनाना चाहता हूं उससे वह समझ जायेंगे कि उनकी बिजली के बारे में लोगों ने क्या कल्पना की है । एक जगह एक आदमी ने बच्चों के झुंड में कहा कि बच्चों एक पहेली सुनाता हूं उसका उत्तर बताओ । उसने

पहेली पूछते हुए कहा कि जो कभी-कभी आती है, और फिर बिना कहे चली जाती है, फिर भी दाम पूरे ले जाती है तो बताओ वह कौन चीज है ? बच्चों ने कहा वह बिजली है "बिजली है" । तो आज लोग बिजली को इस रूप में देखने लगे हैं तो जो कभी-कभी आती है और पूरे पैसे वसूल कर ले जाती है जो आपके लिये बिजली है लेकिन जनता के लिये बेजली है । और यह जो 1500 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है ऋण का, उस संबंध में अभी जैसा श्री राज किशोर जी ने कहा, मैं उस अधूरी बात को पूरा करना चाहता हूं । इनकी स्थिति आज ऐसी है कि हमारे देश में एक चारवाक नाम के महर्षि हुये थे जिनका कहना था कि "खाओ, पिओ और मौज करो" । वह कहते थे "यावत् जीवत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत" । यानि जब तक जिओ सुख से जिओ और घी पिओ चाहे उसके लिये कर्जा ही लेना पड़े । आप उनसे प्रेरणा ले रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में आचार्य चाणक्य भी हुए जिनका सिद्धान्त था कि राज्य का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए । इसलिये वह रात के अंधेरे में दीपक जलाकर जब राज्य का काम करते थे और कोई उस बीच निजी मुलाकाती आता था, तो वह दीपक बुझा देते थे और कहते थे कि निजी बातों में राज्य का पैसा खर्च नहीं होना चाहिए । इसलिये आप इनसे प्रेरणा लें और जो कर्जा मांगा जा रहा है उसका मैं विरोध करता हूं । इसके साथ ही जो बिजली की दरें बढ़ाई गयी है उससे जनता में काफी असन्तोष व्याप्त है जिसको देखते हुए बढ़ी दरों को वापस लेने की मैं मांग करता हूं ।

*श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, 'वर्दी सन आफ दि वर्दी फादर' अर्थात् योग्य पिता के योग्य पुत्र । मंत्री जी जापान में विज्ञान कांग्रेस में शामिल होने गये थे । लेकिन फिर भी उनको समझदारी विद्युत विभाग को चलाने की नहीं आयी । आज वह विद्युत परिषद् के लिये 1500 करोड़ रुपये का ऋण लेने का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं । दूसरी तरफ वह 15 रुपये प्रति हार्स को बढ़ाकर 22 रुपये किया और अब 22 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया है । बिजली मिलती नहीं है । ऐसी स्थिति में जनता डिबरी के युग में आ गयी है । गांवों और शहरों को बिजली दी जायेगी तो समाजवाद आ जायेगा । मान्यवर, ओबरा को देखा जाता है तो वह कोबरा बन गया है । विद्युत परिषद् आज चेकोस्लावाकिया से ट्रान्सफारमर मंगा रहा है और स्वयं नहीं बना रहा है । सातवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे ही अरबों रुपया ले रहे हैं फिर भी इनको जरूरत पड़ रही है ऋण लेने की । इसका कारण है कि आज बिजली विभाग ने इंजीनियरों के सामने घुटने टेक दिये है और इसीलिये उनको 1969 से एरियर देने जा रहे हैं । कोई भी सरकार एक या दो साल पहले का एरियर दे देती है लेकिन यह 1969 से 1986 तक एरियर दे रहे हैं और उसके लिये बिजली की दरें बढ़ा रहे हैं । किसान जब थ्रेशर चलाना चाहता है और जब उसे पानी की जरूरत होती है तो दो घन्टे भी बिजली नहीं मिल पाती है । बिना किसान को सूचना दिये बिजली गायब हो जाती है । इससे प्रदेश के किसान में काफी असंतोष व्याप्त है । इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि योग्य पिता के योग्य पुत्र बनने के लिये वह किसानों पर बिजली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की दरें नहीं बढ़ायेंगे वरना उत्तर प्रदेश में उनका जाना हर जगह मुश्किल हो जायेगा ।

श्री भोपाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, लगातार बिजली के रेट बढ़ते जा रहे हैं और किसान को बिजली नहीं मिलती है । विद्युत परिषद में जब-जब इंजीनियरों और कर्मचारियों की हड़ताल हो तो तब किसानों को बिजली के रेट बढ़ाकर तबाह किया जाता है और बिजली के रेट बढ़ा दिये जाते हैं । यह कभी नहीं देखा गया कि बिजली की चोरी के कारण बिजली विभाग में घाटा होता है । मैं इस सम्बन्ध में, समय कम है, एक उदाहरण देना चाहता हूं कि वर्ष 1984 में इनके 5 एम0 बी0 ए0 ट्रान्सफारमर की मजदूरी हमारे जिला मेरठ में ट्रक से उतारने की 200 से 250 रुपये दी जाती थी और 1985 में उसकी मजदूरी बढ़ाकर 800 रुपये, श्री बी0 एल0 शर्मा, अधिशासी अभियन्ता ने दिया । वर्ष 1986 में इसी ट्रान्सफारमर की मजदूरी ट्रक से उतारने की श्री जैन, इंजीनियर, ने 4,800 रुपये दिया । मेरठ जिले में विनौली, तितरोदा, कान्हर, निरपुरा, टीकरी, बिजरौल, कोरठल-छपरोली, सुरूरपुर में श्री डी0 पी0 जैन, उप खंड अधिकारी विद्युत वितरण खंड बड़ौत ने 4,800 रुपये प्रति ट्रान्सफारमर ट्रक से उतारने का रेट दिया । श्री ब्रह्म दत्त जब ऊर्जा मंत्री थे तो उनके समय में विद्युत उप स्थान मखियाली जिला मुजफ्फरनगर में अग्रवाल पेपर मिल का मीटर इंजीनियर प्रति माह पीछे करते थे और मीटर के साथ बिजली घर पर लगा मीटर भी पीछे किया जाता था क्योंकि मिल का डाइरेक्ट फीडर है किन्तु 1985 जनवरी में बिजली घर का मीटर पीछे हटाना भूल गये और चेक कर लिया गया तो 75 प्रतिशत घाटा हुआ । बिजली घर के कर्मचारियों ने शिकायत किया तो 10 करोड़ रुपये का घाटा निकाला गया किन्तु आज तक उस इंजीनियर के खिलाफ कुछ नहीं हुआ । तो 10 करोड़ रुपये का घाटा होते हुए भी वह इंजीनियर अब भी वहां बना हुआ है, उन्हें सस्पेन्ड नहीं किया गया है । सिर्फ यह बिजली की चोरी की वजह से घाटा है । किसान तो सिर्फ घर की बिजली 12 रुपया माह देता है, इस प्रकार अगर 100 किसान चोरी करेंगे तो 12 सौ रुपये की चोरी करेंगे । इंजीनियर 10 हजार का एस्टीमेट बनाता है और जब किसान उसके पास पहुंचता है यह कहते हैं कि यह बहुत ज्यादा है तो कहते हैं कि कम कर देंगे और धन लेकर 2 हजार का कर देते हैं । इस प्रकार इंजीनियर हजारों रुपया खा जाते हैं । इसलिए अफसर और इंजीनियर लोग बिजली विभाग को खा रहे हैं । इसलिए मंत्री जी इस पर ध्यान दें और इसकी जांच करायें ।

*डाक्टर दिनेश जौहरी—

हमारे बरेली जनपद नगर में गत दो माह से बिजली की अव्यवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, जिससे जनजीवन त्रस्त है । मैं समझता हूं कि सूखे के लिए बिजली देना आवश्यक है, लेकिन फिर भी उसके लिए एक समय निश्चित कर दिया जाए कि इस समय में दो-तीन घन्टे के लिए बिजली कटेगी । तो उस हिसाब से नागरिक अपने को एडजस्ट कर लेंगे, अपनी आवश्यकताओं को समझ लेंगे । लेकिन इस अनिश्चितता और असमय कं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्थिति से वहां के नागरिक बहुत परेशान हो रहे हैं । उसके चलते वहां का कारोबार अस्त-व्यस्त है । क्लीनिक डाक्टरों की अस्त-व्यस्त पड़ी है और सारे रोजगार अस्त-व्यस्त हो जाते हैं । वहां आज बराबर अनिश्चितता बनी रहती है और कभी-कभी पूरे दिन और रात-रात भर बिजली गायब रहती है । ऐसे समय में आप कैसे बिजली की दर बढ़ाने की बात करते हैं, यह समझ में आने वाली बात नहीं है । आप सोचें कि यह कहां तक न्यायसंगत है । बिजली दे नहीं रहे हैं और पैसा अलग से बढ़ा रहे हैं । साथ ही आप उसके उधार के लिए भी सीमा बढ़वाना चाहते हैं । मैं इन दोनों ही बातों का विरोध करता हूं और गुप्त जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि विद्युत की दरें जो बढ़ाई गई हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि पिछली दरें जो 82 में बढ़ाई गई थीं; उसके पश्चात के चार वर्षों में, जो सामान तापीय विद्युत उत्पादन गृह में लगाये जाते हैं, उसमें लगने वाले कोयले तेल, इस्पात, सीमेण्ट आदि हर चीज की कीमतें बढ़ी हैं । हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हम समय के अंदर अपनी परियोजनाओं को लाएं, उनको पूरा करें, जिससे कि हम अपनी अधिस्थापित क्षमता 4295 मेगावाट को बढ़ा सकें तथा जो हमारा लक्ष्य सातवीं पंचवर्षीय योजना का है वह 1562 मेगावाट का है, उसको हम प्राप्त कर सकें ।

जैसा कि हमारे राज्य मंत्री जी ने ऋण की बात कही है कि एक हजार से दर पन्द्रह सौ करोड़ रुपये की ऋण सीमा करने के सम्बन्ध में उन्होंने संकल्प प्रस्तुत किया है, उसके पीछे भी यही उद्देश्य है कि हम अपने साधनों को अधिक से अधिक बढ़ा सकें, जिससे कि जो काम हमारे हाथों में हैं, उन्हें हम अपने लक्ष्यों के अनुसार प्राप्त कर सकें ।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि अगर आप अक्टूबर, 82 में, जब हमने विद्युत दरों की वृद्धि की है, उससे लेकर आप जनवरी, 86 तक के समय को देखें, तो कोयला के मूल्य में 28.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लोहे व इस्पात के मूल्य में 38.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । हमारे जो मिनरल आयल हैं, उसमें 17.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, सीमेण्ट में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई । हमारे मशीनरी और षड़यंत्र के मूल्यों में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई और फरनेश आयल में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई । तो यदि आप यह देखें तो सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने विद्युत दरों के पुनरीक्षण पर विचार किया है । यहां पर मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार का जो निर्देश था, जो हमारा थ्रू रेट है अगर आइडियल कंडीशन पूरी रखें जिसमें 17 परसेंट ट्रांसमिशन लासेज हों और लगभग 50 परसेंट से अधिक हमारा प्लांट लोड फैक्टर हो तो उनका थ्रू रेट जिस पर वह चाहते थे कि हम अपनी दरों को निर्धारित करें तो वह 76 पैसे प्रति यूनिट आता है । जैसा अभी हमारे गुप्ता जी ने कहा कि दरें पुनरीक्षित करने का कारण यह है कि वेतन वृद्धि हुयी है तो दर बढ़ाने का इससे सीधा सम्बन्ध नहीं है लेकिन यह भी उसका एक अंग है । वेतन जो बढ़ाया गया है वह भी एक पार्ट है लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसका सीधा सम्बन्ध इससे नहीं है । विद्युत दरों को पुनरीक्षित करने का प्रश्न कई महीनों से शासन के विचाराधीन था ।

मैं बताना चाहता हूं कि टैरिफ रेशनलाइजेशन कमेटी ने जो दरें निर्धारित की थीं उन दरों को देखते हुये, जो हमारे कृषि के क्षेत्र में उपभोक्ता हैं, घरेलू बिजली के उपभोक्ता हैं, जो छोटे और कामर्शियल उपभोक्ता हैं उन सबको देखते हुए, जो वृद्धि की है उसके बावजूद भी अभी 113 करोड़ रुपये की कमी होगी । 113 करोड़ रुपये की वृद्धि जो कर सकते थे वह नहीं किया है । कारण यह है कि हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारे उपभोक्ता हैं जिनको आज बिजली की आवश्यकता है उनके ऊपर अधिक भार पड़े । आज जो किसान को बिजली दी जाती है उसकी कास्ट 82 पैसे प्रति यूनिट आती है लेकिन जो वृद्धि की है उसके मुताबिक किसान से 32 पैसे प्रति यूनिट लेने जा रहे हैं तो अब भी 50 पैसे प्रति यूनिट का अंतर है । विद्युत परिषद् इसको नहीं ले रही है । तो यह बहुत बड़ी राहत किसान को दी है । लेकिन फिर भी जैसा हमारे माननीय सदस्यों ने कहा है कि कैसे हम इसको सुनिश्चित करें कि विद्युत आपूर्ति सही प्रकार से हो उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं । जैसा अभी शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा, उन्होंने प्लांट लोड फैक्टर का जिक्र किया तो मैं बताना चाहता हूं कि 1985-86 में 33.5 प्रतिशत हमारा प्लांट लोड फैक्टर रहा है । यह पूरे वर्ष का है । दिसम्बर, जनवरी में इसको बढ़ाया भी है और 45-46 प्रतिशत तक भी पहुंचे हैं । लेकिन तापीय विद्युत गृह जो हैं उनका पूरे वर्ष का प्लांट लोड फैक्टर 33.5 प्रतिशत रहा है । इस वर्ष हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इसको और बढ़ायें । हमने अप्रैल के महीने में इसको 48.7 प्रतिशत तक किया है । फिर मई में 45.2 प्रतिशत किया है और इसी प्रकार से जून में बढ़ाया है । जो हमारी प्रोग्रेस है अगर देखें तो वह 37-38 प्रतिशत रही है । जुलाई, अगस्त, सितम्बर यह जो तीन महीने हैं, इसमें हम तापीय विद्युत गृहों की मशीनों का रख-रखाव करते हैं । इस दौरान जल विद्युत का अधिक उत्पादन हो सकता है, हमारी नदियों में अधिक पानी होता है, जलाशय भरे होते हैं, इसलिए इन महीनों में अधिक जल विद्युत का उत्पादन करते हैं और तापीय विद्युत की मशीनों के रख-रखाव का काम करते हैं ।

(इस समय 6 बजकर 35 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्रीमन्, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे नये प्रोजेक्ट्स इस देश में लगाये गये हैं, उनका जो प्लांट लोड फैक्टर है, उनकी नई मशीनों के कारण, उनके रख-रखाव के कारण उनका उत्पादन बहुत अधिक है । परीक्षा में तो 60 परसेन्ट उत्पादन रहा है और ओबरा में जो हमारी 20 साल पुरानी मशीनें हैं, इन पुरानी मशीनों के लिए जितना घंटा निर्धारित था, उससे कहीं अधिक घण्टों हमने काम लिया । तापीय विद्युत गृहों में जो 6-6 महीने तक लग जाते थे, यह समय एक रफ्तार से बढ़ा है, मांग को देखते हुए हमारे तापीय विद्युत गृहों के निर्माण के काम में थोड़ी सी देरी हुई, जिसके कारण हम उतना उत्पादन नहीं कर पाये, जितनी कि विद्युत की मांग थी । समय जैसे-जैसे बीतता गया, मशीनें और पुरानी होती गयीं, तो आज उन पर बहुत बड़े पैमाने पर रख-रखाव के लिए काम किया जा रहा है । 147 करोड़ रुपया केवल रख-रखाव के लिए आवंटित किया गया है । सान्यवर, यह सम्भव नहीं है कि हम एक-दो महीने में अपनी 27 इकाइयों में काम पूरा कर लें ।

इन सब मशीनों की मरम्मत के लिए हमने तीन साल निर्धारित किया है। आगे आने वाले समयों में इन मशीनों का नवीनीकरण करके इनका प्लांट लोड फैक्टर हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें । इस वर्ष का जो लक्ष्य है, उसको हमने इस तरह से तैयार किया है । जो हमारा प्लांट लोड फैक्टर 37 प्रतिशत था, उसको हम कैसे 50 प्रतिशत कर सके, इसके लिए हमने प्रयास किया है । अगर हम 45 से 50 प्रतिशत तक पहुंचते हैं, पूरे वर्ष के लिए, तो हमारी यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी । हमारा यह भी प्रयास है कि हम अधिक से अधिक मशीनें अक्टूबर तक उपलब्ध करा लें, ताकि हम तापीय विद्युत् मशीनों से अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें । जहां तक हमारे बरेली के सदस्य ने कहा, इस समय सूखा पड़ जाने के कारण बिजली की मांग बढ़ गयी । 15 मिलियन यूनिट ग्रामीण क्षेत्रों में थी, इस समय 21 मिलियन यूनिट हो गयी है । इस तरह से 6 अतिरिक्त मिलियन यूनिट बढ़ानी पड़ी है । हम चाहते हैं कि जो बिजली हमारे पास बचे, उसको हम किसानों तक पहुंचायें । लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि यदि यह जरूरी समझा गया, तो कुछ दिनों के लिये उद्योगों पर कटौती करके किसानों को जिससे हम राहत दे सकें, तो इस तरह से हम इस पर विचार कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही हम इस पर निर्णय ले लेंगे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

सरकार का तो एग्रीमेण्ट है । हमारा एग्रीमेन्ट नहीं है । मेरे गांव के बराबर नैपाल को बराबर बिजली जाती है और हम लोगों को बिजली नहीं मिलती है ।

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, खास तौर से हमने माननीय सदस्यों के क्षेत्र में विशेष तौर से बिजली की व्यवस्था किया है । लेकिन कभी-कभी वहां पर भी कटौती करनी पड़ती है । दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण काम जो हमने उठाया है, वह यह है कि हम अपनी वितरण व्यवस्था को भी मजबूत कर रहे हैं । जैसा कि हमारे बरेली के माननीय सदस्य ने तथा और सदस्यों ने इस बात को कहा, वाराणसी के सदस्य ने कहा कि शहरों में इतना पुराना सिस्टम था जब लाइसेंस की कम्पनियां थीं वह बिजली का उत्पादन करती थीं, वही लाइनें बिछी हुई हैं । जहां पर 15 मेगावाट और 20 मेगावाट के पावर हाउस होते थे तब बनारस पूरी आपूर्ति कर लेता था । अब बनारस की मांग 90 मेगावाट से 100 मेगावाट के बीच है । जबकि पहले बनारस की मांग 20 मेगावाट थी, और जो विद्युत के जाल बिछे हैं वह पुराने ही बिछे हुए हैं तो इसमें भी हम सुधार ला रहे हैं । इसमें हमें अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है इसी को ध्यान में रखते हुए विद्युत् की दरों को बढ़ाया गया है । यह सिर्फ उपभोक्ताओं की भावनाओं को देखते हुए और वितरण व्यवस्था में सुधार करने के लिए किया गया है जो अतिरिक्त साधन से अतिरिक्त धनराशि हमें उपलब्ध होगी उससे हम वितरण व्यवस्था को मजबूत कर सकेंगे ।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, सूखे पर चर्चा हुई । माननीय विद्युत् मंत्री जी मौजूद हैं उन्होंने बहुत से आंकड़ों को बताया । मान्यवर, सूखे की स्थिति में किसान को आज बिजली की बहुत आवश्यकता है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह कितने घण्टे ट्यूबवेल चलाने के लिए किसानों को बिजली देने का काम करेंगे । यह बात निश्चित रूप से सदन जानना चाहता है किसान जानना चाहता है कि "जितनी बिजली, उतना दाम" आप सिद्धान्त को मानते हैं । लेकिन मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आप किसानों को ट्यूबवेल के लिए कितने घण्टे बिजली देने का काम करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

गुप्ता जी, आप भी पूछ लीजिए, फिर सबका जवाब मंत्री जी इकट्ठा दे देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मुझसे पहले राज किशोर जी बोले थे उन्होंने आचार्य चार्वाक का उदाहरण देते हुए कहा था बिजली बोर्ड की स्थिति ऐसी हो गई है जैसा आचार्य चार्वाक ने कहा है—"ऋण कृत्वा घृतं पिवेत" यह चारवाक की बात मान लेते तो कोई आपत्ति न होती । मैं इस श्लोक को कहता तो संशोधन के साथ कहता "ऋणं कृत्वा सुरा पिवेत" यह सुरा के लिए धन ले रहे हैं । मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण बहुत गौर से सुना । इन्होंने जो क्षमता है उसको बढ़ाने का प्रयास किया है ऐसा कहा । इनका जितना उत्पादन हो रहा है उसको बढ़ाने की बात कही, जिसको उपभोक्ता जानना चाहता है वह बात नहीं कही, उसका उल्लेख नहीं किया गया । कितनी बिजली उपभोक्ता को मिल रही है उसको बढ़ाने का भी कोई लक्ष्य हो, ऐसा मैंने आपके भाषण में नहीं सुना । माननीय मंत्री जी ने कहा सुधार करायेंगे । जो ऐक्ट 1948 है जिसका मैंने हवाला दिया था उसके अतिरिक्त आपको टैरिफ बढ़ाने का अधिकार नहीं है जबयह शर्तें आपने पूरी की है कि हम यह करेंगे यह बढ़ायेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे जब तक यह आप नहीं कर लेते हैं । जिस ऐक्ट के अधीन आप गवर्न हो रहे हैं उसके अधीन टैरिफ बढ़ाने का अधिकार नहीं है । यह असंसदीय है, अवैधानिक है और नियमों के विरुद्ध है । मैं पूछता हूं कि पैसा आपका जाता कहां है ? मान्यवर, मैं सीतापुर जिले से निर्वाचित होकर आता हूं । सीतापुर में इस बार आपने जो भी टारगेट रखा है उसके हिसाब से आप असन्तुलन पैदा कर रहे हैं और पैसे का असंतुलित खर्च कर रहे हैं । रायबरेली जिले में जहां पर शत प्रतिशत गांवों में बिजली है वहां 272 गांवों का इलेक्ट्रीफिकेशन का लक्ष्य रखा है और सीतापुर में 75 का 55 कर दिया और 55 के अगेंस्ट एक पैसा भी विद्युतीकरण के लिए नहीं भेजा । अगर कोई उपभोक्ता चाहे वह नलकूप का हो या इण्डस्ट्री का हो, आज अगर अपना कनेक्शन कटवाना चाहे तो वह बेचारा अपना कनेक्शन डिसकनेक्ट भी नहीं करवा सकता है । मैंने भाषण दे दिया, माननीय मंत्री जी ने भाषण दे दिया लेकिन सभी माननीय सदस्यों की एक आकांक्षा रही है और वह यह है कि आप कम से कम किसानों के लिए सिंचाई के नाम पर जो आपने साढ़े बाइस रुपये का तीस रुपया किया है, वह वापस ले लें, वरना हमारी मांग है कि आप मीटर लगा दें । आपने सदन में स्वीकार किया जितनी बिजली मिलेगी उतने दाम लेंगे, मैं जानना चाहता हूं कि आज जो एक आपात स्थिति पैदा हो गयी है, आज सूखे के कारण जो विशेष परिस्थिति पैदा हो गई है ऐसे में बिजली आप कहां से काटें लेकिन इतनी बात अवश्य है कि आप बिजली काटें शहर की या कहीं की लेकिन यह तय कर दें कि कितना बिजली देंगे, गांवों को बिजली सुनिश्चित करें और आज सदन में घोषणा करें कि आवश्यकता पर इतने घण्टे बिजली जरूर देंगे । दूसरा जो सिंचाई के नाम पर टैरिफ बढ़ाया गया है उसको वापस लेंगे और जितनी बिजली उतने दाम के तहत मीटर लगवायेंगे । अगर आप घोषणा नहीं करेंगे तो काश्तकार आन्दोलित है, शहरी नागरिक आन्दोलित है, आप इस कुर्सी पर बैठे नहीं रह जायेंगे इसलिए आप इन दोनों बातों पर यथोचित घोषणा करें ।

श्री सुनील शास्त्री—

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि इस समय मैंने 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की है किसानों के लिए लेकिन अगर आवश्यकता होगी जैसा माननीय सदस्य ने कहा है सूखे पर चर्चा हो रही है, आज भी चर्चा हुई है कल भी होगी । मान्यवर, सब की भावनाओं का आदर करते हुए अगर आवश्यकता हुई तो मैं 12 घंटे और 15 घंटे तक बिजली दे दूंगा । उद्योगों पर कटौती करके हम बिजली देंगे ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, टैरिफ जो सिंचाई का बढ़ाया गया है उसको कम करने की बात को गयी थी उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया है इसलिए मैं शासन की नीति के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करता हूं और अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूं ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, यह मीटर लगाना नहीं चाहते हैं और टैरिफ घटाना नहीं चाहते हैं इसलिये इसके विरोध में मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूं ।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, विद्युत के दामों में जो वृद्धि की गयी है यह जन विरोधी कदम है इससे आम लोगों में किसानों में हाहाकार मचा हुआ है । विद्युत की आपूर्ति बढ़ाने की बात है तो मंत्री जी कहते हैं कि यदि आवश्यकता होगी तो इस पर विचार कर लेंगे अभी सारे दिन सदन में सूखे पर चर्चा हुई और सभी माननीय सदस्यों ने विद्युत की कमी बताई । मान्यवर, विद्युत के दामों में जो बढ़ोत्तरी की गई है सरकार उस बढ़ोत्तरी पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं है इसलिए हम सरकार को जनविरोधी एवं किसान विरोधी नीति के विरोध स्वरूप सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, यह सरकार न तो बढ़े हुए टैरिफ रेट को वापस लेने को तैयार है और न बिजली देने के लिए तैयार है । मान्यवर, इस वक्त बिजली की आवश्यकता है लेकिन अभी भी 14-15 घण्टे यह बिजली देने को तैयार नहीं है इसलिये यह किसान विरोधी सरकार है मैं जनता पार्टी की तरफ से इसका बहिष्कार करता हूं ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, मैं भी इसी भावना के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

श्री राज किशोर सिंह—

चूंकि यह सरकार किसान विरोधी है इसलिये हमारी पार्टी इसका विरोध करती है और सदन का त्याग करती है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "चूंकि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 (एक्ट संख्या 54, 1948) की धारा 65 की उपधारा (3) के उपबंध के अनुसार राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के अनुमोदन से जो सभा द्वारा 22 फरवरी, 1983 को पारित एक संकल्प द्वारा प्रदान किया गया था, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा केवल 1,000 करोड़ मात्र (एक हजार करोड़ रुपये मात्र) निर्धारित की गई थी,

और चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने उक्त एक्ट की धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन 31-3-85 तक 819.68 करोड़ (आठ सौ उन्नीस करोड़ अड़सठ लाख रुपये) का ऋण

लिया है और आगे वर्ष 1989-90 तक स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराने के लिए उसे और अधिक ऋण लेने की आवश्यकता होगी और इस कारण यह आवश्यक समझा गया है कि उक्त धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपये (एक हजार पांच सौ करोड़ रुपये मात्र) निर्धारित की जाय जिससे परिषद् अपने आयोजनागत कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए, जिसके लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है, अपने साधन में वृद्धि कर सके,

अतएव, अब विधान सभा, एतद्द्वारा उक्त धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा तात्कालिक प्रभाव से 1000 करोड़ रुपए (दस सौ करोड़ मात्र) से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपये (एक हजार पांच सौ करोड़ रुपये मात्र) निर्धारित करती है ।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष--

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18.9.1986 की बैठक में विचारोपरान्त यह सिफारिश की है कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के संगत प्रावधानों को निलम्बित करते हुए सदन के 19-9-1986 के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :--

1. प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति पर अग्रतर चर्चा ।
2. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986 का पुरस्थापन, विचार एवं उसका पारण ।
3. नियम समिति (1986-87) के प्रथम प्रतिवेदन की कतिपय संस्तुतियों को स्वीकार करने के संबंध में प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना ।
4. लंबित वक्तव्य और चर्चायें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिस से, जिसकी सूचना आज श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

प्रश्नोत्तर के बाद अपरान्ह 5 बजे तक ।

अपरान्ह 5 बजे के उपरान्त ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल 11-00 बजे बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
18 सितम्बर, 1986 ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर ।)

जनपद गाजीपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 1984-85 व वर्ष 1985-86 में वितरण हेतु उपलब्ध करायी गयी दवाओं के मूल्य का विवरण :—

क्रम संख्या	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	वर्ष 1984-85 में वितरित कराई गई दवाओं के मूल्य का विवरण	वर्ष 1985-86 में वितरित कराई गई दवाओं के मूल्य का विवरण
		रु0	रु0
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुभाखरपुर	59,659.00	56,372.96
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कासिमाबाद	64,871.69	65,570.20
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मरदह	55,284.32	50,360.28
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुहम्दाबाद	1,21,466.78	1,10,546.96
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वाराचवर	55,934.09	60,362.20
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिर्जापुर	86,034.27	80,556.40
7	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जखनियां	67,826.86	60,372.15
8	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैदपुर	75,992.36	76,315.13
9	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवकली	49,642.17	55,570.07
10	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करण्डा	56,494.22	60,311.15
11	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमानियां	69,815.38	72,506.92
12	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भदोरा	35,544.10	56,411.63
13	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेवतीपुर	71,257.93	76,365.92
14	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विरनों	47,194.75	59,671.72
15	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनिहारी	62,434.46	63,506.18
16	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोडउर	76,691.39	70,463.12

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 39 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर) ।

दिनांक 13-2-1986

सेवा में,

श्रीमान् सचिव,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

महोदय,

निवेदन है कि :

1 श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव ए0 एन0 एम0 के पद पर मातृ एवं शिशु कल्याण उपकेन्द्र बनवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाटाबरौली, जिला बाराबंकी में एक वर्ष से अधिक से नियुक्त है ।

2—श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव, अन्ट्रेन्ड अयोग्य कामचोर और ड्यूटी से शिथिलता बरतने वाली कर्मचारी है ।

3—नियुक्ति के समय से माह दिसम्बर, 1985 तक वे एक बार भी काम पर नहीं आयी । आपके माध्यम से शिकायत होने की जानकारी पर माह जनवरी, 1986 में केवल दो बार काम पर आयीं ।

4—दिसम्बर, 1985 तक एक दिन भी कार्य किये बिना इनका तथा इनकी दाई का वेतन अनुपस्थित रहते हुए गलत तरीके से निकाला गया ।

5—क्लीनिक चलाने हेतु शासन द्वारा प्रदान की गयी हजारों रुपये की दवा फर्नीचर व कपड़े व्यक्तिगत इस्तेमाल में लाये गये ।

6—क्लीनिक का कमरा कभी खुला नहीं फिर किराया कैसे दिया गया ?

7—ग्राम में पोलियो एवं संक्रामक रोगों की रोक-थाम तथा गर्भवती महिलाओं की देख-भाल का कोई प्रबन्ध नहीं है ।

8—वर्ष 1985 के अन्त में हैजे से मौतें हुई किन्तु कोई नहीं आया ।

9—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक ने भी इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया और वह भी श्रीमती सुशीला को सपोर्ट करते है ।

10—चूंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाटा-बरौली के वरिष्ठ लिपिक श्री आर0 के0 श्रीवास्तव हैं और श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव इनकी पत्नी हैं ।

11—ग्रामीणों द्वारा शिकायतों के बावजूद वह अपनी अन्ट्रेन्ड अयोग्य तथा ड्यूटी से शिथिलता बरतने वाली पत्नी को ग्रामीणों पर थोपे हुए हैं जिसमें प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी तथा दूसरे उच्च चिकित्सा अधिकारी भी शामिल हैं ।

अतः निवेदन है कि जनहित में :—

1—उपरोक्त श्री आर0 के0 श्रीवास्तव तथा श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव का तबादला तुरन्त जनपद से बाहर किया जाय ।

2—उपरोक्त ए0 एन0 एम0 का क्ली-निक का तथा समस्त रिकार्ड की गुप्त जांच कराई जाय ।

3—यह जांच जिला अधिकारी महोदय स्तर से कराई जाय ।

सत्य प्रतिलिपि । भवदीय,

(ह0) ग्राम प्रधान
(ह0) उप ग्राम प्रधान
ग्राम सभा बनवा पो0 सोमइयानगर
जिला बाराबंकी, (उ0 प्र0) ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 44 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर) ।

संख्या 3537/16-11-85-6-(27)-85

प्रेषक,

श्री श्याम सूरी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त मण्डलीय अतिरिक्त/
संयुक्त निदेशक, चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश ।
समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

चिकित्सा अनुभाग-11 लखनऊ : दिनांक 5 जुलाई, 1985 ।

विषय :—परिवार कल्याण कार्यक्रम- लक्ष्यों का निर्धारण

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या 1457/16-11-85-6-(27)-85, दिनांक 30 अप्रैल, 1985 का अवलोकन करें जिसमें विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम में मासिक व वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं । इन लक्ष्यों में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन व अतिरिक्त आदेश पारित किये जाते हैं :—

		पूर्व प्रसारित लक्ष्य	नये लक्ष्य
1	पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक	एक प्रतिमाह	दो प्रतिमाह
2	नगरीय क्षेत्रों में नियुक्त लेडी हेल्थ विजिटर मेल सोशल वर्कर लेडी सोशल वर्कर ए० एन० एम०	तीन प्रतिमाह	5 प्रतिमाह
3	समस्त चिकित्सालयों में स्टाफ नर्स, सिस्टर, फार्मासिस्ट	शून्य	एक प्रतिमाह
4	चिकित्सालय में नियुक्त वार्डब्वाय, सफाई कर्मचारी	शून्य	छः प्रतिवर्ष

उपरोक्त लक्ष्य नसबन्दी से सम्बन्धित हैं । इसके अतिरिक्त लूप निवेशन के भी निम्नलिखित अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :—

नगरीय परिवार कल्याण केन्द्रों में तथा प्रसवोत्तर केन्द्रों में नियुक्त लेडी विजिटर, मेल सोशल वर्कर, महिला सोशल वर्कर तथा ए0 एन0 एम0 के लक्ष्य 8 प्रतिमाह रखे जाते हैं । महिला चिकित्सालय में नियुक्त स्टाफ नर्स, सिस्टर के लूप निवेशन के दो प्रतिमाह व इन्हीं चिकित्सालयों में नियुक्त वार्ड आया, सफाई कर्मचारी के एक प्रतिमाह के लक्ष्य रखे जाते हैं ।

उपरोक्त के आधार पर व पूर्व प्रसारित दिनांक 30-4-1985 के आदेशों के अनुसार समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य की समीक्षा की जाय व उनके द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम में किये गये कार्य का मूल्यांकन वार्षिक प्रविष्टि में अनिवार्य रूप से किया जाय ।

क्षेत्र में यह भी देखने में आया है कि चिकित्सालयों के अधीक्षक/अधीक्षिका व वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र, प्रसवोत्तर केन्द्र, आदि अपने चिकित्सालय/केन्द्र के लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए अपने स्तर पर समुचित प्रयास नहीं करते हैं । अतः पुनः यह आदेश दिए जा रहे हैं कि जिन चिकित्सालयों में नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र/प्रसवोत्तर केन्द्र कार्यरत हैं, उनके लक्ष्यों को पूर्ण करने का दायित्व चिकित्सालय के अधीक्षक/अधीक्षिका, प्रभारी अधिकारी का होगा एवं इस कार्य का मूल्यांकन वार्षिक प्रविष्टि में अनिवार्य रूप से किया जायगा । इसी प्रकार चिकित्सालयों में नियुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों के व्यक्तिगत लक्ष्यों की पूर्ति कराना भी उनके पर्यवेक्षक अधिकारी, जैसे मुख्य वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षिका का होगा एवं इन अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि चिकित्सालय के इन लक्ष्यों की पूर्ति के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा । अतः पर्यवेक्षक अधिकारी निरन्तर कार्य की समीक्षा करते रहें व शिथिल कर्मचारियों को समय-समय पर सचेत करते रहें जिससे प्रत्येक माह सुनिश्चित किया जाता रहे कि लक्ष्यों की पूर्ति हो रही है ।

भवदीय,
(ह0) श्याम सूरी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) स्वास्थ्य सेवा निदेशक, स्वास्थ्य भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

(2) अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

(3) निदेशक, परि0 क0, स्वास्थ्य भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

(ह0) श्याम सूरी
सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 87 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51 पर) ।

गोरखपुर मण्डल के अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग- 2 के निम्न (62) पात्र नियमित सदस्य जिनकी सेवा 10 वर्ष की हो चुकी है, को समयवद्ध वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है, की सूची :—

क्रमांक	सदस्य का नाम	क्रमांक	सदस्य का नाम
1	सर्वश्री बृज किशोर राय	32	सर्वश्री प्रह्लाद सिंह
2	,, बांके राय	33	,, बच्चा प्रसाद राय
3	,, गोरखनाथ गुप्ता	34	,, शिव प्रसाद सिंह
4	,, विजय शंकर दीक्षित	35	,, राम अभिलाष यादव
5	,, शंकर शुक्ला	36	,, गुलाब सिंह
6	,, गनपत लाल	37	,, अरुण प्रकाश श्रीवास्तव
7	,, लालजी प्रसाद वर्मा	38	,, दिनेश प्रसाद मिश्र
8	,, रमा शंकर मिण	39	,, मोती राम चौधरी
9	,, परमेश्वर प्रसाद	40	,, भृगुनाथ तिवारी
10	,, जयकीर्ति सिंह	41	,, दीना नाथ
11	,, चतुभुर्जी दुबे	42	,, मोहन राम गुप्त
12	,, सूर्य नरायन पाल	43	,, सिया राम तिवारी
13	,, शिवा कांत चौधरी	44	,, छक्कन पाण्डेय
14	,, चंचल राय	45	,, अनन्त स्वरूप सिंह
15	,, खड़ानन प्रसाद यादव	46	,, उद्याशंकर पाठक
16	,, मुन्नी लाल मौर्य	47	,, अच्छे लाल गुप्ता
17	,, वशिष्ठ नरायन सिंह	48	,, नन्द लाल पाण्डेय
18	,, बाबू राम चौधरी	49	,, हेम राज सिंह
19	,, दूध नाथ यादव	50	,, राम सेवक प्रसाद
20	,, उमा शंकर शुक्ला	51	,, राज मंगल यादव
21	,, कोदई राय	52	,, चन्द्र भान सिंह
22	,, बजरंगी उपाध्यय	53	,, राम मूरत जैसवाल
23	,, पारस नाथ पाण्डे	54	,, राम विलास सिंह
24	,, राम प्यारे राय	55	,, मुर्तजा हुसैन
25	,, राम छबीला शुक्ला	56	,, श्याम लाल राम
26	,, विद्यापति शुक्ला	57	,, कृष्ण मुरारी त्रिपाठी
27	,, बृज लाल यादव	58	,, दीप नरायन राय
28	,, बलराम गिरि	59	,, नौवत सिंह
29	,, परशुराम त्रिपाठी	60	,, शौकत अली
30	,, ज्ञान चन्द द्विवेदी	61	,, हरिहर प्रसाद पाण्डेय
31	,, सुदामा प्रसाद	62	,, तारा चन्द राम

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 172 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75 पर) ।

विषय :—रोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त ऋण धनराशि का दुरुपयोग किये गये ऋणियों के नाम पते सहित सूची ।

क्रमांक	नाम	पता
1	2	3
1	श्री स्वतंत्र कुमार शर्मा	पुत्र श्री के0 के0 शर्मा, बहादुरपुर देवकली, बलिया ।
2	,, वीरेन्द्र पाल	पुत्र श्री राम तपस्या सिंह, मिडढी, बलिया ।
3	श्रीमती वीणा सिंह	पत्नी श्री द्वारिका सिंह, वसन्तपुर बलिया ।
4	श्री सत्य नारायण सिंह	पुत्र श्री जयनाथ सिंह वालेश्वरघाट, बलिया ।
5	,, शिवानन्द सिंह	पुत्र श्री रामानन्द सिंह, घोडंहरा, बलिया ।
6	,, आनन्द कुमार	पुत्र श्री धुरली राम, रामपुर उदयभान, बलिया ।
7	,, राम नाथ पाठक	पुत्र श्री काशीनाथ पाठक, खानपुर डमरिया, बलिया ।
8	श्रीमती मिथिलेश पाठक	पत्नी श्री राम पाठक, मोहनछपरा, बलिया ।
9	श्री हरिहर प्रसाद यादव	पुत्र श्री राम देव यादव, घरहरा कम्हैला, बलिया ।
10	,, अनिल कुमार सिंह	पुत्र श्री बलराम सिंह, हरपुर, बलिया
11	,, शौकत अली अन्सारी	पुत्र श्री सहवान अली अन्सारी, शकरपुर, बलिया ।
12	,, बलदाऊ सिंह	पुत्र श्री बजरंगबली सिंह, आनन्दनगर, बलिया ।
13	,, अजित कुमार श्रीवास्तव	पुत्र श्री नागेन्द्र लाल, आनन्दनगर, बलिया ।
14	,, वीरेन्द्र कुमार राम	पुत्र श्री श्याम नारायण राय, हबैतपुर, बलिया ।
15	,, तारकेश्वर पाठक	पुत्र श्री परशुराम पाठक, पटखोली, बलिया ।
16	,, राकेश कुमार	पुत्र श्री कविलेश्वर नाथ, रुद्रवार, बलिया ।
17	,, शिव कुमार उपाध्याय	पुत्र श्री रमाशंकर उपाध्यक्ष, पटखोली, बलिया ।
18	,, दयानन्द तिवारी	पुत्र श्री महेन्द्र नाथ तिवारी, वैना फेफना, बलिया ।

1	2	3
19	श्री वरमेश्वर नाथ राय	पुत्र श्री राम शंकर राय, हासनगर, बलिया ।
20	,, जय प्रकाश	पुत्र श्री विश्वनाथ प्रसाद खारवार, टाउन हाल रोड, बलिया ।
21	,, नारद राय	पुत्र श्री योगेन्द्र नाथ राय, मुबारकपुर, खोरीपाकड, बलिया ।
22	,, राणा प्रताप सिंह	पुत्र श्री राम सकल सिंह, रतनपुरा, बलिया ।
23	,, छोटे लाल	पुत्र श्री राज नारायण, फिरोजपुर, बलिया ।
24	,, मोती लाल शर्मा	पुत्र श्री किशन शर्मा, चितवड़ा गांव, बलिया ।
25	,, महेश प्रसाद गुप्ता	पुत्र श्री जवाहर लाल गुप्ता, चितवड़ागांव, बलिया ।
26	,, तिलकान्त चक्रवर्ती	पुत्र स्व0 सच्चिदानन्द प्रसाद, चितवड़ा गांव बलिया ।
27	,, विकास शंकर गुप्ता	पुत्र श्री गौरीशंकर प्रसाद ब्रह्मस्थान, रसड़ा, बलिया ।
28	,, अभय कुमार श्रीवास्तव	पुत्र श्री राम चन्द्र श्रीवास्तव, डूहा बिहारा, बलिया ।
29	,, जवाहर प्रसाद	पुत्र श्री वासदेव राम फरसाटार, बलिया ।
30	,, पारस नाथ	पुत्र श्री शिव सरन प्रसाद, फरसाटार, बलिया ।
31	,, महातम यादव	पुत्र श्री सरदार मुबारकपुर, फरसाटार बलिया ।
32	,, हीरालाल गुप्ता	पुत्र श्री बद्रीनाथ बिल्थरा रोड, बलिया ।
33	,, इकबाल अहमद	पुत्र श्री भोला, इमलिया, बलिया ।
34	,, शचीन्द्रनाथ शर्मा	पुत्र श्री श्याम लाल, अतरौल, बलिया ।
35	श्रीमती कुलदीप कौर	पत्नी जसवन्त कौर, बिल्थरा रोड, बलिया ।
36	श्री रमाशंकर सिंह	पुत्र श्री जमुना सिंह, सुखपुरा, बलिया ।
37	,, मो0 नासिर	पुत्र श्री मुहम्मद हालिम, सुखपुरा, बलिया ।
38	,, हरिशंकर पाण्डेय	पुत्र श्री वाचस्पति पाण्डेय, सुखपुरा, बलिया ।

1	2	3
39	श्री बृजभूषण उपाध्याय	पुत्र श्री प्रभुनाथ उपाध्याय, सुखपुरा बलिया ।
40	,, विनय कुमार सिंह	पुत्र श्री सत्यदेव सिंह, सुखपुरा बलिया।
41	,, बालेश्वर सिंह	पुत्र श्री बसावज सिंह, सोनवरसा, खरहाटार, बलिया ।
42	,, भरत जी कुंवर	पुत्र श्री श्याम कुंवर, सिंगही, बलिया ।
43	,, अनूप कुमार	पुत्र श्री अवध बिहारी, सिकन्दरापुर, बलिया ।
44	,, उमेश चन्द्र	पुत्र श्री मुन्ना लाल वर्मा, मिल्की, बलिया ।
45	,, सफुद्दीन खां	पुत्र श्री दिल मुहम्मद सिद्दीकी, बलिया ।
46	श्रीमती आलम आरा	पत्नी निसार अहमद, सिकन्दरपुर, बलिया ।
47	श्री दीपक कुमार	पुत्र श्री बैजनाथ प्रसाद, ओक्डेनगंज, बलिया ।
48	,, राजेन्द्र प्रसाद	पुत्र श्री राम राज, जापलीनगंज, बलिया।
49	,, आनन्द कुमार	पुत्र श्री विष्णु प्रसाद, शास्त्रीनगर, बलिया ।
50	,, बृजेश कुमार सिंह	पुत्र श्री जयनारायण सिंह, शिवपुर दीमर बलिया ।
51	,, राजीव कुमार श्रीवास्तव	पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, रामपुर, बलिया ।
52	,, विजय कुमार	पुत्र श्री बलदेव प्रसाद मिश्रनेवरी, बलिया ।
53	,, राम इकबाल प्रसाद	पुत्र श्री बलदेव प्रसाद मिश्रनेवरी, बलिया ।
54	श्रीमती माला गुप्ता	पत्नी श्री ललित कुमार गुप्ता, ओक्डेनगंज, बलिया ।
55	श्री हरजीत सिंह	पुत्र श्री सर्वजीत सिंह, जौहर हल्दी कोठी, बलिया ।
56	,, दया शंकर गिरि	पुत्र श्री राम औतार गिरि, विजयकिरत सराय, बलिया ।

1	2	3
57	श्री अभियान जी पाण्डेय	पुत्र श्री कृष्ण पाण्डेय, मासुमपुर,
58	,, हृदय नरायण	पुत्र श्री हरिहर सिंह, पूर, बलिया ।
59	,, हर्षचरण शंकर सिन्हा	पुत्र श्री दुर्गा चरन सिन्हा, बालूपुर, बलिया ।
60	,, राजेन्द्र प्रसाद सिंह	पुत्र श्री स्व0 सहजानन्द सिंह, पूर, बलिया ।
61	,, राकेश चन्द्र प्रजापति	पुत्र श्री हरिनारायण प्रजापति, संवरा, बलिया ।
62	,, अब्दुल नईम खां	पुत्र श्री नईम उद्दीन खां, वहंरी, बलिया ।
63	,, छोटेलाल सिंह	पुत्र श्री राम जन्म सिंह, हजौली, बलिया ।
64	,, मु0 शमीम अख्तर	पुत्र श्री बद्रोजा, चितबड़ागांव, बलिया।
65	,, प्रभुनारायण राम	पुत्र श्री हरिहर राम प्रसाद, बलिया ।
66	,, परमात्मा राय	पुत्र श्री मुनेश्वर राय, मुबारकपुर, बलिया ।
67	,, अजित कुमार सिंह	पुत्र श्री राम प्रताप सिंह, बिहारी कटरा, बलिया ।
68	,, जय प्रकाश श्रीवास्तव	पुत्र श्री नर्वदेश्वर प्रसाद, भृगुआश्रम, लिया ।
69	,, मोहन सिंह	पुत्र श्री वृत विहारी सिंह, दवेकली, बलिया ।
70	,, घनश्याम मिश्र	पुत्र श्री रमा शंकर पाण्डेय, शिवपुर, बलिया ।
71	,, शेख सलामत साह	गुदरी बाजार, बलिया ।
72	,, रणजीत सिंह	पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, लाटघाट, बलिया ।
73	,, प्रेमशंकर सिंह	पुत्र राम पूजन सिंह, गायघाट, बलिया।
74	,, अजय कुमार अग्रवाल	पुत्र श्री उधव जी अग्रवाल द्वारा मेसर्स शू पैलेस, बलिया ।
75	,, बब्बन पाण्डेय	पुत्र श्री शिव कृपाल पाण्डेय, आनन्दनगर, बलिया ।

1	2	3
76	श्री गुलाब चन्द प्रसाद	पुत्र श्री राम चन्द प्रसाद, राजपूत नेवरी, बलिया ।
77	,, लल्लू सिंह	पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, दूबहर, बलिया ।
78	,, बब्बन सिंह	पुत्र श्री वसगित सिंह, दूबहर, बलिया ।
79	,, भैया त्रिलोकी नाथ सिंह	पुत्र श्री भैया हिरा सिंह, आदर्श नगर, बलिया ।
80	,, अवध किशोर सिंह	पुत्र श्री बच्चू सिंह, गोपालपुर, बलिया ।
81	,, अरुण कुमार मिश्र	पुत्र श्री शेषनारायण मिश्र, जगदरा, बलिया ।
82	,, विजय कुमार ओझा	पुत्र श्री परमेश्वर ओझा, अचलगंट सतनी सराय, बलिया ।
83	,, ओंकार दत्त दूबे	पुत्र स्व0 रामानुज पाण्डेय, काशीपुर, बलिया ।
84	,, बलराम प्रसाद	पुत्र श्री इन्द्रदेव प्रसाद मिश्र, नेवरी, बलिया ।
85	,, सुरेश नाथ वर्मा	पुत्र श्री राम सिंहासन वर्मा, वरवा, बलिया ।
86	,, हीरालाल	पुत्र श्री शिव मुनि राम, आदर्श नगर, बलिया ।
87	,, गोरखा नाथ पाण्डेय	पुत्र श्री चन्द्रिका पाण्डेय, थाम्हनपुरा, बलिया ।
88	,, हीरा लाल	पुत्र सुखपुरा, बलिया ।
89	,, राम प्रसाद	पुत्र देवकली, बलिया ।
90	,, राजेन्द्र प्रसाद	पुत्र श्री धर्मनाथ प्रसाद, कृष्णा वस्त्रालय, आर्य समाज मार्ग, बलिया ।
91	,, योगेन्द्र नाथ ओझा	पुत्र श्री गया प्रसाद ओझा, बाबू बेल, बलिया ।
92	,, अभय कुमार सिंह	पुत्र श्री द्वारिका सिंह, आम घाट, बलिया ।
93	,, राज नाथ पाण्डेय	पुत्र श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, जनाड़ी, बलिया ।

1	2	3
94	श्री रविन्द्र सिंह	पुत्र श्री सुदामा सिंह, आदर्श नगर, बलिया ।
95	,, सन्तोष कुमार पाण्डेय	पुत्र श्री नरेन्द्र दत्त पाण्डेय, जनाड़ी, बलिया ।
96	,, सुरेश प्रसाद मिश्रा	पुत्र श्री शीतल मिश्र, मिश्रवली, बलिया।
97	,, नर्वदेश्वर पाण्डेय	पुत्र श्री दरसूद पाण्डेय, आदर, बलिया ।
98	,, दशरथ सिंह	पुत्र श्री राज किशोर सिंह, बसन्तपुर, बलिया ।
99	,, प्रबोध कुमार	पुत्र श्री रमाशंकर प्रसाद, आर्य समाज रोड, बलिया ।
100	,, भैया अशोक कुमार सिंह	पुत्र श्री सकलदीप सिंह, सागरपाली, बलिया ।
101	,, बद्री नाथ सिंह	पुत्र श्री घनश्याम सिंह छोरहर, बलिया।
102	,, सुरेन्द्र नाथ दूबे	पुत्र श्री राधिका दूबे, निरूपुर, बलिया।
103	,, नरेन्द्र सिंह	पुत्र श्री शंकर सिंह, धरनीपुर, बलिया ।
104	,, बृजेश कुमार गुप्ता	पुत्र श्री महन्त प्रसाद, धरनीपुर, बलिया ।
105	,, दरोगा सिंह	पुत्र श्री राम इकबाल सिंह, आम घाट, बलिया ।
106	,, अखिलेश्वर सिंह	पुत्र श्री केशव प्रसाद सिंह, आमघाट, बलिया ।
107	,, चितेश्वर प्रसाद	पुत्र श्री कैलाश राम प्रबोधपुर, बलिया।
108	,, बब्बन प्रसाद सिंह	पुत्र श्री कपिल देव सिंह, अमृतपाली, बलिया ।
109	,, राज किशोर यादव	पुत्र श्री राम जनम यादव, वन्धुचक नगवा, बलिया ।
110	,, हसन मसूद	पुत्र श्री एस0 एच0 अन्सारी, विशुनीपुर, बलिया ।
111	कुमारी आरती श्रीवास्तव	पुत्री श्री सुशील श्रीवास्तव, विशूनीपुर, बलिया ।
112	श्री रामेश्वर प्रसाद	पुत्र श्री बालेश्वर प्रसाद कटहरनाला, बलिया ।
113	,, राधेश्याम पाण्डेय	पुत्र श्री सुदामा पाण्डेय, कटहरनाला, बलिया ।

1	2	3
114	श्री मारकण्डे सिंह	पुत्र श्री बाल कृष्ण सिंह, बसन्तपुर, बलिया ।
115	श्रीमती विद्यावती सिंह	पुत्री श्री सत्येन्द्र सिंह, हरपुर, बलिया।
116	श्री विजय बहादुर सिंह	पुत्र श्री राज किशोर सिंह, जगदीश पुर, बलिया ।
117	,, सरदार दर्शन सिंह	पुत्र श्री गोविन्द सिंह, नानक कटरा बलिया ।
118	,, हीरा प्रसाद	पुत्र श्री वैजनाथ प्रसाद, सहतवार बलिया ।
119	,, राजनारायण चौधरी	रेवती, बलिया ।
120	,, जय प्रकाश सिंह	तिवारी मार्केट, रेवती, बलिया ।
121	,, जितेन्द्र हरिजन	रेवती, बलिया ।
122	,, उमा शंकर पाण्डेय	रामपुर दीधार, बलिया ।
123	,, राधव जी	रेवती मार्केट, रेवती, बलिया ।
124	,, भरत पाण्डेय	रेवती मार्केट, रेवती, बलिया ।

एस0 के0 पारीलि
सामान्य प्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र
बलिया ।

पी0 एस0 यू0 पी0—19 वि0 स0—दिनांक 1-12-86—813 प्रतियां (लाइनों)